ईश माला, खंड 9, अंक 30

मंगलवार, 3 मई, 2005
13 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc ... 58
Date ... 27.4.06

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 30, मंगलवार, 3 मई, 2005/13 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 523 और 526	1–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 521, 522, 524, 525 और 527 से 540	32–73
अतारांकित प्रश्न संख्या 5622 से 5781	73–396
सभा पटल पर रखे गए पत्र	396–406
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	406
समिति का निर्वाचन	
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	406–407
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य	407–408
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मादा भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं, के परिणामस्वरूप देश में महिलाओं के प्रतिकूल लिंग अनुपात में आ रही कमी से उत्पन्न स्थिति	408–423
श्री गुरुदास दासगुप्त	409, 410–414
डा. अंबुमणि रामदास	409–410, 417–422
डा. रामचन्द्र डोम	414–415
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	415
श्रीमती मिनाती सेन	415–416
श्री पवन कुमार बंसल	416
श्री शैलेन्द्र कुमार	416

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	223
सदस्यों द्वारा निवेदन	
29 अप्रैल, 2005 को दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच में यात्रा कर रहे संसद सदस्यों के साथ रेल कर्मचारियों द्वारा कथित दुर्व्यहार किए जाने के बारे में	233–441
नियम 377 के अधीन मामले	442–449
(एक) असम के करीमगंज और हैलाकंडी जिलों के उप-नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	442
(दो) हिमाचल प्रदेश के ''गिरी-पार'' क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	443
(तीन) हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	443
(चार) देश में बंद पड़ी एन.टीस.सी. मिलों को पुनरुज्जीवित करने और उनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	444
(पांच) पश्चिम बंगाल के मेचदा और पंसकुरा स्टेशनों पर पान के पत्तों की सीधी बुकिंग को फिर से शुरू करने और पान के पत्तों पर शुल्क बढ़ोत्तरी का अधित्याग करने पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण सेठ	444–445
(छह) मदुरै में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	445–446
(सात) दिल्ली और देश के अन्य भागों में औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत बाल श्रमिकों के कथित शोषण को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	446–447
(आठ) बिहार में अपर वधवा जलाशय को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी यादव	447
(नौ) तमिलनाडु के तिरूपत्तूर, नेत्रमपल्ली और ओट्टनचतिरम में टमाटर की खेती को बढ़ावा देने और इसके विपणन के लिए एक प्रायोगिक योजना विकसित करने के अतिरिक्त इन स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	447–448
(दस) सड़क नेटवर्क द्वारा जम्मू को कश्मीर घाटी के दूर-दराज के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एकीकृत और अवसंरचनात्मक विकास योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	448

विषय	कॉलम
(ग्यारह) दामोदर घाटी निगम द्वारा झारखंड का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	449
संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2005	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	449–450
श्री. एस. रघुपति	449–450, 461–465
श्री संदीप दीक्षित	450–455
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	456–457
श्री हन्नान मोल्लाह	457–458
प्रो. एम. रामदास	458–460
खंड 2 से 5 और 1	465
पारित करने के लिए प्रस्ताव	465
नियम 193 के अधीन चर्चा	
निर्वाचन सुधार	466–512
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	466–485
श्री पवन कुमार बंसल	485–490
श्री रामजीलाल सुमन	490–494
श्री पी. करूणाकरन	494–497
श्री रघुनाथ झा	498–502
श्री इलियास आजमी	502–506
श्री संदीप दीक्षित	506–511
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	511–512
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	513
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	514–518
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	519–520
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	519–520

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 3 मई, 2005/13 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस बात की अप्रसन्नता है कि विपक्ष के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं। मैं पुन: उनसे अनुरोध करता हूं।

प्रश्न संख्या 521, श्री जसवंत सिंह बिश्नोई—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 522, श्री सुग्रीव सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

श्री आनंदराव विठोबा अड़सूल—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेहरू युवा केन्द्र

+
***523. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौंवी योजना के दौरान नेहरू युवा केन्द्र अपनी गतिविधियों को काफी अधिक गांवों में जारी रख सके थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान और उसके पश्चात् राज्यवार कितने केन्द्र खोले गये;

(ग) युवा वर्ग को विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को शुरू करने में प्रोत्साहन देने के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गयी;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के लिए जारी की गयी धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इन केन्द्रों को सौंपे गए कार्य जारी की गयी धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण प्रभावित हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों से संबद्ध पंजीकृत तथा अपंजीकृत युवा क्लबों, महिला मंडलों तथा खेल क्लबों की संख्या 1.80 लाख से 2.12 लाख तक बढ़ी है और वर्तमान में 2.30 लाख है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उसके बाद कोई नया जिला नेहरू युवा केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) और (घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम तथा युवाओं से संबंधित अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से उनके उद्देश्य तथा विकास अभिमुखी कार्यक्रम अनुबंध में दिए गए हैं। पूरे किए गए कार्यक्रमों के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं, सिवाय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के, जो कि एक सतत कार्यक्रम है। उपरोक्त के अलावा, गांधी ग्रामोदय संकल्प अभियान, 2 अक्तूबर, 2004 को शुरू की गई एक पहल के अंतर्गत सेवाओं के अभिसरण के लिए 497 आदर्श गांव अपनाए गए हैं।

(ङ) सभी धनराशियों का उपयोग किया गया है, सिवाय ग्रामीण विकास स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10.12 करोड़ रुपये के, जो एक सतत कार्यक्रम है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम

क्र. सं.	सहयोगी केन्द्रीय मंत्रालय	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्राप्त सहायता अनुदान (लाख रुपये में)	योजना/कार्यक्रम का उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	(क) स्वास्थ्य जागरूकता	241.40 (1994-95 से 1998-99 तक)	जागरूकता उत्पन्न करना, शिक्षित, अभिप्रेरित करना तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना
		(ख) विश्व जनसंख्या दिवस	36.10 (2002-03 (2004-05)	जांच रहित जनसंख्या वृद्धि के भयानक परिणामों के बारे में जनजागरूकता उत्पन्न करना तथा लघु परिवार मानदण्डों तथा स्वस्थ जीवन शैली को लोकप्रिय बनाना।
		(ग) विलेजर टाक एड्स परियोजना (नाको के जरिए)	224.40 (2001-02 से 2002-03 तक)	लोगों के बीच विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को एचआईवी एड्स तथा निवारण तकनीकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
		(घ) विश्व एड्स दिवस	54.00 (2003-04)	भारत में एचआईवी/एड्स की चिंता तथा इसको रोकने की आवश्यकता को प्रमुखता देने के लिए युवा लोगों के बीच एचआईवी/एड्स पर जनजागरूकता उत्पन्न करना।
2.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	(क) ग्रामीण युवाओं के जरिए सहायक सामग्री सहायक/उपस्करों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांगों की सहायता।	155.33 (1999-00)	सहायक सामग्री/उपस्करों की खरीद के लिए विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
		(ख) युवा विकास केन्द्रों के जरिए ओल्ड ऐज डे केयर सेंटर्स	67.50 (1998-99 से 2000-01 तक)	समाज के लिए लाभदायक बने रहने के लिए उनकी सहायता करने के उद्देश्य के साथ वृद्धों (60 वर्ष तथा उससे ऊपर के) को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।

1	2	3	4	5
3.	जल संसाधन मंत्रालय	युवाओं के जरिए जागरूकता उत्पन्न करना एवं जल संसाधनों का प्रबंधन-एक सहभागी पहुंच	5.10 (1999-00)	जल संरक्षण तथा इसके प्रबंधन के लिए गांवों के समुदायों का मार्गदर्शन करना
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	(क) पूर्वोत्तर छात्र सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम	365.93 (1997-98 से 2004-05 तक)	राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों के दौरे के लिए पूर्वोत्तर स्कूली युवाओं तथा ग्राम आधारित युवा क्लबों के गैर-छात्र युवाओं को अवसर प्रदान करना।
		(ख) दूरदर्शन पूर्वोत्तर संगीत महोत्सव	14.69 (2002-03 से 2003-04 तक)	देश के पूर्वोत्तर भागों के प्रसिद्ध/कम प्रसिद्ध सांस्कृतिक पक्षों को खोजना तथा उन्हें प्रमुखता देना तथा देश के पूर्वोत्तर भागों के युवा लोगों की प्रतिभाओं को मान्यता देना तथा उनका सम्मान करना।
5.	गृह मंत्रालय	जम्मू व कश्मीर के युवाओं के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	84.58 (2001-02 से 2004-05 तक)	राष्ट्रीय एकीकरण उपलब्ध कराने के लिए जम्मू व कश्मीर के युवाओं के लिए देश के अन्य भागों हेतु शैक्षणिक तथा जागरूकता दौरा कार्यक्रमों का प्रबंध करना।
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना -एक ग्रामीण युवा पहल	2271.80 (2000-01 से लगातार जारी है)	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के गरीबों के स्वयं सहायता समूह गठित करना तथा उनके सामर्थ्य का निर्माण करना ताकि वे अपने आप आय सृजित उद्यम प्रारंभ कर सकें।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, देश में नेहरू युवक केन्द्र के विभिन्न जिलों में 500 केन्द्र हैं। सभी जिलों में, देश के विकास के लिए, यूथ क्लब के माध्यम से, सम्पूर्ण साक्षरता, ग्रामीण सूचना एवं तकनीक केन्द्र, जिसमें टेलीफोन, कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ना शामिल है, क्या इस तरह के केन्द्र खोलने का नेहरू युवक केन्द्र ने देश के सभी गांवों में कार्य पूरा कर लिया है, यदि नहीं तो कब तक पूरा कर लेगा?

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि हमारी 500 शाखाएं हैं लेकिन हमारे दो लाख यूथ क्लब्स भी हैं। उनमें जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, वे प्रोग्राम्स देश के हित के लिए हैं, देश की उन्नति के लिए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्लब्स हैं और जितनी भी शाखाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट लेविल के ऊपर, उनके पास कम्प्यूटर भी आये ताकि हमको सहूलियत मिले। मगर उसके लिए फंड्स की कमी होने की वजह से यह काम थोड़ा आहिस्ता हो रहा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी हमारी सरकार ने वायदा किया है, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें।

श्री किसनभाई वी. पटेल: नेहरू युवक केन्द्र देश में युवकों की मानसिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए, योजना आयोग के सुझाव से नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं। लगभग सभी केन्द्र नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं। उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड़ में जो केन्द्र काम करता है, उसमें यह हेतु सर्व नहीं हुआ है। इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है?

श्री सुनील दत्त: हमें जो प्रोग्राम्स दिये जाते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं और हर स्टेट से हमें बताया जाता है कि कहां सोशल लेवल पर कोई कमियां हैं। आपकी और सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि नेहरू युवक केन्द्र जो भी प्राब्लम्स होती हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रीसेण्टली सुनामी की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसमें नेहरू युवक केन्द्र निकोबार आईलैंड, अंडमान आईलैंड में थे, तमिलनाडु की कोस्टल लाइन में उन्होंने काम किया, पाण्डिचेरी में उन्होंने काम किया, आन्ध्र प्रदेश में उन्होंने काम किया। अभी-अभी बहुत ही जल्द हम एड्स के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। रैड रिबन एक्सप्रैस प्रोजैक्ट हमने शुरू किया है, जिसमें नाका नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन) और राजीव गांधी फाउण्डेशन इसे स्पोन्सर कर रहे हैं। इसमें चारों ओर से ट्रेन चलेंगी, जिनमें पांच डिब्बे होंगे और हर ट्रेन में हमारे डाक्टर्स भी होंगे और एन.जी.ओज. भी होंगे। जहां-जहां ट्रेन रुकेगी, वहां एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए सारे देश में वे पहुंचेंगी और 29 हजार लोग उसका फायदा उठाएंगे।

जहां-जहां भी वह ट्रेन रुकेगी, वहां पर हम नेहरू युवा केन्द्र क्लब के जरिए पांच-छः आदमी रखेंगे, वे लोग एड्स की जानकारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हमारा युवा ही ताकतवर नहीं होगा, यदि उसकी भुजाओं में जान नहीं होगी तो हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी काम हैं, वे आहिस्ता हो जाएंगे और देश के आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, जिनका युवाओं से संबंध होता है, देश की एकता-अखंडता का सवाल होता है, जहां धर्मों को एक रखने का सवाल होता है, जहां जांत-पांत को एक रखने का सवाल होता है, उसके लिए नेहरू युवा केन्द्र हमेशा आगे रहता है।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मंत्री जी ने अभी यह बताया है कि नेहरू युवा केन्द्र सामाजिक बुराइयों और इसी प्रकार की अन्य चीजों का उन्मूलन करने का कार्य किस प्रकार करता है। वर्ष 1993 में युवक कार्यक्रम मंत्रालय ने युवा समन्वयकों की रिक्तियों की घोषणा की थी। आवेदन-पत्र मंगाए गए थे और एक परीक्षा भी आयोजित की गई थी। लेकिन अभी तक उस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि परीक्षा आयोजित करने के पश्चात भी मंत्रालय में इन रिक्तियों को भरने से कौन रोक रहा है।

श्री सुनील दत्त: वर्ष 1992 में नेहरू युवा केन्द्रों में नामांकन हेतु समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। लोगों को काम पर रखने से पूर्व आपको उस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित करना पड़ता है। लेकिन उस समय, संबंधित मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले लिया परंतु वित्त मंत्रालय ने उसके लिए धनराशि देने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात यह मामला न्यायालय में चला गया। यह अभी भी वहीं लटका हुआ है और इसके कारण हमें भी कठिनाई हो रही है क्योंकि हमें भारत भर में नियुक्त करने हेतु 97 लोगों की आवश्यकता है जो कि वास्तव में इस देश में लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: आपको न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मंत्री जी वह समय सीमा बता सकते हैं जिसमें उन परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: वह न्यायालय के निर्णय के कारण रुका पड़ा है।

श्री सुनील दत्त: जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, नेहरू युवा केन्द्र की शाखाएं बहुत से जिला मुख्यालयों या प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं हैं—क्या माननीय मंत्री जी को इसका पता है? क्या माननीय मंत्री जी उन स्थानों पर इसकी शाखाओं की स्थापना करना चाहते हैं?

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जहां-जहां शाखाएं नहीं हैं, आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए और हम उनके विषय में आपको बताएंगे। हम चाहते हैं कि देश के कोने-कोने में हमारी शाखाएं हों, क्योंकि नेहरू युवा केन्द्र देश की एकता के लिए, धर्मनिरपेक्ष लोगों की एकता के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। आपका प्रतिदिन एकाधिकार रहता है।

[हिन्दी]

श्री शैलन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि पहले युवा क्लबों और महिला मंडलों की संख्या 1.80 लाख थी जो अब 2.3 लाख कर दी गई है और 10.12 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास स्वर्ण जयन्ती रोजगार के अंतर्गत आपने रखे हैं, जबकि अभी तक उसका पूरा पैसा भी खर्च नहीं हुआ है—इसका क्या कारण है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसके बारे में कोई कार्ययोजना आपके पास है?

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि माननीय सदस्य मुझे बताएं कि कहां नेहरू युवा केन्द्र की शाखाएं नहीं हैं। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि कुछ पैसा हमारे पास बचा हुआ है, वह इसलिए है क्योंकि कई योजनाओं पर हम काम करते हैं और कई मंत्रालय हमारे पास हैं, जिनके प्रोग्राम को हम लागू करते हैं। उसमें एक प्रोग्राम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का है।

[अनुवाद]

यह परियोजना जल रही है।

[हिन्दी]

किसी आन-गोइंग प्रोजैक्ट के तहत अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम उसे आहिस्ता-आहिस्ता खर्च करते हैं। वे हमें पांच साल का पैसा दे देते हैं। लेकिन पांच साल का पैसा हम एक साल में खर्च नहीं कर सकते। उसे आगे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना पड़ता है। जो पैसा हमारे पास मिनिस्ट्री का रुका हुआ है, उसके लिए हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं।

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने युवा क्लब महिला मंडल की संख्या 2 लाख 30 हजार बताई है। मैं खुद एक युवा क्लब चला रहा हूं। हम पन्द्रह साल के वालीबाल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। हमने देखा है कि जब हमारा आयोजन सम्पूर्ण हो जाता था, तब नेहरू युवा केन्द्र वाले आकर कहते थे कि आप हमारा बैनर लगा दें, हम आपको एक वालीबाल और नेट दे देंगे। इसके बाद वे हमसे एंट्रीज की सारी डिटेल ले जाते थे। बाद में हमें पता चला कि टूर्नामैंट का सारा खर्च हम करते थे, लेकिन नेहरू युवा केन्द्र वाले पूरा खर्च अपने एकाउंट में दिखाकर सारा पैसा खुद खा जाते थे। जब से मैं विधायक बना, उसके बाद से वे हमारे पास नहीं आते। हमारे टूर्नामैंट का आयोजन आज भी चालू है, लेकिन अब वे हमारे पास नहीं आते। आज हमारे जैसे युवा व्यक्ति संसद में आए हैं, तो अगर नेहरू युवा केन्द्र वाले हमारे से मशविरा करके आयोजन करें तो हम उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं, जो लोग इस तरह कर रहे हैं, एक्चुअली वे नेहरू युवा केन्द्र की फिलास्फी को समझते नहीं हैं। हमें नेहरू युवा केन्द्र में ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें उनके नाम बताएं, उनके विषय में बताएं, हम उन्हें फौरन निकाल देंगे। हमें अच्छे लोग चाहिए, जो देश के हित में, देश के लोगों की सर्विस के लिए काम करें। *...(व्यवधान)*

श्री दिनशा पटेल: अभी डांडी यात्रा में भी ऐसा हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बहुत सहृदय हैं। उन्होंने तत्काल कार्यवाही करने की पेशकश की है। कृपया उन्हें ब्यौरा दे दें। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात आई है कि विगत सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर यह आरोप लगाए गए थे कि एक विशिष्ट कट्टरवादी संगठन से संबंधित आंदोलनकारियों को नेहरू युवा केन्द्रों में विभिन्न स्तरों पर भर्ती किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से इससे आगे यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच कराएंगे और इस संगठन को ऐसे तत्वों से मुक्त करेंगे।

श्री सुनील दत्त: मैं यह मुद्दा उठाने के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं यहां बैठे मेरे सभी साथियों की जानकारी के लिए नेहरू युवा केन्द्रों के बारे में कुछ

शब्द कहना चाहूंगा। नेहरू युवा केन्द्रों की शुरुआत 1972 में की गई थी क्योंकि उस समय देश के कुछ जिलों में असंतोष और हिंसा की स्थिति थी। यह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सोच थी कि उस समय उन जिलों में नेहरू युवा केन्द्र आरम्भ किए जाएं। इसके पश्चात अगले कुछ वर्षों तक, वर्ष 1987-88 तक, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो इस आंदोलन पर बड़ा जोर दिया गया।

सबसे पहले उन्होंने मतदाताओं की आयु कम करके 18 वर्ष कर दी क्योंकि वे हमारे देश की एकता, अखंडता और विविधता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में युवाओं की भागीदारी चाहते थे। उन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य पर सर्वाधिक जोर दिया गया। हमारे देश के लगभग सभी जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना की गई।

नेहरू युवा केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं है। नेहरू युवा केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के लोगों को एक रखना है। नेहरू युवा केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें धर्म, जाति और पंथ के आधार पर अपने मतभेदों को भुला देना चाहिए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के युवाओं को सही दिशा देना है। उन्हें खेलों और सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य युवाओं के मस्तिष्क और शरीर को राष्ट्र के निर्माण हेतु प्रभावी तरीके से सहयोग प्रदान करने के लिए व्यस्त रखना है।

महोदय, इसलिए, मैं यह नहीं जानता कि पूर्व में क्या हुआ है और माननीय सदस्य किस बात का उल्लेख कर रहे हैं। मूलत: हम वे लोग हैं जो देश की एकता के लिए काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि पिछले शासन ने क्या किया। लेकिन जहां तक हमारा संबंध है, हम एकता चाहते हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं। हम हमारे देश के लोगों की एकात्मकता में विश्वास रखते हैं। नेहरू युवा केन्द्रों का यही मूल उद्देश्य है और हम उसी दिशा में जा रहे हैं।

श्री सुरेश कलमाडी: गत पांच वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों में एक विशेष विचारधारा की घुसपैठ कराई गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका कहना है कि वे उस विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं जिसको ध्यान में रखकर इनकी स्थापना की गई थी। यह युवाओं का मामला है अत: आज मैं थोड़ा उदार हूं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि नौवीं योजना अवधि और उसके पश्चात् नेहरू युवा केन्द्र का कोई भी नया केन्द्र किसी भी जिले में, नहीं खोला गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरा यह सुझाव है कि आज से आरम्भ हो रही दसवीं योजना अवधि के दौरान नेहरू युवा केन्द्र के और अधिक केन्द्र शुरू किए जाएं।

श्री सुनील दत्त: महोदय, हमने वित्त मंत्रालय को लिखा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी किसी भी नई योजना के लिए हमें अधिक वित्त और उन 97 रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है। हम वित्त मंत्रालय को यह लिखकर भेज चुके हैं कि हमें इन 97 रिक्तियों को भरने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है और जैसे ही हमें वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिल जाएगी, हम उन 97 रिक्तियों को भर देंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, वास्तव में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का उद्देश्य देश के छात्रों और युवाओं को हमारे राष्ट्र निर्माताओं के आदर्शों के लिए एकजुट करना है। इस आंदोलन पर श्री राजीव गांधी के समय में बहुत जोर दिया गया था। लेकिन बाद में, दुर्भाग्यवश, वर्ष 1997 से 2003 तक, इस आंदोलन को धक्का लगा क्योंकि उच्च पदों पर बैठे लोग इस आंदोलन को इसके पवित्र उद्देश्य से भटकाकर इसे बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाना चाहते थे। यही वह समय था जब ऐसे लेगों को इसमें लाने का प्रयास किया गया जो वास्तव में इस आंदोलन को इसके उद्देश्य से हटाकर एक अलग ही उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना चाहते थे।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस अवधि के दौरान इस आंदोलन को पहुंचे धक्के की निगरानी की है और अब वे इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय करना चाहते हैं।

श्री सुनील दत्त: जबसे हमारी सरकार सत्ता में आई है, हम उस दर्शन और नीति के अनुसार चल रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी लोगों की एकता में विश्वास रखती है; कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखती है और कांग्रेस पार्टी धार्मिक विविधता में विश्वास रखती है और यह मानती है कि सभी धर्म इसी देश के हैं। महोदय, मुझे खेद है। मैं यह कहते हुए क्षमा चाहूंगा कि वह सं.प्र.ग. सरकार है। एक कांग्रेसी होने के नाते यह मेरे मन में गहरे तक बसी हुई है। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन बाहर से कुछ समर्थक हैं।

श्री सुनील दत्त: सं.प्र.ग. सरकार के दर्शन और नीतियों के अनुसार हम अपनी ओर से श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। यदि कई वर्षों से कुछ चीजें खराब चल रही हैं तो उन्हें ठीक करने में

थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप शीघ्रता से कोई साम्राज्य खड़ा तो कर सकते हैं परन्तु आप उसे कुछ ही सेकेंड में तोड़ सकते हैं। हमारे महान नेताओं द्वारा कई वर्षों में एक साम्राज्य खड़ा किया गया था। आज मुझे शिकायतें मिल रही हैं। इन्हें ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम सही रास्ते पर हैं और मैं इस सभा को आश्वस्त कर दूं कि हम इस आंदोलन में आए गलत तत्त्वों से छुटकारा पा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से हमें युवाओं के मामलों पर एक पूर्ण चर्चा करनी चाहिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मुझे यह जानकर वास्तव में प्रसन्नता हुई कि यह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर नेहरू युवा केन्द्र के और अधिक केन्द्र बनाने हेतु कदम उठा रहा है। लेकिन, महोदय, युवाओं में जागरूकता पैदा करने हेतु हमें कुछ इस प्रकार के बहानों का आश्रय नहीं लेना चाहिए कि यह संभव नहीं है या यह आवश्यक नहीं है। गत चार से पांच वर्षों के दौरान मैं इस मंत्रालय को चिदम्बरम, तमिलनाडु में नेहरू युवा केन्द्र के कुछ केन्द्र खोलने के लिए लिख रहा हूं, परन्तु मुझे उनका समुचित प्रत्युत्तर नहीं मिला है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेहरू युवा केन्द्र का एक भी केन्द्र नहीं देखा है।

निश्चित रूप से, पूर्ववर्ती सरकार ने इसे राजनैतिक रूप से लिया और इन सब बातों की उपेक्षा की है। अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब, सं.प्र.ग. सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुझे आशा है कि यह युवाओं में जागरूकता पैदा करने, युवा शक्ति को एकजुट करने, इन्हें संवेदनशील बनाने और कुछ विकासात्मक कार्य करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु विशेषकर कुडलूर और तिरूवनमलाई जिलों में निकट भविष्य में ऐसे केंद्र बनाने की कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय: ये व्यक्तिगत मामले हैं।

श्री सुनील दत्त: निश्चय ही, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। यदि बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम निश्चित ही करेंगे।

श्री सुनील खां: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिंता की बात है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र दुर्गापुर जब एक नगरपालिका थी तब वहां एक नेहरू युवा केन्द्र स्थापित किया गया था। किंतु अब दुर्गापुर एक नगर निगम है जिसमें छः लाख लोग हैं। अब नेहरू युवा केन्द्र को पश्चिम बंगाल के किसी अन्य शहर में स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य जिलों में दो नेहरू युवा केन्द्र हैं। दुर्गापुर यद्यपि बर्धवान जिले में आता है परन्तु यह एक उप मंडलीय शहर है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री सुनील खां: न केवल यह पूर्वी भारत का एक औद्योगिक क्षेत्र है और बहुत से उद्योग यहां खुल रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री सुनील खां: मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि यह जारी रहना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सुनील खां: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे जारी रखना चाहिए अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यह जानना चाहते हैं कि क्या यह जारी रहना चाहिए अथवा नहीं।

श्री सुनील दत्त: महोदय, मैं उन कागजों को देखूंगा जो इन्होंने मेरे मंत्रालय में भेजे हैं। जो जरूरी और संभव होगा हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं मध्याह्न 12.00 बजे तब अनुमति दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि यदि माननीय सदस्य युवक कार्यक्रम संबंधी चर्चा के बारे में सूचना देंगे तो मैं सकारात्मक रूप से विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, हमने सप्लीमेंट्री के लिए नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय: सप्लीमेंट्री का नोटिस नहीं माना जाता। पूरे डिसकशन का नोटिस देना होता है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, अब इधर टाइम दे दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह नहीं चलेगा। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 524। मैं और पूरी चर्चा चाहता हूं। मैंने राष्ट्रीय युवा आयोग के बारे में कहा है। मंत्री महोदय, क्या मैंने यह नहीं कहा है?

श्री कैलाश मेघवाल—उपस्थित नहीं

प्रश्न सं. 525—श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं

क्या इन्होंने अपना पक्ष बदल लिया है?

प्रश्न सं. 526—डा. के धनराजू।

विद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन

***526. डा. के. धनराजू:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में खेलों का स्तर बढ़ाने तथा अंतर-विद्यालय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 1986 में एक योजना शुरू की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके लिए राज्यों को राज्य-वार कितना वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अनुदान की राशियां अप्रयुक्त रह गयीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। ''स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन'' शीर्षक की एक योजना स्कूलों में खेलों का स्तर बढ़ाने और अंतर-स्कूल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1986 में आरंभ की गई थी। तब से योजना संशोधित की जा चुकी है।

(ख) जिला और राज्य-स्तरीय अंतर-स्कूल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सहायता जारी की गई थी:

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र	19.50	–	–
त्रिपुरा	4.00	4.00	–
मणिपुर	6.50	–	–
उत्तरांचल	8.50	–	–
उड़ीसा	17.00	–	–
असम	–	13.50	–
सिक्किम	–	4.00	–
नागालैण्ड	–	6.00	11.25
हिमाचल प्रदेश	–	8.00	–
दमन व दीव	–	3.00	–
चंडीगढ़	–	–	3.00

वर्ष 2004-05 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 13 राज्यों को वितरण के लिए 1.31 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्य सरकारों से मांगे गए कुछ स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के बाद शेष 11 राज्यों को राशि जारी की जाएगी।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2005-06 के लिए राशि, वर्ष 2004-05 के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

(ङ) ''खेल'' राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर खेलों के संवर्धन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार के प्रयासों को निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से सहायता और बढ़ावा देती है:

1. ग्रामीण खेल कार्यक्रम: देशज खेलों सहित, किसी विशिष्ट खेल विधा में जिला स्तरीय स्थानीय ग्रामीण टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को 30,000 रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 2005-06 के दौरान पूर्वोत्तर के 58 जिलों

में जिला स्तरीय स्थानीय ग्रामीण टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को 1.15 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

2. स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन: एथलेटिक और चार अन्य खेल विधाओं में अंतर-स्कूल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए राज्यों को प्रति जिला 75,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के सहयोग से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

3. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना: के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के आयु समूह के प्रतिभावान लड़के और लड़कियों का चयन किया जाता है और इन्हें चुने हुए स्कूलों/अखाड़ों/नवोदय विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाता है।

4. सेना बाल खेल कंपनी योजना: योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के आयु समूह के प्रतिभावान लड़कों का चयन किया जाता है और इन्हें चुने हुए सेना केन्द्रों/इकाईयों में प्रशिक्षित किया जाता है।

5. विशेष क्षेत्र खेल: योजना के अंतर्गत 14 से 21 वर्ष के आयु समूह के खिलाड़ियों जो कि आनुवांशिक या भौगोलिक अनुकूल क्षेत्रों से हैं, को एक विशेष खेल विद्या में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए चयनित किया जाता है।

डा. के. धनराजू: धन्यवाद महोदय। मैं माननीय सदस्य के उत्तर से संतुष्ट हूं। विवरण में यह दिया गया है कि केवल दो राज्यों अर्थात नागालैंड और चंडीगढ़ में वर्ष 2004-05 के लिए विवरण के अनुसार अभी तक इस योजना का उपयोग किया है। 1.31 करोड़ रुपए भारतीय खेल प्राधिकरण को जारी किए गए हैं। परन्तु विवरण में यह दिया गया है कि राज्य सरकारों से मांगे गए स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् शेष 11 राज्यों को धन जारी किया जाता है इसका अर्थ है कि शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी है। भारतीय खेल प्राधिकरण से अभी तक क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है और किन राज्यों ने व्यवहार्यता प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जांच की जा रही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यह सारा ब्यौरा कैसे दे सकते हैं?

श्री सुनील दत्त: विवरण पहले ही दिया जा चुका है। महोदय, 2004-05 में केवल दो राज्यों ने हमें सही जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि राज्य जो भी मांगें हम दे दें। हम निश्चित ब्यौरा जानना चाहते हैं उदाहरणार्थ, वहां पैसा कैसे खर्च किया जाएगा और वहां किस तरह के खेल आयोजित दिए जाने हैं। जहां तक नागालैंड और चंडीगढ़ का प्रश्न है तो हमने निधियां जारी कर दी हैं क्योंकि उन्होंने समुचित जानकारी दे दी है। यदि अन्य लोग भी जो पैसा मांग रहे हैं, वे हमें उचित जानकारी देते हैं तो हम पैसा जारी करेंगे। पैसा उपलब्ध है और हम चाहते हैं कि और राज्य आगे आएं और हमारे पास स्कूलों तथा अन्य खेलों और प्रतियोगिताओं के लिए जो योजना है उसका लाभ उठाएं।

डा. के. धनराजू: महोदय, वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित राशि अभी खर्च नहीं हुई है फिर आप चालू वित्त वर्ष की धनराशि का क्या उपयोग करने जा रहे हैं?

तमिलनाडु के संबंध में मैं समझता हूं कि इस योजना पर पूरे मनोयोग से कार्य नहीं किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से सहायता करने का अनुरोध करता हूं। क्या खेल प्राधिकारियों द्वारा तमिलनाडु का दौरा करने का प्रस्ताव है ताकि योजना को पूरी तरह लागू किया जा सके।

श्री सुनील दत्त: मैंने हमेशा सभा को बताया है कि खेल एक राज्य का विषय है। जब तक राज्य हमें नहीं बताते, हमें सही जानकारी नहीं देते तब तक हम कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं। जो राज्य उचित जानकारी दे रहे हैं उनकी वित्तीय मदद की जा रही है। हम भारतीय खेल प्राधिकरण के लोगों को खेलों में पहले से अच्छे युवा लोगों की जांच करने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर लाने के लिए वहां भेजते हैं।

वर्ष 2002-03 में महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तरांचल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव और चंडीगढ़ को मदद मिली थी। 2002-03 में महाराष्ट्र में वस्तुत: 35 जिलों में ये खेल आयोजित हुए थे। हमने उन्हें 19,50,000 रुपए दिए। त्रिपुरा में चार जिलों में खेल आयोजित हुए हमने उन्हें 4 लाख रुपए दिए। मणिपुर में 9 जिलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। हमने उन्हें 6,50,000 रुपए दिए। उत्तरांचल में 13 जिलों में खेल प्रतियोगिताएं कराई गई और हमने उन्हें 8,50,000 रुपए दिए। उड़ीसा के लिए हमने 17 लाख रुपए दिए।

वर्ष 2003-04 में त्रिपुरा को पुन: 4 लाख रुपए हमसे मिले। असम को 13 लाख रुपए मिले। सिक्किम को 4 लाख रुपए मिले। नागालैंड को 6 लाख रुपए मिले। हिमाचल प्रदेश को 8 लाख रुपए मिले। दमन और दीव को 3 लाख रुपए मिले।

वर्ष 2004-05 में नागालैंड को 11,25,000 रुपए और चंडीगढ़ को 3 लाख रुपए मिले। यह स्थिति है। जब भी वे सही सूचना देते हैं हम उनकी सहायता करते हैं।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: स्पीकर महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि पूर्णत: माननीय मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शारीरिक विकास का शिक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, जितना कि किसी अन्य पाठ्यक्रम का। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई मंशा या योजना है, जिससे खेलकूद को शिक्षा में उतना ही महत्व प्राप्त हो सके जितना कि अन्य पाठ्यक्रमों को प्राप्त है? महोदय, आज माता-पिता अपने बच्चों को खेलकूद के लिए इसलिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आगे चलकर कोई बच्चा जीविका के उद्देश्य से उतना योगदान नहीं कर सकेगा जितना की शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रम कर पाते हैं।

श्री सुनील दत्त: महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। माननीय सदस्य स्वयं युवा हैं, इसलिए वे युवा वर्ग की समस्याओं और तकलीफों को बेहतर ढंग से जानते हैं। मैं इनकी भावनाओं को एप्रेशिएट करता हूं। महोदय मेरी भी यही ख्वाहिश है और यह हो रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आज इस सदन में बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

इस पर विचार हो रहा है कि स्कूलों में खेल एक विषय के रूप में शामिल हो। यह शत प्रतिशत शामिल होने जा रहा है। हम सब इससे सहमत हैं। जब यह लागू हो जायेगा तब हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हमारे यहां खेल स्कूल स्तर पर ही शुरू हो जाएंगे। जहां तक इसका संबंध है तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी।

डा. सुजान चक्रवर्ती: अंतरराष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में हमारे देश की वास्तविक हालत बहुत दयनीय है। हम सबको इसका पता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आप हमारे खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो यह स्कूल स्तर पर शुरू होना चाहिए। वहीं पर उचित ध्यान दिया जानना चाहिए। पुराने समय में स्कूलों में खेलों और पी.टी. पर आज की तुलना में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था।

यद्यपि, यह राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार का खेल विभाग राज्यों को स्कूल स्तर पर ही प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजना बना रहा है और इसे सकारात्मक तरीके से कैसे किया जा सकता है? भाग (ख) का प्रश्न 7, 8, 10, 12 इत्यादि के आयु वर्ग में स्कूल स्पोर्टस अकादमी जैसी चीजों के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार स्कूल स्पोर्टस अकादमी जैसी चीजें विकसित करने के लिए योजना बना रही है।

श्री सुनील दत्त: महोदय, क्षमा याचना सहित मेरा कहना है कि हमारे देश में खेल संस्कृति नहीं है। केवल एक खेल है जो बहुत लोकप्रिय है वह है क्रिकेट। इसलिए क्रिकेट का भविष्य है; यह आज एक व्यवसाय बन चुका है। यदि आज फुटबाल एक व्यवसाय बन जाए तो सभी माता-पिता अपने बच्चों को मैदान में देखना चाहेंगे क्योंकि वे धन कमा सकते हैं। विदेशों में यदि एक फुटबालर एक गोल करता है तो वह लखपति बन जाता है। मैं स्कूलों और कालेजों में गया हूं। मैंने विद्यार्थियों से बात की है। मैं चंडीगढ़ में विद्यार्थियों से बात कर रहा था। एक विद्यार्थी मुझसे मिला और मुझसे कहा, "मैं एक अच्छा बैडमिंटन खिलाडी हूं। 12वीं के पश्चात् मेरे माता-पिता ने मुझसे खेलना बंद करने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा।" सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा राष्ट्र, हमारे माता-पिता, हमारा देश खेल संस्कृति वाला देश बने। स्कूलों तथा कालेजों में खेलों को बढ़ावा देने का यही एकमात्र तरीका है और तभी सभी माता-पिता वहां अपने बच्चों को खेलों में भाग दिलाएंगे।

दूसरी बात, यह बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण है कि इन सब सीमाओं के बावजूद हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में विदेशों में पदक जीत रहे हैं। कल ही मुझे जानकारी मिली कि हमारे एशिया के पहलवान कुछ स्वर्ण पदक जीते हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह सब लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश इसके लिए पूरा प्रयास करे और लोग कहें कि खेलकूद एकमात्र ऐसी चीज है जिसको पूरे देश में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

श्री सचिन पायलट: मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार वित्त वर्ष 2004-05 में त्रिपुरा, मणिपुर, असम और सिक्किम को कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। मैं इस बात को पढ़कर बहुत खुश हूं कि विभाग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 58 जिलों के लिए 1.15 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। मैं जानता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए मंत्री जी के दिल में खास जगह है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और लोगों के बीच खेलकूद के विकास के लिए अलग से कोई कोष या विशेष कोष बनाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री सुनील दत्त: मेरा यह विश्वास है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में से हम एक सबसे योग्य एथलीट और खिलाड़ी निकाल पायेंगे। यही कारण है कि हमने इस क्षेत्र के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण से 1.31 करोड़ रुपये एक विशेष योजना के लिए निर्धारित कराये हैं। आप मुझे सुझाव दे सकते हैं और मुझे विश्वास है कि मैं मदद

करने की कोशिश करूंगा और उन्हें शामिल करूंगा। इसका कारण है कि मैं आमतौर पर यह महसूस करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग फुटबाल के अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं वे लोग तीरंदाजी और अन्य खेलों में बहुत अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे और यदि कोई सुझाव होगा तो उनका स्वागत है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: मुझे बहुत खुशी है कि मंत्री जी ने स्कूल कैरीकुलम में खेलों के महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन सिर्फ स्वीकार करने से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, हम मकसद हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपका मंत्रालय हर जिला स्तर पर कोई ऐसी योजना बनाएगा कि जिस जिले में स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हैं, वहां इसकी व्यवस्था हो सके? मेरा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है, लेकिन वहां एक भी खेल स्टेडियम तामीर नहीं हुआ है। क्या आपका मंत्रालय हर जिले में स्कूल लेवल पर खेलों के आयोजन के लिए स्टेडियम बनाने पर विचार कर रहा है? जैसा हम सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कई सालों से तशद्दुत का माहौल रहा है। इसलिए वहां के यूथ का दूसरी चीजों से ध्यान हटाकर, खेलों की तरफ ध्यान लगाने की जरूरत है।

आपने जिन स्कीमों का जिक्र किया है-

[अनुवाद]

-ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम, विद्यालयों में खेलकूद और खेलों को बढ़ावा, राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज योजना, आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कम्पनी स्कीम, विशेष क्षेत्र खेल—

[हिन्दी]

इनके तहत जम्मू-कश्मीर स्टेट से और खासतौर से लद्दाख के बारे में जानना चाहता हूं कि आपको कितने प्रपोजल आये हैं और आपने क्या उन पर कोई विशेष ध्यान देने की कृपा की है?

श्री सुनील दत्त: जम्मू-कश्मीर की इंफोर्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है। पूरी जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन हमारा हमेशा से यह थ्रस्ट रहा है कि रूरल इंडिया और खासतौर से ट्राइबल एरियाज में तथा नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स व जम्मू-कश्मीर में जितनी ज्यादा सुविधाएं स्पोर्ट्स की दी जाएंगी, उससे युवाओं का बेहतर विकास होगा। हमारा बेसिक थ्रस्ट इसी ओर रहता है। इसीलिए जब ओलम्पिक खेल हुए थे तब कश्मीर के स्पोर्ट-मिनिस्टर को हमने खासतौर से एथेंस भेजा था ताकि उनको वहां होने वाले प्रोग्रामों के बारे में जानकारी हो सके और वे यहां आकर प्रोग्राम बनाएं। हमने कहा है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, इसलिए स्टेट्स को इस बारे में इनीसिएटिव लेना चाहिए, स्टेट्स को हमें बताना चाहिए।

श्री छेवांग थुपस्तन: हमारी स्टेट के पास फंड नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त: हमारे पास भी कौन से फंड हैं। चार सौ करोड़ रुपया मिलता है। चार हजार करोड़ मिलेगा तो हर जिले में मैं प्ले-ग्राउंड बनाकर दे दूंगा।

[अनुवाद]

मैं यही कर रहा हूं। 400 करोड़ रुपये में मैं युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहा हूं और मेरा मंत्रालय अंतिम है। मंत्रालयों के वर्णानुक्रम में मेरा मंत्रालय अंत में आता है। उसके बावजूद भी हम इतना काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन इसे सबका समर्थन और सहानुभूति प्राप्त है।

श्री सुनील दत्त: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपको शुभ कामनाएं।

अब हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री चरणजीत सिंह अटवाल जो, खिलाड़ी भी रह चुके हैं, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल: सर, मैं पंजाब के एक माननीय सदस्य के हलके के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। उनके हलके में एक गांव हैं संसारपुर, जहां से कभी हमारी भारतीय टीम में 6-6, 7-7 प्लेयर हाकी के हुआ करते थे और 24-24 गोल वे विदेशों में करके आते थे, जिसके कारण हमारे देश का नाम दुनिया में एक नम्बर पर हुआ करता था। दुर्भाग्यवश हमारे कुछ लोगों की बदौलत और कुछ पैरेन्ट्स की मजबूरी की वजह से, जिस खेल में हमारे देश का नाम इतना ऊपर था, आज उसी हाकी से हम नीचे की तरफ से दूसरे नम्बर पर आ रहे हैं। हमारे माननीय खेल मंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं। प्राइमरी स्कूलों में स्पोर्ट्स की बात चल रही है। हमारी प्राइमरी एजुकेशन गांव में आज तबाह हो चुकी है, उसके साथ-साथ पंजाब

की स्पोर्ट्स भी तबाह हुई है। जिस पंजाब पर कभी देश को मान था, उसकी स्पोर्ट्स भी तबाह हुई है। मैं किसी पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाता लेकिन यह जरुर कहना चाहता हूं कि पहले तो सरकार के साधन ऐसे हैं, सरकार के पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि वे जरूरी पैसा दे सकें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कुछ करने के लिए तैयार है, गंभीरता से सोचने के लिए तैयार है। हमारी प्राइमरी स्कूलों में जहां एक ओर एजुकेशन के लिए टीचर्स नहीं हैं, वहीं स्कूलों में बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए जो ग्रांट्स केन्द्र सरकार देती है, परन्तु स्टेट सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वे अपनी तरफ से उतनी ही मैचिंग ग्रांट्स देकर सेंट्रल ग्रांट्स हासिल कर सके। क्या केन्द्र सरकार इस बारे में सोचने के लिए तैयार है कि जो स्टेट्स मैचिंग ग्रांट नहीं दे सकते हैं, उन्हें आप वैसे ही अपनी ओर से ग्रांट दे दें, ताकि हम प्राइमरी स्कूल में स्पोर्ट्स एजुकेशन में सुधार ला सकें। क्या सरकार ऐसी किसी प्रावधान पर सोचने के लिए तैयार है?

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, जिस के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। हम चाहते थे कि स्टेट्स को कुछ और भी सुविधाएं दी जाएं मगर अभी तक डिसिजन हुआ है, मैं नहीं जानता कि उसकी जानकारी सदन को है या नहीं? शायद उनके पास ऐसी शिकायतें आई होंगी कि मैचिंग ग्रान्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने फैसला किया है कि जो पैसा हमें दिया जाता था और जो हम 50 परसेंट कंट्रीब्यूट करते थे, वह सारा पैसा स्टेट्स को दिया जाए, जिसकी वजह से अब यह विषय हमारे हाथ में नहीं है। प्लानिंग कमीशन पहली अप्रैल से वह पैसा स्टेट्स को देगी। जो पैसा हमारे पास आता था, वह विभिन्न स्टेट्स में स्पैशली स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता था लेकिन आज यह चीज हमारे हाथ में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री गुरजीत सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि स्पोर्ट्स कालेज, जालंधर को स्पोर्ट्स कालेज (खेल-कूद महाविद्यालय) से कला महाविद्यालय में तबदील कर दिया गया है। वहां पूरी आधारभूत संरचना मौजूद है लेकिन वित्तीय संकट के कारण, खेलकूद की उपेक्षा भी कर दी गई है। क्या माननीय मंत्री इस स्पोर्टस कालेज के पुनरुद्धार का आश्वासन हमें देंगे, पंजाब जो कि सभी खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने वाला एक केन्द्र था, क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि धन प्रदान किया जाएगा ताकि इस स्पोर्ट्स कालेज को तथा यहां की सुविधाओं का पुनरुद्धार किया जा सके और वहां स्पोर्ट्स कालेज पुन: शुरू किया जा सके?

श्री सुनील दत्त: महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं इसे कर पाता लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं इस प्रकार हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि किसी राज्य में मूलभूत संरचना के विकास के लिए हमारे पास अब कोई धन नहीं है। प्रत्येक राज्य से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

हमारे पास कोष था और हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कई स्थानों पर मदद की है, भारत के सभी राज्यों में कहीं न कहीं हमने मदद की है। हम मूलभूत संरचना के निर्माण के लिए भी कार्य कर रहे थे। जब मैंने कार्यभार संभाला तो मेरा सपना था कि मेरे देश के प्रत्येक विद्यालय में खेल का मैदान अवश्य होना चाहिए। इस कार्य के लिए हम नेहरू युवा केन्द्रों का उपयोग करना चाहते थे। उन क्लबों को खेल मैदान बनाना अनिवार्य था। हमें सभी सरपंचों और पंचायतों के साथ बातचीत करनी थी और यदि वे हमें अपनी जमीन देते तो हम वहां खेल के मैदान बना सकते थे। ये सुविधाएं आज हमारे पास नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि ये सुविधाएं हमारे पास आ जाएं।

महोदय, खेल-कूद प्राथमिकता की सूची में नहीं है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि खेल-कूद प्राथमिकता की सूची में होना चाहिए और हमारे देश में यह प्राथमिक सूची में डाला जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। यह समवर्ती सूची में होना चाहिए। इस सम्बंध में हमें मिलकर काम करना चाहिए। सभी राज्य हमारे ही राज्य हैं वे किसी दूसरे देश के नहीं हैं। वे हमारे देश के हैं। इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और पूरे देश में खेलकूद के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के लिए मैं हमेशा तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, उनसे केवल पैसे की मांग कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में पूछने का कोई लाभ नहीं है।

श्री रामकृपाल यादव: कृपया पैसा मत मांगिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने एक जवाब से हम सब लोगों का मुंह बंद कर दिया है। यदि हम कोई भी प्रश्न करेंगे, वह अर्थ से संबंधित रहेगा लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में हम क्या बोलें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगली बार हमें खेल मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कल जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा हुई, तो कहा गया कि भारत में खेलों का स्तर गिरता जा रहा है और खिलाड़ी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जिससे वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परफार्म कर सकें। खास तौर पर गांवों से जुड़े जो खेल हैं, वे हमारे लिए चिन्ता का विषय हैं जिसे लेकर सारा देश चिन्तित है और आप भी स्वयं चिन्तित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार गांवों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से काम करने जा रही है?

दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे यहां पटना में मोइनुल हक बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम है, उसे अपग्रेड करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी राशि देंगे और गांव के विकास में सहयोग करने का काम करेंगे क्योंकि पूरे बिहार में सिर्फ पटना में ही एक मोइनुल स्टेडिम है और वहां की आठ करोड़ जनता पूरे तौर पर इस पर निर्भर करती है। आपने कहा है कि प्रस्ताव भेजिए, मैं विचार करूंगा—मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोइनुल हक स्टेडिम को उत्कृष्ट करने के लिए क्या आप कुछ उपाय करेंगे ताकि वहां राष्ट्रीय स्तर के खेल हो सकें। उससे वहां के खिलाड़ी फायदा उठाएं, वहां के दर्शक फायदा उठाएं। आप इसके लिए कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा चाहे तो मैं इस प्रश्न को 12 बजे तक जारी रख सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, यह लास्ट प्वाइंट है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्वाइंट की बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आजकल खेलों में क्रिकेट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। क्रिकेट खेल में लोग रुचि रख रहे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम में डे एंड नाइट खेल हो सके, इसके लिए वहां आवश्यक उपक्रम और लाइट लगाने की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए राशि आबंटित करेंगे ताकि बिहार की भावनाओं और दर्शकों की रुचि के अनुकूल वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेल आयोजित किए जा सकें?

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य ने कहा कि स्पीकर साहब मंत्री जी से क्या सवाल पूछें, क्योंकि पैसा वे देंगे नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, लेकिन आखिर में फिर पैसा मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें राज्यपाल के पास भेजिये।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त: मैं कहना चाहता हूं कि क्रिकेट वालों के पास बहुत पैसा है, वे हमसे बिल्कुल पैसा नहीं मांगते *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल खत्म होने तक मैं इस प्रश्न पर चर्चा जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, देश में हर स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यताप्राप्त है लेकिन बिहार को मान्यताप्राप्त नहीं है *...(व्यवधान)* झारखंड के बंटने के बाद भी बिहार को मान्यता प्राप्त नहीं हुई *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। क्या आपने उत्तर पूरा कर लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रश्न पर चर्चा 12 बजे तक जारी रखूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त: मैं श्री लालू प्रसाद जी के साथ वहां जाऊंगा और स्टेडियम को देखूंगा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा मांगूंगा। अगर उन्होंने दे दिया, तो मैं जरूर मदद करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तब वे आपको नहीं ले जाएंगे। काश! मेरे पास काफी समय होता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, देश में जो स्थिति स्पोर्टस की है और जो उपेक्षा इस विभाग की होती रहती है, उसे हम देख रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि कई बार स्पोर्टस में शिकायतें सुनने में आती हैं कि जब खिलाड़ियों का चयन होता है तो उसमें बहुत पक्षपात होता है। हमारे गांव में स्पोर्टस आथोरिटी आफ इंडिया का बहुत बड़ा काम्पलेक्स है, जिसमें हाकी और रेस्लिंग के लिए स्पोर्टस होस्टल है। वहां के कोचिज और खिलाड़ी हमेशा शिकायत करते हैं कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी होने के बावजूद और नेहरू हाकी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद, कभी उनमें से एक भी खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सका। पहले संसारपुर में चयन होता था और ठीक चयन होता था तभी इतने खिलाड़ी वहां पैदा हुए। अब इस तरह से चयन होने लगा, जिससे सब कुछ खत्म हो गया। क्या मंत्री जी यह कोशिश करेंगे कि वास्तव में मैरिट पर ही चयन हो और ग्रामीण अंचलों के सेंटरों से आने वाले खिलाड़ियों का चयन हो सके। क्या आप इसके लिए कोई निष्पक्ष प्रक्रिया लागू करेंगे? लोगों को आपसे पूरी उम्मीद है कि आप निष्पक्ष प्रक्रिया लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करें।

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जितनी भी स्पोर्टस फेडरेशन्स हैं, वे आटोनामस बाडीज हैं। वे जानती हैं कि कौन खिलाड़ी अच्छा है और कौन खिलाड़ी अच्छा नहीं है। मैं अपने मंत्रालय में बैठे हुए यह कहूं कि अमुक खिलाड़ी को ले लो, तो मेरे खिलाफ रोज न्यूजपेपरों में आना शुरू हो जाएगा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं। इसलिए जितनी स्पोर्ट्स आथोरिटीज हैं, वे खिलाड़ियों को सैलेक्ट करती हैं। अगर वे सैलेक्ट करती हैं तो हम उनकी मदद करते हैं।

[हिन्दी]

स्पोर्ट्स अथौरिटी के तहत कितनी फैडरेशन्स हैं और माननीय सदस्य जहां-जहां की जानकारी चाहते हैं, मैं खुद पता लगाकर उन्हें बतलाऊंगा कि वहां क्या-क्या सुविधायें दी जा सकती हैं?

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी: महोदय, उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विशेष वित्तीय सहायता की योजना का लाभ बहुत कम ही राज्य उठा रहे हैं। अब, मेरा कहना है कि यह विषय राज्य सूची में है। लेकिन संघ सरकार का खेल मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ इस मामले के संबंध में क्या भूमिका अदा कर रहा है? इसके कारण विगत वर्ष में केवल दो राज्य इस कोष का उपयोग कर सके। यह मेरा पहला प्रश्न है। इसके अनुक्रम में क्या मंत्रालय देश में कुछ विद्यालयों को खेलकूद विद्यालय के रूप में घोषित करने की योजना बना रहा है? वे नियमित विद्यालय होंगे लेकिन इन विद्यालयों को खेलकूद विद्यालय के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, यह उसी प्रकार का प्रश्न है।

श्री सुनील दत्त: हमने सैनिक विद्यालय का अधिग्रहण किया है। हमने नवोदय विद्यालयों का अधिग्रहण किया है। हम वास्तव में वहां विशेषकर सैनिक विद्यालयों में छात्रों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विद्यालय जहां कहीं भी हैं हम उनकी सहायता कर रहे हैं। जब वे बड़े होंगे, अच्छे खिलाड़ी बनेंगे तो उन्हें सशस्त्र सेना में नौकरी प्राप्त होगी। नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं। यहां शिष्य, छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक खेलों तथा प्रत्येक चीज में भेज रहे हैं। यह भी मेरे मंत्रालय द्वारा किया गया प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय: एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

श्री उमर अब्दुल्लाह: सर्वप्रथम, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं उनके लिए कितना दु:खी हूं क्योंकि अब तक हम राज्य मंत्री से यह शिकायत सुन चुके हैं जो कहते हैं कि उनके पास शक्ति और पैसा नहीं है। दुर्भाग्यवश यह पहली बार है कि इस मंत्रालय के लिए एक स्वतंत्र मंत्री है जो इस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से लेगी क्योंकि एक देश के रूप में हम सभी सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति और उन्हीं जैसे अन्य लोगों की सफलाओं के जश्न में भाग ले रहे हैं। लेकिन हम वहां पैसा नहीं लगा रहे हैं जहां हमारी अवाज है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दु:खद बात है।

अध्यक्ष महोदय, विद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के संबंध में प्रश्न है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद हैं, हमारा एक विद्यालय था। मोतीलाल नेहरू खेल-कूद विद्यालय जो हरियाणा के राज्य में था। उसने हमेशा ही अच्छे खिलाड़ी दिए। वास्तव में इसने इंटर-पब्लिक स्कूल की अधिकांश प्रतिस्पर्धाओं में जीत हासिल की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एम.एन.एस.एस. राय की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा। उस विद्यालय में खेलकूद की स्थिति क्या है। और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए सरकार उस विद्यालय को किस प्रकार की सहायता दे रही है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास विशिष्ट जानकारी है?

श्री सुनील दत्त: वास्तव में मैं पूरी जानकारी उनको भेज दूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके

अतिरिक्त उन्होंने मेरी प्रसंशा की है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। कृपया यह सहानुभूति वे सदा बनाए रखें।

श्री नवीन जिन्दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हम सभी खेलकूद और इन्हें बढ़ावा देने की बाते करते रहते हैं और विशेषकर विद्यालयों में इन्हें बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विशेषकर निशानेबाजी के संबंध में, इस क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि हमारे पास सर्वाधिक संभावना है, हम विश्व में प्रथम स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन सरकार की भूमिका किसी विद्यालय को निशानेबाजी के मूलभूत उपकरणों अर्थात एयर गन, एयर पिस्टल के आयात की भी अनुमति नहीं देता। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमगा पाना चाहते हैं तथा इसके साथ-साथ विद्यालयों को खेल-कूद के मूलभूत उपकरणों के आयात की अनुमति भी नहीं देते हैं तो हम खेल-कूद को कैसे बढ़ावा देंगे? मैं किसी प्रकार की धन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सरकार को मूलभूत खेल-कूद उपकरणों के आयात की अनुमति देनी चाहिए जो कि युद्ध संबंधी उपकरण नहीं हैं। ये मूलरूप से एयरगन हैं और एयर पिस्टल हैं जिसमें हम विश्व में सबसे आगे निकल सकते हैं।

मुझे पता है कि जब खेल मंत्रालय ने इन चीजों की शुरूआत की थी तब आयात की अनुमति शीघ्र नहीं दी जा सकी। सामान्यत: गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उस समय इसमें बहुत सी अड़चनें खड़ी की थी। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि विद्यालयों में निशानेबाजी के उपकरणों के आयात को सुगम बनाने के लिए खेल मंत्रालय क्या कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह अबाध आयात से संबंधित है।

श्री सुनील दत्त: मैं समझता हूं कि श्री नवीन जिन्दल को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव किया था और मेरे मंत्रालय ने गनों, युद्धोपकरण और जिस चीज की भी उन्होंने आवश्यकता थी, से संबंधित प्रस्ताव की अनुमति दे दी। पुन: यदि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो उनका स्वागत है। उन्हें मेरे कार्यालय का पता मालूम है। मैं उनका सम्मान करता हूं। वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक व्यापारी होने के नाते वे खेल-कूद से भी जुड़े हुए हैं।

उनके अपने घोड़े हैं। उनकी एक पोलो टीम है। हमें ऐसे युवा लोगों के इसमें शामिल होने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर, मंत्री महोदय के इस जवाब के बाद आपको कुछ और पूछना है।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: आज आम लोगों की ऐसी धारणा है कि पढ़ने से जिंदगी बन जायेगी और खेलने से जिंदगी बिगड़ जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या उन्होंने कुछ कदम उठाने के बारे में सोचा है। खेल राज्य का विषय है, यह बात सही है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। अपनी-अपनी स्टेट में खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने खेलों के क्षेत्र में राज्यों का पैसा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं?

श्री सुनील दत्त: अध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही थीं और कल से ही मैं जाग उठा हूं, कल से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इन्हें महत्वपूर्ण प्लेस दे रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं कि इनके मन में खेलों के लिए जो भावनाएं हैं, हमारे देश में खेलों के लिए जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए हम इनका बहुत आभार मानते हैं। आप जो कह रही हैं वह सही कह रही हैं। इस विषय में हम सबको सोचना चाहिए और हम ऐसा सोचते भी रहे हैं। यदि इस संबंध में आपके पास कोई मशविरा या एडवाइस हो, तो आप मुझे दे सकती हैं।

चौधरी लाल सिंह: सर, मैं यू.पी.ए. सरकार से मंत्री जी की सिफारिश करना चाहूंगा। हम सोचते थे कि रियासते जम्मू-कश्मीर में जब वहां स्पोर्ट्स का मैटिरियल नहीं मिलता था, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज पता लगा कि पूरे हिंदुस्तान में इस महकमे के लिए पैसा खत्म हो चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह, सिर्फ संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

आप प्रश्न पूछिये, ज्यादा समय नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार से हम इस विषय पर कुछ पूछेंगे तो वे कहेंगे कि पैसा नहीं है। मेरी रिक्वैस्ट है कि अगर आप स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहते हैं तो इस महकमें को पैसा देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सिफारिश करना चाहता हूं कि इस विभाग को खुले हाथ से पैसा दिया जाए, ताकि देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी सिफारिश नोट कर ली गई है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव, सिफारिश करने के लिए कोई प्रश्न नहीं करना है।

श्री मित्रसेन यादव: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक देशों में हमारा देश दुनिया में दूसरे नम्बर पर है। उसी तरह से खेल जगत में भी हमारा नाम होना चाहिए। हमारे देश में महिलाएं भी किसी कम्पिटीशन में कम नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने समय दिया लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हुआ।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महिला खिलाड़ियों के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है? उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं?

श्री सुनील दत्त: खेलों के मैदान में महिलाओं और पुरुषों में कोई फर्क नहीं होता है। जो अच्छा खिलाड़ी है उसे अवार्ड मिलता है। यहां हमारी बहन बैठी हुई हैं, उन्होंने दो गोल्ड मैडल और एक सिल्वर मैडल जीता है। पी.टी. उषा ने दुनिया में हमारे देश का बहुत नाम पैदा किया है। अंजू बाबी जार्ज दुनिया में तीसरे नम्बर पर आने वाली है। सानिया मिर्जा के बारे में सब जानते हैं। मैं किस-किस का नाम लूं। जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, वे अपनी मेहनत और कोशिश से हमेशा आगे बढ़ेंगी और खेलों के मैदान में कोई ऐसी बात नहीं होती है। अभी हमारी महिला क्रिकेट टीम बाहर गई थी और वह विश्व में दूसरे नम्बर पर आई है। सारी दुनिया में दूसरे नम्बर पर आना बहुत मुश्किल होता है और मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार वह एक नम्बर पर आ जायेगी। इसी तरह से हमारी महिला हाकी टीम है। हमारी महिला एथलीट्स भी बहुत अच्छी हैं। वे बहुत मेहनत कर रही हैं। उनमें तथा पुरुषों में कोई फर्क नहीं है। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वे महिलाओं के लिए भी वैसे ही हैं जैसे पुरुषों के लिए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रविचन्द्रन।

मैंने आज बहुत ही उदारता दिखाई है लेकिन मुझे खेद है कि हम इस समय का पूरा उपयोग नहीं कर पाए।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कबड्डी, जो कि ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर खेली जाती है, को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कबड्डी के बारे में पूछा है। हम विद्यालयों में खेल-कूद को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो जारी रखिए।

श्री सुनील दत्त: हम हमेशा ही स्थानीय और ग्रामीण खेल-कूद को बढ़ावा देते हैं कबड्डी इसी का एक हिस्सा है। जिसमें हम बहुत अच्छा करते हैं। यहां उपस्थित अपने मित्रों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब एकमात्र राज्य जहां ग्रामीण ओलंपिक होते हैं। पिछले 70 वर्षों से वे लोग बिना किसी से धन मांगे यह सब कर रहे हैं। वे लोग यह सब स्वयं कर रहे हैं। वे बैलगाड़ी रेस आयोजित करते हैं, वे घुड़दौड़ आयोजित करते हैं, वे कबड्डी खेलते हैं। वे सभी प्रकार के ग्रामीण खेल आयोजित करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे लोग इसे आयोजित करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हर राज्य ऐसा करे तो यह बहुत अच्छा होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों संबंधी आयात नीति

***521. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य पदार्थों संबंधी वर्तमान आयात-नीति क्या है;

(ख) क्या खाद्य वस्तुओं का अत्यधिक आयात किए जाने के कारण भारतीय किसानों को अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) खाद्य मदों सहित विभिन्न मदों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप

में और हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं एवं दायित्वों के अनुसार समाप्त किया गया है। 715 टैरिफ लाइनों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की अंतिम बार समाप्ति 31 मार्च, 2001 को घोषित की गयी थी। तथापि, पशु मूल के कुछेक उत्पादों का आयात प्रतिबंधित/निषिद्ध है। गेहूं, चावल, मक्का, अन्य मोटे अनाजों जैसे खाद्यान्नों का आयात केवल निर्दिष्ट व्यापार उद्यमों द्वारा किया जा सकता है। गोमांस का आयात प्रतिबंधित है। आयात हेतु विस्तृत मदवार नीति निर्यात एवं आयात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2004-09 की अनुसूची-I में उपलब्ध है।

मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति से घरेलू उत्पादकों को उपलब्ध सभी प्रकार का संरक्षण स्वत: ही समाप्त नहीं हो जाता है। भारत वचनबद्ध दरों के भीतर सीमाशुल्क टैरिफ में समायोजनों के जरिए आयात को विनियमित कर सकता है। इस तंत्र का उपयोग खाद्य तेल, नारियल, चाय, काफी, काली मिर्च, स्किम्ड दुग्ध पाउडर, कुक्कुट उत्पादों आदि के मामले में कारगर ढंग से किया गया है। घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा का समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आयातों को कुछेक घरेलू विनियमों के अधीन भी रखा जाता है। इन गैर-टैरिफ विनियमों में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954, मांस, खाद्य उत्पाद आदेश के प्रावधानों, पैकेजिंग अपेक्षाओं, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एस पी एस) उपायों आदि का अनुपालन शामिल हैं।

आयातों में होने वाली किसी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख खाद्य मदों सहित 300 संवेदनशील मदों के आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

मदवार निर्यात नीति, निर्यात एवं आयात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-09 की अनुसूची-II में उपलब्ध है। अनाज, दालों, तिलहनों, सब्जियों, फलों जैसी सामान्य रूप से उगाई जाने वाली अधिकांश मदों, शहद जैसे प्राकृतिक वनोत्पाद तथा दुग्ध उत्पाद, पशु उत्पाद, विनिर्मित/तैयार अथवा प्रसंस्कृत खाद्य मदों का आयात मुक्त रूप से किया जाता है किन्तु इनकी उपलब्धता संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रमाणित की जानी जरूरी है।

सरकार ने विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त हकदारी जैसे विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर खाद्य मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इससे भारतीय किसान अपने उत्पादों की और अधिक लाभकारी कीमत प्राप्त कर सकेंगे।

खाद्य मदों का कोई अतिरिक्त आयात नहीं हुआ है तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2004-05 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि किसानों को लाभकारी कीमतें नहीं मिल रही हैं।

[अनुवाद]

आदमी द्वारा मैला ढोए जाने का काम करना

***522. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अधिकांश भागों में आदमी द्वारा मैला ढोए जाने की प्रचलित अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए व्यावहारिक हल निकालने और वैकल्पिक तकनीक अपनाने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों से सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अंगीकार करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कतिपय राज्यों ने इस बात पर बल दिया है कि शुष्क शौचालयों को जलीय शौचालयों में बदलने के लिए काफी धनराशि की जरूरत होगी;

(च) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और उनके द्वारा सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) ऐसी प्रथा को समाप्त करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) का उद्देश्य शुष्क शौचालयों की सफाई करने में शामिल मैला ढोलने की प्रथा को समाप्त करना और स्थानीय दशाओं के अनुरूप समुचित बदलाव करके स्वच्छ दोहरे गर्त वाले जलवाही शौचालयों की व्यवस्था के जरिए शुष्क शौचालयों को बदलना/कम लागत सफाई यूनिटों का निर्माण करना है। इस स्कीम को आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। हडको राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता/मार्ग दर्शन प्रदान करता है।

(ग) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्यों में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अपनाने का अनुरोध किया है।

(घ) सत्रह राज्यों और सभी संघ शासित प्रदेशों (विवरण संलग्न) ने सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अपना लिया है।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2002 में 1076.60 करोड़ रुपए की धनराशि देने का अनुरोध किया था।

(छ) उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को इस कारण मंजूर नहीं किया जा सका कि राज्य को पूर्ववर्ती वर्षों के लिए जारी धनराशियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हैं। इस स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार को जारी कुल सब्सिडी की धनराशि 48.67 करोड़ रुपए है और 19.36 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक लंबित हैं।

(ज) योजना आयोग ने वर्ष 2007 तक मैला ढोने की प्रथा को पूर्णत: समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। इस राष्ट्रीय कार्य योजना के कारगर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की गई है।

विवरण

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को अपनाने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम का विवरण

राज्यों का नाम

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. गोवा
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. झारखण्ड
9. कर्नाटक
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. उड़ीसा
13. पंजाब
14. तमिलनाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

संघ शासित प्रदेशों के नाम

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. चण्डीगढ़
3. दादरा एवं नगर हवेली
4. दमन एवं दीव
5. दिल्ली
6. लक्षद्वीप
7. पांडिचेरी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला कोष

***524. श्री कैलाश मेघवाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) इस समय राष्ट्रीय महिला कोष में कुल कितनी राशि है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार/विभिन्न संगठनों द्वारा इस कोष में पृथक-पृथक कितनी धनराशि दान दी गयी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस कोष द्वारा वित्तपोषित योजनाओं का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय महिला कोष के अन्तर्गत योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति का आकलन करने हेतु कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) 31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय महिला कोष के पास उपलब्ध कुल राशि 73.30 करोड़ रुपये है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय महिला कोष को सरकार/विभिन्न संगठनों से कोई दान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राष्ट्रीय महिला कोष की स्कीमों का ब्यौरा तथा विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित राशि का स्कीम-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(घ) सितम्बर, 2001 में बाह्य परामर्शदाता दल द्वारा तथा मई, 2002 में "महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली" द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष का मूल्यांकन किया गया है।

(ङ) उक्त दो मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्ष/अनुशंसाएं दर्शाने वाला विवरण-III सलंग्न है।

विवरण I

राष्ट्रीय महिला कोष की स्कीमों का ब्यौरा

1. मुख्य ऋण स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्व-सहायता दलों के रूप में संगठित निर्धन महिलाओं को आय-अर्जन कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करना है। यह ऋण सुविधा जरूरतमंद महिलाओं को पात्र संगठनों के माध्यम से आसन एवं लचीली शर्तों पर प्रदान किया जाता है तथा किसी प्रकार के ऋणाधार पर बल नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय महिला कोष से संगठनों द्वारा लिया गया ऋण छत्तीस माह की अवधि के दौरान चुकाना होता है तथा इस अवधि में छह माह की प्रारम्भिक अवधि भी शामिल है। ऋण की अधिकतम राशि प्रति लाभार्थी 15000 रुपये है।

2. ऋण संवर्धन स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए एवं छोटे किन्तु सक्षम गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों के बीच बचत एवं ऋण कार्यकलापों को बढ़ावा देना है, जो कि पात्रता के अन्य मानक तो पूरे करते हों किन्तु बचत एवं ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव की शर्त को पूरा न करते हों। छह माह से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम का अनुभव रखने वाले संगठन इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम पांच लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।

3. चक्रीयन निधि स्कीम

संगठनों को एकमुश्त राशि प्रदान करना, ताकि वे अपने संसाधनों की कमी को पूरा कर सकें और ऋण की जरूरतमंद निर्धन महिलाओं को बारी-बारी ऋण प्रदान कर सकें। निधियों के प्रबन्धन में संगठन को सहायता प्रदान करना। भागीदार संगठनों में निधियों के प्रबन्धन का अनुभव बढ़ाना।

4. गोल्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम

गोल्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों को पर्याप्त एवं समयानुसार ऋण प्रदान करना है, ताकि वे संगठन स्व-सहायता दलों को लचीले एवं लागत प्रभावी तरीके से ऋण प्रदान करके उनकी आय-अर्जन एवं उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को अभिनिर्धारित किया जाता है, जिन्हें गोल्ड क्रेडिट कार्ड पास तथा चक्रीयन निधि ऋण सुविधा प्रदान की जायेगी। यह कार्ड तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है।

5. शाखा स्कीम

विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा कार्यकलाप नहीं चलाये जा रहे हैं अथवा जहां ये कार्यकलाप काफी कम स्तर पर चलाये जा रहे हैं, जिम्मेदार अभिकरणों को राष्ट्रीय महिला कोष की शाखा के रूप में नियुक्त किया जायेगा। कतिपय पारदर्शी, सत्यापन योग्य एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित मानदण्डों के आधार पर संगठनों को राष्ट्रीय महिला कोष के प्रतिनिधियों के रूप में चुना जायेगा। ये शाखाएं गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता दलों के प्रशिक्षण (जागरूकता एवं कौशल विकास) तथा क्षमता विकास के लिए नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगी।

6. विपणन वित्त स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य स्व-सहायता दलों की सदस्याओं/महिला ऋण-प्राप्तकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के सहायतार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता स्थानीय बाजारों अथवा उपभोक्ता केन्द्रों के निकटवर्ती स्थानों पर मांग सर्वेक्षण करके प्रदान की जाती है।

7. आवासीय ऋण स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत, स्व-सहायता दलों की सदस्याओं के घरों के निर्माण/अधि-प्राप्ति/मरम्मत के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम ऋण राशि 50,000 रुपये है और ऋण चुकाने की अवधि 60 माह है।

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशियों का स्कीम-वार एवं राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मुख्य ऋण			सहायक निधि			ऋण संवर्धन			आवासीय ऋण			गोल्ड क्रेडिट कार्ड			सब्सिडी			कुल		
		02-03	03-04	04-05	02-03	03-04	04-05	02-03	03-04	04-05	02-03	03-04	04-05	02-03	03-04	04-05	02-03	03-04	04-05	02-03	03-04	04-05
1.	आंध्र प्रदेश	249.44	348.19	271.25	224.50	75.00	81.00	9.50	13.50	3.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	483.44	436.69	655.25
2.	असम	8.00	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00	27.50
3.	बिहार	38.20	6.58	60.00	-	-	-	4.50	7.50	11.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.70	14.08	71.95
4.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	-	20.00	20.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	29.50	25.00	45.00	89.50
6.	गुजरात	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	22.50	20.00	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	22.50	20.00	37.50
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	150.00	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00	0.00
10.	झारखण्ड	-	15.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	15.00	0.00
11.	कर्नाटक	5.00	2.50	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	2.50	20.00
12.	केरल	7.50	-	22.50	-	-	-	6.00	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50	5.50	22.50
13.	मध्य प्रदेश	-	135.00	17.50	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	0.00	135.00	217.50
14.	महाराष्ट्र	5.00	-	37.50	26.00	25.00	-	-	2.50	2.45	-	-	-	-	-	37.00	-	-	-	31.00	27.50	76.95
15.	मणिपुर	-	1.00	2.50	-	-	-	-	3.50	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4.50	6.50
16.	मिजोरम	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00
17.	नगालैंड	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	6.00
18.	उड़ीसा	43.50	45.50	147.25	-	-	-	9.25	6.25	9.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.75	51.75	156.75
19.	पांडिचेरी	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	2.50	21.00	15.00	25.00	50.00	-	-	2.50	1.50	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	27.50	73.50	96.50
21.	तमिलनाडु	162.93	218.70	153.50	55.00	115.00	125.00	66.05	25.00	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.98	358.70	286.00
22.	उत्तर प्रदेश	13.50	47.00	31.50	-	-	-	8.50	8.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	55.50	33.00
23.	उत्तरांचल	4.00	19.00	16.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	19.00	16.37
24.	पश्चिम बंगाल	11.00	24.85	22.35	-	-	-	3.00	7.00	10.75	-	-	32.00	-	-	-	-	-	-	14.00	31.85	65.10
	कुल	594.07	924.32	875.22	355.50	440.00	206.00	108.80	81.75	52.15	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	229.50	1058.37	1446.07	1886.87

विवरण III

सितम्बर, 2001 में किए गए अध्ययन की प्रमुख अनुशंसाएं

(क) राष्ट्रीय महिला कोष को मात्र पारिवारिक जीविका एवं कल्याण हेतु सहायता के बजाय महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए लक्षित महिलाओं के लिए पूरक सेवाओं में वृद्धि करनी चाहिए।

(ख) कर्मचारियों एवं ग्राहकों के बीच विचार-विमर्श के एक नियमित भाग के रूप में सभी कर्मचारियों में महिला-पुरुष समानता एवं सशक्तिकरण को मुख्यधारा में लाने की जरूरत है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों एवं महिला लाभार्थियों से नियमित जानकारी प्राप्त करने तथा इसके प्रबोधन के लिए राष्ट्रीय महिला कोष एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबन्धन सूचना प्रणालियां विकसित की जानी चाहिएं। प्रत्येक तिमाही में कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण और राष्ट्रीय महिला कोष के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सरल बनाने के लिए एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रपत्र बनाया जाना चाहिए।

(घ) आवेदन प्रक्रिया को न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ कम बोझिल बनाया जाना चाहिए।

(ङ) संवितरित राशि प्रशासन की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय महिला कोष को ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा प्रसासनिक उद्देश्यों हेतु कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को देना चाहिए।

(च) राष्ट्रीय महिला कोष में बैंकों से नियोजित कर्मचारियों तथा लघु ऋण से संबंधित कार्यान्वयनकर्ता गैर-सरकारी संगठनों का व्यवहार महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में बाधक है। इन कर्मचारियों को वित्तीय लेखांकन तक ही सीमित रहना चाहिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से समाज सेवा क्षेत्र से और अधिक कर्मचारी नियोजित किए जाने चाहिएं।

(छ) महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के क्षेत्र में कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा नियमित एवं बार-बार प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से तकनीकी रूप से सक्षम कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के क्षेत्र में या तो मामूली या नगण्य अनुभव रखते हैं।

मई, 2002 में किये गये अध्ययन की प्रमुख अनुशंसाएं

(क) न तो राष्ट्रीय महिला कोष ने और न ही कोष के भागीदार संगठनों ने निर्धन महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कोई कार्यविधि तैयार/कार्यान्वित की है। इन संगठनों ने जीवन चक्र, प्राकृतिक आपदाओं एवं संरचनात्मक कारणों से जुड़े विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करने तथा वंचना के विरुद्ध संघर्ष करने में निर्धन महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान ही नहीं दिया है।

(ख) समुदाय में बेहतर स्थिति के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों में महिलाओं का अनुपात 53% से 58% रहा, किन्तु केवल उत्तरी क्षेत्र में मात्र 15.8% महिलाओं की स्थिति बेहतर पायी गयी है। यह एक चिन्ताजनक बात है और भावी कार्यनीतियों में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(ग) राष्ट्रीय महिला कोष की स्कीमों के अंतर्गत अधिक सतत् सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा कोष के भागीदार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्षमता विकास के प्रयास किये जाने चाहिएं एवं इस सहायता का निधियन तथा प्रबोधन किया जाना चाहिए।

(घ) आधे से अधिक ऋण-प्राप्तकर्ताओं ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय महिला कोष से केवल एक बार ऋण प्राप्त हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने बताया कि उन्हें तीन हजार रुपये से कम ऋण प्राप्त हुआ। यह सीमा महिलाओं की स्थिति में सतत् सुधार लाने वाली सशक्तिकरण प्रक्रियाओं के उद्देश्य से कोष की नीतिगत पहल को प्रभावित करती है।

(ङ) महिलाओं के संगठन, उन्हें ऋण प्रदान करने एवं उस ऋण के प्रबोधन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर आने वाली संवर्धनात्मक लागत एक सामाजिक निवेश है तथा इन कार्यकलापों के लिए अलग से निधि प्रदान की जानी चाहिए एवं इनका अलग से प्रबोधन किया जाना चाहिए। ऋण क्रियाकलापों को व्यवहार्य एवं स्व-वित्त-पोषक बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय महिला कोष गैर-सरकारी संगठनों को 4% की छूट देता है।

(च) राष्ट्रीय महिला कोष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण यदि किसी एक महिला को भी दिया जा रहा हो, तो भी वह ऋण स्व-सहायता दलों के माध्यम से ही प्रदान किया जाये।

(छ) राष्ट्रीय महिला कोष को नूतन तथा व्यवसायी दृष्टिकोण अपनाने चाहिएं। निर्धन परिवारों की महिलाओं के लिए लेन-देन की कम लागतें, त्वरित ऋण संवितरण तथा ऋणों की सतत् सुलभता (केवल एक बार ऋण प्राप्त करने की अपेक्षा ऋण की सतत् सुलभता) अत्यन्त

महत्वपूर्ण होती हैं। इस समय, राष्ट्रीय महिला कोष केवल पहले दो पहलुओं पर ध्यान दे रहा है।

(ज) राष्ट्रीय महिला कोष को भागीदार गैर-सरकारी संगठनों का चयन उनके द्वारा महिलाओं के साथ किये गये लेन-देन, उनके महिला संवेदी मिशन तथा लक्ष्यों के आधार पर करना चाहिए न कि ऋण क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के आधार पर। कोष को भागीदार गैर-सरकारी संगठनों के क्षेत्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय महिला कोष के ऋण दर्शन, प्रक्रियाओं और कार्यविधि के संबंध में तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के संबंध में जानकारी देनी चाहिए।

भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी

***525. श्री रामदास आठवले:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा सुरक्षा बल की चौकियों तथा गांवों पर गोलाबारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान हुई घटनाओं का पिछले वर्ष की तुलना में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जान और माल के नुकसान का तथा प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान तथा नागरिक हताहत हुए;

(ङ) क्या सीमावर्ती गांवों के किसानों को पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही इस प्रकार की गोलाबारी से अपने खेतों में काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) 26 नवम्बर, 2003 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष-विराम समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू सेक्टर में न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और न ही नियंत्रण रेखा पर सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की चौकियों पर गोलाबारी की है। इसलिए पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के कारण इस वर्ष या गत वर्ष के दौरान जान और माल या संपत्ति के नुकसान के संबंध में न तो बी एस एफ ने और न ही सिविलियनों को कोई सूचना दी है।

चूंकि संघर्ष-विराम के बाद कोई गोलाबारी नहीं हुई है इसलिए सीमावर्ती गांवों में किसानों को अपने खेतों में काम करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है।

[अनुवाद]

पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

***527. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निधियों का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसी सहायता के उपयोग तथा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत शहरी पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना को कारगर घोषित किया जाना बाकी है ताकि विश्व बैंक से ऋण सहायता ली जा सके। मध्य प्रदेश शहरी जल आपूर्ति तथा पर्यावरण सुधार परियोजना मई, 2005 में शुरू होने की संभावना है। इसलिए अब तक धनराशियों का उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रगति की समीक्षा के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय तथा डोनर एजेंसियों द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं। डोनर एजेंसियों द्वारा मौके पर आकलन के लिए परियोजना क्षेत्रों में पर्यवेक्षण/समीक्षा मिशन भी भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक (एडीबी) परियोजनाओं की लाभ निगरानी तथा तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी गई विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	विदेशी एजेंसी	विदेशी सहायता (मिलियन अमरीकी डालर में)	स्वीकृति वर्ष
1.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार	विश्व बैंक	39.50	अप्रैल, 2004
2.	मध्य प्रदेश	शहरी जल आपूर्ति एवं पर्यावरण सुधार	एशियाई विकास बैंक	181.00	दिसंबर, 2003

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता

***528. श्री मदन लाल शर्मा:**
श्री अनंत गुढ़े:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से 'सर्व शिक्षा अभियान' के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और तत्पश्चात् अभी तक किन-किन राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दी गई वित्तीय साहयता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (च) सर्व शिक्षा अभियान का केंद्र-प्रायोजित कार्यक्रम अभी तक गोवा राज्य को छोड़कर पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

राज्य कार्यान्वयन सोसायटियां, जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय हैं, जिलावार वार्षिक योजना और बजट तैयार करती हैं जिनका भारत सरकार के एक दल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात् इन योजनाओं को भारत सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड, जिसमें सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र भी भागीदार होते हैं, द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 10वीं योजना के दौरान केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच सर्व शिक्षा अभियान की निधियन पद्धति का अनुपात 75:25 है।

एक बार जब किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक सर्व शिक्षा अभियान योजना अनुमोदित हो जाती है, केंद्र सरकार के हिस्से का 50 प्रतिशत परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक के बाद

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को जारी कर दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को राज्य द्वारा अपना आनुपातिक हिस्सा जारी कर दिए जाने और प्रथम किस्त में से कम से कम 50% खर्च कर लिए जाने के बाद केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त जारी की जाती है।

शुरूआती वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के लिए अपर्याप्त निधियों का प्रावधान और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने हिस्से की राशि जारी करने में विलम्ब करने के कारण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए निधियों की उपलब्धता में कठिनाइयां आई। तथापि, अब बजट अनुमान 2005-06 में केन्द्रीय हिस्से के लिए 7159 करोड़ रु. की पर्याप्त राशि का प्रावधान है।

इस कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु भारत सरकार ने माह अप्रैल और मई 2005 में परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के लिए एक समय अनुसूची तैयार की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में अपनी प्रथम किस्त प्राप्त करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसमें सहयोग कर रहे हैं।

विवरण

राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-05	
		2002-03 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	व्यय	2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	व्यय	2004-05 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8226.10	3952.10	9884.41	20183.40	28000.00	39708.58
2.	असम	10175.92	8526.23	12190.43	18500.90	20654.00	22381.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	1412.00	0.00	675.35	1454.46	3009.00	1819.93
4.	बिहार	7914.97	3452.41	19515.75	24689.41	31970.56	34590.93
5.	छत्तीसगढ़	3639.73	2413.60	6589.02	7627.39	20786.76	29564.93
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
7.	गुजरात	14004.30	11839.14	11660.13	12844.00	14072.00	18607.02
8.	हरियाणा	2735.87	2571.00	6895.55	8930.66	12881.55	11359.14
9.	हिमाचल प्रदेश	1717.62	1911.57	5462.17	6661.94	6144.00	8354.41
10.	जम्मू-कश्मीर	1948.85	500.35	5326.62	7426.47	7747.18	8156.52
11.	झारखंड	3244.32	4210.87	11474.31	11127.96	16568.50	29250.32
12.	कर्नाटक	8270.46	9594.67	10426.67	13591.63	26280.70	34416.35

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	2250.78	3122.23	4966.00	6317.00	8939.00	9383.78
14.	मध्य प्रदेश	11017.10	10801.00	35237.91	36077.00	44608.92	59785.00
15.	महाराष्ट्र	11000.00	9671.41	20526.67	32203.31	35489.79	38955.70
16.	मणिपुर	0.00	0.00	500.00	0.00	1225.00	1354.93
17.	मेघालय	711.37	634.96	825.77	2285.377	2930.81	2150.33
18.	मिजोरम	903.29	432.56	1182.37	951.68	3300.24	4478.66
19.	नागालैंड	973.28	109.77	0.00	0.00	2088.49	2751.24
20.	उड़ीसा	2214.15	2594.33	13453.27	15812.00	27807.27	28060.70
21.	पंजाब	4868.00	8492.32	6492.49	10304.96	3040.00	9636.43
22.	राजस्थान	9995.58	5574.10	15627.00	21423.00	23549.40	39590.65
23.	सिक्किम	425.14	168.31	269.73	657.30	1000.25	755.82
24.	तमिलनाडु	13526.90	10188.72	10505.84	24532.30	26517.00	36638.00
25.	त्रिपुरा	1162.18	726.97	2752.39	4598.22	4703.96	5110.00
26.	उत्तरांचल	2067.69	1855.82	3522.02	6567.15	9144.71	9750.77
27.	उत्तर प्रदेश	20245.40	22061.21	34043.30	47427.00	87761.00	125165.00
28.	पश्चिम बंगाल	10867.61	5148.26	16748.23	16945.95	46024.36	50950.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	283.96	433.11	272.58	272.08
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	224.54	196.98	447.95	122.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	447.42	1.21	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	12.00	12.00	0.00	–	111.91	0.00
33.	*दिल्ली	161.27	0.00	1959.62	515.00	0.00	860.67
34.	लक्षद्वीप	19.98	0.00	28.31	–	12.03	0.00
35.	पांडिचेरी	116.46	0.00	141.06	139.22	225.53	65.00
	कुल	155828.32	130565.91	269838.31	360425.98	511314.44	664046.42

टिप्पणी: राज्यों के पास उपलब्ध निधियों में राज्य का हिस्सा और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष शामिल है।

*2004-05 के दौरान दिल्ली को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है। व्यय पिछले वर्ष के उपलब्ध अव्ययित शेष में से है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

***529. श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी विनिर्माण उद्योग को विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं और ऐसी इकाइयों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित की गयी विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के लिए कोई नई सुविधा आरंभ की गयी है;

(घ) नई निर्यात-आयात नीति की घोषणा के बाद कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं;

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(च) विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी कानून लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) इस अधिनियम के संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) में विनिर्माण इकाइयों को सकारात्मक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इकाइयां बनने की आवश्यकता है। इन इकाइयों को दिए गए प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाओं में वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/वस्तुओं की खरीद, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्तियों पर केन्द्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट, 5 वर्षों के लिए निर्यात लाभों पर 100 प्रतिशत आयकर छूट, 2 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और अगले 3 वर्ष के लिए अर्जित लाभों पर छूट जो 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, शामिल हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान एस ई जेड में स्थापित विनिर्माण इकाइयां मुख्यत: इलैक्ट्रानिक, इंजीनियरी सामान, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं परिधान, भेषज, रसायन और कृषि उत्पादों के उत्पाद समूहों के अंतर्गत आती हैं।

(ग) एस ई जेड इकाइयों द्वारा दूसरी एस ई जेड इकाई, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में इकाइयों, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव प्रौद्योगिकी पार्कों द्वारा सेवाएं प्रदान करने को भी सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की पूर्ति की गणना के लिए पात्र बना दिया गया है।

(घ) अगस्त, 2004 में विदेश व्यापार नीति की घोषणा के बाद निजी/संयुक्त क्षेत्र अथवा राज्य सरकारों अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा अब तक 10 एस ई जेड स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ङ) निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र में अनुमोदित एस ई जेडों की स्थापना के लिए किसी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किए जाने की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) और (छ) संसद में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक प्रस्तुत करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित विधान में एक स्थायी और पारदर्शी नीति उपलब्ध कराने की उम्मीद है जिसमें एस ई जेड के लिए स्थापना, प्रचालन और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सभी पहलू शामिल होंगे।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आबंटित धनराशि

***530. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बालकों और बालिकाओं हेतु ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करके क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आबंटित धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से ग्रामीण खेल,

स्कूली खेल तथा पूर्वोत्तर खेल महोत्सव की तीन योजनाओं को कार्यान्वित करती है। भारतीय खेल प्राधिकरण ''ग्रामीण खेल कार्यक्रम'', ''स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन'' तथा ''पूर्वोत्तर खेल महोत्सव'' के अन्तर्गत जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए धनराशि आबंटित करता है। 2004-05 के दौरान, ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अन्तर्गत 82.80 लाख रुपये विभिन्न राज्यों को आबंटित किए गए हैं। ''स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन'' की योजना के अंतर्गत राज्यों को आबंटन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 1.31 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर खेल महोत्सव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 127.18 लाख रु. की धनराशि आबंटित की गयी है।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत रस्सा-कस्सी, फुटबाल, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, हाकी, कुश्ती, खो-खो तथा कबड्डी विधा में वर्ष 2004-05 के दौरान 200 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पता लगाय गया है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी मानीटरिंग कार्यप्रणाली दोहरे रूप में कार्यरत है। राज्यों में राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों के संचालन के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला से अधिकारियों की विशेष टीम राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के लिए तैनात की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने अपेक्षित हैं, जिनका सत्यापन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अगले वर्ष की अनुदानों को जारी करने से पहले किया जाता है।

आदिम जनजातियां

*531. श्री किन्जरपु येरनायडु:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आदिम जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और शैक्षिक विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इससे योजनावार तथा राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) वर्ष 2005-06 के लिए आदिम जनजातियों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से राज्य में आदिम जनजाति ग्रुपों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत अनुदान को स्वीकृति हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा आदिम जनजातियों की रक्षा तथा उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) आदिम जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को जारी आर्थिक सहायता तथा आदिम जनजातीय समूहों का विकास नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित व्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आदिम जनजातीय समूहों का विकास नामक योजना के लिए वर्ष 2004-05 हेतु किया गया आबंटन 24.75 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक समेत आदिम जनजातीय समूहों वाली राज्य सरकारों से प्रस्ताव वार्षिक आधार पर लगातार प्राप्त होते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध निधियों की सीमा में विचार किया गया तथा उन योजनाओं के अधीन ऐसे उन कार्यों को करने के लिए जारी निधियों के ब्यौरे उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) के अनुबंध में दिए गए हैं, जिसे उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है तथा जिसकी आवश्यकता की पूर्ति अन्य मौजूदा योजनाओं से नहीं हो पाती। राज्य सरकारों से बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर आदिम जनजातीय समूहों के लिए समग्र संरक्षण-सह-विकास योजनाएं तैयार करने का अनुरोध भी किया गया है, जिसके लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक कमाऊ व्यक्ति तथा परिवार के मुखिया को भारतीय जीवन बीमा निगम लि. की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने एक लाख परिवारों के मुखियों को बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए 5.00 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूहों की विकास केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को जारी वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कार्यान्वयन अभिकरण/राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों के नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2002-03 के दौरान सूचित व्यय	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2003-04 के दौरान सूचित व्यय	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	आंध्र प्रदेश	(1) आंध्र प्रदेश सरकार	120.00	120.00	202.850	0.00	190.800
		(2) सेवा भारतीय, खम्माम आंध्र प्रदेश	11.31	11.31	8.926	0.00	0.000
		(3) श्री सरस्वती विद्यापीठ, हैदराबाद	13.30	13.30	34.64	34.64	35.641
		(4) सेंटर फार एनवायरनमेंट, कासरगंज, हैदराबाद	–	–	–	–	25.900
(2)	बिहार	(1) बिहार सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000
(3)	छत्तीसगढ़	(1) छत्तीसगढ़ सरकार	188.05	178.05	30.01	0.00	264.370
		(2) अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जैशपुर नगर	5.78	5.78	0.00	0.00	0.000
		(3) एटेरनल केयर, भोपाल	4.46	4.46	0.00	0.00	0.000
		(4) विश्वास, नारायणपुर, बस्तर जिला	0.00	0.00	25.15	0.00	0.000
		(5) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बिलासपुर	0.00	0.00	66.30	–	0.000
(4)	गुजरात	(1) गुजरात सरकार	20.00	20.00	40.00	–	116.500
		(2) एनारडे फाउंडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500
(5)	झारखंड	(1) झारखंड सरकार	–	0.00	0.00	0.00	110.000
		(2) स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट, जमशेदपुर	42.18	0.00	0.00	0.00	0.000
		(3) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	156.10	156.10	135.806	135.806	168.477
		(4) भारत सेवा आश्रम संघ, घाटशिला, ईस्ट सिंहभूम जिला	75.63	75.63	61.861	0.00	0.000
		(5) विकास भारती, गुमला, ईस्ट सिंहभूम	13.07	13.06	0.00	0.00	19.237
		(6) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर	58.02	58.02	0.00	0.00	25.645

1	2	3	4	5	6	7	8
(6)	कर्नाटक	(1) कर्नाटक सरकार	80.00	0.00	36.900	0.00	25.000
		(2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर जिला	1.75	1.75	18.64	18.64	9.973
		(3) विवेकानंद फाउंडेशन, मैसूर	0	0	6.93	0	0.000
(7)	केरल	(1) केरल सरकार	3.45	0	0	0	15.000
(8)	मध्य प्रदेश	(1) मध्य प्रदेश सरकार	128.87	128.87	284.19	0	293.212
		(2) सेवा भारती, भोपाल	45.70	45.70	73.51	73.51	13.500
		(3) बोंडेड लिब्रेशन फंड, नई दिल्ली	15.45	15.45	0	–	13.288
(9)	महाराष्ट्र	(1) महाराष्ट्र सरकार	100.00	0	288.00	0	107.000
		(2) ट्राइबल एंड वीकर सैक्शन एम्पावरमेंट सोसायटी, पुणे	27.00	27.00	13.117	13.117	21.029
(10)	मणिपुर	(1) मणिपुर सरकार	5.16	5.16	0	0	10.000
		(2) सेनापति जिला इकोनोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेनापति जिला	6.25	6.25	0.512	0.512	11.548
(11)	उड़ीसा	(1) उड़ीसा सरकार	58.50	0	150.00	48.722	55.000
		(2) परकल्पा, क्योंझर जिला	0	0	4.00	4.00	0.000
		(3) सोसायटी फार वेलफेयर आफ वीकर सैक्शन, परलाखेमुंडी	0	0	0	0	0.000
		(4) बनबासी सेवा परकल्पा, जिला कालाहांडी	0	0	15.60	0	0.000
(12)	राजस्थान	(1) राजस्थान सरकार	90.23	47.04	10.00	10.00	62.500
		(2) एसडब्ल्यूएआरसी, जिला अजमेर	24.00	24.00	0	0	13.500
(13)	तमिलनाडु सरकार	(1) तमिलनाडु सरकार	45.00	18.00	10.00	0	176.500
(14)	त्रिपुरा	(1) त्रिपुरा सरकार	15.74	15.74	85.00	85.00	29.813
(15)	पश्चिम बंगाल	(1) पश्चिम बंगाल सरकार	15.00	15.00	11.05	0	53.170
(16)	उत्तरांचल	(1) उत्तर प्रदेश सरकार	10.00	10.00	0	0	33.630
	उत्तर प्रदेश	(2) उत्तरांचल सरकार	0	0	0	0	2.500
(17)	अंडमान व निकोबार प्रशासन		–	–	–	–	200.000
		कुल जोड़	1,380.000	1,015.670	1,612.994	423.947	2116.233

[हिन्दी]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर गोलाबारी

*532. **श्री मोहन सिंह:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश राइफल्स ने भारतीय सैनिकों पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाते समय गोलाबारी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय सैनिकों पर की गई गोलाबारी की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में कितने सुरक्षा कर्मी/नागरिक हताहत हुए;

(घ) क्या ऐसी गोलाबारी के बाद बाड़ लगाने के कार्य को बंद कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाड़ लगाने के कार्य को पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) बांग्लादेश राइफल्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई बी) के 150 गज के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने पर आपत्ति करते हुए वर्ष 2005 के दौरान दस अवसरों पर गोलाबारी की है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान बाड़ निर्माण से संबंधित गोलाबारी की कोई घटना नहीं हुई है। 2002, 2003 और 2004 के दौरान ऐसी घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) के किसी कार्मिक/सिविलयन के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई बी) के 150 गज के अंदर पड़ने वाले क्षेत्रों में बाड़ निर्माण का काम रोक दिया गया है जबकि अन्य क्षेत्रों में बाड़ निर्माण का काम जारी है। भारत सरकार ने इस मनामले को राजनयिक चैनल के माध्यम से बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है और सचिव स्तर पर वार्ता करने, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक, बांग्लादेश राइफल्स के साथ वार्ता करने और कमांडर स्तर पर ध्वज बैठकों आदि सहित विभिन्न स्तरों पर कई बैठकों में इस मामले पर चर्चा की है। इन बैठकों में भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाड़ एक सुरक्षा संभावित ढांचा नहीं है बल्कि इससे दोनों देशों को घुसपैठ और सीमा पार की अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने में लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

परिवार परामर्श केन्द्र

*533. **डा. के.एस. मनोज:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितने परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए और इस समय राज्य-वार उनमें से कितने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों द्वारा क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ग) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है कि इन केन्द्रों के कार्यकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन केन्द्रों के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए परिवार परामर्श केन्द्रों की संख्या तथा उपलब्धियां/लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। मार्च, 2004 में, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई द्वारा परिवार परामर्श केन्द्रों की कार्य प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) परिवार परामर्श केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अब परिवार के सभी सदस्य इन केन्द्रों की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(2) मौजूदा परिवार परामर्श केन्द्रों को समेकित, सुदृढ़ एवं उनमें वृद्धि करने की जरूरत है।

(3) भिन्न-भिन्न राज्यों में परिवार परामर्श केन्द्रों की मौजूदा संख्या तथा राज्यों के आकार को ध्यान में रखते हुए, स्कीम का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न राज्यों ये सेवाएं समान रूप से सुलभ हों।

(4) परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम के क्षेत्र एवं उद्देश्यों का विस्तार करने की जरूरत है।

(5) इन केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं में 24 घंटे चलने वाली टेलीफोन हैल्प-लाइन तथा अल्पावास गृह हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि ये केन्द्र परिवार संसाधन केन्द्रों के रूप में कार्य करें, जिनमें विभिन्न आयु वर्गों हेतु पारिवारिक जीवन शिक्षा, विवाह-पूर्व एवं विवाहोपरान्त परामर्श, भावी दूल्हा-दुल्हन के माता-पिताओं हेतु परामर्श, जराचिकित्सा परामर्श, जीवन कौशल शिक्षा, किशोरियों एवं किशोरों के साथ मिलकर कार्य आदि जैसी निवारक एवं विकासात्मक सेवाएं भी शामिल हैं।

(6) भौतिक संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधनों के सम्बन्ध में केन्द्रों की मौजूदा अवसंरचना में सुधार करने की आवश्यकता है।

(7) दल ने वेतन में संशोधन की पुरजोर सिफारिश की है, ताकि ये गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मौजूदा वेतनमान के समान हों।

(ङ) 130 जिलों को छोड़कर, देश के सभी जिले इस स्कीम में शामिल हैं। यह मांग जनित स्कीम है। परिवार परामर्श केन्द्र की स्वीकृति नये प्रस्तावों पर विचार करते समय, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें स्कीम में पहले शामिल नहीं किया गया था।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवार परामर्श केन्द्रों की संख्या			लाभार्थियों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	24	39	38	1560	4875	4750
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	2	55	375	250
3.	असम	16	18	18	830	2250	2250
4.	बिहार/झारखण्ड	48	61	53	2275	7625	6625
5.	गोवा	1	2	2	65	250	250
6.	गुजरात	34	43	43	2080	5375	5375
7.	हरियाणा	16	18	14	966	2250	1875
8.	हिमाचल प्रदेश	8	10	7	390	1250	875
9.	जम्मू-कश्मीर	3	8	8	195	1000	1000
10.	कर्नाटक	45	56	52	2535	7000	6500
11.	केरल	35	36	35	2145	4500	4375
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	51	59/5	51/5	2395	7375/ 625	6375/ 1125
13.	महाराष्ट्र	55	64	60	3655	8000	7500
14.	मणिपुर	5	9	8	275	1125	1500
15.	मेघालय	3	2	1	165	250	125

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	2	2	2	110	250	250
17.	नागालैण्ड	2	2	4	55	250	1000
18.	उड़ीसा	16	31	33	880	3875	4125
19.	पंजाब	12	12	12	715	1500	1500
20.	राजस्थान	22	30	318	650	3750	3875
21.	सिक्किम	3	3	3	110	375	375
22.	तमिलनाडु	40	50	50	2401	6250	6250
23.	त्रिपुरा	7	9	8	385	1125	1000
24.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	43	54/6	57/6	2210	6750/750	7125/750
25.	पश्चिम बंगाल	32	37	35	1950	4625	4375
26.	अण्डमान व निकोबार	–	–	2	–	–	250
27.	चण्डीगढ़	2	3	1	110	375	1000
28.	दिल्ली	34	33	31	2015	4125	3875
29.	लक्षद्वीप	1	–	–	–	–	–
30.	पाण्डिचेरी	4	4	4	260	500	1000

प्री-नर्सरी स्कूलों का कार्यकरण

***534. श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में और देश के अन्य भागों में प्री-नर्सरी/प्रीप्रेट्री/प्ले स्कूलों की संख्या दिन-पर-दिन तेजी से बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी रूप से चलाए जा रहे इन स्कूलों में कम उम्र के बच्चे दाखिल किए जाते हैं;

(ग) क्या ये स्कूल पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में भी माता-पिताओं से अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं;

(घ) क्या इस मामले में उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले से निपटने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो समिति द्वारा यदि कोई सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं तो वे क्या है और उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) प्राईवेट प्री-नर्सरी स्कूलों के लिए भारत सरकार का कोई विनियामक ढांचा नहीं है। प्री-स्कूल सुविधाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर किया जाता है।

भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्री-स्कूल शिक्षा शामिल है। स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र 1,000 जनसंख्या वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में, 700 तक जनसंख्या वाले आदिवासी क्षेत्रों तथा कम जनसंख्या वाले पर्वतीय/रेगीस्तानी क्षेत्रों में 300 या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम या कस्बे में खोले जाते हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र के अधीन पंजीकृत बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.04.2004 के अपने आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को

आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के भी निदेश दिए हैं ताकि 14 लाख बस्तियों को शामिल किया जा सके।

(ङ) और (च) स्कीम में विस्तार को देखते हुए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम हेतु वर्ष 2005-06 के लिए बजट प्रावधान बढ़ा कर 3685.30 करोड़ रु. कर दिया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना/आंगनवाड़ी केन्द्र की संस्वीकृति हेतु वर्तमान जनसंख्या मानदंडों की समीक्षा करने तथा संशोधित मानदंडों का सुझाव देने हेतु एक अन्तर-मंत्रालयीय कार्यदल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश

***535. डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे इस क्षेत्र में लगे कामगारों के बेरोजगार होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यूजप्रिंट की कीमत

***536. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में न्यूजप्रिंट की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को न्यूजप्रिंट की कीमतों में वृद्धि के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे तथा मझौले समाचार-पत्रों की समस्याओं की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) न्यूजप्रिंट विनिर्माण का लाइसेंसमुक्त उद्योग है। स्वदेशी रूप से निर्मित न्यूजप्रिंट की कीमत पर सरकार का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। स्वदेशी कीमत पूर्णत: बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होती है। न्यूजप्रिंट, जो कि एक लाइसेंसमुक्त मद है, का आयात 1.5.1995 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया था। खुले सामान्य लाइसेंस पर वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के साथ न्यूजप्रिंट की चमकीली किस्म सहित सभी किस्मों के आयात की अनुमति है। विभिन्न प्रकार के उत्पादित/आयातित न्यूजप्रिंट के पिछले पांच वर्षों के संगत आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	स्वदेशी उत्पादन (लाख मी. टन)	आयात (लाख मी. टन)	निर्यात (लाख मी. टन)	स्वदेशी कीमत (रुपये/टन)	प्रतिशत परिवर्तन (+/-)
2000-2001	6.33	4.45	0.11	23695	-
2001-2002	6.20	4.47	0.11	24339	+2.7%
2002-2003	6.27	5.38	0.06	20289	-16.6%
2003-2004	6.84	7.59	0.03	22259	+9.7%
2004-2005	6.03 (जनवरी 2005 तक)	3.93 (अक्तूबर 2004 तक)	0.02 (सितम्बर 2004 तक)	24418	+9.7%

(स्रोत: सीएमआईई/आईएनएमए)

सरकार उन मिलों को जो बीआईएस मानक के अनुसार उत्पादन आदि जैसी कतिपय अनिवार्य शर्तों को पूरा करती हैं उनके नामों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में शामिल करके उत्पाद शुल्क में छूट देती है। सरकार आयातित न्यूजप्रिंट पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाती है।

'टाडा' कैदी

***537. डा. रतन सिंह अजनाला:**
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'टाडा' के तहत जेलों में बंद किये गए कैदियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ 'टाडा' कैदियों ने पहले ही बिना किसी मुकदमें के बीस वर्ष या इससे अधिक समय जेलों में काट दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) लंबित टाडा मामलों को जल्दी से निपटने के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें, लंबित मामलों की समग्र स्थिति और समीक्षा बैठकें आयोजित करने के संबंध में सूचना प्रदान करती हैं। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विचारण के बिना कोई भी टाडा कैदी 20 वर्ष या अधिक समय से जेल में नहीं है।

भारतीय उद्योगों में जापान द्वारा निवेश

***538. श्री विक्रम केशरी देव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उन उद्योगों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिनमें जापान द्वारा निवेश किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जापान ने भारत में कुछ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जापान द्वारा मत्स्यन उद्योग सहित इन उद्यमों में कितनी-कितनी पूंजी निवेश की गई;

(ङ) क्या जापान का विचार चालू वर्ष के दौरान कुछ और उद्यमों में निवेश करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान से एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों को प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मौजूदा नीति के अन्तर्गत स्वत: मार्ग के अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है जिनके लिए सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। सरकार ने अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2005 के दौरान 911 करोड़ रुपये के निवेश हेतु जापानी निवेशकों से 159 संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों (अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2005 तक) के दौरान जापान से कुल 2852.52 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। मतस्य पालन उद्योग के लिए एफ.डी.आई. अन्तर्वाह संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रख जाते हैं।

(ङ) और (च) एफ.डी.आई. के लिए उदारीकृत नीति के अन्तर्गत निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण

अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2005 के दौरान जापान से एफ.डी.आई. अन्तर्वाह प्राप्त करने वाले क्षेत्र

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2002-03 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2003-04 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2004-05 अप्रैल-फरवरी एफ.डी.आई. रुपये में	कुल एफ.डी.आई. रुपये में
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	3.00	2.27	4.59	9.86
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	0.80	0.20	0.26	1.26

1	2	3	4	5	6
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.00	0.20	0.00	0.20
4.	विद्युत उपकरण (साफ्टवेयर तथा इलैक्ट्रानिक्स सहित)	96.65	148.03	7.76	252.44
5.	दूरसंचार	0.00	0.00	1.70	1.70
6.	परिवहन उद्योग	1634.19	47.97	331.68	2013.84
7.	औद्योगिक मशीनरी	30.00	0.13	0.00	30.13
8.	मशीन उपकरण	0.00	0.86	0.01	0.87
9.	विविध (मैकेनिकल और इंजीनियरिंग)	6.01	38.00	0.00	44.01
10.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	0.00	0.00	0.87	0.87
11.	मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण	0.00	0.01	0.00	0.01
12.	औद्योगिक उपकरण	2.00	0.00	0.00	2.00
13.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	0.00	3.55	19.82	23.37
14.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	0.40	0.00	0.00	0.40
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	5.10	12.50	0.00	17.60
16.	रबड़ की वस्तुएं	66.58	18.81	0.00	85.39
17.	सिरेमिक	0.00	0.32	119.34	119.66
18.	परामर्शदायी सेवाएं	0.00	6.38	0.01	6.39
19.	सेवा क्षेत्र	85.76	37.03	24.93	147.73
20.	होटल तथा पर्यटन	2.37	0.82	0.09	3.27
21.	ट्रेडिंग	0.06	24.37	4.00	28.43
22.	विविध उद्योग	38.05	18.99	6.06	63.10
	कुल योग	1970.96	360.45	521.12	2852.52

* एफ.डी.आई. अन्तर्वाह केवल एफ.डी.आई. की इक्विटी पूंजी अव्यय दर्शाते हैं।
+ आंकड़े दशमलव के दो अंक तक माने गये हैं।

भारत-बांग्लादेश व्यापार

***539. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या हल ही में भारत तथा बांग्लादेश ने व्यापार तथा निवेश संबंधी बातचीत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांग्लादेश मिशन स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमश: 1061.30 मिलियन अमरीकी डालर, 1238.24 मिलियन अमरीकी डालर तथा 1708.32 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ था। वर्ष 2004-05 (अप्रैल-जनवरी) के लिए व्यापार 1271.55 मिलियन अमरीकी डालर था। बांग्लादेश को भारत से निर्यात, बांग्लादेश से आयात तथा कुल व्यापार का विवरण नीचे सारणी के रूप में दिया गया है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	बांग्लादेश को भारत के निर्यात	बांग्लादेश से भारत के आयात	कुल व्यापार
2001-2002	1002.18	59.12	1061.30
2002-2003	1176.00	62.05	1238.24
2003-2004	1646.08	62.24	1708.32
2004-2005 (अप्रैल-जनवरी)	1226.67	44.88	1271.55
2003-2004 (अप्रैल-जनवरी)	1389.17	61.04	1450.21

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता)

(ख) अप्रैल-जनवरी, 2004-05 में दोनों देशों के व्यापार में मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2004-05 के लिए व्यापार आंकड़े प्रतीक्षित हैं।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक तौर पर व्यापार की मात्रा का निर्धारण वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति, कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता तथा आयातकों के पास उपलब्ध आपूर्ति वैकल्पिक स्रोतों सहित विभिन्न आर्थिक कारकों द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश सहित सभी देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार परामर्शों के जरिए व्यापार एवं वाणिज्य विकसित करने की सरकार की नीति रही है।

(च) और (छ) बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिये बांग्लादेश सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में एक बांग्लादेश मिशन की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है। बांग्लादेश सरकार एक अनुरोध नोट कर लिया गया था।

अर्ध-सैनिक बलों की विधवाओं के लिए विशेष पैकेज

*540. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज विरोधी तत्वों या आतंकवादी संगठनों में लड़ते हुए मारे गए अर्ध-सैनिक बलों की विधवाओं के लिए दिये जाने वाले विशेष पैकेज/मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की स्थितिनुसार सरकार के पास पैकेज/मुआवजे की स्वीकृति के लिए लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके कब तक निपटाए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् अभी तक त्वरित निपटान के लिए न्यायालयों में गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) केन्द्र सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार केन्द्रीय पुलिस

बलों के ऐसे कार्मिकों, जो आतंकवादी गुटों से लड़ते हुए/सीमा पर झड़पों में मारे जाते हैं, की विधवायें/निकट संबंधी (एन ओ के) 7.5 लाख रुपए के अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के पात्र हैं जबकि जिन कार्मिकों का ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है उनकी विधावाओं/निकट संबंधियों को केवल 5 लाख रुपए मंजूर किए जाते हैं।

(ख) और (ग) निम्नलिखित दो मामलों को छोड़कर, जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद निपटा दिया जाएगा, कोई मामला लम्बित नहीं है:

1.	स्वर्गीय श्री एस.सी. मेनन	उप कमांडेंट	बी एस एफ	संयुक्त राष्ट्र द्वारा निकट संबंधी को पहले ही 50,000 डालर का भुगतान कर दिया गया है। तथापि, क्योंकि यू.एन. मिशन पर तैनात अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा अपनाई गई नीति के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह पर रक्षा मंत्रालय से सूचना मांगी गई है इसलिए भारत सरकार से मुआवजा लम्बित है।
2.	स्वर्गीय श्री राकेश मोहन	उप-कमांडेंट	बी एस एफ	निकट संबंधी को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि के रूप में 7.5 लाख रुपए सहित उन सभी राहत राशियों का भुगतान कर दिया गया है जिनके वे पात्र हैं। कुछ स्पष्टीकरणों के कारण उदारीकृत पेंशन लाभ (लिब्रलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में लंबित हैं।

(घ) मामले के त्वरित निपटान के लिए कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं हैं।

[हिन्दी]

सिविल रक्षा संगठन

5622. श्री राकेश सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन युद्ध के पश्चात आपदा प्रबन्धन के लिए सिविल रक्षा संगठन अस्तित्व आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगातार प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर ऐसे संगठनों की कोई उपयोगिता रह गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस संगठन के विस्तार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) भारत सरकार की नीति, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सिविल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के प्रति सूचित करने और प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए नागरिक सुरक्षा योजनाएं तैयार रखने के लिए कहने की थी। सिविल सुरक्षा, जो पहले, "भारत की रक्षा अधिनियम, 1962" जो अब निष्क्रिय हो चुका है, के अन्तर्गत परिचालित होती थी, को 1968 में संसद द्वारा पारित "सिविल सुरक्षा अधिनियम" द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है तथा इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे सभी कार्य शामिल किए गए हैं जो वास्तविक लड़ाई की कोटि में नहीं आते हैं और वायु, भूमि या समुद्र अथवा अन्य स्थानों से होने वाले आक्रमण की दशा में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान या वस्तु को सुरक्षा प्रदान करते हैं या ऐसे आक्रमण के प्रभाव को कम करते हैं, चाहे ऐसे उपाय इस प्रकार के आक्रमण से पूर्व, उसके दौरान या उसके बाद किए गए हों। इस अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार, राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र के लिए सिविल सुरक्षा कोर नामक व्यक्तियों के निकाय का गठन कर सकती है। राज्य सरकार, राज्य में नियंत्रकों की गतिविधियों के समन्वय हेतु सिविल सुरक्षा निदेशक नियुक्त कर सकती है। केन्द्र में इस संगठन का अध्यक्ष महानिदेशक, सिविल सुरक्षा होता है जोकि सिविल सुरक्षा, होम गार्डस और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। देश में प्रशिक्षित सिविल सुरक्षा स्वयंसेवकों का पूल है। इन सिविल सुरक्षा स्वयंसेवकों को संचार, हताहत प्रबंधन, बचाव, कल्याण और आपूर्ति प्रबंधन, डिपो और परिवहन सेवाओं,

अग्निशमन, बचाव और शव निपटान जैसी विभिन्न सेवाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये सेवाएं आपदाओं के समय आवश्यक सहायता की अपेक्षाओं के सदृश होती हैं। राज्य सरकारें आपदा आने पर कार्रवाई और राहत सहित आपदाओं के न्यूनीकरण/रोकथाम और तैयारी के लिए सिविल सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग भी कर सकती हैं। सरकार देश में सिविल सुरक्षा ढांचे का पुनरुद्धार करने के बारे में विचार कर रही है।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन

5623. श्री मोहन रावले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान के कतिपय अनुच्छेदों में संशोधन की अनुमति/अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव जो केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ग) इतने लम्बे समय से लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन करने का एक प्रस्ताव मई, 1998 में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले, संविधान में निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने के प्रति जिस कारगरता के साथ मौजूदा तीन विकास बोर्डों ने कार्य किया है उसका पता लगाना आवश्यक समझा गया। अगस्त, 1998 में योजना आयोग से उक्त विकास बोर्डों के कार्यकरण का आकलन करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, योजना आयोग ने महाराष्ट्र के विद्यमान तीनों विकास बोर्डों के कार्यकरण का विस्तृत कार्यनिष्पादन, मूल्यांकन अध्ययन किया था और अप्रैल, 2003 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। योजना आयोग की अध्ययन रिपोर्ट की जांच करते समय यह पाया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि कोंकण क्षेत्र में पहले ही काफी विकास हो चुका है। शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड के एक भाग के रूप में कोंकण क्षेत्र में हुए विकास को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार से अपने प्रस्ताव पर फिर से विचार करने और अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल में अपना उत्तर भेजा है।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

5624. श्री गिरिधर गमांग: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने तथा गरीबी उपशमन के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्या दिशानिर्देश जारी किये गए हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं तथा केन्द्र सरकार द्वारा सहायता के लिए अब तक अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने तथा गरीबी उपशमन के लिए राज्यों के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में स्थित नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषदों ने अलग योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा इसके लिए धनराशि निर्धारित कर ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों द्वारा आगे किसी त्रुटि से बचने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों को अलग-अलग योजनाएं तैयार करने के लिए कहने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ)) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से 1.12.1997 से समग्र भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक रोजगारोन्मुखी केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रथमत: 9वीं कक्षा तक शिक्षित व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार उद्यम लगाए जाने को प्रोत्साहन देकर और द्वितीयत: सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभदायक-सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए श्रमिकों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने का अवसर देना है। इस स्कीम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजमार योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय धनराशि जारी की जाती है, जो इसमें

बराबरी का राज्य अंश शामिल करने के बाद राज्य शहरी विकास एजेंसी (सुडा), नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए आगे स्कीम का कार्यान्वयन करते हैं।

यद्यपि, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए अलग से कोई धन का नियतन नहीं किया जाता, इसलिए स्कीम के दिशानिर्देशों में यह विनिर्दिष्ट है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्थानीय आबादी में कम से कम उनकी संख्या के अनुपात में लाभान्वित किया जाए।

प्रमुख पत्तनों पर स्कैनर लगाना

5625. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों से स्क्रैप, खेपों से विस्फोटकों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है जो कि राज्य सरकारों तथा सीमा शुल्क विभागों की घोर लापरवाही है जो कि मेल स्क्रैप खेप की जांच के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लूज तथा हेवी मेटल स्कैप की स्क्रीनिंग के लिए प्रमुख पत्तनों पर स्कैनर लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, सरकार का इस प्रयोजनार्थ पहचाने गए मुख्य पत्तनों और अन्य स्थानों पर कंटेनर स्कैनर स्थापित करने का प्रस्ताव है। कंटेनर स्कैनर अन्य सभी खेपों के अलावा खुले और भारी मेटल स्क्रेप की स्क्रीनिंग करने में अधिकारियों के प्रयासों में सहायता करेंगे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), खड़गपुर

5626. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आई.टी., खड़गपुर ने 'कम्प्यूटेशनल सीजमोलाजी' के नए एम.टैक. पाठ्यक्रम में सुनामी विषय को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना;

(ग) इसके द्वारा भूकंपीय क्षेत्रों का पता लगाकर ऐसी आपदाओं की भविष्यवाणी किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आई.आई.टी. परिसर में कोई भूकंप विज्ञान वेधशाला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जुलाई, 2005 से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र से 'कम्प्यूटेशनल सीजमोलाजी' में दो वर्षीय एम.टेक. पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विद्यार्थी भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाने में सक्षम होंगे जिसका उपयोग भूकंप से होने वाली आपदाओं को कम करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के परिसर में स्थित ब्राड-बैंड भूकंप विज्ञान वेधशाला भूकंपों को रिकार्ड करती रही है। यह वेधशाला (22.3190° एन., 87.3108° ई.), भूकंपमापी ए.टी.एस.-2 (फ्री. पीरियड 120 एस. और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कान्सटेन्ट 1500 एम.वी./(एम.एम./एस) रिकार्डर क्यू. 330 (संवेदनशीलता 419.430 काउन्ट्स/एम.वी.); से जुड़ी है। इस प्रणाली की डेम्पिंग कान्सटेन्ट 0.707 है।

[हिन्दी]

ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत लक्ष्य

5627. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बीस हजार से कम की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में पेयजल की आपूर्ति हेतु कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बीस हजार से कम की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कस्बों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनमें पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है;

(ङ) केन्द्र सरकार पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत उक्त कस्बों में किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में लक्षित योजनाओं से संबंधित कार्य का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। शहरी विकास मंत्रालय केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 (15.4.2005 तक) के दौरान जिन कस्बों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गईं, उनके राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में संलग्न है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एक नई योजना छोटे एवं मझोले कस्बों के शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू आई डी एस एस टी) में शामिल करने का प्रस्ताव है। अत: वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाएं शुरू करने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) 1991 की जनगणना और 2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान 21 कस्बों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) जल अर्थात जल आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के साथ पठित सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों का विषय है। अत: कस्बों में पानी के वितरण की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

(च) राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जयपुर जिले में बस्सी और जोबनेर नामक दो कस्बों में कार्य पूरा किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 47 कस्बों में योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्य चल रहा है।

विवरण I

(15.04.2005 की स्थिति के अनुसार)

शहरी विकास मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03 से अब तक अनुमोदित योजनाएं	
		संख्या	स्थापना लागत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	35	7088.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	496.62
3.	असम	9	4313.42
4.	बिहार	21	3502.21
5.	छत्तीसगढ़	15	1478.66
6.	गोवा	–	–
7.	गुजरात	45	5779.96
8.	हरियाणा	13	3354.16
9.	हिमाचल प्रदेश	6	964.18
10.	जम्मू-कश्मीर	11	4794.75
11.	झारखण्ड	7	1694.15
12.	कर्नाटक	16	9117.10
13.	केरल	8	2630.97
14.	मध्य प्रदेश	64	8406.15
15.	महाराष्ट्र	17	6671.82
16.	मणिपुर	10	1574.43
17.	मेघालय	–	–
18.	मिजोरम	1	186.28
19.	नागालैण्ड	–	–
20.	उड़ीसा	15	4224.06
21.	पंजाब	7	646.14

1	2	3	4
22.	राजस्थान	31	7652.17
23.	सिक्किम	1	335.88
24.	तमिलनाडु	57	4733.34
25.	त्रिपुरा	6	2091.90
26.	उत्तर प्रदेश	164	12870.08
27.	उत्तरांचल	11	1842.00
28.	पश्चिम बंगाल	13	2149.73
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–
32.	दमन एवं दीव	–	–
33.	दिल्ली	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–
35.	पाण्डिचेरी	–	–
	कुल	584	98599.10

विवरण II

20,000 से कम आबादी वाले कस्बों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03 से अब तक अनुमोदित योजनाएं	
		1991 की जनगणना के अनुसार	2001 की जनगणना के अनुसार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	56	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	14
3.	असम	59	89
4.	बिहार	42	25
5.	छत्तीसगढ़	60	61
6.	गोवा	22	39
7.	गुजरात	127	106
8.	हरियाणा	52	53
9.	हिमाचल प्रदेश	50	50
10.	जम्मू-कश्मीर	47	62
11.	झारखण्ड	45	90
12.	कर्नाटक	134	107
13.	केरल	40	53
14.	मध्य प्रदेश	252	249
15.	महाराष्ट्र	132	160
16.	मणिपुर	26	28
17.	मेघालय	04	9
18.	मिजोरम	19	19
19.	नागालैण्ड	05	3
20.	उड़ीसा	76	78
21.	पंजाब	67	89
22.	राजस्थान	110	87
23.	सिक्किम	07	8
24.	तमिलनाडु	122	570
25.	त्रिपुरा	13	16
26.	उत्तर प्रदेश	434	410
27.	उत्तरांचल	52	62
28.	पश्चिम बंगाल	73	232
	कुल राज्य	2136	2826
	संघ शासित प्रदेश		
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	02
30.	चंडीगढ़	–	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	01	–

1	2	3	4
32.	दमन एवं दीव	–	–
33.	दिल्ली	06	23
34.	लक्षद्वीप	04	03
35.	पाण्डिचेरी	04	01
	कुल	2151	2854

विवरण III

शहरी विकास मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या जिनमें जल आपूर्ति शुरू हो गई है
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	–
5.	छत्तीसगढ़	–
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	4
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–
11.	झारखण्ड	–
12.	कर्नाटक	–
13.	केरल	–
14.	मध्य प्रदेश	–
15.	महाराष्ट्र	–
16.	मणिपुर	–
17.	मेघालय	–
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैण्ड	–
20.	उड़ीसा	1
21.	पंजाब	–
22.	राजस्थान	–
23.	सिक्किम	–
24.	तमिलनाडु	10
25.	त्रिपुरा	–
26.	उत्तर प्रदेश	–
27.	उत्तरांचल	6
28.	पश्चिम बंगाल	–
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–
30.	चंडीगढ़	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	–
32.	दमन एवं दीव	–
33.	दिल्ली	–
34.	लक्षद्वीप	–
35.	पाण्डिचेरी	–
	कुल	21

[अनुवाद]

दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

5628. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आकार तथा श्रेणीवार कितने सरकारी क्वार्टर हैं;

(ख) क्या सरकार वर्तमान और जीर्ण-शीर्ण हालत वाले एक मंजिला/दो मंजिला सरकारी क्वार्टरों को बहुमंजिला क्वार्टरों में बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) उक्त कार्य कब तक शुरू तथा पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या कुछ खाली सरकारी भूमि पर विशेषकर दिल्ली के मध्य स्थित स्थानों पर झुग्गी में रहने वालों और असमाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर लिया है और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षेत्र तथा निवासियों को अवैध कब्जा करने वालों और असामाजिक तत्वों से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ब्यौरेवार विवरण संलग्न है।

(ख) अलीगंज में मौजूदा एक मंजिले/दो मंजिले सरकारी क्वार्टरों के स्थान पर बहुमंजिले क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) निर्माण के प्रथम चरण के लिए 21.39 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) स्थानीय निकायों द्वारा नक्शे अनुमोदित किए जाने के बाद 24 महीनों में परियोजना पूरी होने की उम्मीद है।

(ङ) जी हां।

(च) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अधिकतर रिहायशी कालोनियों में फेन्सिंग और चारदीवारी बनवा दी है और अतिक्रमण रोकने के लिए चौकीदार और निगरानी व्यवस्था के लिए कर्मचारी भी लगाए हैं। मौजूदा स्लमों को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम के स्लम और जे जे विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मकानों की स्थानवार संख्या दर्शाते हुए क्वार्टरों का ब्यौरा (सभी पूल)

श्रेणी (टाइप-I से टाइप IV (स्पेशल)

क्र.सं.	स्थल	I	II	III	IV	IV (स्पेशल)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अकबर रोड	33	–	–	–	
2.	अलीगंज	642	–	–	–	
3.	अलबर्ट स्कवायर	–	339	–	–	
4.	एन्ड्रूजगंज/एक्स.	802	–	357	01	256
5.	अराम बाग	640	735	149	–	
6.	बाबा खड़क सिंह मार्ग	–	67	414	–	
7.	बाबर प्लेस	–	–	–	28	
8.	चित्र गुप्त रोड	–	–	120	–	
9.	कालेज रोड	–	–	–	16	
10.	देव नगर	–	–	228	–	
11.	डी.आई.जैड. एरिया	280	1890	836	–	

1	2	3	4	5	6	7
12.	फोच स्क्वायर	–	–	14		
13.	ग्रेटर कैलाश	–	–	01	02	
14.	गवाडर्स ब्लेक्स	07	–	–		
15.	गुलाबी बाग	–	02	–	02	
16.	हनुमान रोड	–	186	07		
17.	हरी नगर	–	–	01		
18.	हुडको प्लेस	–	–	–	24	314
19.	जवाहर मार्केट	–	–	02	02	
20.	जैसलमेर हाउस	35	–	–	–	
21.	जामनगर हाउस	62	–	–	–	
22.	जनपथ	67	–	–	–	
23.	कालीबाड़ी मार्ग	369	748	–	63	
24.	कड़कड़डुमा	–	01	–		
25.	कस्तूरबा नगर	2510	–	–		
26.	किदवई नगर (पू.)	1338	99	–	03	
27.	कृष्णा नगर पी.एस.	–	–	–	01	
28.	लांसर रोड	145	228	64		
29.	लोदी कालोनी	–	473	1172	236	
30.	लादी रोड काम्प्लेक्स	–	2018	64		
31.	लक्ष्मीबाई नगर	–	1191	24	751	
32.	मयूर विहार	–	–	–	02	
33.	एम.बी. रोड	2615	4310	1308	79	114
34.	मंदिर मार्ग	–	192	168		
35.	मायापुरी प्रेस कालोनी	–	02	–		
36.	मॉडल टाउन	–	–	01	01	
37.	मुनीरका	–	–	–	03	
38.	महाबत खान रोड	–	–	44	01	

1	2	3	4	5	6	7
39.	मोहम्मदपुर	308	207			
40.	मिन्टो रोड एरिया	348	41	330	93	
41.	मोती बाग	242	925			
42.	नानक पुरा	–	956	355	640	
43.	नौरोजी नगर	–	448	180	–	
44.	नेताजी नगर	1472	1081	164	129	
45.	एन.डब्ल्यू. मोती बाग	–	95	113	160	
46.	नेहरू नगर	–	–	135		
47.	नीमरी कालोनी	–	–	01		
48.	पंचकुईयां रोड	810				
49.	पंडारा रोड				401	
50	पेशवा रोड	–	–	–	124	
51.	न्यू प्रेम नगर	131				
52.	ओल्ड प्रेम नगर	482				
53.	प्रेस लेन	–	–	–	02	
54.	प्रेस ब्लाक	–	–	–	08	
55.	पृथ्वीराज लेन	51				
56.	प्रोबीयन रोड	–	–	64		
57.	पूसा रोड	82				
58.	रजौरी गार्डन	–	–	01	118	
59.	आर.के. पुरम	2788	4983	1047	2386	128
60.	राउज एवेन्यू	20				
61.	सफदरजंग एयरपोर्ट लेन				02	
62.	साकेत	–	–	01		
63.	सरोजनी नगर	–	–	3804	188	
64.	सीलमपुर	–	–	01		
65.	सिद्धार्थ एक्सटैंशन	–	–	01		

1	2	3	4	5	6	7
66.	श्रीनिवासपुरी	648	736	25		
67.	सादिक नगर	48	664	720	177	
68.	सुजान सिंह पार्क	20				
69.	सुंदर नर्सरी	71				
70.	टैगोर रोड	–	01			
71.	तानसेन मार्ग	–	–	–	30	
72.	तिमारपुर	427	1251	288	04	
73.	तीन मूर्ति हाउस	104				
74.	टोडरमल रोड/एसक्यू.	–	–	–	29	
75.	वसंत विहार	06	77	725		
76.	विकास पुरी	–	–	–	01	
77.	विंडसर प्लेस	02				

श्रेणी (टाइप V से टाइप VIII)

क्र.सं.	स्थल	V-ए	V-बी	VI-ए	VI-बी	VII	VIII
1	2	3	4	5	6	7	8
78.	अहिल्याबाई रोड					01	
79.	अकबर रोड					01	24
80.	अलीपुर रोड					02	
81.	एशियन गेम्स गांव	163					
82.	अतुल ग्रोव रोड	02					
83.	एन्कूजगंज/एक्स.	76		60			
84.	अशोका रोड	09				03	14
85.	औरंगजेब रोड						08
86.	बी.आर. मेहता लेन					12	
87.	बाबा खडग सिंह मार्ग			28			
88.	बापा नगर			87	06	10	
89.	भारती नगर		98				

1	2	3	4	5	6	7	8
90.	बेर सराय	01					
91.	भगवान दास रोड					02	
92.	डा. विशम्भर दास मार्ग				16		
93.	बंगलो रोड	01					
94.	केनिंग लेन					15	
95.	चाणक्यपुरी		224	56	03		
96.	सरकुलर रोड				04		03
97.	कोपरनिकस रोड				05	01	
98.	कोर्नवाल्स रोड	16					
99.	देव नगर	02					
100.	डुप्लेक्स रोड						04
101.	डुप्लेक्स लेन					06	02
102.	फिरोजशाह रोड				08		
103.	ग्रेटर कैलाश	01			01		
104.	गुलमोहर पार्क	01					
105.	गुरूद्वारा रकाबगंज रोड				24	04	
106.	हरीश चन्द्र माथुर लेन				02	02	
107.	हडको प्लेस		200				
108.	हुमायूं रोड				22		
109.	जन्तर मंतर रोड					01	02
110.	जवाहरलाल नेहरू मार्ग				11		
111.	जनपथ				06		
112.	काका नगर	175					
113.	कोटला लेन					04	
114.	कृष्ण मेनन मार्ग						10
115.	किदवई नगर (पू.)	113					
116.	किदवई नगर (प.)	209					

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	कुशक रोड					05	05
118.	लांसर रोड	01					
119.	लोदी एस्टेट				41	46	03
120.	लोदी गार्डन				15		
121.	लोदी रोड काम्प्लेक्स	63					
122.	लखनऊ रोड	05					
123.	एम.बी. रोड	54					
124.	महादेव रोड	09	2		12		
125.	मौलाना आजाद रोड						04
126.	मार्केट रोड	08					
127.	मेटकाफ हाउस				05		
128.	महाराजा लाल लेन	01					
129.	माल रोड	04			04		
130.	मीना बाग	10					
131.	मथुरा रोड					09	
132.	मोती बाग	92		132			
133.	मोतिया खान	02					
134.	मोती लाल नेहरू मार्ग				01	03	09
135.	मोती लाल नेहरू प्लेस						05
136.	नानकपुरा	80					
137.	नेताजी नगर	125					
138.	नीमरी कालोनी						
139.	नार्थ एवेन्यू	05					
140.	पंडारा पार्क	30			40		
141.	पंडारा रोड	128				16	01
142.	पार्क लेन	10					
143.	पार्क स्ट्रीट	08					

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	पश्चिम विहार	01					
145.	पं. पंत मार्ग	02			05	05	01
146.	पुराना किला रोड					10	
147.	पुष्प विहार	01					
148.	पृथ्वीराज रोड						03
149.	प्रोबीन रोड	01					
150.	पूसा रोड					01	
151.	रवीन्द्र नगर		112				
152.	रेसकोर्स रोड						06
153.	रायसीना रोड						04
154.	राजाजी मार्ग			02	02		06
155.	डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड				09		02
156.	रजौरी गार्डन	113					
157.	राजपुर रोड	06					
158.	आर.के. पुरम	138	297	115			
159.	राउज एवेन्यू		08			04	01
160.	सफदरजंग एन्क्लेव/लेन	01				10	02
161.	सफदरजंग रोड						14
162.	एस.पी. मार्ग	01					
163.	साउथ एवेन्यू					04	
164.	सेन मार्टिन मार्ग		04				
165.	सरदार पटेल मार्ग		63				
166.	सरोजिनी नगर	01					
167.	सत्य सदन	01					
168.	सुनहरी बाग रोड					01	05
169.	शाहजहां रोड	44		50		22	
170.	श्रीराम रोड				02	01	

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	सुजानसिंह पार्क	06			15		
172.	तालकटोरा लेन/रोड	04			14		01
173.	टेलीग्राफ लेन	15					
174.	तिलक लेन/मार्ग	31		48	10	09	01
175.	तीन मूर्ति मार्ग					10	07
176.	तीन मूर्ति लेन					17	02
177.	तीस जनवरी मार्ग						02
178.	त्यागराज मार्ग						06
179.	तुगलक क्रिसेंट					07	
180.	तुगलक लेन					07	03
181.	तुगलक रोड						19
182.	वसंत विहार	01					
183.	विनय मार्ग	148					
184.	विंडसर प्लेस				06		
185.	विलिंग्टन क्रिसेंट	02			02	09	04

श्रेणी—हॉस्टल

क्र.सं.	स्थल	मकानों की संख्या
1.	अलीगंज	06
2.	एशिया हाउस	131
3.	कर्जन रोड	497
4.	न्यू मिन्टो रोड हास्टल	184
5.	मिन्टो रोड ओल्ड	96
6.	प्रगति विहार	792
7.	आर.के. पुरम	105
8.	टैगोर रोड	96

विज्ञान शिक्षा के प्रति घटता रुझान

5629. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान के छात्रों के लिए देश में भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.) जैसा कोई संस्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 10+2 के बाद विज्ञान का विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या 1950 में 31 प्रतिशत से घटकर 1990 में 20 प्रतिशत हो गई तथा 2001 में ये और घट गई;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों में औपचारिक उच्चतर शिक्षा पद्धति के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में वर्ष 1971-72 में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या 30.3 प्रतिशत थी। इसमें उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के दाखिल विद्यार्थी भी शामिल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990-91 में विज्ञान के विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो 19.6 प्रतिशत थी, बढ़कर 2001-02 में 20.5 प्रतिशत हो गई।

(ङ) विज्ञान शिक्षा को अधिक आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण बनाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने विद्यालय प्रयोगशालाओं, विज्ञान पुस्कालयों, विज्ञान ओलम्पियाडों में भाग लेने के लिए विज्ञान और गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रावधान करके विद्यालय स्तर से ही विज्ञान पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाने के प्रयास किए हैं। इस उद्देश्यार्थ गैर-सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों के उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त विज्ञान विभागों को सहायता प्रदान करता है ताकि उनकी उत्कृष्टता को बढ़ाया जा सके। नवाचारी कार्यक्रम और नए उभरते क्षेत्रों के तहत विश्वविद्यालयों और कालेजों में संचालित किए जा रहे स्नातकोत्तर/स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों अथवा विशेष पेपरों के लिए भी सहायता दी जाती है। वर्ष 1983 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की स्कीम भी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड करना

5630. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल सरकार ने केन्द्र सरकार के पास राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड रखने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार स्वयं राज्य का नाम बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। उत्तरांचल सरकार ने राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड रखने के बारे में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। केन्द्र सरकार, इस समय, राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखण्ड रखने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

लाइसेंस जारी करना

5631. श्री अशोक अर्गल:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, जिनके नाम पर एक से अधिक हथियारों का पंजीकरण हो चुका है;

(ख) ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है जिनके हथियारों के लाइसेंसों को पिछले तीन वर्षों तथा उसके पश्चात् आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली में संबंधित क्षेत्र के एस.एच.ओ. तथा डी.सी.पी. की सिफारिशों के बावजूद डी.सी.पी. (लाइसेंसिंग) ने अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) डी.सी.पी. (लाइसेंसिंग) की अस्वीकृति के बाद हथियार का लाइसेंस जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है;

(घ) दिल्ली में हथियारों के लाइसेंसों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का क्या पद है;

(ङ) क्या दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस संबंध में कुछ संसद सदस्यों से अनियमितताओं की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है, यदि की गई है तो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली में 4627 ऐसे लाइसेंस है, जिनमें एक से अधिक हथियार पंजीकृत हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	अस्वीकृत लाइसेंसों की संख्या
2002	157
2003	129
2004	341
2005	126

(ग) शस्त्र नियम, 1962 के अनुसार प्रशासक, दिल्ली अपील प्राधिकारी है।

(घ) शस्त्र नियम, 1962 के अनुसार दिल्ली में हथियारों के लाइसेंसों के नवीनीकरण/वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार डी.सी.पी. (लाइसेंसिंग) को है।

(ङ) और (च) श्री अशोक अर्गल माननीय संसद सदस्य ने पश्चिम विनोद नगर, नई दिल्ली के निवासी श्री जगराज सिंह को लाइसेंस प्रदान करने की सिफारिश की थी। तथापि, सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकी और माननीय सांसद को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

अव्यपगतनीय केन्द्रीय पूल

5632. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम के नलबाड़ी जिले तथा मंगलडोई जिले हेतु अव्यपगतनीय केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए बी टी सी स्वायत्त जिले के अन्तर्गत विशेष पैकेजों को छोड़कर कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान असम सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी हां। असम सरकार ने गत तीन वर्षों में बी टी सी/बी ए सी स्वायत्त जिला परिषद के लिए विशेष पैकेजों के अतिरिक्त असम के नलबाड़ी जिला और मंगलदोई जिलों के लिए अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) के तहत 26 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग)	जिले का नाम	संस्वीकृत निधियां	जारी की गई निधियां
	मंगलदोई	7.89 करोड़ रुपये	2.90 करोड़ रुपये
	नलबाड़ी	5.45 करोड़ रुपये	2.62 करोड़ रुपये

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपयों में
1	2	3	4
	2002-2003	**मंगलदोई जिला**	
1.		गोरोईमाड़ी गोरूखुति रोड	1.00
		नलबाड़ी जिला	
2.		नलबाड़ी कामरकुची रोड	1.00
3.		जगरा मुकलमुआ रोड	1.00
4.		हरिपुर संसारघाट रोड	1.00
5.		तिहु सोलमारा रोड	1.00
6.		लरकुची क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र नदी के भू:क्षरण से बचाने के लिए ए/ई उपाय (बीच बन्द करना एं अदाबाड़ी से कुकाजन तक बी/डाईक के आर/बी पर 29वें किमी पर सुरक्षा कार्य	4.21

1	2	3	4
		मंगलदोई जिला	
7.		मंगलदोई शहर जल आपूर्ति स्कीम	16.76
8.		सिंचाई (लघु)-बेंगटोल एफ आई एस	1.76
9.		सिंचाई (लघु)-चेवनी एफ आई एस	0.69
10.		सिंचाई (लघु)-बेटिया मार एफ आई एस	0.23
11.		सिंचाई (लघु)-सिंगीमारी एफ आई एस	1.15
12.		सिंचाई (लघु)-जेरना एफ आई एस	0.66
13.		सिंचाई (लघु)-काडाबिल एफ आई एस	0.42
14.		सिंचाई (लघु)-कुरना एफ आई एस	2.24
15.		सिंचाई (लघु)-पदुमपुखुरी एफ आई एस	0.79
		नलबाड़ी जिला	
16.		सिंचाई (लघु)-दारांगा एफ आई एस	2.65
17.		सिंचाई (लघु)-तिहु मऊजा डी टी डब्ल्यू	0.40
	2003-2004	**मंगलदोई जिला**	
18.		मंगल दोई भूटियाचंग रोड (पुलों की सं. 8)	6.84
19.		उदालगुड़ी बरबेंगरा रोड (पुल की सं. 1)	1.04
		नलबाड़ी जिला	
20.		नलबाड़ी पल्ला रोड (पुल की सं. 1)	1.44
21.		बागलस रोड (पुलों की सं. 3)	2.44
22.		बंगाओं जगरा रोड (पुलों की सं. 2)	1.74
23.		हरिपुर संसारघाट सड़क (पुल की सं. 1)	2.26
		मंगलदोई जिला	
24.		मंगलदोई जलापूर्ति स्कीम	7.15
	2004-2005	**मंगलदोई जिला**	
25.		बंगबारी अंबारी रोड (तीन पुलों सं. 2/3, 3/4, 3/2 को बदलना)	4.41
26.		मंगलदोई जलापूर्ति स्कीम	7.15

केन्द्रीय योजनाओं का राज्यों को अंतरण

5633. श्री एस. अजय कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का वर्षवार योजनावार ब्यौरा क्या है, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को अंतरित किया जा चुका है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभग्राहियों का योजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) अनुसूचित जनजातियों हेतु दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं नामत: (1) अनुसूचित जनजातियों के लड़कों/लड़कियों के छात्रावास, (2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना को 1.4.2005 से राज्य सरकारों को अंतरित करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु अब यथा पूर्व स्थिति पुन: स्थापित कर दी गई है।

(ख) इन योजनाओं के अधीन राज्यवार, वर्षवार और योजनावार सृजित सीटों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

योजना के नाम अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़के/लड़कियों के छात्रावास

क्र.सं.	राज्यों के नाम	सृजित सीटों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	2125	3001	–
2.	मध्य प्रदेश	7250	–	–
3.	मणिपुर	–	100	–
4.	मेघालय	200	–	–
5.	उड़ीसा	–	100	–
6.	त्रिपुरा	–	100	–
7.	पश्चिम बंगाल	100	180	–
8.	कर्नाटक	–	600	–
9.	महाराष्ट्र	–	–	875
10.	नागालैंड	–	200	200
11.	झारखंड	–	1200	900
12.	अरुणाचल प्रदेश	160	–	–
13.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	–	–	90
	कुल	9835	5481	2065

योजना का नाम: अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना

क्र.सं.	राज्यों के नाम	सृजित सीटों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	–	3800	–
2.	गुजरात	–	–	4560
3.	मध्य प्रदेश	7000	–	–
4.	त्रिपुरा	–	–	–
5.	कर्नाटक	625	–	–
	कुल	7625	3800	4560

[हिन्दी]

खर्चों की प्रतिपूर्ति

5634. श्री संतोष गंगवार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर आए खर्च की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों को यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर उठाए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की है।

उन्हें 35,52,642 रुपये की धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5635. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा सहकारी समूह आवास सोसाइटियों को पहले ही कितनी भूमि आवंटित की जा चुकी है;

(ख) को-आपरेटिव सोसाइटियों द्वारा कुल कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया तथा कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं;

(ग) डीडीए को कुप्रबंधन/दुर्विनियोजन इत्यादि के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रत्येक के मामले में क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इस प्रकार की सहकारी समूह आवास सोसाइटियां कौन-कौन सी हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, जोकि 15 वर्षों से अधिक समय से पूर्णता प्रमाणपत्रों का इंतजार कर रही हैं तथा उच्च तलों की छत पर बनाए गए अनधिकृत ढांचे के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली में भूमि अधिग्रहण भूमि अर्जन समाहर्ता तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। मार्च, 2005 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को करीब 69,890 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा सौंपा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 1900 एकड़ भूमि 877 सहकारी समूह आवास समितियों को आवंटित की गई है।

(ख) समितियों द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन फ्लैटों की सही संख्या एकत्र नहीं की गई है। तथापि, अनुमान है कि इन समितियों द्वारा लगभग 1.16 लाख मकानों का निर्माण किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण का सहकारी समूह आवास समितियों के प्रबंध से संबंधित मुद्दों से सीधा कोई संबंध नहीं है। फ्लैटों के आवंटन आदि से संबंधित कोई शिकायत मिलने पर, यदि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित हो तो, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पंजीयक (सहकारी समितियां) का भी परामर्श लिया जाता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों में 21 सहकारी समूह आवास समितियां (चिल्ला-4, पश्चिम विहार-16 तथा विकासपुरी-1) अधूरे विकास कार्य, दस्तावेज पूरे न कर पाने अथवा अवैध निर्माण आदि के कारण 15 वर्ष या उससे अधिक समय से पूर्ति प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा कर रही हैं। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा 9 सहकारी समूह आवास समितियों के मामले में पूर्ति प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया है। इसके अलावा 62 सहकारी समूह आवास समितियों ने पूर्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया है।

सुनामी पीड़ितों के लिए फ्लैटों का निर्माण

5636. श्री हितेन बर्मन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सुनामी पीड़ितों के लिए एल.आई.जी., एम.आई.जी. तथा एच.आई.जी. फ्लैटों के चल रहे निर्माण यदि हैं तो, की क्या स्थिति है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवंटित तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार से कराने की इच्छुक है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिले को पूर्वोत्तर दर्जा

5637. श्री सुनील खां: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिले को पूर्वोत्तर राज्यों के समान ही प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुराने भवनों की दयनीय स्थिति

5638. श्री अनंत नायक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ पुराने भवनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ भवन बहुत पुराने हो चुके हैं तथा उन्हें मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जीर्णोद्धार तथा विशेषकर जीण-शीर्ण हो चुके भवनों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में ऐसी कोई पुरानी इमारत नहीं है, जो बहुत ही जीर्णशीर्ण हालत में हो। दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि वे जिन भवनों का रखरखाव करते हैं, उनकी हालत संतोषजनक है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह सूचित किया है कि ऐसी कुछ पुरानी इमारतें हैं, जिनकी तत्काल मरम्मत की जानी जरूरी है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रखरखाव वाली कुछ पुरानी इमारतें निम्नलिखित हैं:

क्षेत्र	टाइप	संख्या
सरोजिनी नगर	III	22
नौरोजी नगर	II	10
लोदी रोड काम्प्लेक्स	II	74
अलीगंज	I	291
डीआईजेड एरिया	I	2
डीआईजेड एरिया	II	60
आराम बाग	II	15
आराम बाग	I	04
जोधपुर हास्टल	सेट	14
2-सुनहरी बाग	बंगले	01

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों की संरचनात्मक मजबूती को बनाए रखने के लिए शाटक्रिएटिंग, गनिटिंग, स्टिचिंग इत्यादि सहित मरम्मत करके आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। कई मामलों में पूर्ण नवीकरण तभी संभव है जब भवन खाली हो।

डी.एम.आर.सी. द्वारा विदेशी ठेके लेना

5639. श्री सनत कुमार मंडल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन विदेशों में ठेके लेने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल निगम की विदेशों में निर्माण के लिए संविदाएं करने की कोई योजना नहीं है, फिर भी दमिस्क (सीरिया) और कोलंबो (श्रीलंका) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के लिए परामर्शी कार्य करने के प्रस्तावों पर उक्त देशों के संबंधित प्राधिकारियों से विचार-

विमर्श चल रहा है। अभी तक किसी औपचारिक करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों का गठन

5640. श्री अतीक अहमद: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वे क्षेत्रीय कार्यालय कौन-कौन से हैं जहां इस समय क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परामर्शदात्री समितियों का गठन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) क्षेत्रीय सलाहकार समितियां केन्द्रीय विद्यालय संगठन के (1) अहमदाबाद (2) बंगलौर, (3) भोपाल, (4) भुवनेश्वर, (5) चण्डीगढ़, (6) देहरादून, (7) दिल्ली, (8) गुवाहाटी, (9) हैदराबाद, (10) जयपुर, (11) जबलपुर, (12) कोलकाता, (13), मुम्बई, (14) पटना और (15) सिल्चर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रही हैं। जम्मू, लखनऊ, चेन्नई क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी/राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों से सहमति नहीं मिलने के कारण क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक आयुक्तों, जो क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के सदस्य सचिव होते हैं, को समिति के सभी सदस्यों के साथ निकट संपर्क रखते हुए नियमित बैठकें बुलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त द्वारा आवधिक रिपोर्टों के जरिए समितियों के कार्यकरण की मानीटरिंग की जाती है।

अतिक्रमणाधीन नाले

5641. श्री कैलाश बैठा: क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 1 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 6 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिक्रमणों/गाद के अंतर्गत अतिक्रमण के प्रकार सहित नालों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित ग्राम सभा द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) ग्राम सभा द्वारा इन अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अतिक्रमणों को कब हटा दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) प्रमंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त, नालों की सूची व अतिक्रमण के प्रकार विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) यह बताया गया है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में अतिक्रमणाधीन भूमि के सीमांकन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 86-क के अंतर्गत रजोकरी गांव तथा रंगपुरी गांव में कुछ अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही आरंभ की गई है, जिसका विवरण विवरण-II में है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं है।

विवरण I

अतिक्रमणाधानी नालों के ब्यौरे

ग्राम	अतिक्रमणाधीन खसरा संख्या	अतिक्रमण का प्रकार
1	2	3
असोला	121 मिन (13-7)	आंशिक रूप से अतिक्रमित निर्मित मकान
	518 (05-16)	आंशिक रूप से अतिक्रमित निर्मित मकान
नेब सराय	420 मिन (01-00)	आंशिक रूप से अतिक्रमित निर्मित मकान
	532 (25-00)	आंशिक रूप से अतिक्रमित निर्मित मकान

1	2	3
सतबारी	454 (01-00)	मंदिर
	696 (02-00)	चारदीवारी तथा उच्च न्यायालय स्थगन
	565 (03-00)	चारदीवारी, भूमि को एक्सचेंज की कार्रवाई चल रही है।
	740 (13-00)	मदरसा, चारदीवारी, न्यायालय स्थगन
रजोकरी	273	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	354 (1-0)	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	329/1 (5-17)	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	329/2 (4-7)	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	329/3 (2-3)	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	329/4 (5-2)	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	826	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
रंगपुरी	794/1 (7-11), 2 (14-8), 3 (8-12) 56/5/2 (2-11), 6/1 (2-12), 6/2 (0-11), 7 (2-11), 3/12	अतिक्रमित, निजी निर्मित संपत्ति
	56/1 (10-1), 10 (1-8), 11 (1-0), 29 (3-12), 3/18 (3-0)	चारदीवारी के अन्दर, कच्चा रास्ता

विवरण II

धारा 86-क के अंतर्गत प्रक्रियाधीन मामले

केस का नाम		खसरा सं.
1		2
1.	ग्राम सभा रंगपुरी बनाम अजय कलसी	771, 841, 842, 843, 844, 794/1, 2, 3
2.	ग्राम सभा रजोकरी बनाम अमित कुमार अग्रवाल	1158 (3-7), 1165 (3-3)
3.	ग्राम सभा, रजोकरी बनाम जुगलाल व अन्य	503/2 (1-10)
4.	ग्राम सभा, रजोकरी बनाम संजीव महाजन	329/4 (1-10), 179 (5-3)
5.	ग्राम सभा, रजोकरी बनाम राम कुमार व अन्य	512 (6-12), 440 (4-16)
6.	ग्राम सभा, रजोकरी बनाम राम रिख	1232 (4-16)
7.	ग्राम सभा, रंगपुरी बनाम रोशन	1088/43 (1-3)
8.	ग्राम सभा, रंगपुरी बनाम भारत संघ व अन्य	1762-14
9.	ग्राम सभा, रंगपुरी बनाम अजय पाल	710 (4-16)

1		2
10.	ग्राम सभा, रंगपुरी बनाम अमर सिंह	604 (2-19)
11.	ग्राम सभा, रंगपुरी बनाम करतार सिंह	794/1 (7-11), 794/2 (14-8), 794/3 (8-12)
12.	ग्राम सभा, रंगपुरी बनाम हरीश चन्द्र अग्रवाल	354 (1-0)

भूमि उपयोग में बदलाव

5642. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में भूमि के उपयोग में बदलाव की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात कितने मामलों में अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में भूमि के उपयोग में बदलाव के मानदंडों को उदार बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भूमि के उपयोग में बदलाव को सरल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में भूमि उपयोग में बदलाव लाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करना आवश्यक है। भूमि उपयोग के बदलाव सहित मास्टर प्लान का संशोधन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क के अंतर्गत विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद अर्थात 1 जनवरी, 2002 से 30 अप्रैल, 2005 तक भूमि उपयोग के बदलाव की दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11क में निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद 15 अवसरों पर 35 मामलों में अनुमति प्रदान की गई है। झुग्गी-झोपड़ी समूहों के पुनर्वास, मेट्रो स्टेशन स्थापित करने, उद्योगों को दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए रिहायशी, व्यावसायिक और अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधायें प्रदान करने हेतु विकास करने, न्यायालय आदेशों का कार्यान्वयन करने आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसा किया गया है।

(ग) से (च) भूमि उपयोग के बदलाव से संबंधित दिल्ली विकास अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम, 1996 के अंतर्गत भुगतान

5643. श्री इलियास आजमी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर रोहिणी में एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम, 1996 के अंतर्गत क्षेत्रवार अलग-अलग कितने आबंटियों ने नकद भुगतान और किराया खरीद भुगतान का विकल्प चुना है;

(ख) क्षेत्रवार और भुगतान न की गई किस्तों-वार कितने आबंटियों ने विशेषकर रोहिणी क्षेत्र में किराया खरीद भुगतान विकल्प के अंतर्गत समय पर अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया है;

(ग) डी.डी.ए/सरकार द्वारा चूककर्त्ता आबंटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जानी है;

(घ) क्या डी.डी.ए. का विचार कुछ किस्तों को माफ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किस्तों को माफ करने के मामले में डी.डी.ए. उन आबंटियों को वह राशि लौटा देगा जिन्होंने नकद भुगतान के अंतर्गत फ्लैट की संपूर्ण लागत को जमा करा दिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम (ईएचएस), 1996 के नियमों तथा विनियमों में यह प्रावधान है कि योजना के तहत मकानों का आवंटन किराया खरीद आधार पर किया जाएगा जिसमें आवेदकों के पास नकद आधार पर भुगतान करने का विकल्प भी है। योजना

के तहत कुल मिलाकर 8,404 मकान (द्वारका-2491, नरेला-3436, रोहिणी-1890, कोंडली घड़ोली-587) आवंटित किए गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दोनों विकल्पों के संबंध में आवंटियों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि चूककर्त्ताओं का पता लगाना और किश्तों का भुगतान न करने पर नोटिस जारी करने की एक सतत प्रक्रिया है। एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम, 1996 के अंतर्गत किश्तों का भुगतान न करने के बारे में अब तक 1774 मामले (द्वारका-659, नरेला-47, रोहिणी-759, कोंडली घड़ोली-309) ध्यान में आए हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने या तो पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं या नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

''महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ'' की भूमिका

5644. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ'' द्वारा धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न/महिलाओं के प्रति क्रूरता) के मामले दर्ज करने से पहले ऐसी शिकायतों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए निभाई गई कमद-वार भूमिका क्या रही;

(ख) वर्ष 2005 के दौरान आज की तिथि तक दिल्ली में प्रत्येक ''महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ'' द्वारा प्रकोष्ठ-वार कितने मामले सुलझाए गए हैं/निपटाए गए हैं;

(ग) इनमें से प्रकोष्ठ-वार कितने मामलों में पति और पत्नी के अपने माता-पिता के हस्तक्षेप के बिना पारस्परिक सहमति से अकेले रहने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में समाधान/सुलह होने के बाद पति और पत्नी के बीच भविष्य के किसी विवाद के उत्पन्न होने पर लड़के के घरवालों को धारा 498ए से मुक्त कर दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी सूचना का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो निर्दोष पतियों/उसके परिवार को क्या सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें

5645. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद की कितनी बार बैठकें हुई हैं और उक्त अवधि के दौरान परिषद ने क्या कार्य किए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा परिषद को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी) की कोई बैठक नहीं हुई है। एन आई सी की आखिरी बैठक 1992 में हुई थी।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् (एन आई सी) का पुनर्गठन कर लिया गया है और इसकी बैठक निकट भविष्य में बुलाई जाने की संभावना है।

सशस्त्र बलों के अनुशासन में गिरावट

5646. डा. एम. जगन्नाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से सशस्त्र बलों के अनुशासन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भर्ती और प्रशिक्षण की त्रुटियों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अनुशासन में गिरावट के कारणों का गहराई से पता लगाने के लिए कोई समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले कई वर्षों से सशस्त्र बलों के अनुशासन में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

राजनीतिज्ञों द्वारा भूमि हड़पना

5647. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के पास दिल्ली के राजनीतिज्ञों द्वारा भूमि हड़पने का एक मामला भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई मामला केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

बांग्लादेश सीमा पर चैक-पोस्ट

5648. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के 24-परगना के उत्तरी उपमंडल के अंतर्गत बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर स्थित गोझाडंगा चैक-पोस्ट पर ढांचागत सुविधा की हालत बड़ी खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सीमा से बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात/निर्यात किया जाता है और सीमा पर स्थित इस चैक-पोस्ट के ढांचागत सुविधा बड़े ट्रक सहित भारी यातायात को वहन नहीं कर सकती जिसके परिणामस्वरूप बड़े जाम और लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत करने और इसे चौड़ा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस चैक-पोस्ट पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) जी, हां। यह सच है कि गोझाडंगा स्थलीय सीमाशुल्क स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं अच्छी स्थिति में नहीं हैं। डी जी सी आई एस से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2003-04 में इस अधिसूचित स्थलीय सीमाशुल्क स्टेशन के जरिए 197.95 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात और 0.14 करोड़ रुपए मूल्य का आयात हुआ था। वर्तमान पहुंच मार्ग छोटे मझौले और छह पहियों वाले माल वाहनों के आसानी से चलने के लिए बहुत ही तंग है। परिवहन वाहनों के सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता है। सरकार का इरादा गोझाडंगा सहित सभी स्थलीय सीमाशुल्क स्टेशनों की उनके व्यापार दृष्टिकोण से महत्व के आधार पर चरणबद्ध तरीके से बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का है।

अवसंरचना का विकास

5649. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिक्किम के लाभ के लिए नाथुला दर्रे पर चीन के साथ सीमा व्यापार की सुविधा के लिए अवसंरचना के विकास की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों राज्य सरकारों ने भी केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) नाथुला दर्रे से चीन के साथ सीमा पार व्यापार को सुकर बनाने के लिए बुनियादी संरचना का विकास सिक्किम सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, वाणिज्य विभाग राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में विचार करेगा। सिक्किम सरकार से प्राप्त उस प्रस्ताव को सही नहीं पाया गया है जिसमें अनुमानित व्यय को निर्दिष्ट किया गया है। गृह मंत्रालय (एम एच ए) में बी एस एम सचिव ने एक बैठक में यह निर्णय लिया था कि एक केन्द्रीय दल जिसमें वाणिज्य, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे, व्यापार बाजार को चालू करने के लिए बुनियादी संरचना की तत्कालिक अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए इस स्थान का दौरा करेगा। गृह मंत्रालय को इस दौरे का आयोजन करना है।

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए ऋण

5650. श्री मोहम्मद शाहिद: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय और कमजोर वर्गों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम जनवरी 2004 से अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए शैक्षिक ऋण योजना को कार्यान्वित कर रहा है। उस मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की शैक्षिक ऋण योजना अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों में रोजगारोन्मुख शिक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष अर्थात 2003-04 के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की राज्य माध्यम् एजेंसियों (एस.सी.ए.) के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। योजना मूलत: दो वर्ष की अवधि वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के लिए अधिकतम 75,000.00 रु. (केवल पचहत्तर हजार रु.) की ऋण सीमा के साथ शुरू की गई थी। तथापि, दो वर्ष से अधिक अर्थात इंजीनियरी, चिकित्सा आदि के व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल करने के प्रावधान के साथ ऋण सीमा बढ़ाने हेतु लाभग्राहियों की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 1.11.2004 से संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि तक उच्चतर अध्ययन करने के लिए किसी लाभग्राही द्वारा अधिकतम 2.50 लाख रु. तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत निधियां एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर एस पी ए को जारी की जाती है जो आगे लाभग्राहियों को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर दी जाती है। यह ऋण पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद पांच वर्ष की अवधि के भीतर चुकाना होता है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के मानदण्ड निम्नलिखित हैं:

1. प्रार्थी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध या पारसी में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
2. वार्षिक परिवार आय दुगनी गरीबी रेखा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रु. प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रु. प्रतिवर्ष से नीचे होनी चाहिए।
3. प्रार्थी को 16-32 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए।
4. पसंदीदा पाठ्यक्रम के पक्का दाखिला अनिवार्य है।
5. पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चयन तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अधिमानता दिया जाना।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान शैक्षिक ऋण योजना के तहत निम्नलिखित उपलब्धियां की:

वर्ष	संवितरित निधियां (रु. लाख में)
2003-04	58.90
2004-05	231.00
2005-06	–

[अनुवाद]

क्षेत्रीय संगोष्ठियां

5651. श्री मधु गोड यास्की: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर एशिया प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशन एजूकेशनल साईंटिफिक एंड कल्चरल आर्गनाईजेशन (यूनेस्को) और सेन्टर फार इंटरनेशनल आर्ट एजूकेशन, न्यूयार्क द्वारा संयुक्त रूप ''ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफोरमेशन्स) लर्निंग थ्रू दी आर्ट इन एशिया'' पर चार-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें भाग लेने वाले लोगों ने इस पर क्या विचार व्यक्त किया है;

(ग) तत्संबंधी क्या परिणाम निकले और इस संबंध में यदि कोई हो क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) संगोष्ठी में लिए गए निर्णय और विचारों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) इस संगोष्ठी में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न उठाए गए:

- कलाओं के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षण कारगर समझी जाती है और क्यों?
- कलाएं कैसे सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान पैदा कर सकती हैं और नई विविधताओं को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक अवसर सृजित कर सकती हैं?
- कैसे सृजनात्मकता तथा नवाचार संबंधी एशियाई परिकल्पना को समकालीन एशियाई शिक्षणकक्षों में शामिल किया जा सकता है?
- कैसे शिक्षण कक्ष एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां सौंदर्य बोध एवं नैतिकता संबंधी एशियाई परम्पराओं को कला के माध्यम से सम्प्रेषित किया जा सकता है?
- कैसे कला एक चिरस्थायी एशियाई पहचान बन सकती है?
- आज के भूमण्डलीकृत विश्व में एशियाई कला परिदृश्य कैसे प्रासंगिक बन सकता है?

इस संगोष्ठी का उद्देश्य अध्येताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों, मनोविज्ञानियों, डिजाइनरों, वास्तुविदों, फिल्म निर्माताओं तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को लेकर एक एशियाव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार करना है ताकि शिक्षा में कला तथा संस्कृति संबंधी मुद्दों पर एक सतत् संवाद को चिरस्थायी रूप से बनाए रखा जा सके।

इसने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रपणालियों में कलाओं को मुख्य धारा में लाने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान किया है और क्षेत्रीय वेधशालाओं की स्थापना हेतु एक स्पष्ट कार्यनीति तैयार की गई। इन वेधशालाओं का कार्य एशिया में कला शिक्षा के संबंध में जानकारी हेतु एक क्लियरिंग हाउस की भूमिका निभाना है।

प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनुवर्ती बैठकें आयोजित करना आवश्यक समझा। शिक्षा में कला हेतु उत्तरदायी सरकारी निकायों के साथ सेमिनार आयोजित करना भी बहुमूल्य समझा गया।

(ग) और (घ) प्रतिभागियों ने महसूस किया कि नर्सरी से माध्यमिक स्तरीय शिक्षा में कला शिक्षा को समाविष्ट करना एक समग्र समेकित दृष्टिकोण के जरिए ही संभव हो सकेगा। संगोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि संगोष्ठी के उपरांत किये जाने वाले अनुवर्ती कार्यकलापों में विशेषज्ञ दल का नेटवर्क तैयार करना है और इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों, जो शोध संबंधी उचित सूचना एवं जानकारी दे सके, की पहचान करना शामिल है। इस संगोष्ठी में की गई चर्चा तथा विचार-विमर्शों को वर्ष 2006 में पुर्तगाल में "शिक्षा में कलाएं" विषय पर प्रस्तावित विश्व सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में नवम्बर, 2005 में सिओल-कोरिया में आयोजित की जाने वाली विशेषज्ञों की अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण पर फिल्में

5652. श्री डी.बी. पाटिल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिला सशक्तिकरण पर फिल्में बनाने के लिए छोटे फिल्म निर्माताओं को अनुबंधित करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया है; किन-किन विषयों पर फिल्में बनाई गई हैं तथा ये कितनी लम्बी फिल्में हैं और इन पर कितनी लागत आई है और इनकी क्या उपयोगिता है;

(ग) प्रारंभ हुई फिल्मों का ब्यौरा क्या है और जिन फिल्मों का निर्माण हो रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माताओं की नई प्रतिभाओं को आमंत्रित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) महिला एवं बाल विकास महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों पर वृत्त-चित्रों, स्पाटों आदि के निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ने पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. आदि की सेवाओं का इस्तेमाल करता है। निजी निर्माताओं को इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया जाता।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों (2002-03, 2003-04, 2004-05) के दौरान, वर्ष 2002-03 में 24 मिनट 43 सैकेण्ड अवधि के 'स्त्री शक्ति पुरस्कार, 2001 प्राप्तकर्ता' नामक केवल एक वृत्त-चित्र का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि., मुम्बई के माध्यम से निर्माण किया गया, जिसकी लागत 12 लाख रुपये थी। इस वृत्त-चित्र को दिनांक 26.3.2003 को पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विज्ञान भवन में दिखाया गया। वर्ष 2003-04 के दौरान, किसी भी फिल्म/स्पाट का निर्माण नहीं किया गया। वर्ष 2004-05 के दौरान, 30-30 सैकेण्ड अवधि के 'कानूनी जानकारी' एवं 'महिला-पुरुष समानता' विषय पर दो वीडियो स्पाट विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से तैयार कराये गये, जिनकी

कुल लागत 2,26,000 रुपये थी। इन दोनों वीडियो स्पाटों को 8 मार्च, 2005 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद, किसी भी फिल्म का निर्माण नहीं किया गया है।

(घ) जब कभी भी किसी वृत्त चित्र, स्पाट आदि के निर्माण का प्रस्ताव होता है, तो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. जैसे सरकारी विशेषज्ञ अभिकरणों की सेवाएं ली जाती हैं तथा सीधे निजी निर्माताओं के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता है।

राष्ट्र ध्वज

5653. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों की अपनी पोशाकों पर भारतीय ध्वज को लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कार्यों से राष्ट्र का अपमान होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के एक भाग के रूप में लगाने या इसका वर्दी के किसी भी कपड़े पर कशीदाकारी या छापने के लिए प्रयोग करना निषेध है। तदनुसार, युवा कार्य और खेल मंत्रालय से प्राप्त एक संदर्भ पर उस मंत्रालय को सूचित किया गया था कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा पहने गए हेलमटों पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक का प्रयोग करना अनुज्ञेय नहीं है।

अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान

5654. श्री एम. शिवन्ना:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के लिए अध्यापक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना और अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थिति क्या है; और

(ग) लम्बित अनुदान के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) अध्यापक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 2004-05 के लिए 21 राज्यों से, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, केंद्रीय सहायता जारी करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

इस योजना के तहत 14 राज्यों को वर्ष 2004-2005 के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा और शेष 7 राज्यों के मामले में लम्बित पड़े होने के कारणों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल को अनुदान उनके प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा अनुमोदन किए जाने के बाद जारी किये जाएंगे। शेष 5 राज्यों को उनके द्वारा संलग्न विवरण के कालम-4 में यथाउल्लिखित आवश्यक कदम उठाने के बाद अनुदान जारी किये जाएंगे।

विवरण

अध्यापक शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2004-05 के लिए केंद्रीय सहायता हेतु राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उन्हें केंद्रीय सहायता जारी करने संबंधी राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2004-05 के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता	यदि प्रस्ताव लम्बित पड़ा है, तो उसके कारण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1822.81	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	विलम्ब से 23.2005 को प्राप्त हुआ।

1	2	3	4
3.	असम	1093.49	
4.	छत्तीसगढ़	1018.16	
5.	गुजरात	1194.11	
6.	कर्नाटक	1638.46	
7.	केरल	636.47	
8.	मध्य प्रदेश	2348.14	
9.	महाराष्ट्र	1232.45	
10.	मणिपुर	–	समझौता ज्ञापन विलम्ब से प्राप्त हुआ और 1.4.04 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई बकाया राशि राज्य से प्राप्त होनी है।
11.	मेघालय	149.93	
12.	मिजोरम	22.68	
13.	नागालैंड	–	समझौता ज्ञापन प्राप्त होना है
14.	उड़ीसा	555.43	
15.	राजस्थान	1648.07	
16.	तमिलनाडु	2046.01	
17.	त्रिपुरा	–	1.4.04 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई बकाया राशि राज्य सरकार से प्राप्त होनी है।
18.	उत्तर प्रदेश	1735.61	
19.	पश्चिम बंगाल	–	प्रस्ताव में कमियां थीं
20.	हिमाचल प्रदेश	–	प्रस्ताव में कमियां थीं
21.	उत्तरांचल	–	विलम्ब से 23.3.2005 को प्राप्त हुआ।
	कुल	17141.82	

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

5655. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत वर्ष 1997-98 तथा 2002-03 के दौरान अध्यापकों के प्रशिक्षण में 45 से 47 प्रतिशत तक की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में वास्तविक आवश्यकताओं से काफी अधिक अप्रयुक्त अनुदान राशि के प्रतिधारण, प्रायोजक प्राधिकरणों की ओर से अतिशय व्यय को पूरा करने के लिए निधियों के अन्यत्र उपयोग किए जाने से 30 से अधिक बन्द पड़ी विद्यालय परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण जैसी कुछ अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नीति के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक छह वर्ष के पश्चात् 21 दिन के सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना होता है। उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं और उपयुक्त संसाधनों की कमी की वजह से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्ष 1997-98 से 2002-03 के दौरान उपस्थिति और कमी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय ने संगठन की वर्ष 1997-98 से 2002-03 के दौरान की अवधि की समीक्षा की और उन्होंने इस रिपोर्ट में वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक खर्च न किए गए अनुदान को रखने, प्रायोजित प्राधिकरणों के व्यय को वहन करने के लिए निधियों का प्रतिधारण और बन्द हुए परियोजना विद्यालयों के लिए परिसम्पत्तियों अंतरण इत्यादि से संबंधित विनियमितताओं को दर्शाया। ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं:

(1) संगठन के पास वर्ष 1997-98 से 2002-03 के दौरान योजनेतर के अधीन 63.99 करोड़ रु. से 128 करोड़ रु. का अव्यपगत अनुदान है।

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मार्च, 2003 तक प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त निधियों के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान निधियों में से 26.52 करोड़ रु. की अधिक निधियां व्यय की थीं।

(3) वर्ष 1997-98 2002-03 के दौरान बंद किए गए अट्ठाईस स्कूलों को 31.3.2003 की स्थिति अनुसार अपने पर व्यय की गई राशि के कम जमा के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 11.84 करोड़ रु. देने अपेक्षित थे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 11.84 करोड़ रु. की वसूली किए बिना अट्ठाईस प्रायोजक प्राधिकरियों को वह सम्पत्तियां दे दी जो इन एजेंसियों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को देनी थी।

(ङ) उपरोक्त समस्याओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तदन्तर वर्ष के मार्च/अप्रैल माह के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु अव्यपगत शेष रखने की अनुमति दे दी है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से वसूल किए जाने वाले बकाया मूलत: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्टाफ के वेतन के भुगतान हेतु हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास देय बकायों की क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों से आग्रह करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय से सम्पर्क किया।

(3) आवंटित निधियों के उचित प्रयोग का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से तथा विभिन्न प्राधिकरणों को प्रत्यायित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने की दृष्टि से आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ किया गया है तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सभी स्थापनाओं में समय पर लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु एक संशोधित लेखा परीक्षा प्रणाली आरंभ की गई है।

विवरण

पिछले छह वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रशिक्षित शिक्षकों का ब्यौरा

वर्ष	शिक्षकों की कुल सं.	प्रशिक्षित किए जाने वाले अपेक्षित शिक्षकों की कुल सं. (कुल सं. का 1/6वां भाग)	वास्तव में प्रशिक्षित शिक्षक	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1997-98	30625	5104	2705	2399	47
1998-99	30000	5000	3005	1995	40

1	2	3	4	5	6
1999-2000	29794	4966	2665	2301	46
2000-01	29106	4851	2933	1918	40
2001-02	32770	5461	3290	2171	40
2002-03	30570	5095	3965	1130	22

[हिन्दी]

स्कूली पाठ्य-पुस्तकों को पुन: लिखना

5656. श्री बालेश्वर यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च 2005 में संयुक्त राज्य स्टेट डिपार्टमेंट की "सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी" नामक रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, जिसमें भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि भारत मानव अधिकारों की खातिर स्कूली पाठ्य-पुस्तकों को पुन: तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानवाधिकारों के साथ स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की पुन: तैयारी को जोड़ने का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राज्य स्टेट डिपार्टमेंट ने 28 मार्च, 2005 को "सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी: द यू.एस. रिकार्ड 2004-05" शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मुसलमान, सिक्ख, बौद्ध तथा ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के योगदान पर बल देने के प्रयोजनार्थ पाठ्य-पुस्तकों को पुन: लिखने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की मौजूदा पाठ्यपुस्तकों में मानवाधिकार शिक्षा को यथोचित स्थान दिया गया है। जैसा कि विगत में होता आया है, पाठ्यक्रमों और संशोधित राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचे, जो इस समय समीक्षाधीन है, के आधार पर तैयार की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में शामिल विषय को यथोचित महत्व दिया जाएगा।

अच्छे प्रशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना

5657. श्री अधीर चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा कब कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) अंतर्राज्यीय परिषद की स्थाई समिति ने 29 मार्च, 2005 को हुई अपनी दसवीं बैठक में सु-शासन की बेहतरीन परम्पराओं को प्रदर्शित करने हेतु सु-शासन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने और राज्यों को उन्हें अपनाने के वास्ते एक अवसर प्रदान करने सहित सु-शासन से संबंधित कार्य योजना की रूप-रेखा पर विचार किया था। स्थाई समिति ने सु-शासन के लिए राष्ट्रीय समिति स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा अभी औपचारिक निर्णय लिया जाना है। इस केन्द्र द्वारा कार्य शुरू किए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

'सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू.'

5658. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी सम्मेलन (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) पर आपत्तियों/घोषणात्मक वक्तव्यों के संबंध में भारत के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. पर अपनी आपत्तियों/घोषणात्मक वक्तव्यों को वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) भारत ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन पर दिनांक 30 जुलाई, 1980 को हस्ताक्षर किये तथा 9 जुलाई, 1993 को उक्त कन्वेंशन का अनुसर्थन किया। भारत द्वारा जिन घोषणाओं व शर्तों के साथ उक्त कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये गये तथा उसका समर्थन किया गया, वे घोषणाएं व शर्तें इस प्रकार हैं:

घोषणात्मक वक्तव्य:—"महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन के अनुच्छेद 5(क) और 16(1) के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार यह घोषणा करती है कि वह इन उपबंधों का पालन करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इनका पालन किसी समुदाय के निजी मामलों में संबंधित समुदाय की पहल एवं सहमति के बिना हस्तक्षेप न करने की सरकार की नीति के अनुरूप हो।"

"महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन के अनुच्छेद 16(2) के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार यह घोषणा करती है कि यद्यपि, सरकार विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का सिद्धांत रूप में पूर्णत: समर्थन करती है, तथापि भारत जैसे बड़े देश में, जहां अनेकों प्रकार के रिवाज, धर्म मौजूद हैं तथा साक्षरता के स्तरों में भी व्यापक अन्तर हैं, इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है।"

शर्त:

"महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार यह घोषणा करती है कि वह इस अनुच्छेद के परिच्छेद 1 से बाध्य नहीं है।"

सम्बन्धित अनुच्छेदों का पाठ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जहां तक विवाह एवं पारिवारिक सम्बन्धों का प्रश्न है, भारत सरकार की यह नीति है कि किसी समुदाय के निजी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये।

जहां तक विवाहों के अनिवार्यत पंजीकरण का प्रश्न है, यद्यपि भारत सरकार सिद्धान्तत: इस विषय से पूर्णत: सहमत है, तथापि भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार के रिवाजों, धर्मों और साक्षरता के स्तरों में व्यापक अन्तर को देखते हुए इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस द्वारा अनिवार्य मध्यस्थता अथवा अधिनिर्णय का सम्बन्ध है, भारत को इस पर आपत्ति है, क्योंकि हमारे देश में सुस्थापित न्यायपालिका और राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थागत तंत्र मौजूद हैं।

विवरण

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन का अनुच्छेद 5(क):

सभी राज्य पक्ष महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक आचरण पद्धतियों में आशोधन करने हेतु ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेंगे, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं या पुरुषों को हेय अथवा श्रेष्ठ मानने संबंधी विचारों पर आधारित भेदभाव एवं रिवाज तथा अन्य सभी प्रथाएं समाप्त हों।

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन का अनुच्छेद 16:

1. राज्य पक्ष ऐसे सभी उपयुक्त उपाय करेंगे, जिनसे विवाह तथा पारिवारिक संबंधों के सभी मामलों में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले भेदभावों को समाप्त किया जा सके तथा महिलाओं एवं पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया जा सके:

(क) विवाह करने का समान अधिकार;

(ख) पति/पत्नी का चुनाव करने तथा अपनी स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति से विवाह करने का समान अधिकार है;

(ग) वैवाहिक जीवन के दौरान तथा विवाह-विच्छेद होने की स्थिति में महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकार व दायित्व;

(घ) माता-पिता, उनकी वैवाहिक स्थिति के निरपेक्ष, दोनों के अपने बच्चों से संबंधित मामलों में समान अधिकार एवं दायित्व; सभी मामलों में बच्चों के हितों को सर्वोच्च वरीयता दी जायेगी;

(ङ) बच्चों की संख्या तथा बच्चों के बीच अन्तर के सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय लेने के समान अधिकार तथा उन्हें इन अधिकारियों का पालन करने के योग्य बनाने हेतु उन्हें सूचना, शिक्षा एवं साधन प्रदान करना;

(च) अभिभावकत्व, प्रतिपाल्य, न्यास तथा बच्चों के दत्तक ग्रहण अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रथाओं, जहां कहीं राष्ट्रीय कानूनों में ऐसी प्रथाएं मौजूद हैं, के संबंध में समान अधिकार एवं दायित्व;

(छ) परिवार का नाम, व्यवसाय चुनने के अधिकार सहित पति एवं पत्नी के समान वैयक्तिक अधिकार;

(ज) सम्पत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण, प्रबन्धन, संचालन, उपभोग तथा निस्तारण, चाहे ये कार्य नि:शुल्क किये जाये अथवा मूल्य हेतु, के संबंध में पति एवं पत्नी के समान अधिकार।

2. किसी बच्चे की सगाई तथा विवाह कानूनी रूप से प्रभावी नहीं होंगे तथा विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने एवं विवाह के आधिकारिक रूप से पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने सहित सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन का अनुच्छेद 29:

1. इस कन्वेंशन की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों पक्षों के बीच कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, जिसे बातचीत के द्वारा सुलझाया न जा सका हो, तो ऐसे विवाद को संबंधित पक्षों से किसी एक के अनुरोध पर निर्णय हेतु मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि मध्यस्थ को प्रस्तुत किये जाने के बाद छ: माह की अवधि के भीतर राज्य पक्ष निर्णय के स्वरूप पर सहमत नहीं हो पाते तो उनमें से कोई भी पक्ष ऐसे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुरूप उक्त न्यायालय को भेज सकता है।

2. इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने, इसका अनुसमर्थन करने के समय प्रत्येक राज्य पक्ष यह घोषणा कर सकता है कि वह इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) की बाध्यता को स्वीकार नहीं करता। ऐसी शर्त रखने वाले किसी राज्य पक्ष के संबंध में अन्य राज्य पक्ष भी इस परिच्छेद की बाध्यता स्वीकार नहीं करेंगे।

3. इस अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के अनुसार, शर्त रखने वाला कोई राज्य पक्ष किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचित करके इस शर्त को समाप्त कर सकता है।

मकानों में दुकानें खोलना

5659. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनें हाथ से गई जगह के लिए लड़ रही हैं और कुछ मकानों में दुकानें खोलने की चेष्टा को नाकाम करने के लिए इन्होंने दिल्ली नगर निगम की सहायता मांगी है जैसा कि 21 मार्च, 2005 "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) ग्रीन पार्क, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, पंचशील पार्क तथा अन्य समीपवर्ती आवासीय कालोनियों में किए जा रहे भारी वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) टैक्सी स्टैंड/टेलीफोन बूथों/कूड़ेदानों तथा अन्य फेरीवालों के रूप में अतिक्रमण किए गए फुटपाथों से इन्हें हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह सूचित किया है कि ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (आर डब्ल्यू ए) ने छ: मामलों में रिहायशी संपत्तियों के व्यवसायीकरण के बारे में सूचित किया है। दिल्ली नगर निगम ने भी यह सूचित किया है कि डी एम सी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दो मामलों में मुकदमा चलाया गया है। शेष चार मामलों में दिल्ली नगर निगम द्वारा व्यावसायिक उपयोग नहीं पाया गया था।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उल्लंघन का पता लगने पर ग्रीन पार्क, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, पंचशील पार्क और समीपवर्ती रिहायशी कालोनियों में रिहायशी संपत्तियों का व्यवसायीकरण रोकने के लिए मुकदमा चलाने हेतु कार्रवाई की जाती है।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित छापे मारे जाते हैं। तथापि, वहां अनधिकृत टैक्सी स्टैंड और टेलीफोन बूथ आदि हैं जबकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुड़ेदानों का निर्माण किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने भी यह सूचित किया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर नागरिक/भू-स्वामित्व एजेंसी को पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मृत्यु दण्ड पर रिपोर्ट

5660. श्री डी. विट्टल राव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यक्तियों द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए उन्हें दिए गए मृत्यु दण्ड पर कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2002 के दौरान तथा तत्पश्चात आज की तारीख तक दिए गए ऐसे मृत्यु दण्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वर्ष 1999 से 2003 तक के दौरान जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया उनके राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्योरे दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न हैं। उसके बाद आज की तारीख तक इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1999 से 2003 तक के दौरान मृत्यु दंड दिए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	1	3	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
3.	असम	–	1	3	1	1
4.	बिहार	13	18	13	20	25
5.	छत्तीसगढ़	*	उ.न.	1	5	2
6.	गोवा	–	–	–	0	0
7.	गुजरात	1	5	3	0	5
8.	हरियाणा	3	5	8	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	4	0	0
11.	झारखंड	*	उ.न.	–	4	उ.न.
12.	कर्नाटक	–	–	–	0	0
13.	केरल	–	–	2	0	11
14.	मध्य प्रदेश	उ.न.	15	4	4	4
15.	महाराष्ट्र	–	10	7	13	14
16.	मणिपुर	–	–	–	1	1
17.	मेघालय	–	–	–	0	0
18.	मिजोरम	–	–	–	0	0
19.	नागालैंड	–	–	–	0	0

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	1	6	5	0	0
21.	पंजाब	6	7	11	0	0
22.	राजस्थान	13	उ.न.	1	0	11
23.	सिक्किम	–	–	–	0	0
24.	तमिलनाडु	8	15	16	24	22
25.	त्रिपुरा	–	–	–	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	उ.न.	उ.न.	19	34	35
27.	उत्तरांचल	*	उ.न.	–	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	6	3	0
	कुल (राज्य)	45	82	104	114	137
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	1	उ.न.	0	0
30.	चंडीगढ़	–	–	–	0	0
31.	दादरा एवं नागर हवेली	–	–	–	0	0
32.	दमन एवं दीव	–	–	–	4	0
33.	दिल्ली	1	3	2	8	5
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	0	0
35.	पांडिचेरी	–	1	–	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1	5	2	12	5
	कुल (अखिल भारत)	46	87	106	126	142

स्रोत: जेल संबंधी आंकड़े-1999-2003 तक

नोट: 1. उ.न. का अर्थ है—आंकड़े उपलब्ध नहीं

2. – का अभिप्राय है शून्य

3. * का अभिप्राय है वर्ष 2000 में सृजित

4. वर्ष 2003 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं

5. अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई जेल नहीं है।

महाराष्ट्र को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

5661. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में मलिन बस्ती की समस्या का हल करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय और प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। शहरी स्लमवासियों के

लिए आवासों के निर्माण तथा उन्नयन को सुविधाजनक बनाने और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के जरिए अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित मांगमूलक स्कीम वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत मुम्बई शहर में 2 दिसम्बर, 2001 से वाम्बे स्कीम की शुरुआत से 11447 आवासों तथा 18088 शौचालयों के निर्माण के लिए 7051.80 लाख रुपये की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गयी है।

बिहार में राजनीतिज्ञों को सुरक्षा

5662. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार पुलिस को आपराधिक पूर्ववृत्त वाले किसी भी व्यक्ति से सुरक्षा दायरा हटाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन विधायकों/सासंदों, पूर्व विधायकों तथा पूर्व सांसदों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं और जिन्हें वर्तमान में अंगरक्षक दिए गए हैं; और

(ग) व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात पुलिस कांस्टेबलों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हटा लिए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) संरक्षितों की संख्या और उनकी सुरक्षा व्यवस्था खतरे के स्तर के आधार पर बदलती रहती है, अत: संरक्षितों की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस कार्मिकों की संख्या भी बदलती रहती है।

उड़ीसा के शहरों में जलापूर्ति

5663. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राज्य में जल उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन हेतु कितने तथा किन-किन शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान से प्रत्येक नगर पर कितना व्यय होने की संभावना है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) उड़ीसा सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के 15 कस्बों के लिए पानी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजे हैं। इन कस्बों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए इस मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला
1.	पाटनगढ़	बोलनगीर
2.	सोनेपुर	सोनेपुर
3.	रायरंगपुर	मयूरभंज
4.	कबिसूर्य नगर	गंजम
5.	पुरुषोत्तमपुर	गंजम
6.	बेलागुंठा	गंजम
7.	नीलगिरी	बालासोर
8.	बुगुडा	गंजम
9.	उडाला	मयूरभंज
10.	आसका	गंजम
11.	गोपालपुर	गंजम
12.	गुडारी	रायगढ़
13.	कुचिंडा	सांभलपुर
14.	नीमापाड़ा	पुरी
15.	कोणार्क	पुरी

विवरण II

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना का लागत
1.	पाटनगढ़	बोलनगीर	155.63
2.	सोनेपुर	सोनेपुर	280.16
3.	रायरंगपुर	मयूरभंज	583.43
4.	कबिसूर्य नगर	गंजम	336.83
5.	पुरुषोत्तमपुर	गंजम	121.15
6.	बेलागुंठा	गंजम	160.26
7.	नीलगिरी	बालासोर	141.21
8.	बुगुडा	गंजम	163.25
9.	उडाला	मयूरभंज	160.83
10.	आसका	गंजम	243.19
11.	गोपालपुर	गंजम	461.64
12.	गुडारी	रायगढ़	140.84
13.	कुचिंडा	सांभलपुर	389.12
14.	नीमापाड़ा	पुरी	380.47
15.	कोणार्क	पुरी	506.06
	कुल		4224.06

शैक्षिक समिति में नियुक्ति

5664. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में शिक्षा के क्षेत्र में सहायता हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अन्य समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पहली बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या देश में शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस समिति द्वारा कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना 3 दिसम्बर 2004 को हुई, जिसके शासी परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

सामान्य परिषद की पहली बैठक 21.2.2005 को हुई, जिसमें सदस्यों ने सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति पर चर्चा की और देश में प्रारंभिक शिक्षा के प्रोन्नयन पर अपने विचार विनिमय किए।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए आबंटित निधियां

5665. श्री जोवाकिम बखला:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) की शुरुआत हेतु निधियां देने के लिए राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा साक्षरता के लिए आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों का संबद्ध विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) इस विभाग ने वर्ष 2004-05 के दौरान एक नई योजना स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' शुरू की है। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की इस योजना को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कम्प्यूटर शिक्षा योजनाएं तैयार करें और इस विभाग को भेजें। अब तक इस विभाग की मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गोवा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, नागालैंड के राज्यों तथा दमन और दीव और लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों से स्कूलों

में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नामक योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की जांच की जा रही है और सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता वाले परियोजना मानीटरिंग एवं मूल्यांकन ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाएंगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) जिस प्रयोजनार्थ निधियां आवंटित की गई थी उस कार्य के लिए निधियों का उपयोग न करने के संबंध में इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

6 राज्यों जिनको वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी उनमें से पश्चिम बंगाल तथा गोवा द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग करने की सूचना प्राप्त हुई है। सिक्किम सरकार ने 2,90,000 रु. खर्च न की गई शेष राशि को दर्शाया है जो उनके पास पड़ी हुई है। तमिलनाडु, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ सरकारों से अब तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2004-05 के दौरान आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकार को जारी वित्तीय सहायता उनके द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर थी। अत: उपयोग न करने का प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम सरकार के पास पड़ी 2,90,000 रु. की उपयोग न की गई राशि और यदि कोई उपयोग न की गई राशि तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़ के पास पड़ी है तो उस राशि को स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत इन राज्यों को आगे वित्तीय सहायता देते समय समायोजित किया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1.	पश्चिम बंगाल	4,69,84,125 रु.	वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।	–
2.	छत्तीसगढ़	2,50,00,000 रु.		–
3.	गोवा	1,25,00,000 रु.		–
4.	सिक्किम	72,50,000 रु.		–
5.	तमिलनाडु	72,65,875 रु.		–
6.	हरियाणा	39,30,000 रु.		–
7.	कर्नाटक	–		389,52,500 रु.
8.	आन्ध्र प्रदेश	–		5,27,59,375 रु.

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए वित्तीय सहायता

5666. श्री सुव्रत बोस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना तैयार करने तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को कुल कितनी राशि देने का आश्वासन दिया गया है;

(ख) इन अवसंरचनाओं तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली के किन स्थानों पर ये सुविधाएं प्रदान कराने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम समझौता

5667. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसका कितना कार्यान्वयन हुआ है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान असम समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन्स (आसू) की नवीनतम मांग की ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को समझौते की समीक्षा और इसके कार्यान्वयन हेतु कोई त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ङ) सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए असम सरकार और अखिल असम संघ (ए ए एस यू) के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित कर रही है। इस संबंध में अंतिम बैठक 1 फरवरी, 2005 को आयोजित की गई थी। असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई के ब्योरे विवरण में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) सरकार असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हो गई है। ए ए एस यू के प्रतिनिधियों को भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।

विवरण

असम समझौता—अनुच्छेदवार कार्यान्वयन की स्थिति

अनुच्छेद 5.1 से 5.9—विदेशियों से संबंधित मुद्दे:

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को संशोधित किया गया।

2. विदेशी (अधिकरण) आदेश 1964 के अन्तर्गत ग्यारह अधिकरण 1966-71 के बीच आए विदेशियों का पता लगाने के लिए असम में सृजित किए गए हैं।

3. विशेष पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विदेशियों की घुसपैठ के निवारण की स्कीम के अन्तर्गत 1280 अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु भी मंजूरी प्रदान की गई।

4. अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत सोलह अधिकरण, असम में सृजित किए गए हैं। 12,411 व्यक्तियों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया है तथा 30.11.2004 तक 1549 अवैध प्रवासियों को वास्तविक रूप से निष्कासित किया जा चुका है।

5. अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1983 को 1988 में संशोधित किया गया।

अनुच्छेद 6 और 7—सुरक्षोपाय तथा आर्थिक विकास:

6. असम समझौते के अन्तर्गत 18.85 करोड़ रुपए की लागत से श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर नामक सांस्कृतिक केन्द्र मंजूर किया गया था।

7. गुवाहाटी स्थित श्री ज्योति चित्राबन (फिल्म) स्टूडियो को आधुनिकीकृत किया गया है।

8. लगभग 2,500 करोड़ रु. की लागत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थापित की गई थी।

9. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में तथा दूसरा सिलचर में स्थापित किए गए हैं।

10. गुवाहाटी में एक आई आई टी स्थापित की गई है।

11. कथालगुड़ी पावर परियोजना (60 एम डब्ल्यू) शुरू की गई है।

12. 1996 की प्रधानमंत्री की पहल तथा शिलांग सम्मेलन 2000 के अनुसरण में विभिन्न अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं।

अनुच्छेद 8 से 14—अन्य मुद्दे

13. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास है।

14. असम-बांग्लादेश सीमा पर मंजूर की गई 152.3 कि.मी. में से 149.44 कि.मी. की सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। 176 कि.मी. सीमा सड़कें पूरी की जा चुकी हैं। बांग्लादेश के साथ लगी बाकी 71.5 कि.मी. सीमा पर बाड़ लगाने का प्रस्ताव भी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

15. घुसपैठ को रोकने के लिए रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में 28 बी ओ पी का सरकार पता लगा चुकी है। इन 10 बी ओ पी में से धुबरी तथा करीमगंज प्रत्येक में 5 पहले से ही कार्य कर रही हैं।

16. सरकारी भूमि तथा जनजातीय बेल्ट तथा ब्लाक स्थित भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण कार्रवाई की जा चुकी है।

17. असम में विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने संबंधी कानून को लागू किया जा रहा है।

18. विद्रोह के दौरान मारे गए व्यक्तियों के नाते रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है।

19. विद्रोह के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की गई है।

20. भर्ती मामले में, 1.1.1980 से 15.8.1985 की अवधि के दौरान असम राज्य में साधारणत: रहने वाले आवेदकों के मामले में छ: वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे।

21. विद्रोह के संदर्भ में गिरफ्तार एन एस ए नजरबंदों को रिहा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

5668. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. ने सरकार से कई पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों पर मुकदमा चलाने हेतु अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान और आज की तारीख तक सरकार ने सी.बी.आई. को किन-किन पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) इस अवधि के दौरान, सी बी आई ने उनके द्वारा जांच किए जा रहे मामला सं. आर सी 2 (ए)/98-ए सी यू (9)/नई दिल्ली में पूर्व रेल मंत्री श्री सी के जाफर शरीफ पर मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है।

(ग) भारत सरकार ने नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान सी बी आई को पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों पर मुकदमा चलाने हेतु मंजूरी प्रदान की है:

नाम	सी बी आई को मंजूरी जारी करने की तारीख
श्री रशीद मसूद	14.2.2003
श्री पी.के. थुंगन	14.1.2003 तथा 14.2.2003 (दो अलग मामलों में)
श्रीमती शीला कौल	17.2.2003

[अनुवाद]

तंबाकू का उत्पादन

5669. श्री अर्जुन सेठी:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान तंबाकू के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आगामी वर्षों में उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या तंबाकू उत्पादकों से उपकर के रूप में एकत्रित 70 करोड़ रुपए अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस धन का उपयोग तंबाकू की खरीद हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष के रूप में करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कर्नाटक में उत्पादित तंबाकू के समस्त उत्पाद की बिक्री करने की मंजूरी प्राप्त करने संबंधी कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। देश में एफ सी वी तम्बाकू के समग्र उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, काली मिट्टी में एफ सी वी के उत्पादन में गिरावट आ रही है जबकि भूरी मिट्टी में उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 के तहत वसूल किए गए उप कर को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार ने अन्य बागान फसलों से अलग तम्बाकू के लिए एक कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना की थी। तथापि, तम्बाकू उपजकर्त्ताओं ने स्कीम में शामिल होने के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय लोगों के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना

5670. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए तनकीकी और अन्य रोजगारोन्मुख शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी नहीं। फिलहाल, देश के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए तकनीकी या रोजगारोन्मुख शैक्षिणिक संस्थान स्थापित करने का जनजातीय कार्य मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विद्यार्थियों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की केन्द्रीय क्षेत्र की रोजगारोन्मुख योजना पहले से ही चला रहा है जिसके तहत यह मंत्रालय राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों तथा गैर-सरकारी संगठनों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

5671. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को राज्य-वार कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर वर्ष तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पेयजल/शौचालय के प्रावधान/निर्माण संबंधी प्रस्ताव शामिल होते हैं। इन प्रस्तावों का सर्वप्रथम आकलन किया जाता है और फिर इस प्रयोजनार्थ गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में इनका अनुमोदन किया जाता है। राज्यों के चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी हैं तथा मई 2005 तक ये बैठकें पूरी हो जानी हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस आवासीय सोसायटी

5672. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए दिल्ली पुलिस आवासीय सोसायटी का गठन करने और या बने-बनाए घर खरीदने के लिए 50 करोड़ रु. आवंटित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरकार को दिल्ली पुलिस से दिल्ली पुलिस आवासीय निगम बनाने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित निगम आवासीय

स्कीमों के प्रतिपादन और निष्पादन तथा कार्यालय और रिहाइशी इमारतों के रख-रखाव सहित दिल्ली पुलिस की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श के नतीजों पर निर्भर करेगी। वर्ष 2004-05 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से बने बनाए 1177 फ्लैटों को खरीद हेत कुल 49.53 करोड़ रु. की धनराशि इस्तेमाल की। दिल्ली पुलिस की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2005-06 के लिए 63.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों और झुग्गियों का विकास

5673. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद केन्द्र सरकार राज्य सरकारों विशेषत: झारखण्ड से राज्य के बड़े शहरों में मलिन बस्तियों और झुग्गियों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) स्लम विकास राज्यों का विषय है। तथापि, स्लमवासियों की जीवन दशाओं में सुधार करने के उद्देश्य से शहरी स्लमों के विकास के लिए सरकार द्वारा अगस्त 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों को उनकी स्लम आबादी के अनुपात के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि का नियतन किया जाता है।

राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न नगरों में स्लमों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम तथा स्कीमें बनाती हैं तथा अपनी राज्य योजनाओं में उनके लिए आवश्यक प्रावधान करती हैं।

गत तीन वर्षों में राज्यों/संघ प्रदेशों को एनएसडीपी के तहत जारी धनराशि के ब्यौरे विवरण में संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2002-03 (1)	20030-04 (2)	2004-05 (3)	कुल (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3389.00	3389.00	6581.00	13359.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.00	104.00	68.79	276.79
3.	असम	0.00	219.61	563.41	783.02
4.	बिहार	1683.00	1683.00	3563.00	6929.00
5.	छत्तीसगढ़	411.00	411.01	883.00	1705.01
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1908.00	1860.89	2253.91	6022.80
8.	हरियाणा	536.00	536.00	1047.00	2119.00

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	76.53	0.00	144.00	220.53
10.	जम्मू-कश्मीर	687.00	687.00	934.00	2308.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	2061.50	2061.00	3622.00	7744.50
13.	केरल	972.00	972.00	2083.00	4027.00
14.	मध्य प्रदेश	1568.00	1568.00	3359.00	6495.00
15.	महाराष्ट्र	5500.00	5500.00	10219.00	21219.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	124.28	124.28
17.	मेघालय	15.43	104.00	99.57	219.00
18.	मिजोरम	104.00	104.00	100.00	308.00
19.	नागालैंड	104.00	104.00	100.00	308.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	921.00	921.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1402.00	1402.00	3005.00	5809.00
23.	सिक्किम	0.00	104.00	100.00	204.00
24.	तमिलनाडु	2570.00	2545.40	5457.00	10572.40
25.	त्रिपुरा	104.00	104.00	112.00	320.00
26.	उत्तर प्रदेश	4010.00	4010.00	8594.00	16614.00
27.	उत्तरांचल	173.00	173.00	369.00	715.00
28.	पश्चिम बंगाल	3572.00	3572.00	7075.00	14219.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	100.00	100.00	0.00	200.00
30.	चंडीगढ़	100.00	100.00	0.00	200.00
31.	दादरा व नगर हवेली	100.00	100.00	0.00	200.00
32.	दमन और दीव	100.00	100.00	0.00	200.00
33.	लक्षद्वीप	1794.00	1794.00	0.00	3588.00
34.	पांडिचेरी	100.00	0.00	0.00	100.00
35.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	100.00	100.00	0.00	200.00
	कुल	33344.46	33507.91	61377.96	128230.33

हीरा प्रसंस्करण क्षेत्र

5674. **श्री हरिसिंह चावड़ा**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के हीरा प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या अमरीका ने हीरा जड़ित आभूषण के अपने उत्पादन को इस क्षेत्र को सौंपने (आउटसोर्स) करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव से अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत विश्व का सबसे बड़ा हीरा तराशने एवं पालिश करने का केन्द्र है। तराशे तथा पालिश किए हुए हीरों के विश्व के निवल आयात में भारत का हिस्सा मूल्य के रूप में लगभग 60 प्रतिशत, मात्रा के रूप में 85 प्रतिशत और नगों की संख्या के रूप में 92 प्रतिशत है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी) जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का एक प्रतिनिधि स्वायत्तशासी निकाय है, के अनुसार 1 मिलियन से अधिक कामगार इस कार्य में लगे हुए हैं। भारतीय हीरा उद्योग द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तराशे एवं पालिश किए हुए हीरों के हमारे कुल निर्यातों में लगभग 23 प्रतिशत सीधा अमरीका को निर्यात किया जाता है। विश्व भर में आभूषणों में जड़े प्रत्येक 12 हीरों में से लगभग 11 हीरे भारत में तराशे एवं पालिश किए जाते हैं।

(ख) और (ग) हीरा जड़ित आभूषणों के अपने उत्पादन को भारत से आउटसोर्स करने की अमरीकी सरकार की कोई नीति/ प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हीरा विनिर्माता एसोसिएशन, हीरा डीलर्स क्लब, अमरीकी आभूषण विक्रेता एसोसिएशन जैसे अमरीका के व्यापार निकायों ने भारत से रत्न एवं आभूषण प्राप्त करने तथा विनिर्माण कराने के प्रति अपनी वरीयता के बारे में जी जे ई पी सी को संकेत दिया है। टिफनी (एक अंतर्राष्ट्रीय हीरा आभूषण कंपनी) के प्रतिनिधियों ने जी जे ई पी सी का दौरा किया और भारत में हीरों के विनिर्माण के लिए एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की संभावना का पता लगाने में अपनी रुचि जाहिर की।

(घ) जी जे ई पी सी द्वारा 24-25 मई, 2005 को "खानों से बाजार तक" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय हीरा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रयोजन इस क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। जी जे ई पी सी द्वारा 14-18 जुलाई, 2005 को मुम्बई में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी (आई आई जे एस) का आयोजन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सऊदी अरब के साथ व्यापार

5675. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सऊदी अरब के साथ तेल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में व्यापार संबंधों को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई वार्ता हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत-सऊदी अरब व्यापार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मूल्य मिलियन अम. डालर में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-फरवरी)
भारत से निर्यात	826.43	940.74	1123.31	1232.15
भारत से आयात (गैर-तेल)	463.99	504.72	737.77	1104.69

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) आर्थिक और तकनीकी सहयोग से संबंधित भारत-सऊदी संयुक्त आयोग का छठा सत्र 12-13 अप्रैल, 2005 को रियाद में आयोजित किया गया था जिसमें दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार की प्रवृत्तियों की समीक्षा की थी और

आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार और विविधीकरण करने के लिए सहमत हुए थे। दोनों पक्षों ने परस्पर लाभकारी सहयोग और संबद्ध कार्यों, जो दोनों देशों के बीच मौजूद हैं, के लिए व्यापक संभावना का पूरी तरह प्रयोग और दोहन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार आदान-प्रदान का समर्थन करने के महत्व तथा वाणिज्यिक प्रदर्शनियों के आयोजन और नियमित आधार पर व्यावसायिक समुदायों के बीच परस्पर दौरों के अतिरिक्त किसी भी देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर तरीके अपनाने पर भी जोर दिया था।

[अनुवाद]

ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पासबुक स्कीम

5676. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पासबुक स्कीम के स्थान पर आयी नई योजना से निर्यातकों को राजस्व की हानि होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के अनुकूल बनाने हेतु डी.ई.पी.बी. योजना में भारी फेरबदल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम के स्थान पर नई स्कीम अभी तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य निर्यातकों द्वारा वहन की जाने वाली कतिपय लेवियों और शुल्कों को निष्प्रभावी करना है और इससे निर्यातकों को राजस्व संबंधी कोई घाटा होने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) सरकारी डी ई पी बी स्कीम के स्थान पर डब्ल्यू टी ओ के और अधिक अनुकूल एक स्कीम तैयार कर रही है।

[हिन्दी]

फुटवियर पार्क

5677. श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा दिल्ली राजमार्ग पर आगरा के समीप एक फुटवियर पार्क स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पार्क का विनिर्माण चमड़ा निर्यात परिषद के तत्वावधान में एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जो इसके विनिर्माण में पूंजी निवेश कर रहे हैं और उनके द्वारा अलग-अलग कितनी पूंजी लगायी जा रही है;

(ङ) क्या उक्त पार्क में दलित वर्ग के व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोई योजना है जो अब भी चर्मशोधक कारखानों में काम करते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा व्यावसायिक आधार पर कब तक उत्पादन शुरू करने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। आगरा के निकट आगरा-मथुरा राजमार्ग पर एक फुटवियर कंपोनेंट पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) फुटवियर कंपोनेंट पार्क की कार्यान्वयन एजेंसी चर्म निर्यात परिषद है, जो आगरा में पंजीकृत कार्यालय वाली एक कंपनी, आगरा फुटवियर इंडस्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कं. लि. नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) द्वारा प्रयोजना को कार्यान्वित कराएगी। फुटवियर इंडस्ट्री द्वारा एस पी वी का गठन कर दिया गया है और कंपनी के निदेशक बोर्ड में फुटवियर और फुटवियर कंपोनेंट के विनिर्माता-निर्यातक शामिल हैं।

(ङ) और (च) पार्क में चर्मशोधन शालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फुटवियर और फुटवियर कंपोनेंट विनिर्माताओं द्वारा जुलाई, 2006 तक अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद है। ऐसी इकाइयां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराएंगी।

[अनुवाद]

चीन को आम का निर्यात

5678. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चीन को कुल कितनी मात्रा में आम का निर्यात किया गया है;

(ख) इससे भारत को वास्तव में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ग) क्या भारत को इस वर्ष चीन से आमों के आयात हेतु थोक में क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विश्व के विकसित देशों में भारतीय आम हेतु बाजार तलाशने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) आम निर्यातकों को उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) चीन द्वारा संगरोधन आधार पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वर्ष 2003 तक भारत से चीन को आम का कोई निर्यात नहीं किया गया था। वर्ष 2004 में आम संवर्धन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नमूनों के तौर पर चीन को 8 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया गया था। इस परेषण से राजस्व का कोई अर्जन नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि कुछ निर्यातक आम के निर्यात के लिए चीन के एक सुपर मार्केट से बातचीत कर रहे हैं।

(ङ) चल रहे निर्यात संवर्धन उपायों के एक भाग के रूप में आस्ट्रेलिया एवं कुछ अन्य विकसित देशों के साथ आम संवर्धन अभियानों का आयोजन किया गया है तथा बातचीत की जा रही है ताकि भारतीय आमों के लिए उनके बाजारों को खोला जा सके।

(च) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यातों को बढ़ाने के लिए, आम सहित फलों एवं सब्जियों के निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, कीटनाशक अवशिष्ट के परीक्षण हेतु गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास और परिवहन संबंधी सहायता संबंधी अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

भारत-वियतनाम व्यापार

5679. श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का वियतनाम के साथ व्यापारिक संबंध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के आयात, निर्यात और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए मूल्य सहित आयात और निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

मूल्य करोड़ रुपए में

(अ) अनंतिम

2001-2002		2002-2003		2003-2004 (अ)	
निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1,040.51	90.19	1,632.82	141.23	1,876.20	175.60

स्रोत: डीजीसीआईएस, कलकत्ता

(ग) 1 मई, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित व्यापक सहयोग संबंधी कार्यढांचे पर संयुक्त घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार, निवेश तथा प्रबंधन परामर्श के मामलों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया गया था। इसके अलावा 18 अक्तूबर, 2004 को हनोई में हस्ताक्षरित भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक के सहमत कार्यवृत्त के अनुसार दोनों पक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने तथा वर्ष 2006 तक द्विपक्षीय व्यापार कारोबार को बढ़ाकर 1 बिलियन अमरीकी डालर तक करने हेतु उपाय करने पर सहमत हुए हैं।

पूर्वोत्तर परिषद को विशेषज्ञ सहायता

5680. प्रो. एम. रामदास: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पूर्वोत्तर परिषद को सुदृढ़ करने और पर्याप्त विशेषज्ञ समर्थन देने के प्रति प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूर्वोत्तर परिषद को दिये गये ऐसे विशेषज्ञ समर्थन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एक पृथक योजना संगठन स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी हां।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 को 2002 में संशोधित किया गया था। इसके द्वारा परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना निकाय बना दिया गया। बाद में क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में सौंपी गई नई भूमिका के सन्दर्भ में अक्टूबर, 2003 में एन ई सी को रीवाइटलाईज करने के वास्ते सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने 30 जुलाई, 2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी और इसकी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ ये भी शामिल थी: पूर्वोत्तर परिषद की पुनर्संरचना, एन ई सी सचिवालय के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना/पुनर्संरचना करना, सैक्टरवार अधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना, सतत् वृद्धि और विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजना के उपाय करना, क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन, विकास परियोजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन, सुरक्षा और जनव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में एन ई सी के अधिदेश को लागू करना। भारत सरकार ने कुल मिलाकर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

तदनुसार, भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मंत्री को अध्यक्ष के रूप में और तीन सदस्यों [सदस्य (उत्तर पूर्व), योजना आयोग सहित] को पूर्वोत्तर परिषद में मनोनीत किया है। अन्य स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सचिव एन ई सी को आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में सौंपी गई भूमिका को देखते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए पृथक आयोजना संगठन के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत-अफगान व्यापार

5681. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के हाल के दौरे के दौरान भारत-अफगान व्यापार को फिर से बहाल करने हेतु चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और त्रिकोणीय व्यापार और पारगमन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के द्वारा किसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) भारत और अफगानिस्तान ने 6 मार्च, 2003 से एक अधिमानी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2002-2003 में 79.23 मि. अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2003-2004 में 185.51 मि. अमरीकी डालर हो गया है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने अफगानिस्तान में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया था। त्रिपक्षीय व्यापार और पारगमन व्यवस्था के संबंध में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खेलों का विकास

5682. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खेलों और युवाओं के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निगरानी समिति का पर्यवेक्षण और उसकी अध्यक्षता करने के लिए स्थानीय संसद सदस्य को नामित करने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समुचित खेल नीति के अभाव में खेलों के अपर्याप्त विकास के कारण नई प्रतिभाएं खेलों में प्रवेश नहीं कर रही है;

(च) क्या सरकार का विचार वर्तमान खेल नीति में परिवर्तन करने का है;

(छ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) इस समय, मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना नामत: राष्ट्रीय सेवा योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकारों को 2-3 किस्तों में खजाना अंतरण के जरिए जारी किया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए कार्यक्रम की धनराशि राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है। योजना की निगरानी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय अधिकारियों के जरिए की जाती है। मानिटरिंग में स्वयंसेवकों का नामांकन, नियमित गतिविधियों तथा विशेष शिविरों का आयोजन तथा राज्य संपर्क अधिकारियों, राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ संपर्क करना जैसे घटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से जारी की गई धनराशियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही आगे धनराशि जारी की जाती है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) 'खेल' राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर खेलों का संवर्धन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय खेल परिसंघ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। तथापि, खेलों के संवर्धन करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपायों के जरिए इन प्रयासों को पूरा करती है:

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञ/वैज्ञानिकों से परामर्श लेते हुए विभिन्न खेलविधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप देना और उनका कार्यान्वयन करना।
2. खिलाड़ियों को उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।
3. प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।
4. विदेशों में टीमों और भारतीय प्रशिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।
5. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों को सहभागिता के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता देना।
6. उत्कृष्ट लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि उन्हें पोषण आहार, खेल उपस्कर का सहयोग मिल सके और खेलों को जीविका के रूप में अपना सकें। खेलों में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है।
7. ''प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण'' तथा ''राष्ट्रीय खेल विकास निधि'' से संबंधित योजना के अंतर्गत देश और विदेश में उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
8. युवावस्था में खेलों को व्यापक आधार देने और प्रतिभा का पता लगाने के लिए सरकार ''सेना बाल खेल कंपनी योजना'' (ए.बी.एस.सी.) के अंतर्गत सेना की सहायता कर रही है। इसके अलावा, विद्यमान आठ सेना बाल खेल कंपनी के अतिरिक्त दस और ए.बी.एस.सी. को मंजूरी दी गई है।
9. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता योजना में शामिल करने के लिए 25 नवोदय विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं।
10. विशेष क्षेत्र खेल योजना का उद्देश्य अगम्य जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतियोगितात्मक खेलकूद के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभा का पता लगाना तथा उनका पालन करना है। 14 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में से बच्चे भर्ती किए जाते हैं। देश में 16 विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र हैं। 2005-06 के लिए दो नये विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र प्रस्तावित हैं।
11. *ग्रामीण खेल कार्यक्रम:* देशीय खेलों सहित किसी विशेष विधा के लिए जिला स्तरीय स्थानीय ग्रामीण टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
12. *स्कूलों में खेल कूद का संवर्धन:* एथलेटिक्स और चार अन्य विधाओं में अंतर स्कूल टूर्नामेंट के आयोजन के

लिए राज्यों को 75,000 रुपये प्रति जिला की वित्तीय सहायता देय है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सरकारों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है।

13. पूर्वोत्तर खेल महोत्सव योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायता से संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पूर्वोत्तर के लिए क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं राज्य प्राधिकारियों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

खेल-कूद के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन

5683. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान खेल-कूद के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य-वार और योजना-वार कितना धन आबंटित किया है;

(ख) वर्तमान में महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार के ध्यान में धन के दुरुपयोग/कम उपयोग से संबंधित मामले आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुशील दत्त): (क) सरकार द्वारा खेलों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए "महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप" और "खेल छात्रवृत्ति योजना" के अपने घटक "महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति" के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित राशि निम्नलिखित है:

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप	36	36	55
2.	खेल छात्रवृत्ति योजना	5.88	6.66	5.87

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं जैसे "ग्रामीण खेल कार्यक्रम", "स्कूलों में खेल कूद का संवर्धन", "राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता", भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, विशेष क्षेत्र खेल और उत्कृष्टता केन्द्र में खेलों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। तथापि, महिलाओं के लिए अलग से राशि आबंटित नहीं की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2002-03 से 2004-05) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप और खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या: 6915 और 162 है।

(घ) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यावसायिक संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलना

5684. श्री गिरिधारी यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु कोई नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बदलाव की अनुमति हेतु दिल्ली के विभिन्न जोनों में कितनी धनराशि प्रभारित की जाएगी;

(घ) क्या यह नीति सीमित उपयोग की अनुमति वाले डीडीए की दुकानों पर भी लागू है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सीमित उपयोग की अनुमति वाली डीडीए की दुकानों के आबंटितियों द्वारा अपनी इच्छा से अपनी दुकानों का किसी भी वैध प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु समर्थ बनने के लिए सीमित से सामान्य उपयोग में बदलने और लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने पर लगने वाले दोनों प्रकार के शुल्कों का भुगतान अपेक्षित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में लीजहोल्ड पट्टेदारी का फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, जो केवल रिहायशी संपत्तियों पर लागू था, दिनांक 24.6.2003 के आदेश के तहत औद्योगिक वाणिज्यिक और मिश्रित भू-उपयोग संपत्तियों पर भी लागू किया गया। इस स्कीम के अनुसार, पट्टेदारों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी लीजहोल्ड संपत्तियों का फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करा सकते हैं बशर्ते कि उनके भवन पूर्ण हों और भूमि किराए, दुरूपयोग प्रभारों/हर्जाने इत्यादि, यदि कोई हो, सहित सभी देयताओं की भी पूर्ण अदायगी की जा चुकी हो। औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भू-उपयोग संपत्तियों के लिए ली जाने वाली कनवर्जन फीस, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को प्रचलित अधिसूचित भूमि दरों के आधारों पर परिकलित कुल भूमि मूल्य का 10% होगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवधिक रूप से भूमि दरें अधिसूचित की जाती हैं। अभिलिखित (रिकार्डेड) पट्टेदारों के लिए कनवर्सन फीस में 40% की छूट ग्राह्य होगी। जनरल पावर आफ अटार्नी धारक किसी भी छूट के हकदार नहीं होंगे बल्कि उन्हें सामान्य कनवर्जन प्रभारों के अलावा 33.33% का अधिभार देना होगा।

(ग) ऐसे कनवर्जन की अनुमति के लिए दिल्ली में विभिन्न जोनों में ली जाने वाली राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जी, हां। सीमित उपयोग से सामान्य उपयोग और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, दोनों अलग-अलग मामले हैं। दुकानों पर 5000 रु., प्रति वर्ग मी. की दर से अदायगी करने पर डीडीए की दुकानों का "सीमित" से "सामान्य" उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

डीडीए की वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए कनवर्जन प्रभारों की जोनवार दरें इस प्रकार हैं:

	जोन	कनवर्जन फीस की भूमि दरें प्रति मीटर
1.	सेन्ट्रल एंड साउथ जोन	36,000/-रु.
2.	वेस्ट, नार्थ एंड ईस्ट जोन	25,000/-रु.
3.	द्वारका	36,000/-रु.
4.	रोहिणी	20,000/-रु.
5.	नरेला	10,000/-रु.

भूमि तथा विकास कार्यालय के अंतर्गत वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए कनवर्जन फीस की जोनवार दरें इस प्रकार हैं:

	जोन	कनवर्जन फीस की भूमि दरें प्रति मीटर
1.	सेन्ट्रल जोन (कनाट प्लेस, मिन्टो रोड, कृष्णा मार्किट, झंडेवालान इत्यादि)	57,960/-रु.
2.	साउथ जोन (खान मार्किट, लाजपत नगर, कालकाजी, आर के पुरम, एम बी रोड इत्यादि)	17,490/-रु. से 28,980/-रु.
3.	वेस्ट जोन (गफ्फार मार्किट, रानी झांसी मार्किट, डीबी गुप्ता मार्किट, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि)	14,490/रु. से 24,150/-रु.
4.	नार्थ जोन (कमला नगर, लाजपतराय मार्किट, विजय नगर, गोल मार्किट इत्यादि)	12,190/-रु. से 14,490/-रु.
5.	ईस्ट जोन (झील, खुरेजी, गीता कालोनी, नरेला इत्यादि)	4,140/-रु. से 5,865/-रु.

[हिन्दी]

अन्तरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक

5685. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अन्तरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें भाग लेने वालों का विवरण क्या है;

(ग) हुए विचार-विमर्श तथा इस संबंध में हुए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैठक में लिए गए निर्णयों को कब तक लागू होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) अन्तरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 10वीं बैठक 29 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) संघ के गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री तथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने भी भाग लिया था।

(ग) और (घ) समिति ने सुशासन पर कार्य योजना की रूप रेखा तथा आपदाओं से निपटने में राज्यों की आपदा प्रबंधन तैयारी संबंधी कार्यसूची मदों तथा तैयारी को बढ़ाने के लिए उनके सुझावों पर विचार किया। स्थायी समिति सुशान को सुधारने हेतु प्रस्तावित रूप रेखा तथा आपदाओं से निपटने हेतु सुझाए गए उपायों से सहमत थी। स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सुशासन की श्रेष्ठ प्रथाओं की मिसाल पेश करने की दृष्टि से तथा उन्हें अपनाने के लिए राज्यों को अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सुशासन हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि इन पर पहले अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा विचार किया जाना है और इसके पश्चात् इसमें आगे ऐसे संशोधनों/अभियुक्तियों, जिन्हें परिषद सुझाना चाहती हो, के साथ विचारार्थ सरकार को भेजा जाना है।

जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम का निर्माण

5686. श्री. राजेश मिश्रा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इसके पश्चात् केन्द्र सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आश्रमों के निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कितना अनुदान जारी किया गया है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्ति के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। सहायता अनुदान की निर्मुक्ति, प्रस्ताव के सभी रूपों में पूर्ण होने, अर्थात मुफ्त भूमि की उपलब्धता, 50% राज्य के हिस्से की उपलब्धता के बारे में पुष्टि, पूर्ववर्ती वर्षों में मंजूर प्रस्तावों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट तथा निधियों की उपलब्धता पर ही की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूर आश्रम स्कूलों की संख्या और निर्मुक्त सहायता अनुदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपयों लाखों में)

संख्या	राज्यों के नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		राशि	स्कूलों की संख्या	राशि	स्कूलों की संख्या	राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	–	380.00	38	शून्य	–
2.	गुजरात	शून्य	–	शून्य	–	86.49	38

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मध्य प्रदेश	820.00	130	शून्य	–	300.00	बकाया
4.	त्रिपुरा	शून्य	–	50.00	बकाया	शून्य	–
5.	कर्नाटक	130.00	5	शून्य	–	77.51	बकाया
6.	महाराष्ट्र	शून्य	–	शून्य	–	86.00	बकाया
7.	उत्तरांचल	शून्य	–	217.00	बकाया	शून्य	–

[अनुवाद]

युवा विकास हेतु योजना

5687. श्री तथागत सत्पथी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युवाओं का एक कतिपय वर्ग ऐसा है जो शारीरिक और मानसिक अपंगता से पीड़ित है;

(ख) क्या उनकी प्रतिभा को निखारने और विभिन्न सुविधाओं के समन्वय और निगरानी हेतु मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है;

(ग) यदि हां, तो इन लोगों हेतु विभिन्न सुविधाओं के समन्वय और निगरानी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात युवा विकास योजनाओं से राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां। अशक्तता के साथ युवाओं (15-34 वर्ष) की अनुमानित संख्या 49.47 लाख है।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। तथापि, राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 के अंतर्गत अशक्तता के साथ युवाओं की प्रमुख लक्षित समूह के रूप में पहचान की गई है।

(ग) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने, सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों आदि सहित संबंधित सैक्टोरल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति का गठन किया है जो कि राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कार्य योजना मसौदा तैयार करेगी। सैक्टोरल योजनाओं के लिए पांच ठप समूह गठित किए गए हैं।

(घ) मौजूदा युवा विकास योजनाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त लगभग 8 मिलियन और 2.3 मिलियन गैर-विद्यार्थी और विद्यार्थी युवा क्रमश: नेहरू युवा केन्द्र संगठन योजना और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न युवा संबंधी कार्यक्रमों/गतिविधियों में शामिल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा युवा विकास योजनाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन			साहस का संवर्धन			युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण का संवर्धन		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2175	650	150	–	–	–	1295	965	5990
2.	असम	1725	1600	1400	1725	1600	1400	1240	240	1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अंडमान निकोबार	–	–	1730	–	–	1730	–	–	431
4.	बिहार	2750	3450	2320	40	–	–	1680	2115	1360
5.	छत्तीसगढ़	150	–	300	–	–	–	110	–	220
6.	चंडीगढ़	350	–	–	300	432	–	–	–	30
7.	गुजरात	–	500	335	–	500	335	160	380	60
8.	हरियाणा	1500	3650	3600	1500	3650	3600	840	660	1760
9.	हिमाचल प्रदेश	–	200	400	–	200	400	45	50	1210
10.	जम्मू-कश्मीर	500	350	1025	500	350	1025	130	590	260
11.	झारखंड	750	–	–	750	–	–	30	400	1630
12.	कर्नाटक	550	200	300	550	200	300	780	1250	170
13.	केरल	496	600	1050	496	600	1050	–	100	1410
14.	मध्य प्रदेश	1590	2600	2150	1590	2600	2150	1900	2510	2260
15.	महाराष्ट्र	1100	150	950	1100	150	950	30	955	480
16.	मणिपुर	900	1130	1450	900	1130	1450	90	2140	1070
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	60	170	0
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	520
19.	नागालैण्ड	1200	–	1730	1200	–	1730	130	210	380
20.	उड़ीसा	1500	2535	2150	1500	2535	2150	110	2110	1820
21.	पंजाब	600	–	–	600	–	–	1890	60	790
22.	राजस्थान	550	2000	1400	550	2000	1400	350	710	690
23.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	150
24.	सिक्किम	150	800	–	–	100	150	260	310	170
25.	त्रिपुरा	770	200	972	770	200	972	60	210	90
26.	तमिलनाडु	1850	150	1600	1850	150	1600	150	425	2000
27.	उत्तरांचल	450	500	–	450	500	–	1650	210	413
28.	उत्तर प्रदेश	5650	5900	3930	5650	5900	3930	4720	5960	6350
29.	पश्चिम बंगाल	1150	2850	450	1150	2850	450	370	480	2670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	दिल्ली	10307	8325	67410	8568	10310	18,236	916	800	3375
31.	दमन दीव	–	–	–	–	–	–	–	200	140
32.	दादरा व नगर हवेली	–	350	–	–	350	–	–	–	–
33.	अरुणाचल प्रदेश	–	200	200	–	200	200	–	–	–
34.	सिलवासा	–	–	–	–	–	–	100	–	–
	कुल	39,938	38,890	97,002	15,961	14,802	28,541	17,386	24,210	39,102

खेल प्रशिक्षक

5688. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में खेल की उन विभिन्न शाखाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण में कार्यरत विदेशी प्रशिक्षकों सहित प्रशिक्षकों, नियमित और तदर्थ की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) भारत में खेल-शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षकों, विशेषकर भारतीय प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित खेल विधाओं में कोचिंग प्रदान कर रहा है:

एथलेटिक्स, तीरंदाजी बास्केबाल, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साईक्लिंग, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, हैण्डबाल, जिम्नास्टिक्स, जूडो, खो-खो, कबड्डी, लान टेनिस, तैराकी, वालीबाल, कुश्ती, भारोत्तोलन, कराटे, वुशु, क्याकिंग और कैनोइंग, रोइंग, ताइक्वांडो, सेपक टकारो, फेंसिंग, निशानेबाजी, साफ्टबाल, तथा टेबल टेनिस।

(ख) इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण में 1475 कोच नियमित आधार पर तथा 60 कोच संविदा आधार पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी में विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सिफारिशों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 38 विदेशी कोचों (27 पूर्णकालिक और 11 अल्पकालिक) को लगाया गया है।

(ग) आवश्यकता के मूल्यांकन करने पर तथा उन खेल विधाओं में जहां भारतीय खेल प्राधिकरण के पास कोई नियमित कोच नहीं है, वहां भारतीय खेल प्राधिकरण में संविदा आधार पर कोचों की नियुक्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

ओलम्पिक खेल, 2008

5689. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ओलम्पिक खेल, 2008 के सभी प्रतिस्पर्धाओं हेतु खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का चयन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं। ओलम्पिक खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों और कोचों का चयन राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा किया जाता है। तथापि, ओलम्पिक खेलों में उनके हिस्सा लेने से पहले खिलाड़ियों/टीमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पता लगाये गये अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों/अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा निर्धारित किये गये क्वालीफाइंग मानक/मानदण्ड को क्वालीफाई/प्राप्त करना पड़ता है।

(ख) ओलम्पिक खेलों सहित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की तैयारी/प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है

जिसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एफ.) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को ध्यान में रखा जाता है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करके एथलीटों तथा टीम के चयन करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यवस्थित पहुंच अपनायी जाती है ताकि चार वर्ष से चल रही योजना को कार्यरूप दिया जा सके, तथा जिसके अंतर्गत उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किया गया सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। समय-समय पर कोचों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वाहनों का निर्यात

5690. **श्री सीताराम सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान वाहनों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वाहनों के निर्यात से देश को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ङ) वाहनों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है, यदि कोई हों; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) चालू वर्ष 2004-05 के दौरान देश से सभी प्रकार के वाहनों के निर्यात मूल्य में वृद्धि हुई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए वाहनों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मूल्य लाख रुपए में)

श्रेणी	निर्यात मूल्य		
	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
यात्री वाहन			
यात्री कार	191,115	375.960	482.031
उपयोगिता वाहन	4,482	12,806	18,938
बहुउद्देशीय वाहन	1,441	2,593	3,451
कुल	197,038	391,359	504,420
मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन			
यात्री वाहक	23,797	30,341	38,959
माल वाहक	23,562	38,438	74,365
कुल	47,359	68,779	113,324
हल्के वाणिज्यिक वाहन			
यात्री वाहक	5,015	8,754	7,469
माल वाहक	28,335	37,835	75,479
कुल एलसीवी	33,350	46,590	82,948
कुल वाणिज्यिक वाहन	80,709	115,369	196,273

1	2	3	4
तिपहिया वाहन			
यात्री वाहक	26,961	41,820	40,784
माल वाहक	359	599	799
कुल	27,321	42,420	41,584
स्कूटर/स्कूटेरेटी	9,574	15,596	17,653
मोटर साइकिल/स्टेप-थ्रू	51,965	77,724	114,997
मोपेड्स	4,912	4,996	5,988
कुल	66,451	98,316	138.637
कुल योग	371,519	647,464	880,913

स्रोत: सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

(ङ) और (च) देश से वाहनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शुल्क वापसी स्कीम, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रयोजित इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलापों के आयोजन जैसे कार्यों में लगी हुई है। परिषद आटोमेकैनिका, फ्रैंकफर्ट जैसी विशिष्टीकृत प्रदर्शनियों में सदस्यों की भागीदारी आमंत्रित करके आटोमोबाइलों के निर्यात का संवर्धन करती है। परिषद, विश्वभर में अपनी स्वयं की "इंडियाटेक" प्रदर्शनी का भी आयोजन करती है जहां आटोमोबाइल उद्योग को बाजार संवर्धन के अवसर प्राप्त होते हैं।

[अनुवाद]

सिगरेट उद्योग

5691. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तम्बाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तम्बाकू उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या देश में तम्बाकू उत्पादन की तुलना में सिगरेट विनिर्माण इकाईयां कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों सहित नए विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि तम्बाकू किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय संगठित क्षेत्र की 19 इकाइयां सिगरेटों के उत्पादन में लगी हैं, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता लगभग 147.38 बिलियन पीस प्रतिवर्ष है। यह क्षमता देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में, सरकार द्वारा सिगरेटों का विनिर्माण करने हेतु नई इकाइयों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। घरेलू सिगरेटों के उत्पादन, उपभोग एवं व्यापार को विनियमित और नियंत्रित करने के संबंध में भारत में सख्त प्रणाली मौजूद है, जैसा कि विभिन्न उपायों से प्रतिबिंबित होता है। ये

उपाय हैं, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003। अत: सिगरेटों के विनिर्माण में उदारीकरण करना देश के तंबाकू नियंत्रण उपायों के प्रतिकूल होगा। इस क्षेत्र में नए विनिर्माताओं/विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि देश में ही पर्याप्त विनिर्माण क्षमता मौजूद है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मकानों का निर्माण

5692. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाली 6855 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीआरपीबी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवासों की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2021 के अनुसार 20 प्रतिशत मकानों का निर्माण करने तथा वैंक्वेट हालों और फार्म हाऊसों के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आवास समस्या, अवैध कालोनियों के नियमितिकरण, मलिन बस्तियों के विस्तार और उन्हें हटाने तथा बस्तियों के संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी), 2021 पर चर्चा करते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा कुछ सुझाव दिये गये थे। इन सुझावों को उचित पाये जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के ड्राफ्ट मास्टर प्लान, 2021 में शामिल किया गया है जिसे अब सुझाव/आपत्तियां मांगने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा यह बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 20 प्रतिशत आवासों के निर्माण का कोई अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण से नहीं किया गया है।

वैंक्वेट हालों तथा फार्म हाऊसों के लिए नीति के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2021 में बैंक्वेट हालों के संबंध में विकास नियंत्रण मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस ड्राफ्ट प्लान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नये फार्म हाऊस बनाने की अनुमति नहीं है परंतु मौजूदा फार्म हाऊस उस क्षेत्र का शहरीकरण होने तक बने रह सकेंगे।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज तक व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी समितियों को भूमि का आबंटन करके तथा फ्लैटों का निर्माण करके लगभग 10.5 लाख आवासों का स्टाक बनाया है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2021 में नये आवासीय क्षेत्रों के विकास तथा मौजूदा आवासीय क्षेत्रों के पुनर्विकास के जरिए उनके उन्नयन तथा उन्हें घना बसाने इत्यादि के लिए विशेष उपाय भी शामिल हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए वर्ष 2001 में दिशानिर्देश बनाये थे। तत्पश्चात् वर्ष 2004 में इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया तथा रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से इन दिशानिर्देशों के अनुसार अनधिकृत कालोनियों की एक सूची तैयार करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया। अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए प्रविधियां तैयार करने के लिए एक कार्यदल का भी गठन किया गया है। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से दिशानिदेशों में और संशोधन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

जहां तक स्लमों को हटाने/एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति का संबंध है, वर्ष 1990 के पहले के आबादकारों को 18 वर्ग मीटर का प्लाट तथा वर्ष 1990 के बाद परन्तु 31.12.1998 के पहले के आबादकारों को 12.5 वर्ग मीटर का प्लाट आबंटित किया जाता है।

[अनुवाद]

यूथ होस्टल

5693. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री जुएल ओराम:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके बाद यूथ होस्टल के निर्माण हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत अनुरोधों की राज्य-वार संख्या कितनी है और कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(घ) शेष अनुरोधों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) शेष अनुरोधों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) देश में यूथ हास्टल के निर्माण हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(छ) किन राज्यों में इन नए यूथ होस्टलों को स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) दर्शाये गये अपेक्षित ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) सैद्धांतिक रूप में सात प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। किसी अनुमोदित परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है। यद्यपि, राज्य सरकार के माध्यम से के.लो.नि.वि. से विस्तृत आकलन आदि अभी तक प्रतीक्षित हैं।

(घ) और (ङ) विलम्ब के कारणों सहित सभी परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति उपर्युक्त संदर्भित संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(च) युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जबकि राज्य सरकार पूर्ण रूप से पहुंच सड़क के साथ पूर्ण विकसित नि:शुल्क भूमि, विद्युत और जल के प्रावधान के साथ चहारदीवारी, निर्माण की संपूर्ण लागत को केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है। 45 से 100 युवाओं के लिए आवास उपलब्ध कराकर छात्रावास भवन की परियोजना लागत परियोजना से परियोजना भिन्न-भिन्न है।

(छ) नए छात्रावास की स्वीकृति और स्थिति संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्ताव पर निर्भर होगी।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	युवा छात्रावास के लिए प्रस्तावित स्थान	वर्तमान स्थिति
1	2	3
वर्ष 2002-2003		
मेघालय	बाघमारा, साऊथ गारो हिल्स	वास्तविकता की दृष्टि से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि 1988 के दौरान चेरापूंजी में पहले ही अनुमोदित युवा छात्रावास का निर्माण शुरू नहीं किया गया है।
उत्तरांचल	श्रीनगर, गढ़वाल	प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है और एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 21.8.2002 को तदनुसार सूचित किया था। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए विश्वविद्यालय पात्र नहीं हैं।
हरियाणा	पानीपत	राज्य सरकार से 25.2.2003 को अनुरोध किया गया था कि उपयुक्त भूमि का पता लगाए और स्थल योजना, प्रारंभिक अनुमान तथा नक्शा भेजें। विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी प्राप्त होना है।
वर्ष 2003-2004		
गोवा	गोवा का दक्षिणी जिला	प्रस्ताव अपूर्ण था। नये प्रस्ताव को तैयार करने के लिए 21.7.2003 को राज्य सरकार को योजना की प्रति भेजी गई थी। विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी प्राप्त होना है।

1	2	3
असम	शिबसागर	प्रस्ताव अपूर्ण था। इसके अलावा, राज्य में पहले से ही विद्यमान युवा छात्रावासों के कार्य का मूल्यांकन करने की जरूरत है।
मध्य प्रदेश	धार (माण्डू)	29.12.2003 को अनुमोदित किया गया। भूमि की पहचान कर ली गई है। विस्तृत आकलन/स्थल प्लान, नक्शे के.लो.नि.वि. के माध्यम से राज्य सरकार से मांगे गए हैं और प्रतीक्षित हैं।
उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	2.5.2005 को अनुमोदित किया गया। भूमि की पहचान की गई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि के.लो.नि.वि. से विस्तृत आकलन/स्थल प्लान, नक्शे को भेजें।
वर्ष 2004-2005		
तमिलनाडु	कुड्डालोर	योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह	29.12.2004 को अनुमोदित किया गया। भूमि की पहचान कर ली गई है। राज्य सरकार के माध्यम से के.लो.नि.वि. से विस्तृत आकलनों/स्थल प्लान नक्शे अभी तक प्रतीक्षित हैं।
	करीमनगर	-वही-
	मेडक	-वही-
	विजयनगरम	-वही-
	पूर्वी गोदावरी	-वही-
	श्रीकाकुलम	विचाराधीन
	नेल्लोर	विचाराधीन
सिक्किम	ग्यालशिंग	विचाराधीन
पंजाब	भटिण्डा	प्रस्ताव अपूर्ण था। प्रस्तावित स्थल के चयन के लिए औचित्य सहित विस्तृत ब्यौरे भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
राजस्थान	दौसा	प्रस्ताव अपूर्ण था। प्रस्तावित स्थल के चयन के लिए औचित्य सहित विस्तृत ब्यौरे भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
	झालावाड़	-वही-
	भरतपुर	-वही-
	बांसवाड़ा	-वही-
	धौलपुर	-वही-
	नागौर	-वही-

वर्ष 2005-06 (29.4.2005 की स्थिति के अनुसार)

कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

माडल आंगनवाड़ी भवन का निर्माण

5694. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान माडल आंगनवाड़ी भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के लिए कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान, हरियाणा, कर्नाटक गुजरात एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में माडल आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु बकाया राशि (भारत सरकार के हिस्से का 20 प्रतिशत) की स्वीकृति हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन मांगों का वर्ष 2004-05 के दौरान अनुमोदन नहीं किया जा सका, क्योंकि इन राज्यों ने उनको पहले निर्मुक्त राशियों के बड़े हिस्से (भारत सरकार के हिस्से का 80 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया था।

मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल एवं हरियाणा राज्यों को इनके द्वारा प्रस्तुत व्यय विवरण के आधार पर बकाया राशि निर्मुक्त कर दी गई है। कर्नाटक तथा गुजरात राज्य को बकाया राशि की निर्मुक्ति व्यय विवरण के साथ सन्तोषजनक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

एन.आई.यू.ए. द्वारा कराए गए अध्ययन

5695. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन एफेयर्स द्वारा कराये गए विशेष अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नेशनल इंस्टिटयूट आफ अर्बन एफेयर्स द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित वित्तीय और अन्य मुद्दों के संबंध में सरकार को कौन-कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित अध्ययन कराए गए:

1. शहरी भारत में गरीबी कम करने के संबंध में भारत सरकार को एडीबी तकनीकी सहायता;
2. प्राथमिक शिक्षा प्रोत्साहन परियोजना के लिए जीआईएस;
3. भारत में नगरपालिका बांड मार्किट का विकास;
4. राजस्थान के पांच कस्बों में एसजेएसआरवाई कार्यक्रम का मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन;
5. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के प्रभाव का आकलन;
6. शहरी भारत में शिक्षा की स्थिति;
7. एशियाई शहरों में जल आपूर्ति;
8. भौगोलिक सूचना विज्ञान (जीआईएस) का प्रयोग करते हुए शहरी सूचकांकों का विश्लेषण;
9. शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार, सामुदायिक केन्द्र/बस्ती विकास केन्द्रों, भुगतान आधारित जन सुविधा प्रयोग परिसर तथा झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के पुनर्वास से संबंधित प्लान योजनाओं का मूल्यांकन;
10. स्वस्थ शहर परियोजना;
11. भारत में शहरी विकेन्द्रीकरण की समीक्षा;
12. कम्यूनिटी बेस्ड इंफोमेशन सिस्टम (सीबीआईएस) फास केयरप्लस;
13. संपत्ति कर में सुधार संबंधी अध्ययन;
14. नगरपालिका लेखों और वित्तीय सूचना प्रणाली से संबंधित अध्ययन;
15. राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई;
16. केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) का मूल्यांकन अध्ययन;
17. स्वस्थ जिला परियोजना;
18. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम का शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर प्रभाव;
19. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन; तथा
20. शहरी जल आपूर्ति, सफाई स्थिति तथा निवेश प्रभाव।

(ख) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने वर्ष 2004-05 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित वित्तीय तथा अन्य मुद्दों पर कोई रिपोर्ट/सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक शिक्षा को नया रूप देना

5696. श्री सुबोध मोहिते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा को नया रूप देने के लिए योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व स्थिति क्या है तथा इस योजना के लक्ष्य व उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(घ) इसके लिए वर्ष 2005-06 हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरिंग समिति का पुर्नगठन किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है।

सरकार ने 6 माह की अवधि के लिए राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के नाम से एक और आयोग का गठन किया है।

उपर्युक्त के अलावा सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। अब तक पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 28.44 करोड़ रु., 29.00 करोड़ रु. तथा 22.05 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि इस मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, (1) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाएं, (2) उपचारात्मक कोचिंग, तथा (3) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सेवाओं में आने के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल केंद्र

5697. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय खेल प्राधिकरण का कोई केंद्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र किन-किन राज्यों में विशेषकर उत्तर बिहार में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे खेल संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित किए गए केन्द्रों की संख्या के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा स्थापित केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों के अंतर्गत प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	2002-2003			2003-2004			2004-2005		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	एस.टी.सी.	3143	1418	4581	3712	1753	5465	3803	1699	5502
2.	एस.ए.जी.	920	331	1251	1015	363	1378	901	487	1388
3.	सी.ओ.एक्स.	214	150	364	248	123	371	243	157	400
	कुल	4277	1899	6176	4975	2239	7214	4947	2343	7290

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जीते गये पदकों की संख्या:-

क्र.सं.	योजना का नाम	2002-03			2003-04			2004-05		
		राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	कुल	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	कुल	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	कुल
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता	93	3	96	62	2	64	57	4	61
2.	सेना बाल खेल कंपनी	75	29	104	94	22	114	91	2	93
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र	561	58	619	610	70	680	442	34	476
4.	विशेष क्षेत्र खेल	232	37	269	259	37	296	70	5	75
5.	उत्कृष्टता केन्द्र	166	40	206	170	53	223	115	29	144

(घ) इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण 8-25 वर्ष के आयु वर्ग में विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभा का पता लगाने के लिए अपने क्षेत्रीय केन्द्रों और उप-केन्द्रों के माध्यम से संपूर्ण देश में निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके:

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)
सेना बाल खेल कम्पनी (ए.बी.एस.सी.)
विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)
भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

पिछले तीन वर्षों से भारतीय खेल प्राधिकरण बिहार के नालंदा, बेगुसराय और भोजपुर में तीन एन.एस.टी.सी. स्कूल; दानापुर में एक ए.बी.एस.सी. केन्द्र; पटना में एक भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र; तथा मुजफ्फरपुर, किशनगंज और गिद्धौर में तीन एस.ए.जी. केन्द्र चला रहा है। इस राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण के उपर्युक्त केन्द्रों में फुटबाल, कबड्डी टेबल टेनिस, वालीबाल, बास्केटबाल, एथलेटिक्स, हाकी और कुश्ती की खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य में वर्ष 2002-03 के दौरान 248 प्रशिक्षणार्थियों, वर्ष 2003-04 के दौरान 348 प्रशिक्षणार्थियों तथा 2004-05 के दौरान 364 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	भाखेप्रा	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	असम	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, गौलाघाट	34	43	77
		उपकेन्द्र/भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र गुवाहाटी	67	50	117

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	वि.क्षे.खे. नाहरलगून	55	27	82
3.	मणिपुर	क्षेत्रीय केन्द्र/भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र. इम्फाल	123	101	224
		वि.क्षे.खे., उतलोव	84	–	84
		वि.क्षे.खे., इम्फाल	186	150	336
		उत्कृष्टता केन्द्र, इम्फाल	27	49	76
4.	मेघालय	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, शिलांग	114	37	151
5.	मिजोरम	वि.क्षे.खे., आईजोल	62	70	132
6.	नागालैंड	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, दीमापुर	71	08	79
7.	त्रिपुरा	वि.क्षे.खे., अगरतला	76	12	88
8.	सिक्किम	वि.क्षे.खे., नामची	46	–	46
		कुल:	945	547	1492

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान देश में (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) चल रहे भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	भाखेप्रा केन्द्र	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, सिकन्दराबाद	175	38	213
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, इलूरू	53	–	53
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, विशाखापतनम	40	68	108
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, मेदक	18	–	18
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, कुरनूल	62	–	62
2.	अंडमान और निकोबार आईजल	वि.क्षे.खे., पोर्टब्लेयर	70	38	108
3.	बिहार	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	61	–	61
		वि.क्षे.खे., मुजफ्फरपुर	61	02	63
		वि.क्षे.खे., किशनगंज	40	–	40
		वि.क्षे.खे., गिद्दौर	31	–	31
4.	चण्डीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश)	क्षेत्रीय केन्द्र-भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र चण्डीगढ़	–	68	68

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, राजनन्दगांव	42	–	42
6.	दिल्ली	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, दिल्ली-विस्तार केन्द्र जोहरी	155	93	248
		उत्कृष्टता केन्द्र, दिल्ली	02	01	03
7.	गुजरात	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, गांधीनगर	113	27	140
		उत्कृष्टता केन्द्र, गांधीनगर	34	02	36
8.	गोवा	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, पोण्डा	87	81	168
9.	हिमाचल प्रदेश	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, बिलासपुर	52	–	52
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, धर्मशाला	–	82	82
10.	हरियाणा	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, भिवानी	89	–	89
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, कुरुक्षेत्र	81	–	81
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, हिसार विस्तार केन्द्र, चौटाला	47	52	99
11.	झारखंड	वि.क्षे.खे. केन्द्र, रांची	36	32	68
12.	जम्मू एवं कश्मीर	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, ढधमपुर	49	–	49
13.	कर्नाटक	क्षेत्रीय केन्द्र, भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, बंगलूर	178	64	242
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, धारवाड़	66	19	85
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, मेदीकरी	–	29	29
		उत्कृष्टता केन्द्र, बंगलूर	77	25	102
14.	केरल	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, कोलाम	93	95	188
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	73	35	108
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, त्रिचूर	54	40	94
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, कालीकट	63	01	64
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, एलप्पी	27	34	61
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, तेल्लीचेरी	33	70	103
		उत्कृष्टता केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	06	08	14
15.	मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय केन्द्र, भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र भोपाल	93	14	107
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, धार	91	59	150
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, जबलपुर	104	105	209
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, टीकमगढ़	20	20	40

1	2	3	4	5	6
16.	महाराष्ट्र	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, मुम्बई	103	25	128
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, औरंगाबाद	96	12	108
17.	उड़ीसा	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, धेन्कनाल	57	–	57
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, कटक	57	25	82
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, जगतपुर	25	18	43
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, सुन्दरगढ़	31	25	56
18.	पंजाब	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, पटियाला	76	08	84
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, बादल	–	66	66
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, मस्ताना साहिब	50	–	50
		उत्कृष्टता केन्द्र, पटियाला	57	27	84
19.	पांडिचेरी	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, पांडिचेरी	90	–	90
20.	राजस्थान	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, जोधपुर	55	–	55
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, अलवर	87	03	90
21.	तमिलनाडु	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, चेन्नई	85	42	127
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, सलेम	97	24	124
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, नागरकोईल	38	09	47
22.	उत्तर प्रदेश	उप-केन्द्र/भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, लखनऊ	105	70	175
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, रायबरेली	49	03	52
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, सैफई इटावा	71	–	71
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, आगरा	08	15	23
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, बरेली	14	31	45
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, झांसी	26	–	26
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, इलाहाबाद	50	29	79
		उत्कृष्टता केन्द्र, लखनऊ	13	11	24
23.	उत्तरांचल	भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, काशीपुर	74	20	94
24.	पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय केन्द्र, भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, कोलकाता	108	59	167
		भाखेप्रा प्रशि. केन्द्र, बर्द्धवान	27	–	27

लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलना

5698. श्री मुनव्वर हसन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए दिल्ली में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) बदले जाने के कितने मामलों की स्वीकृति दी गई और वास्तव में कितने मामलों में बदलाव किया गया?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु आवेदनों तथा अनुमोदित मामलों की संख्या का एजेंसीवार ब्यौरा इस प्रकार है:

एजेंसी का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमोदित वर्जनों (बदलने की संख्या)
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)	1,52,456	1,44,256
भूमि तथा विकास कार्यालय (एलएण्डडीओ)	29,141	26,774
दिल्ली नगर निगम (स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी विभाग)	6,627	1,855

[अनुवाद]

राजपथ क्षेत्र का नवीकरण

5699. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजपथ क्षेत्र का नवीकरण करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राजपथ और इसके चारों ओर के क्षेत्र का नवीकरण करने के लिए क्रमश: निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए तीन ग्रुप गठित किए गए थे-

(1) केन्द्र सरकार के भवनों के सुधार;

(2) अवस्थापना के सुधार; और

(3) क्षेत्र के पर्यावरण उन्नयन।

इन ग्रुपों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने उक्त क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने जनता की टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनडीएमसी.जीओवी.आईएन पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए प्रमुख परामर्शदाता अभिज्ञात करने हेतु भी कदम उठाए हैं।

प्रेषित माल हेतु प्रमाण-पत्र

5700. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात और आयात के लिए प्रेषित माल हेतु प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से अनिवार्य किया गया है; और

(ग) इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) आयात की तुलना में घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए तथा डब्ल्यूटीओ के "राष्ट्रीय व्यवहार" के सिद्धांत के अनुरूप आयातों के एफपीए अधिनियम, 1954, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों आदि जैसे कुछेक अनिवार्य विनियमों के अधीन रखा गया है। इन अनिवार्य विनियमों को निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 के अध्याय 1क के अंतर्गत आयात हेतु सामान्य शर्तों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएच) वर्गीकरण, 2004-09 की अनुसूची-II के अनुसार निर्यातों को निर्यात (क्वालिटी

नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 आदि के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणन अपेक्षाओं के अधीन रखा जाता है। ये प्रमाणन डब्ल्यूटीओ के एसपीएस तथा टीबीटी करारों की दृष्टि से और निर्यातों के संबंध में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स/सैटेलाइट टाउनशिप्स हेतु मानदंडों में संशोधन

5701. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मेगासिटी प्रोजेक्ट्स/सैटेलाइट टाउनशिप्स के विकास हेतु मानदंडों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो नए मानदंडों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में अवसंरचना के विकास हेतु भारी राशि निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अवस्थापनात्मक विकास के लिए सुधार में जुड़ी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए चुनिंदा शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) तथा एनयूआरएम के तहत शामिल नहीं किये गये शहरों/कस्बों हेतु छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) शुरू करने का प्रस्ताव है। इससे संबंधित ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

टार्गेट प्लस स्कीम

5702. **श्री मुन्शी राम:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए टार्गेट प्लस स्कीम आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन निर्यातकों की व्यापारावर्त्त सीमा क्या है जो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या इस स्कीम के लाभ केवल उन्हीं निवेशकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं जिनका गत वर्ष का व्यापारावर्त 10 करोड़ रुपए था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) टार्गेट प्लस स्कीम एक पुरस्कार स्कीम है जिसका उद्देश्य उच्च निष्पादन वाले उन दर्जाधारकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है जिन्होंने 2003-04 में अपने निष्पादन की तुलना में वर्ष 2004-05 में क्रमिक वृद्धि का कतिपय निर्दिष्ट प्रतिशत प्राप्त किया है। वर्ष 2004-05 में क्रमिक वृद्धि दर वर्ष 2003-04 में 10 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार के साथ 20% निर्धारित की गई है। शुल्क ऋण हकदारी 100% वृद्धि की उच्चतम सीमा के साथ 5%, 10% और 15% निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

खेल संस्थाओं को वित्तीय सहायता

5703. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में खेलों को बढ़ावा देने के कार्य से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ख) इन संस्थाओं द्वारा धनराशियों के उपयोग के तौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुशील दत्त): (क) भारत सरकार इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ जैसी खेल संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये सभी संस्थाएं अखिल भारतीय आधार पर कार्य कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त खेल संस्थाओं को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

'विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों' की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत (1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित) देश में 1193 विश्वविद्यालयों और कालेजों को पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 30.80 करोड़ रु. की सहायता जारी की गई है, जिसमें कर्नाटक के 120 विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को दी गयी लगभग 2.40 करोड़ रु. की सहायता

भी शामिल है। 'खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों' की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत (1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित) राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों को सहायता की जाती थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल सुविधाओं के सृजन के लिए कर्नाटक के गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गयी है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई धनराशि
	2002-2003	
1.	पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी द्वारा मंड्या में आऊटडोर स्टेडियम	1.80
2.	के.एम. करियप्पा बहुउद्देशीय आडिटोरियम न्यास द्वारा मेडीकेरी, कोडागू जिले में इंडोर स्टेडियम	1.00
	2003-2004	
3.	पूर्नाप्रज्ञा शिक्षा केन्द्र, बंगलौर में खेल मैदान का विकास	0.04
	2004-2005	
4.	मनिक प्रभु शिक्षण समिति द्वारा मानिक नगर, जिला बीदर में तरणताल	12.50
5.	मल्लाड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी, होनावर, जिला उत्तर कनाडा द्वारा होनावर में इंडोर स्टेडियम	33.50
6.	जवाहर एजुकेशन सोसायटी द्वारा गुंडलूपेट, चामराजनगर में इंडोर स्टेडियम	27.00

(ख) अनुदानग्राही संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ को आगे सहायता जारी करने के लिए सरकारी अनुदानों के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना होगा।

'विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों' की भूतपूर्व योजना के अंतर्गत, उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के मामले में, अनुमोदित अनुदानों का 90% पहले जारी किया गया था तथा शेष अनुदानों को उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षित लेखों, खरीदे गए उपस्करों की सूची आदि के प्राप्त होने पर जारी किया गया था। विश्वविद्यालयों और कालेजों की अवस्थापना परियोजनाओं के मामले में, अनुमोदित अनुदानों की प्रथम किस्त केवल तभी जारी की गयी थी जब अनुदानग्राही संस्थाओं ने परियोजना की लागत का अपना पूरा हिस्सा खर्च कर लिया था तथा प्रगति रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत कर दिए थे। बाद की अनुदानें उपयोग/समापन प्रमाणपत्रों आदि के प्राप्त होने पर ही जारी की गई थीं।

'खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों' की पूर्व योजना के अंतर्गत, अनुमोदित अनुदानों की प्रथम किस्त केवल तभी जारी की गयी थी जब गैर सरकारी संगठनों सहित अनुदानग्राही ने परियोजना की लागत के अपने पूरे हिस्से का कम से कम 50% खर्च कर लिया था तथा प्रगति रिपोर्ट, फोटोग्राफ आदि भेज दिए थे। बाद की अनुदानें उपयोग/समापन प्रमाण पत्रों, लेखा परीक्षित लेखाओं, फोटोग्राफ आदि के प्रस्तुत करने पर ही जारी की गई थी।

विवरण

खेल संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ (धनराशि रुपयों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	1500974	662657	1424960
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	11681426	16681512	11190285

1	2	3	4	5
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	2795514	1598625	11936264
4.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	1511417	0	0
5.	बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद	871899	1177522	3001819
6.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	9069998	7025325	21508199
7.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	700000	1600000	1250000
8.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	1475000	1775000	1400000
9.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	1737015	3485770	2500000
10.	भारतीय तीरंदाजी संघ	2626548	6883370	5894567
11.	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ	1200000	1650000	750000
12.	भारतीय बैडमिंटन संघ	13155431	15980746	16016311
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	1240000	1050000	550000
14.	भारतीय बास्केबाल परिसंघ	3232936	4396382	4960748
15.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	3009347	2416455	2352264
16.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	1251489	1000000	675000
17.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	2640253	2808508	1637993
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	6805902	2539252	3276426
19.	भारतीय फेन्सिंग संघ	8065684	1959832	1707407
20.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	12687301	3601507	1887622
21.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	8984951	10842412	8127806
22.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	50000	0	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	3343796	1853785	3247660
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	7017214	12878010	19421032
25.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ	2086136	2720945	1606414
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	44491859	5877202	124145335
27.	भारतीय पोलो संघ	176913	20241738	161657
28.	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	1200000	1750000	1300000
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	3488197	5995302	7987832

1	2	3	4	5
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	3510110	3087071	11034974
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	2986892	4435620	5637239
32.	भारतीय खो-खो परिसंघ	1450000	1250000	1891700
33.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ	1334539	1150000	1250000
34.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	7085207	5918312	13687594
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	17436465	17455572	21837241
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	1200000	1645900	750000
37.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	0	900000	1500000
38.	भारतीय रोईंग परिसंघ	3642641	4839159	11843540
39.	भारतीय स्कूल खेल परिसंघ	1484869	1962015	0
40.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	1200000	1000000	750000
41.	भारतीय शूटिंग वाल परिसंघ	0	2100000	1200000
42.	भारतीय साफ्टबाल संघ	1699291	1000000	140000
43.	भारतीय स्कवैश रैकेट परिसंघ	9646888	1858975	11936866
44.	भारतीय तैराकी परिसंघ	4602717	6012609	1176457
45.	भारतीय टेबल टैनिस परिसंघ	7100759	7490815	11678239
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	1756800	2321784	600000
47.	भारतीय टेन्निकोइट परिसंघ	1200000	1150000	1050000
48.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	1650000	1200000	700000
49.	भारतीय रस्साकस्सी परिसंघ	1650000	1150000	1250000
50.	भारतीय बालीबाल परिसंघ	5061449	7655295	3216953
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	300000	0	500000
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	10977678	23488942	22535117
53.	भारतीय याटिंग संघ	10549498	15988068	15988462
54.	भारतीय वूशू संघ	750000	150000	1050000
55.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	212000	1227400	964437
	कुल	265579954	364349456	416356420

अन्य संस्थान

(लाख रुपयों में)

1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	12446	11405.65	15223
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	570	696.50	900
3.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	22.50	53.50	62.64

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों को सम्मिलित करना

5704. श्री अजीत जोगी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से अनुसूचित जनजातियों की सूची में और नई जनजातियों को सम्मिलित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में पर्यायों सहित 13 और समुदायों को शामिल करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर अनुमत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

5705. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम आधारों के विस्तार हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के कौन से नए विषय आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन प्रस्तावित नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कुछ नए पाठ्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

संस्थान का नाम	शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम
1	2
आईआईटी, मुम्बई	* 'नैनोसाइंस' में विशेषज्ञता सहित बी.टेक. (इंजीनियरी भौतिकी) और एम.टेक में 5 वर्षीय समेकित द्वि-डग्री कार्यक्रम
आईआईटी, खड़गपुर	* इंजीनियरी की किसी शाखा में बी.टेक. (ऐच्छिक) और एम.बीए सहित 5 वर्षीय द्वि-डिग्री कार्यक्रम
	* स्टैटिस्टिक्स और इन्फार्मेटिक्स में 5 वर्ष समेकित एम एस सी पाठ्यक्रम
	* अर्थशास्त्र में 5 वर्षीय समेकित एम एस सी पाठ्यक्रम
	* स्टैटिस्टिक्स और इन्फार्मेटिक्स में दो वर्षीय एम एस सी पाठ्यक्रम (बी एस सी के पश्चात लेटरल एन्ट्री हेतु)
	* खनन इंजीनियरी में बी.टेक और सुरक्षा इंजीनियरी में एम. टेक तथा खान आपदा प्रबंधन सहित 5 वर्षीय द्वि-डिग्री पाठ्यक्रम
आईआईटी, कानपुर	* 5 वर्षीय समेकित एम एस सी अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम
आईआईटी, गुवाहाटी	* रसायन विज्ञान में 5 वर्षीय समेकित एम एस सी

1	2
आईआईटी, रुड़की	* विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान में 5 वर्षीय समेकित एम एस सी/एम टेक कार्यक्रम
	* इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में 5 वर्षीय समेकित कार्यक्रम
	* इंजीनियरी/वास्तुकला में 5 वर्षीय समेकित द्वि-डिग्री कार्यक्रम
	* एमबीए सहित इंजीनियरी में 5 वर्षीय समेकित द्वि-डिग्री कार्यक्रम
आईआईटी, मद्रास	* इंजीनियरी डिजाइन में द्वि-डिग्री कार्यक्रम
	* गणित, भौतिकी और रसायन में समेकित एम एस सी कार्यक्रम
आईआईटी, दिल्ली	* द्वि-डिग्री (बी.टेक और एम.टेक) पांच-वर्षीय कार्यक्रम
	(1) बायोकैमिकल इंजीनियरी और बायोटेक्नोलाजी में बैचलर आफ टेक्नोलाजी (बी.टेक), और बायोकैमिकल इंजीनियरी और बायोटेक्नोलाजी में मास्टर आफ टेक्नोलाजी (एम.टेक.)
	(2) कैमिकल इंजीनयरी में बैचलर आफ टेक्नोलाजी (बी.टेक.) और कम्प्यूटर एप्लिकेशंस इन कैमिकल इंजीनियरी में मास्टर आफ टेक्नोलाजी (एम.टेक.)
	(3) कैमिकल इंजीनियरी में बैचलर आफ टेक्नोलाजी (बी.टेक.) और प्रोसेस इंजीनियरी एण्ड डिजाइन में मास्टर आफ टेक्नोलाजी (एम.टेक.)
	(4) कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरी में बैचलर आफ टेक्नोलाजी (बी.टेक.) और कम्प्यूर साईस एण्ड इंजीनियरी में मास्टर आफ टेक्नोलाजी (एम.टेक.)
	(5) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में बैचलर आफ टेक्नोलाजी (बी.टेक.) और इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी में मास्टर आफ टेक्नोलाजी (एम.टेक.)
	* समेकित मास्टर आफ टेक्नोलाजी: (समेकित एम टेक)-पांच वर्षीय कार्यक्रम
	(1) गणित और कम्प्यूटिंग में मास्टर आफ टैक्नोलाजी
	* निम्नलिखित नए कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है:
	(1) 'नैनोसाइंस' में विशेषज्ञता सहित इंजीनियरी भौतिकी में द्वि-डिग्री कार्यक्रम
	(2) समेकित बी टेक और एमबीएम कार्यक्रम (पांच वर्षीय)

(ग) इन कार्यक्रमों में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (जेईई/गेट आदि) की वर्तमान प्रणाली के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भोटिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

5706. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल सरकार ने राज्य में धारचूला, मुन्स्यारी और जोशीमठ में भोटिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) भोटिया समुदाय को

पहले से ही "संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सी.ओ. 78)" के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में 1967 से ही अधिसूचित किया जा चुका है। यह उत्तरांचल में भी लागू है।

[अनुवाद]

जनजातियों में असंतोष

5707. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जनजातियों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा है और उनके विभिन्न प्रकार के शोषण के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में अशांति फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समय-समय पर सिफारिश की गई है संवैधानिक, विधिक या अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से इसे रोकने के लिए कदम उठाए गए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) सरकार अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त असंतोष से अवगत है।

(ख) और (ग) अनुसूचित क्षेत्रों में स्व-शासन की संस्था के रूप में कार्य करने हेतु ग्राम सभाओं/पंचायतों को अधिकार देने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानों को लागू किया गया है।

पेसा के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम सभा/पंचायतों को समुचित स्तर पर निम्नलिखित अधिकार दिए गए है:

(अ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का नियोजन एवं प्रबंधन। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए भावी अनुज्ञप्ति या खनन के पट्टे देने से पूर्व ग्राम सभाओं/ पंचायतों की अनुशंसा अनिवार्य होगी।

(ब) नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने के लिए ग्रामसभा/पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी।

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से निम्नलिखित अधिकार दिए गए है:

1. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं, परियोजनाओं, एवं कार्यक्रमों को इससे पूर्व कि पंचायते उन्हें ग्राम-स्तर पर कार्यान्वित करें, अनुमोदित करना।
2. गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अर्न्तगत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन की जिम्मेदारी;
3. किसी मादक पदार्थ की बिक्री और उपभोग नियमित या सीमित अथवा निषिद्ध करने का अधिकार
4. लघु वन्य उत्पादों का स्वामित्व
5. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापस कराने के लिए समुचित कार्रवाई करने का अधिकारी;

अनुसूचित जनजातियों का शोषण रोकने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 को लागू किया गया है।

जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना से ही विद्यमान है। इस कार्यक्रम के अनुसार, किसी राज्य की नियोजित निधि में से कम से कम उस राज्य की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर धनराशि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए खर्च की जानी है। इसी तरह प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा अपनी योजना निधियों का 8% अनुसूचित जनजातियों के लिए खर्च किया जाना है।

ये अनुसूचित जनजातियों के हित लाभ के लिए उठाए गए कुछ कदम है।

[हिन्दी]

वर्ष 1984 के दंगों के पीड़ित व्यक्तियों हेतु ऋण राहत योजना

5708. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्ष 1984 के दंगों के पीड़ित व्यक्तियों हेतु 'ऋण राहत योजना' के

रूप में जारी आर्थिक पैकेज के लाभ विभिन्न राज्यों के प्रभावित व्यक्तियों तक समान रूप से नहीं पहुंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी प्रभावित व्यक्तियों को एकमुश्त राहत देने का प्रबंध करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1984 के दंगों के पीड़ित व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) दंगों के पीड़ित व्यक्तियों को अब तक दी गई राहत का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित कर्जदारों हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित ऋण राहत स्कीम (संशोधित) के तहत कुछ शर्तों के अध्यधीन 1 नवम्बर, 1984 को अथवा तत्पश्चात मूलधन के रूप में 50,000/- रु. तक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए पात्र ऋणों को माफ करके राहत प्रदान की गई थी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1984 दंगों के 19332 पीड़ितों को अभी तक निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार राहत प्रदान की गई है:

	व्यक्तियों की संख्या	राशि रुपयों में
3.5 लाख की दर से बढ़ा हुआ मृत्यु मुआवजा	2327	72,69,27,766/-
चोटों के लिए मुआवजा	2603	54,62,000/-
नष्ट रिहाइशी सम्पत्तियों के लिए मुआवजा	10987	5,83,68,000/-
औद्योगिक सम्पत्तियों सहित अबीमित परिसरों अथवा पसिम्पत्तियों हेतु मुआवजा	3415	4,77,42,561/-
'ऋण राहत स्कीम' के अन्तर्गत पात्र ऋण का अधिकार		3,42,815/-

अन्य प्रभावित राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में मोटलों का निर्माण

5709. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मोटलों के निर्माण की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) तथा ऊंचाई के संबंध में शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किसी मामले में मानदंडों में छूट दी गई है अथवा छूट दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली में दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण उपयोग जोन/हरित पट्टी तथा वाणिज्यिक जोनों में राष्ट्रीय राजमार्गों और न्यूनतम 20 मी. चौड़ी अंतर्राज्यीय सड़कों पर उनके समानान्तर वाली सर्विस रोड पर मोटलों के निर्माण की अनुमति दी जाती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.6.1995 को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी विनियमों में यह विनिर्दिष्ट है:

(1) वाणिज्यिक जोनों में स्थित मोटलों के मामले में होटलों के लिए लागू मानक और भवन मानदंड लागू होंगे।

(2) ग्रामीण जोन/हरित पट्टी में मोटलों के मामले में पहले और दूसरे हेक्टेयर पर अधिकतम 1500 वर्ग मी. के फर्शी क्षेत्र के अध्यधीन 15 का फर्शी क्षेत्र अनुपात और शेष भूमि क्षेत्र के 5% जो अधिकतम 1500 वर्ग मी. की शर्त के अध्यधीन हो और ऊंचाई 9 मीटर हो, की अनुमति होगी।

(ग) और (घ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि मोटलों के लिए मानकों में छूट के लिए प्राप्त प्रतिवेदनों को, दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को अन्तिम रूप देने संबंधी कार्रवाई के भाग के रूप में जांच हेतु, शामिल कर लिया गया है।

उर्दू पुस्तकों की अनुपलब्धता

5710. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा नौवीं और बारहवीं की उर्दू माध्यम की पाठ्यपुस्तकें बाजार से गायब हैं जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 2005 के 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बारहवीं की बोर्ड की परीक्षा के सैम्पल पेपर सी.बी.एस.ई. की साइट पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में तो उपलब्ध है किन्तु उर्दू भाषा में उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई. ने छात्रों के सामने आ रही इस कठिनाई को दूर करने हेतु कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने कक्षा I से XII हेतु उर्दू की 52 पुस्तकें जारी की है जिनमें सभी भाषा पाठ्य पुस्तकें, गणित पुस्तकों के अनुवाद, विज्ञान तथा समाज विज्ञान आदि की पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उर्दू माध्यम में सैम्पल पेपर तैयार नहीं किया है। उर्दू माध्यम से सैम्पल पेपर उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उर्दू हेतु सैम्पल पेपर प्रकाशित किया है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की उर्दू पाठ्यपुस्तकें इस परिषद् के राष्ट्रीय संवितरण, उर्दू अकादमी, नई दिल्ली द्वारा देश भर में उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा आदि में विज्ञापन भी दिया है जिसमें स्कूली बच्चों की सुविधार्थ इन पाठ्यपुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं। जिन विद्यालयों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की उर्दू पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है वे अपने आर्डर अपने-अपने क्षेत्र के थोक विक्रेताओं, उर्दू अकादमी, दिल्ली को अथवा सीधे एन.सी.ई.आर.टी. को भेज सकते हैं।

1947 के शरणार्थियों को मुआवजा

5711. श्री मदन लाल शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत में 1947 के शरणार्थियों को राहत/मुआवजा देने का आश्वासन दिया था लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनके लिए शीघ्र राहत कार्य किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) 1947 में विभाजन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और इससे संबंधित अधिनियम अधिनियमित किए गए। इन अधिनियमों में, विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को मुआवजे की अदायगी हेतु नियम बनाने और मात्रा निर्धारित करने के अधिकार केन्द्र सरकार के पास हैं। इन विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा देने और पुनर्वास का कार्य इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया।

पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों, जो 1947 में विभाजन के परिणामस्वरूप भारत में आए गए थे, को राहत और पुनर्वास प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय किए गए थे। इन विस्थापित व्यक्तियों को भोजन, कपड़े, आश्रय स्थल और चिकित्सा सहायता दी गई और उन्हें तब तक राहत शिविरों में जगह दी गई जब तक वे स्वयं अपना पुनर्वास नहीं कर लेते। कृषि और घर के लिए भूमि के अधिग्रहण को शामिल करने हेतु विभिन्न योजनाएं भी मंजूर की गई थीं। पुनर्वास की निर्धारित मात्राओं के अनुसार भूमि खरीदने, लघु व्यापार, व्यवसाय, शैक्षणिक, चिकित्सा और रोजगार सुविधाओं के लिए अग्रिम ऋण दिए गए। बसाई गई कालोनियों, जहां परिस्थितियों से मजबूर होकर हजारों परिवार बस गए भी नियमित की गई थीं।

1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी हमले के बाद, काफी संख्या में परिवार पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) से भारत में प्रवास कर गए। इन विस्थापित लोगों की दु:ख-तकलीफों को कम करने के उद्देश्य से, उन्हें 1947-48 से, समय-समय पर, राहत सहायता प्रदान की गई और नवीनतम राहत पैकेज की घोषणा वर्ष 2000 में की गई, जिसमें अनुग्रहपूर्वक अनुदान, भूमि की कमी और प्लाटों के आबंटन के बदले में नकद मुआवजा शामिल है।

कपास पर आयात शुल्क

5712. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और अन्य कपास उत्पादक राज्यों ने देश में कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कपास के आयात पर ज्यादा शुल्क दर लगाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) कपास के आयात पर सीमाशुल्क बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। प्रयोक्ता टेक्सटाइल मिलों को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर वांछित गुणवत्ता मापदंड वाली कच्ची सामग्री की खरीद में समर्थ बनाने के लिए सीमा शुल्क (वर्तमान में 10%) के भुगतान के अध्यधीन कपास का आयात मुक्त है। इस समय कपास के आयात पर सीमाशुल्क में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। कपास के आयात के पिछले कपास वर्ष (अक्तूबर, 2003-सितम्बर, 2004) में 7.21 लाख गांठों से घटकर चालू कपास वर्ष (अक्तूबर, 2004-सितम्बर, 2005) में 6 लाख गांठ रह जाने की संभावना है।

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) प्रचालनों के माध्यम से कपास उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। जब भी कपास (बीजयुक्त कपास) की बाजार कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के स्तर तक गिर जाती हैं, सीसीआई द्वारा समर्थ कीमतें शुरू की जाती हैं और किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना कपास खरीदा जाता है। 19 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार चालू कपास वर्ष के दौरान एमएसपी प्रचालनों के अंतर्गत सीसीआई ने 26.98 लाख लिंट कपास गांठों (प्रत्येक 170 किग्रा. की) के समतुल्य 138.35 लाख क्विंटल कपास खरीदा हैं।

अनुच्छेद 356 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5713. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई मामले में अपने निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 356 में कतिपय सुझावों को शामिल करने के संबंध में सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारिया आयोग ने भी इसी तरह के कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये सुझाव अनुच्छेद 356 में कार्यान्वित और शामिल किए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) अनुच्छेद 356 में उपर्युक्त/संशोधन द्वारा कब तक इन सुझावों को शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (छ) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने अनुच्छेद 356 के उपबंधों की व्याख्या की थी। 11 मार्च, 1994 को बोम्मई मामले में लिए गए निर्णय की कुछ मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

1. यद्यपि विधान सभा भंग करने की शक्ति निर्विवादित रूप से अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) में निहित है, समग्र संवैधानिक स्कीम को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाना चाहिए कि खण्ड (3) के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा किए जाने के बाद ही राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेंगे, उसे पहले नहीं।

2. अनुच्छेद 74(2) उस सामग्री की छान-बीन करने में रूकावट नहीं डालता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपने आप को इससे संतुष्ट करते हैं।

3. अनुच्छेद 356(1) के अधीन उद्घोषणा की न्यायिक पुनरीक्षा किया जाना निरापद नहीं है।

4. धर्म-निरपेक्षता, संविधान की एक मूल विशेषता है।

केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने भी अनुच्छेद 356 के क्षेत्र और प्रभाव की जांच की थी और इसमें "आपात प्रावधानों" पर अपनी रिपोर्ट के अध्याय VI में 12 सिफारिशें की थीं। उच्चतम न्यायालय ने बोम्मई मामले में टिप्पणी की कि अनुच्छेद 356 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर सभी संबंधितों द्वारा गंभीर रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। अनुच्छेद 356 के बारे में सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

1. अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए।

2. चूककर्त्ता राज्य को इस आशय की चेतावनी, साफ शब्दों में, जारी की जानी चाहिए कि वह राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

3. राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति में, राज्यपाल को ऐसी सरकार का गठन करने की सभी संभावनाओं का पता

लगाना चाहिए जिसे विधान सभा में बहुमत हासिल हो। यदि ऐसी सरकार गठित किए जाने की संभावना हो और यदि परिहार्य विलम्ब के बिना नए चुनाव कराये जा सकते हों तथा उन्हें निवर्तमान मंत्रिमण्डल, यदि वहां पर एक मंत्रिमंडल हो, से कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करते रहने के लिए कहना चाहिए बशर्ते कि वे मंत्रिमण्डल नीति संबंधी प्रमुख मुद्दे पर ही परास्त हुआ हो, उस पर कुप्रशासन या भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगा हो तथा वह कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करने को तैयार हो।

4. अनुच्छेद 356(1) के अधीन जारी उद्घोषणा को संसद में प्रस्तुत किए जाने और संसद को उस पर विचार करने का अवसर दिए जाने से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधान सभा भंग नहीं की जानी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

5. ''दुर्भाग्यपूर्ण आधार पर'' न्यायिक पुनरीक्षा के उपाय को कुछ और अर्थपूर्ण बनाने के लिए उचित संशोधन के माध्यम से इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी जिन महत्वपूर्ण तथ्यों और आधारों पर अनुच्छेद 356(1) को लागू किया जाता है उन्हें उस अनुच्छेद के अधीन जारी उद्घोषणा का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

6. राज्यपाल की रिपोर्ट ''सकारण दस्तावेज'' होना चाहिए जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और आधारों का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण अंतर्निहित होना चाहिए जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपने आपको संतुष्ट कर सकें कि अनुच्छेद 356 में उल्लिखित स्थिति है या नहीं।

अंतर-राज्यीय परिषद ने अपनी आठवीं बैठक में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की और गृह मंत्रालय को कुछ सिफारिशें की। गृह मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर अंतर-राज्यीय परिषद के विचारों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया। यद्यपि, इनमें से अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है और कार्यान्वित की जा रही हैं, फिर भी यह पाया गया है कि इनके कारण संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करने पर विचार करते समय बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो हमेशा ही ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

पुस्तकालय अध्यक्षों हेतु कैरियर तरक्की सुविधाएं

5714. श्री संतोष गंगवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के संवर्ग हेतु कैरियर तरक्की सुविधा की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सुविधा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के संवर्ग पर भी ग्राह्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सरकार विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के संवर्ग के लिए कैरियर प्रौन्नति स्कीम की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. उपाधि दिया जाना

5715. डा. के. धनराजू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रदान की गई पी.एच.डी. उपाधियों का वर्ष-वार विषय-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी उपाधियों का कभी मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कालेज/विश्वविद्यालय अध्यापकों को पी.एच.डी. कर रहे हैं/को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान डाक्टरेट डिग्री (पी.एच.डी./डी.लिट/ डी.एस.सी.) प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए शोध प्रबंधों की राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार, विषय-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I, II और III संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। डिग्री प्रदान करने वाले प्राधिकरण अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से मूल्यांकन और निर्धारण के बाद ही शोध प्रबंध डिग्री प्रदान करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी संकाय सुधार कार्यक्रम स्कीम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षकों को एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान करने के लिए अपने अकादमिक/अनुसंधान कार्यकलाप पूरे करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण I

विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. उपाधि

(2000-2001)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय संस्थाएं	कला	विज्ञान	वाणिज्य	शिक्षा	इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि	पशु विज्ञान	विधि	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आंध्र प्रदेश											
1.	आन्ध्र	42	42	4	3	17	0	0	0	4	9	121
2.	आचार्य एनजी रंगा कृषि	0	2	0	0	0	0	32	5	0	0	39
3.	डा. बीआर अम्बेडकर मुक्त	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7
4.	हैदराबाद	255	39	0	0	0	0	0	0	0	2	66
5.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्यो.	1	7	0	0	23	0	0	0	0	0	31
6.	कैकतिया	11	27	7	0	4	6	0	0	0	0	55
7.	नागार्जुन	9	2	6	2	0	0	0	0	0	0	19
8.	उस्मानिया	50	116	13	17	9	0	0	0	5	3	213
9.	श्री कृष्ण देव राय	21	33	10	0	0	0	0	0	0	4	68
10.	श्री पदमावती महिला	2	1	0	1	0	0	0	0	0	5	9
11.	श्री वेंकटेश्वर	34	41	5	0	0	0	0	0	0	2	82
12.	पी.एस. तेलुगु	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
13.	सी.आई.ई.एफ.एल.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
14.	राष्ट्रीय संस्कृत	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15.	श्री सत्य साई संस्थान	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	कुल	234	314	47	23	53	6	32	5	9	25	748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					अरुणाचल प्रदेश							
16.	अरुणाचल	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
	कुल	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
					असम							
17.	असम	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
18.	असम कृषि	0	2	0	0	0	0	21	3	0	0	26
19.	डिब्रूगढ़	17	13	0	2	0	0	0	0	0	0	32
20.	गुवाहाटी	21	49	4	7	1	1	0	0	0	1	84
21.	तेजपुर	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	39	66	4	10	1	1	21	3	0	1	145
					बिहार							
22.	बी.एन. मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
23.	जय प्रकाश	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
24.	के.एस. दरभंगा	24	0	0	0	0	2	0	0	0	0	26
25.	एल.एन. मिथला	93	35	5	0	0	0	0	0	0	1	134
26.	मगध	163	77	11	0	0	0	0	0	0	0	251
27.	पटना	108	18	3	6	1	2	0	0	0	1	139
28.	राजेन्द्र कृषि	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
29.	टी.एम. भागलपुर	54	13	7	0	0	0	0	0	0	1	75
30.	वीर कुंवर सिंह	61	19	4	0	0	0	0	0	0	2	86
	कुल	510	164	31	6	1	4	4	0	0	5	725
					छत्तीसगढ़							
31.	गुरु घासीदास	40	16	2	8	0	0	5	0	0	0	71
32.	इंदिरा गांधी कृषि	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
33.	इंदिरा कला संगीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
34.	पं. रवि शंकर शुक्ला	33	15	7	1	1	0	0	0	0	0	57
	कुल	73	31	9	9	1	0	7	0	0	14	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					दिल्ली							
35.	दिल्ली	91	104	16	7	5	6	0	0	15	14	258
36.	जामिया मिलिया इस्लामिया	12	7	4	4	2	0	0	0	0	0	29
37.	जवाहरलाल नेहरू	180	42	0	0	0	0	0	0	0	0	222
38.	भारतीय कृषि	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	116
39.	जामिया हमदर्द	1	23	0	0	0	8	0	0	0	0	32
40.	एन.एम. कला इतिहास संस्थान	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
41.	केएलबीएस राष्ट्रीय संस्कृत	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
42.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28
43.	आई आई टी	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87
	कुल	303	176	20	11	94	42	116	0	15	14	791
					गोवा							
44.	गोवा	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	12
	कुल	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	12
					गुजरात							
45.	भावनगर	4	22	3	0	0	0	0	0	0	0	29
46.	गुजरात	17	23	2	3	1	2	0	0	0	0	48
47.	गुजरात कृषि	0	0	0	0	0	0	28	9	0	0	37
48.	गुजरात आयुर्वेद	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
49.	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय	12	19	4	7	5	0	0	0	0	0	47
50.	उत्तरी गुजरात	24	18	2	3	0	0	0	0	0	0	47
51.	सरदार पटेल	6	26	3	0	0	0	0	0	0	1	36
52.	सौराष्ट्र	18	19	2	6	0	0	0	0	2	0	47
53.	दक्षिण गुजरात	13	26	2	8	1	0	0	0	0	0	56
54.	गुजरात विद्यापीठ	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	10
	कुल	101	154	18	29	7	8	28	9	2	1	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					हरियाणा							
55.	चौ. चरण सिंह	1	21	0	0	0	0	41	24	0	0	87
56.	गुरु झाम्बेश्वर	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	10
57.	कुरूक्षेत्र	46	9	5	4	4	0	0	0	2	16	86
58.	महर्षि दयानन्द	32	11	9	8	2	0	0	0	0	3	65
59.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
	कुल	79	41	23	12	7	0	57	24	2	19	264
					हिमाचल प्रदेश							
60.	डा. वाई.एस. परमार	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
61.	हिमाचल प्रदेश	34	16	6	4	0	0	0	0	0	0	60
62.	चौ. एस. कुमार एच.पी. कृषि	0	4	0	0	0	0	5	0	0	0	9
	कुल	34	20	6	4	0	0	20	0	0	0	84
					जम्मू और कश्मीर							
63.	जम्मू	22	32	5	7	0	0	0	0	3	0	69
64.	कश्मीर	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15
65.	एस.के. कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	कुल	34	35	5	7	0	0	2	0	3	0	86
					झारखण्ड							
66.	बिरसा कृषि	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
67.	रांची	63	27	7	0	2	0	0	0	0	0	99
68.	सिद्धू कान्हू	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
69.	विनोवा भावे	28	21	7	0	0	0	0	0	0	0	48
70.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	7
71.	भारतीय खनन विद्यालय	1	13	0	0	6	0	0	0	0	0	20
	कुल	93	64	14	0	10	5	8	0	0	0	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						कर्नाटक						
72.	बंगलौर	33	40	4	4	6	7	0	0	0	8	102
73.	गुलबर्गा	10	18	3	2	0	0	0	0	0	0	33
74.	कन्नड	18	1	0	0	0	0	0	0	0	3	22
75.	कर्नाटक	32	20	3	1	0	0	0	0	1	7	64
76.	कुवेम्पू	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	12
77.	मंगलौर	9	12	0	0	2	0	0	0	0	1	24
78.	मैसूर	45	56	8	5	4	0	0	0	1	6	125
79.	राष्ट्रीय विधि विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	0	0	0	0	0	0	45	7	0	0	52
81.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	0	3	0	0	0	0	30	2	0	0	35
82.	कर्नाटक राज्य मुक्त	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83.	भारतीय विज्ञान संस्थान	0	104	0	0	67	0	0	0	0	0	171
84.	मनीपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	7
85.	राष्ट्रीय म. संस्थान	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22
	कुल	154	261	18	14	79	33	75	9	3	25	671
						केरल						
86.	कालीकट	22	11	2	7	3	1	0	0	0	0	46
87.	कोचीन वि. प्रौ. वि.	13	42	0	0	3	0	0	0	5	0	63
88.	केरल	31	63	9	5	2	2	0	0	1	1	114
89.	केरल कृषि	0	1	0	0	0	0	21	1	0	0	23
90.	महात्मा गांधी	34	26	0	1	0	0	0	0	3	3	64
91.	श्री शंकराचार्य	9	0	0	1	0	2	0	0	0	0	12
92.	श्री चित्र तिरूनल संस्थान	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	कुल	109	143	11	14	8	7	21	1	9	4	324
						मध्य प्रदेश						
93.	अवधेश प्रताप सिंह	38	20	1	1	0	1	0	0	0	0	61
94.	बरकतुल्ला	47	43	5	8	4	3	0	0	0	9	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95.	देवी अहिल्या	27	31	6	2	1	5	0	0	1	1	76
96.	डा. हरी सिंह गौर	34	27	6	0	3	0	0	0	0	2	70
97.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
98.	रानी दुर्गावती	43	24	12	4	2	0	0	0	3	0	88
99.	विक्रम	27	21	5	3	0	0	0	0	1	3	60
100.	एम.एम. योगी वैदिक	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
101.	जे.एन. कृषि	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
102.	आर.जी. प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
103.	एल.बी. एन.आई.पी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	कुल	221	166	36	18	11	9	1	1	5	21	489
					महाराष्ट्र							
104.	अमरावती	9	4	2	1	2	2	0	0	0	3	23
105.	मुम्बई	30	93	7	8	27	3	0	0	7	2	177
106.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	18	20	9	0	0	0	0	0	1	1	49
107.	डा. पंजाबराव देशमुख	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	10
108.	डा. बी. सावंत कोनकन कृषि	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
109.	महात्मा फूले कृषि	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
110.	मराठवाडा कृषि	0	0	0	0	1	0	23	2	0	0	26
111.	नागपुर	23	39	9	6	6	8	0	0	5	2	98
112.	नार्थ महाराष्ट्र	6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	17
113.	पुणे	68	88	20	11	2	7	0	0	1	3	200
114.	एस.एन.डी.टी. महिला	6	5	0	3	3	0	0	0	0	4	17
115.	शिवाजी	15	26	12	6	2	0	0	0	0	9	70
116.	स्वामी रामानन्द तीर्थ	6	5	1	2	0	0	0	0	0	0	14
117.	बाई.सी. महाराष्ट्रा ओपन	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	7
118.	केन्द्रीय मत्स्य संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
119.	डेकन कालेज	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120.	आई.आई.पी.एस.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
121.	टाटा सा.वि. संस्थान	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
122.	तिलक महाराष्ट्रा	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
123.	आई.जी. आई.डी.आर.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
124.	भारती विद्यापीठ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
125.	आई.आई.टी.	3	21	1	0	48	0	0	0	0	0	73
	कुल	217	312	63	40	91	21	46	10	14	25	835
						मणिपुर						
126.	मणिपुर	10	6	6	1	0	0	0	0	0	0	23
	कुल	10	6	6	1	0	0	0	0	0	0	23
						मेघालय						
127.	पूर्वोत्तर पर्वतीय	26	19	0	4	0	0	2	0	0	0	51
	कुल	26	19	0	4	0	0	2	0	0	0	51
						नागालैंड						
128.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	कुल	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
						उड़ीसा						
129.	बहरामपुर	24	35	8	2	0	0	0	0	3	0	72
130.	उड़ीसा कृ. प्रौ. विश्व.	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
131.	सम्बलपुर	18	25	0	1	3	0	0	0	0	0	47
132.	श्री जगनाथ संस्कृति	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
133.	उत्कल	123	115	21	17	2	2	0	0	3	3	286
134.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
	कुल	186	175	29	20	5	2	12	0	6	4	439
						पंजाब						
135.	गुरु नानक देव	30	11	4	0	1	0	0	0	1	1	48
136.	पंजाब कृषि	1	8	1	0	3	0	44	11	0	0	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137.	पंजाबी	22	22	3	3	0	0	0	0	1	2	53
138.	थापर ई.प्रौ. संस्थान	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	5
139.	एन.आई.पी.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	कुल	53	44	8	3	6	3	44	11	2	3	177
						राजस्थान						
140.	जय नारायण व्यास	23	22	7	0	2	0	0	0	4	1	59
141.	कोटा ओपन	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
142.	एम. दयानन्द सरस्वती	28	26	9	2	0	0	0	0	0	0	65
143.	मोहनलाल सुखाडिया	24	35	9	4	0	0	0	0	1	0	63
144.	राजस्थान	133	54	44	17	5	7	0	0	12	19	291
145.	राजस्थान कृषि	0	3	0	0	0	0	28	4	0	0	35
146.	एम. प्रताप कृषि विश्व.	0	4	0	0	2	0	33	0	0	0	39
147.	बनस्थली	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8
148.	बिरला प्रौ. संस्थान	0	2	2	0	7	5	0	0	0	0	16
149.	जैन विश्व भारती	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
150.	राजस्थान विद्यापीठ	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13
	कुल	233	136	73	24	16	12	61	4	17	21	597
						तमिलनाडु						
151.	अलगप्पा	3	17	4	1	0	0	0	0	0	16	41
152.	अन्ना	1	36	0	0	28	0	0	0	0	0	65
153.	अन्नामलाई	18	25	0	2	4	3	19	0	0	6	71
154.	भारतीयार	25	31	7	3	5	0	0	0	0	0	77
155.	भारतीदासन	33	52	19	1	3	0	0	0	0	3	114
156.	मद्रास	104	166	19	9	0	5	0	0	3	8	314
157.	मदुराई कामराज	28	26	9	1	2	0	0	0	0	1	67
158.	मानोमणियम सुन्दरानार	30	27	2	3	2	0	0	0	0	1	65
159.	मदर टेरेसा वूमेन	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160.	तमिल	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
161.	तमिलनाडु कृषि	0	5	0	0	6	0	78	0	0	0	89
162.	टी.एन. डा. एमजीआर मेडिकल	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18
163.	ए.वी.	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11
164.	श्री सी.एस. सारस्वती	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
165.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14
166.	दक्षिण भारत हिन्दी	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
167.	आई आई टी	0	20	3	0	31	0	0	0	0	0	54
	कुल	300	420	63	20	81	26	97	0	3	35	1048
						त्रिपुरा						
168.	त्रिपुरा	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	कुल	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
						उत्तर प्रदेश						
169.	अलीगढ़ मुस्लिम	42	47	13	0	7	3	3	0	2	0	117
170.	इलाहाबाद	45	24	5	3	5	0	0	0	2	3	87
171.	नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
172.	बनारस हिन्दू	90	36	6	1	11	13	10	0	5	1	182
173.	बुन्देलखंड	11	17	1	2	0	0	2	0	0	0	33
174.	चन्द्रशेखर आजाद	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24
175.	चौधरी चरण सिंह	105	61	17	10	0	0	26	0	1	5	224
176.	डा. बी.आर. अम्बेडकर, आगरा	194	87	28	9	0	2	46	0	1	12	379
177.	डा. आर.एम.एल. अवध	43	23	2	7	2	0	0	0	0	0	77
178.	डी.डी.यू. गोरखपुर	43	13	3	9	0	0	6	0	1	1	76
179.	एम.जी. काशी विद्यापीठ	59	0	2	6	0	0	0	0	0	6	73
180.	वी.बी.एस. पूर्वांचल	68	37	1	7	0	0	8	0	0	0	121
181.	एमजेपी रोहिलखंड	120	47	10	7	0	0	0	0	0	16	200
182.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183.	छत्रपति साहूजी महाराज	81	41	5	17	6	0	21	0	0	6	177
184.	संजय गांधी पीजी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
185.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बतीय अध्ययन संस्थान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
186.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	2	5	0	7	0	0	0	0	0	1	15
187.	आई थी आर आई	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32
188.	आई आई टी	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	107
	कुल	946	438	93	85	138	19	176	32	12	51	1989
					उत्तरांचल							
189.	हेमवती नन्दन बहुगुणा	40	33	2	7	0	0	0	0	0	0	82
190.	कुमाऊं	86	34	8	7	0	0	3	0	0	0	137
191.	आईआईटी रूड़की	0	26	0	0	43	0	0	0	0	0	69
192.	फोरेस्ट	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28
193.	गुरुकुल कांगडी	34	14	0	0	0	0	0	0	0	0	48
	कुल	160	107	10	14	43	0	31	0	0	0	364
					पश्चिम बंगाल							
194.	बीदहान चन्द्रा कृषि	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
195.	बर्दवान	22	27	10	0	0	1	0	0	2	0	62
196.	कोलकाता	59	122	9	4	14	2	7	0	0	2	219
197.	जादवपुर	45	143	0	0	36	0	0	0	0	1	225
198.	कल्यानी	7	37	0	5	0	0	0	0	0	2	51
199.	नार्थ बंगाल	18	10	2	0	0	0	0	0	0	0	30
200.	रविन्द्र भारती	22	0	0	1	0	0	0	0	0	9	32
201.	विद्या सागर	4	2	1	0	0	0	0	0	0	2	9
202.	विश्व भारती	12	13	0	1	0	0	3	0	0	1	30
203.	पश्चिम बंगाल जन्तु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
204.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
205.	आई आई टी	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	कुल	190	365	22	11	125	3	27	1	2	17	763
	चंडीगढ़											
207.	पंजाब	66	53	4	18	1	1	0	0	1	10	154
208.	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17
	कुल	66	53	4	18	1	18	0	0	1	10	171
	पांडिचेरी											
209.	पांडिचेरी	16	5	7	0	0	2	0	0	0	1	31
	कुल	16	5	7	0	0	2	0	0	0	1	31
	कुल योग	4,398	3,727	621	399	778	221	889	110	105	296	11,534

विवरण II

विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. डिग्री

(2001-2002)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/ सम विश्वविद्यालय	कला	विज्ञान	वाणिज्य	शिक्षा	इंजी./प्रौद्यो.	औषध	कृषि	पशु विज्ञान	विधि	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आंध्र प्रदेश											
1.	आंध्र	38	30	7	3	13	0	0	0	0	4	95
2.	आचार्य एन.जी. रंगा	0	2	0	0	0	0	31	3	0	0	36
3.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4.	हैदराबाद	25	15	0	0	0	0	0	0	0	4	44
5.	जवाहरलाल नेहरू	0	4	2	0	19	0	0	0	0	5	30
6.	ककातिया	11	33	8	0	0	4	0	0	0	0	60
7.	नागार्जुन	5	2	2	1	0	0	0	0	2	0	12
8.	उस्मानिया	52	121	14	13	5	0	0	0	8	1	214
9.	श्री कृष्ण देव राय	20	36	6	0	0	0	0	0	3	0	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	श्री पदमावती	4	6	0	1	0	0	0	0	1	3	15
11.	श्री वेंकटेश्वर	31	37	5	0	5	0	0	0	0	0	78
12.	पोट्टी श्री रामुलु तेलगू	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
13.	निजाम चिकित्सा संस्थान	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13
14.	सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ इंगलिश	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
16.	श्री सत्यभाई संस्थान	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	223	287	44	18	42	17	31	3	14	21	704
					अरुणाचल प्रदेश							
17.	अरुणाचल	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	कुल	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					असम							
18.	असम	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
19.	असम कृषि	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	8
20.	डिब्रूगढ़	23	27	1	3	0	0	0	0	0	0	54
21.	गुवाहाटी	28	50	7	7	0	0	0	0	0	3	95
22.	तेजपुर	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6
23.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	8
	कुल	56	90	10	10	1	0	7	0	0	3	177
					बिहार							
24.	कामेश्वर सिंह दरभंगा	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
25.	मगध	168	63	2	0	0	0	0	0	0	0	233
26.	पटना	104	28	2	7	1	3	0	0	2	0	147
27.	राजेन्द्र कृषि	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
28.	टी.एम. भागलपुर	57	20	4	0	0	0	0	0	0	0	82
29.	जय प्रकाश	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	21
	कुल	367	116	9	7	1	3	17	0	2	0	523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						छत्तीसगढ़						
30.	गुरु घासीदास	43	13	1	2	0	0	0	0	0	3	62
31.	इन्दिरा गांधी कृषि	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
32.	इन्दिरा कला संगीत	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19
33.	पं. रवि शंकर शुक्ला	40	18	13	2	3	0	0	0	0	2	78
	कुल	87	31	14	4	3	0	4	0	0	20	163
						दिल्ली						
34.	दिल्ली विश्वविद्यालय	108	116	20	8	4	4	0	0	13	4	277
35.	जामिया मिलिया इस्लामिया	25	19	10	13	4	0	0	0	0	1	72
36.	जवाहरलाल नेहरू	136	46	0	0	0	0	0	0	0	0	182
37.	गुरु गोविन्द सिंह	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.	भारतीय कृषि अनुसंधान	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66
39.	जामिया हमदर्द	1	18	0	0	0	10	0	0	0	0	29
40.	राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय संस्थान	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
41.	स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
42.	श्री एल.बी.एस. राष्ट्रीय संस्कृत	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
43.	अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	5	12	5	0	40	0	0	0	0	0	62
	कुल	301	213	35	21	49	35	66	0	13	5	738
						गोवा						
45.	गोवा	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	कुल	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6
						गुजरात						
46.	भावनगर	11	12	4	1	1	0	0	0	0	0	29
47.	गुजरात	31	24	1	9	0	3	0	0	0	0	68
48.	गुजरात कृषि	0	0	0	0	0	0	31	5	0	0	36
49.	गुजरात आयुर्वेद	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय	9	13	1	5	3	1	0	0	0	0	32
51.	उत्तरी गुजरात	13	9	2	6	0	0	0	0	0	0	30
52.	सरदार पटेल	19	72	5	12	0	1	0	0	0	3	112
53.	सौराष्ट्र	21	29	7	13	0	0	0	0	2	0	72
54.	दक्षिण गुजरात	10	46	2	8	1	0	0	0	0	0	67
55.	गुजरात विद्यापीठ	12	0	0	5	0	0	0	0	0	0	17
	कुल	126	205	22	59	5	9	31	5	2	3	467
	हरियाणा											
56.	चौ. चरण सिंह	23	9	0	0	0	0	43	13	0	0	88
57.	गुरू झम्बेश्वर	1	3	11	0	0	0	0	0	0	0	15
58.	कुरूक्षेत्र	43	24	11	8	8	0	0	0	2	21	117
59.	महर्षि दयानंद	33	19	9	8	4	0	0	0	1	0	74
60.	नेशनल डेरी रिसर्च	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
	कुल	100	55	31	16	12	0	58	13	3	21	309
	हिमाचल प्रदेश											
61.	डा. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34
62.	हिमाचल प्रदेश	38	17	9	4	0	0	0	0	0	3	71
63.	चौ. सरवन कुमार हिमाचल	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	7
	कुल	38	18	9	4	0	0	39	0	0	3	112
	जम्मू और कश्मीर											
64.	जम्मू	35	36	3	0	0	0	0	0	2	0	76
65.	कश्मीर	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	9
66.	शेरे-ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
	कुल	37	42	3	1	0	0	9	0	2	0	94
	झारखंड											
67.	बिरसा कृषि	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
68.	रांची	52	19	15	1	4	0	0	0	0	1	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69.	सिद्दू कान्हू	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10
70.	विनोबाभावे	30	18	4	0	4	0	0	0	0	0	56
71.	भारतीय खनन विद्यालय	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	13
72.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
	कुल	88	47	20	1	16	1	5	0	0	1	179
					कर्नाटक							
73.	बंगलौर	57	85	6	8	6	3	0	0	0	0	165
74.	गुलबर्ग	20	20	2	0	0	0	0	0	0	1	43
75.	कन्नड़	17	1	0	0	0	0	0	0	0	3	21
76.	कर्नाटक	40	24	2	2	0	0	0	0	1	5	74
77.	कुवेम्पू	14	6	0	1	0	0	0	0	0	0	21
78.	मैंगलोर	9	26	0	0	5	1	0	0	0	5	46
79.	मैसूर	41	0	2	12	88	0	0	0	3	24	170
80.	राष्ट्रीय भारतीय विधि स्कूल	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	0	2	0	0	0	0	31	1	0	0	34
82.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	40	8	0	0	48
83.	कर्नाटक स्टेट ओपन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
84.	भारतीय विज्ञान संस्थान	0	80	0	0	51	0	0	0	0	0	131
85.	मणीपाल एकेडमी आफ हायर	0	6	0	1	0	7	0	0	0	0	14
86.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
	कुल	199	250	12	24	150	23	71	9	5	38	781
					केरल							
87.	कालीकट विश्वविद्यालय	31	17	2	0	1	0	0	0	0	1	52
88.	कोचीन विज्ञान विश्वविद्यालय	8	38	3	0	4	0	0	0	0	0	53
89.	केरल	49	70	12	2	3	2	0	0	0	4	142
90.	केरल कृषि	0	0	1	0	0	0	13	3	0	0	17
91.	महात्मा गांधी	43	40	7	9	0	0	0	0	1	1	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92.	कुन्नूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
93.	श्री शंकराचार्य संस्कृत	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
94.	श्री चित्रा तिरूनूल इंस्टी.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	कुल	145	170	25	11	8	2	13	3	1	10	388
					मध्य प्रदेश							
95.	अवधेश प्रताप सिंह	46	51	4	1	0	2	0	0	0	3	107
96.	बरकातुल्ला	46	38	7	6	7	0	0	0	6	0	107
97.	देवी अहिल्या	57	29	12	2	16	0	0	0	0	1	117
98.	डा. हरि सिंह गौड़	34	30	4	0	1	0	0	0	0	1	70
99.	जीवाजी	39	21	3	0	2	0	0	0	0	7	72
100.	एम.एल.सी. नैशनल यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
101.	एम.पी. भोज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
102.	रानी दुर्गावती	47	41	11	8	0	0	0	0	0	0	107
103.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
104.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
105.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	कुल	271	210	41	17	31	2	1	1	6	17	592
					महाराष्ट्र							
106.	अमरावती	26	42	8	7	2	0	0	0	0	5	90
107.	मुम्बई	65	224	10	8	33	2	0	0	0	1	343
108.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	51	74	15	3	3	0	0	0	0	4	150
109.	डा. पंजाब राव देशमुख	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	24
110.	डा. बाला साहिब सावंत	0	0	C	0	0	0	4	0	0	0	4
111.	महात्मा फूले कृषि	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
112.	मराठवाड़ा कृषि	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	14
113.	नागपुर	32	47	20	2	3	9	0	0	2	0	115
114.	नार्थ महाराष्ट्र	20	14	6	0	0	0	0	0	0	0	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115.	पुणे	59	126	35	10	2	17	0	0	2	3	254
116.	एस.एन.डी.टी. वीमेन्स	7	7	2	7	3	0	0	0	0	5	31
117.	शिवाजी	29	16	7	4	2	1	0	0	0	1	60
118.	स्वामी रामानन्द तीर्थ	13	21	9	1	0	0	0	0	0	0	44
119.	यशवंत राव चव्हान	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13
120.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
121.	केन्द्रीय मत्स्यपालन संस्थान	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
122.	डेक्कन कालेज स्नातकोत्तर तथा	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
123.	गोखले इंस्टी. आफ पालीटिक्स	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
124.	इंटरनेशनल इंस्टी. फार	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
125.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
126.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
127.	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
128.	भारती विद्यापीठ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
129.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2	24	1	0	48	0	0	0	0	0	75
	कुल	339	595	114	42	96	29	77	4	4	29	1,329
	मणिपुर											
130.	मणिपुर	18	18	2	2	0	0	0	0	0	0	40
	कुल	18	18	2	2	0	0	0	0	0	0	40
	मेघालय											
131.	पूर्वोत्तर पर्वतीय	15	19	0	1	0	0	0	0	0	2	37
	कुल	15	19	0	1	0	0	0	0	0	2	37
	नागालैंड											
132.	नागालैंड	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	कुल	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	उड़ीसा											
133.	उड़ीसा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
134.	सम्बलपुर	20	14	2	4	3	0	0	0	1	4	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135.	उत्कल	97	89	11	11	2	5	0	0	3	2	220
136.	बरहामपुर	26	27	8	3	0	0	0	0	5	3	72
	कुल	143	130	21	18	5	5	11	0	9	9	351
						पंजाब						
137.	गुरू नानक देव	47	16	5	1	1	0	0	0	2	1	73
138.	पंजाब कृषि	0	22	0	0	7	0	36	8	0	0	73
139.	पंजाबी	10	11	1	3	0	0	0	0	1	0	26
140.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
141.	थापर इंस्टी. आफ	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	5
142.	नैशनल इंस्टी. आफ फार्मा	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	कुल	57	55	6	4	13	0	36	8	3	1	183
						राजस्थान						
143.	जय नारायण व्यास	38	52	15	0	3	0	0	0	7	2	117
144.	कोटा ओपन	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8
145.	मोहनलाल सुखाड़िया	29	29	16	6	0	0	0	0	0	0	80
146.	राजस्थान	124	62	49	10	4	3	0	0	14	33	299
147.	महर्षि दयानन्द	38	33	19	1	0	0	0	0	0	0	91
148.	राजस्थान कृषि	0	0	0	0	0	0	20	9	0	0	29
149.	महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय	0	4	0	0	3	0	35	0	0	0	42
150.	वनस्थली विद्यापीठ	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	8
151.	बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान	0	1	4	0	0	1	0	0	0	1	7
152.	जैन विश्वभारती संस्थान	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
153.	राजस्थान विद्यापीठ	4	0	5	3	0	0	0	0	0	1	13
	कुल	249	183	111	22	10	4	55	9	21	38	702
						तमिलनाडु						
154.	अन्ना	1	39	0	0	29	0	0	0	0	0	69
155.	अन्नामलाई	24	34	0	0	7	5	0	0	0	6	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156.	भारतियार	28	42	6	1	13	0	0	0	0	4	94
157.	भारतीदर्शन	31	42	10	3	6	0	0	0	0	2	94
158.	मद्रास	145	185	17	4	4	3	0	0	6	8	372
159.	मदुरै कामराज	53	25	16	3	5	0	0	0	0	0	102
160.	मनोमानियम सुन्दरनगर	19	31	10	0	0	0	0	0	0	2	62
161.	मदर टेरेसा वीमेन्स	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10
162.	तमिलनाडु एग्रीकल्चर	0	0	0	0	10	0	94	0	0	0	104
163.	तमिलनाडु वेट एंड एनीमल	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
164.	तमिलनाडु डा. एम.जी.आर.	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	27
165.	एवी इन्सटी. फार एचएससी	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
166.	श्री सी.एस. सरस्वती	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
167.	गांधीग्राम रूरल इन्सटी.	12	7	0	0	0	0	1	0	0	0	20
168.	दक्षिण भारत हिन्दी	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
169.	इंडियन इन्सटी. आफ टेक्नोलाजी	3	17	0	0	28	0	0	0	0	0	48
	कुल	328	431	59	14	102	35	95	14	6	22	1,109
						त्रिपुरा						
170.	त्रिपुरा	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	कुल	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14
						उत्तर प्रदेश						
171.	अलीगढ़ मुस्लिम	57	36	10	2	5	1	4	0	4	1	120
172.	इलाहाबाद	100	42	10	2	2	0	0	0	1	0	157
173.	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
174.	बनारस हिन्दु	46	29	2	1	11	7	5	0	0	5	106
175.	बुन्देलखण्ड	22	6	2	3	0	2	4	0	0	0	39
176.	चन्द्रशेखर आजाद	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	31
177.	डा. भीमराव अम्बेडकर	75	81	28	7	0	3	37	0	3	14	348
178.	डी.डी. उपाध्याय गोरखपुर	84	40	5	12	1	0	3	0	0	0	145
179.	लखनऊ	68	43	2	4	0	0	0	0	0	0	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180.	महात्मा गांधी काशी	29	0	2	1	0	0	0	0	0	18	50
181.	वीर बहादुर सिंह	97	37	4	6	0	0	20	0	0	0	164
182.	एम.जे.पी. रोहिलखण्ड	148	41	19	7	0	0	0	0	4	13	232
183.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत	48	0	0	5	0	5	0	0	0	0	58
184.	छत्रपति साहूजी महाराज	79	30	7	0	1	2	4	0	0	0	133
185.	यू.पी. टेक्नीकल यूनि.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
186.	संजय गांधी पी.जी.	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
187.	सेन्ट्रल इन्सीट्यूट आफ हायर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
188.	दयालबाग एजुकेशनल	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	7
189.	इंडियन वेट. रिसर्च	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
190.	इंडियन इन्सटी. आफ टेक्नो.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
	कुल	956	386	93	51	40	28	121	35	12	51	1,783
					उत्तरांचल							
191.	हेमवती नन्द बहुगुणा	45	35	6	1	0	0	0	0	0	5	92
192.	कुमायूं	70	21	6	8	0	0	0	0	2	0	107
193.	फारेस्ट रिसर्च इन्सटी.	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32
194.	गुरूकुल कांगड़ी	37	20	0	0	0	0	0	0	0	0	57
195.	जी.बी. पन्त यूनि. एग्री.	0	11	0	0	7	0	36	5	0	0	59
	कुल	152	87	12	9	7	0	68	5	2	5	347
					पश्चिम बंगाल							
196.	विधान चन्द्र कृषि	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
197.	यूनि. आफ बर्दवान	21	22	7	0	3	0	0	0	5	1	59
198.	यूनि. आफ कलकत्ता	46	99	9	2	17	4	3	0	0	1	180
199.	जादवपुर	0	0	0	0	36	8	0	0	0	0	44
200.	कल्याणी	20	54	0	12	0	0	0	0	0	0	86
201.	नार्थ बंगाल	20	16	0	0	1	0	0	0	0	0	37
202.	रविन्द्र भारती	22	0	0	1	0	0	0	0	0	7	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203.	विद्या सागर	3	11	0	0	0	0	0	0	0	1	15
204.	विश्व भारती	11	7	0	0	0	0	7	0	0	0	25
205.	वेस्ट बंगाल यूनि. आफ एनिमल	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
206.	उत्तर बंगा कृषि	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
207.	बंगाल इंजी. कालेज	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	7
208.	इंडियन इन्सटी. आफ	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	76
209.		0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	कुल	143	221	16	15	139	12	23	1	5	10	584
	चंडीगढ़											
210.	पंजाब	53	42	7	33	4	0	0	0	0	11	150
211.	पी.जी. इन्सटी. आफ मेडिकल	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
	कुल	53	42	7	33	4	7	0	0	0	11	157
	पांडिचेरी											
212.	पांडिचेरी	15	16	3	0	0	0	0	0	0	2	36
213.	पी.जी. इन्सटी. आफ मेडिकल	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
	कुल	15	16	3	0	0	7	0	0	0	2	43
	कुल योग	4,520	3,929	722	404	734	219	838	110	110	322	11,921

विवरण III

विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. डिग्री

(2002-2003)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय संस्था/ सम विश्वविद्यालय	कला	विज्ञान	वाणिज्य	शिक्षा	इंजी./प्रौद्यो.	औषध	कृषि	पशु चिकित्सा विधि		अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आंध्र प्रदेश											
1.	आन्ध्र	44	55	7	2	18	0	0	0	2	3	131
2.	आचार्य एन.जी. रंगा	0	7	0	0	0	0	39	2	0	0	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.	हैदराबाद	33	31	0	0	0	0	0	0	0	0	64
6.	जवाहरलाल नेहरू	0	11	0	0	12	0	0	0	0	0	23
7.	जवाहरलाल नेहरू	0	4	2	0	19	0	0	0	0	5	30
8.	काकतीय	12	24	9	0	4	3	0	0	2	2	56
9.	नागार्जुन	12	10	2	4	0	0	0	0	1	0	29
10.	उस्मानिया	41	1	0	1	0	0	0	0	8	1	226
11.	उस्मानिया	52	121	14	13	5	0	0	0	8	1	214
12.	श्री कृष्ण देव राव	20	36	6	0	0	0	0	0	3	0	65
13.	श्री पदमावती महिला	5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	8
14.	श्री वेंकटेश्वर	31	37	5	0	5	0	0	0	0	0	78
15.	पोट्टी श्री रामुलू तेलगु	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
16.	निजाम इन्सटी. आफ मेडीकल	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13
17.	सेन्ट्रल इन्स. आफ इंगलिश	17	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21
18.	राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	15
19.	श्री सत्य साईं इन्स. आफ	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
20.	नेशनल ट्रस्ट आफ	0	5	0	0	7	0	0	0	0	2	14
	कुल	298	344	47	26	70	16	40	2	24	22	1,063
					अरुणाचल प्रदेश							
21.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	कुल	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					असम							
22.	असम	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
23.	असम कृषि	0	5	0	0	0	0	17	0	0	0	22
24.	डिब्रूगढ़	14	16	1	2	0	0	0	0	0	0	33
25.	गुवाहाटी	40	71	7	0	2	0	0	0	3	2	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	तेजपुर	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	16
	कुल	62	109	10	2	5	0	17	0	3	2	210
						बिहार						
28.	जय प्रकाश	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
29.	कामेश्वर सिंह दरभंगा	19	6	2	0	4	1	1	0	0	0	33
30.	कामेश्वर सिंह दरभंगा	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
31.	एल.एन. मिथिला	139	114	0	0	0	0	0	0	0	13	236
32.	मगध	168	63	2	0	0	0	0	0	0	0	233
33.	पटना	61	21	1	1	1	1	0	0	1	0	87
34.	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
35.	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
	कुल	418	205	5	1	5	2	26	0	1	13	646
						छत्तीसगढ़						
36.	गुरू घासीदास	38	21	7	2	4	0	0	0	0	2	74
37.	गुरू घासीदास	43	13	1	2	0	0	0	0	0	3	62
38.	इंदिरा गांधी कृषि	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
39.	इंदिरा कला संगीत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
40.	इंदिरा कला संगीत	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19
41.	पंडित रवि शंकर शुक्ला	62	18	5	4	2	0	0	0	0	5	96
	कुल	148	52	13	8	6	0	5	0	0	28	260
						दिल्ली						
42.	दिल्ली विश्वविद्यालय	113	124	11	10	8	3	0	0	7	15	291
43.	जामिया मिलिया इस्लामिया	28	34	8	12	4	0	0	0	0	1	87
44.	जवाहर लाल नेहरू	136	46	0	0	0	0	0	0	0	0	182
45.	जवाहर लाल नेहरू	163	36	0	0	0	3	0	0	0	0	202
46.	गुरू गोविन्द सिंह	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.	भारतीय कृषि अनुसंधान	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	79
48.	जामिया हमदर्द	2	38	0	0	0	7	0	0	0	0	47
49.	नेशनल म्यूजिम इंस्टी. आफ हिस्ट्री आफ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
50.	नेशनल म्यूजिम इंस्टी. आफ हिस्ट्री आफ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
51.	स्कूल आफ प्लानिंग एंड	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
52.	श्री एल.बी.एस. राष्ट्रीय संस्कृत	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
53.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
54.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	29
55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	6	15	7	0	59	0	0	0	0	0	87
56.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	5	12	5	0	40	0	0	0	0	0	62
	कुल	475	307	31	22	118	42	79	0	7	19	1,100
					गोवा							
57.	गोवा	10	19	1	0	0	0	0	0	0	0	30
58.	गोवा	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	कुल	12	22	2	0	0	0	0	0	0	0	36
					गुजरात							
59.	गुजरात	32	26	2	8	0	4	0	0	0	0	72
60.	गुजरात एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	21	3	0	0	24
61.	गुजरात एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	31	5	0	0	36
62.	गुजरात आयुर्वेद	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
63.	गुजरात आयुर्वेद	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
64.	एम.एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा	18	21	1	5	12	2	5	1	1	0	66
65.	नार्थ गुजरात	24	26	0	5	0	0	0	0	0	5	65
66.	सरदार पटेल	19	72	5	12	0	1	0	0	0	3	112
67.	सौराष्ट्र	21	29	7	13	0	0	0	0	2	0	72
68.	सौराष्ट्र	54	54	9	19	0	0	0	0	11	3	150
69.	साऊथ गुजरात	11	45	5	8	1	0	0	0	0	0	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	20	17	3	2	0	0	0	0	0	0	52
71.	गुजरात विद्यापीठ	21	0	0	5	0	0	0	0	0	0	30
	कुल	220	290	32	77	13	16	57	9	14	11	758
						हरियाणा						
72.	चौ. चरण सिंह	0	43	0	0	0	0	49	15	0	0	107
73.	गुरू झाम्भेश्वर	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	11
74.	गुरू झाम्भेश्वर	1	3	11	0	0	0	0	0	0	0	15
75.	कुरूक्षेत्र	59	21	10	11	0	0	0	0	2	17	120
76.	महर्षि दयानन्द	37	24	15	4	0	1	0	0	4	0	85
77.	नेशनल डेयरी रिसर्च	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
78.	नेशनल डेयरी रिसर्च	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
	कुल	97	95	43	15	0	1	64	15	6	38	374
						हिमाचल प्रदेश						
79.	डा. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी आफ होर्ट. एंड	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46
80.	डा. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी आफ होर्ट. एंड	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34
81.	हिमाचल प्रदेश	43	24	7	8	0	0	0	0	0	4	86
82.	चौ. सरवण कुमार हिमाचल	0	2	0	0	0	0	9	2	0	0	13
	कुल	43	26	7	8	0	0	89	2	0	4	179
						जम्मू और कश्मीर						
83.	जम्मू	20	28	4	0	0	0	0	0	1	0	53
84.	जम्मू	35	36	3	0	0	0	0	0	2	0	76
85.	कश्मीर	11	3	4	0	0	0	0	0	1	0	19
86.	शेरे-ए-कश्मीर यूनि. आफ एग्री.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	कुल	66	67	11	0	0	0	4	0	4	0	152
						झारखंड						
87.	बिरसा एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
88.	रांची	52	19	15	1	4	0	0	0	0	1	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89.	सिधु कान्हु	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10
90.	विनोबा भावे	30	18	4	0	4	0	0	0	0	0	56
91.	बिरला इंस्टी. आफ टेक्नोलाजी	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	6
92.	बिरला इंस्टी. आफ टेक्नोलाजी	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
93.	इंडियन स्कूल आफ माइंस	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	13
	कुल	89	49	22	1	17	1	2	1	0	1	183
						कर्नाटक						
94.	बंगलौर	57	85	6	8	6	3	0	0	0	0	165
95.	गुलबर्गा	28	18	6	5	0	0	0	0	0	0	57
96.	कन्नड़	21	1	0	0	0	0	0	0	0	2	24
97.	कर्नाटक	53	43	6	2	0	0	0	0	1	9	114
98.	कर्नाटक	40	24	2	2	0	0	0	0	1	5	74
99.	कुवेम्पु	10	11	5	2	2	0	0	0	0	0	30
100.	मंगलौर	7	35	2	0	0	0	0	0	0	5	49
101.	मैसूर	44	61	3	6	11	0	0	0	4	9	138
102.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
103.	यूनिवर्सिटी आफ एग्री. साईंस	0	0	0	0	0	0	55	12	0	0	67
104.	यूनिवर्सिटी आफ एग्री. साईंस	0	3	0	0	0	0	23	1	0	0	27
105.	यूनिवर्सिटी आफ एग्री. साईंसं	0	0	0	0	0	0	40	8	0	0	48
106.	कर्नाटक स्टेट ओपन	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
107.	कर्नाटक स्टेट ओपन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
108.	इंडियन इंस्टी. आफ साईंस	0	51	0	0	35	0	0	0	0	0	86
109.	मणिपाल अकेडमी आफ हायर	1	13	0	0	0	15	0	0	0	1	30
110.	नेशनल इंस्टी. आफ मेंटल हेल्थ	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
111.	जवाहरलाल नेहरू सेंटर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
112.	नेशनल इंस्टी. आफ टेक	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	कुल	264	346	32	25	57	34	118	21	8	31	936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					केरल							
113.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	0	18	3	0	0	23
114.	यूनिवर्सिटी आफ कालीकट	18	12	0	7	4	0	0	0	0	0	41
115.	कोचीन यूनिवर्सिटी आफ साईंस	10	39	0	0	15	0	0	0	1	0	65
116.	केरल	91	82	22	8	1	1	0	0	1	10	216
117.	केरल एग्रीकल्चरल	0	1	1	0	0	0	18	3	0	0	23
118.	महात्मा गांधी	43	40	7	9	0	0	0	0	1	1	101
119.	महात्मा गांधी	58	42	5	8	0	0	0	0	1	2	116
120.	कन्नूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
121.	श्री चित्रा तिरूनल इंस्टी.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	220	218	36	32	20	1	36	6	4	16	589
					मध्य प्रदेश							
122.	अवधेश प्रताप सिंह	46	51	4	1	0	2	0	0	0	3	107
123.	अवधेश प्रताप सिंह	72	50	3	0	1	3	0	0	2	4	135
124.	बरकतुल्ला	48	38	7	6	7	0	0	0	6	0	107
125.	बरकतुल्ला	89	57	22	0	18	0	0	0	2	3	191
126.	देवी अहिल्या	72	22	17	4	18	0	0	0	0	0	133
127.	डा. हरि सिंह गौड	34	30	4	0	1	0	0	0	0	1	70
128.	डा. हरि सिंह गौड	10	13	3	1	0	0	0	0	2	0	71
129.	जीवाजी	39	21	3	0	2	0	0	0	0	7	72
130.	एम.पी. भोज	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
131.	महात्मा गांधी चित्रकूट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
132.	रानी दुर्गावती	35	38	17	6	0	0	0	0	1	0	97
133.	रानी दुर्गावती	47	41	11	8	0	0	0	0	0	0	107
134.	विक्रम	58	31	12	2	0	0	0	0	0	3	106
135.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
136.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
138.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
139.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
140.	इंडियन इंस्टी. आफ इन्फार्मेशन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
141.	मौलाना आजाद नेशनल	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
	कुल	550	393	103	28	54	6	2	1	13	34	1,221
					महाराष्ट्र							
142.	अमरावती	26	42	8	7	2	0	0	0	0	5	90
143.	अमरावती	26	44	5	9	3	1	0	0	0	2	90
144.	मुम्बई	65	224	10	8	33	2	0	0	0	1	343
145.	मुम्बई	37	120	7	0	0	0	0	0	7	6	267
146.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	51	74	15	3	3	0	0	0	0	4	150
147.	डा. बी.आर. अम्बेडकर	54	90	13	7	0	0	0	0	2	7	166
148.	डा. पंजाबराव देशमुख	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
149.	डा. बालासाहेब सावंत	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
150.	महात्मा फूले कृषि	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32
151.	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	11
152.	नागपुर	60	50	23	7	12	5	0	0	3	7	167
153.	नागुप	60	50	23	7	12	5	0	0	3	7	167
154.	नागपुर	32	47	20	2	3	9	0	0	2	0	115
155.	नार्थ महाराष्ट्र	20	14	6	0	0	0	0	0	0	0	40
156.	नार्थ महाराष्ट्र	14	13	5	1	0	0	0	0	0	0	33
157.	पुणे	54	105	38	5	0	13	0	0	3	2	220
158.	एस.एन.डी.टी. वूमेन्स	6	4	0	7	2	0	0	0	0	0	119
159.	शिवाजी	29	16	7	4	2	1	0	0	0	1	60
160.	स्वामी रामानंद तीर्थ	13	21	9	1	0	0	0	0	0	0	44
161.	स्वामी रामानंद तीर्थ	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162.	यशवंत राव चव्हाण	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13
163.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
164.	महाराष्ट्र एन. एंड फिशरी	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
165.	सेंट्रल इंस्टी. आफ फिशरीज	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
166.	डक्कन कालेज पोस्ट ग्रेज्युएट	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
167.	गोखले इंस्टी. आफ पालिटिक्स	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
168.	इंटरनेशनल इंस्टी. फार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
169.	टाटा इंस्टी. आफ सोशल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
170.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
171.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8
172.	इंदिरा गांधी इंस्टी. आफ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
173.	भारतीय विद्यापीठ	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
174.	विश्वेश्वरैया नेशनल	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
175.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	83
	कुल	572	1,004	191	71	161	40	75	8	20	61	2,196
						मणिपुर						
176.	मणिपुर	11	18	1	0	0	0	0	0	0	0	30
	कुल	11	18	1	0	0	0	0	0	0	0	30
						मेघालय						
177.	पूर्वोत्तर पर्वतीय	14	25	0	0	0	0	0	0	0	1	40
	कुल	14	25	0	0	0	0	0	0	0	1	40
						नागालैंड						
178.	नागालैंड	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	8
179.	नागालैंड	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	कुल	1	3	2	6	0	0	0	0	0	0	12
						उड़ीसा						
180.	बरहामपुर	43	42	18	2	0	0	0	0	11	3	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181.	उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
182.	सम्बलपुर	21	25	1	5	5	1	0	0	0	4	62
183.	उत्कल	97	89	11	11	2	5	0	0	3	2	220
184.	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	162	156	30	18	7	6	11	0	14	9	413
						पंजाब						
185.	गुरू नानक देव	30	16	7	1	2	0	0	0	0	7	63
186.	पंजाब	32	27	15	11	0	0	0	0	0	31	116
187.	पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
188.		19	10	0	0	0	0	23	0	0	0	52
189.	थापर इंस्टी. आफ	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	4
190.	नेशनल इंस्टी. आफ फार्मा.	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
	कुल	81	54	22	12	6	16	23	0	0	38	252
						राजस्थान						
191.	जय नारायण व्यास	38	52	15	0	3	0	0	0	7	2	117
192.	जय नारायण व्यास	82	55	22	2	2	0	0	0	18	1	182
193.	कोटा ओपन	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8
194.	महर्षि दयानंद	38	33	19	1	0	0	0	0	0	0	91
195.	महर्षि दयानंद	54	47	31	4	0	0	0	0	0	1	137
196.	मोहनलाल सुखाड़िया	29	29	16	6	0	0	0	0	0	0	80
197.	राजस्थान	195	149	71	28	6	12	0	0	8	19	488
198.	राजस्थान एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	20	9	0	0	29
199.	राजस्थान एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	0	0	33	3	0	0	36
200.	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी आफ एग्री.	0	5	0	0	6	0	48	0	0	0	59
201.	बनस्थली विद्यापीठ	12	10	0	1	0	0	0	0	0	0	23
202.	बिड़ला इंस्टी. आफ टेक.	0	2	3	0	7	4	0	0	0	0	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203.	जैन विश्व भारती इंस्टी.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
204.	राजस्थान विद्यापीठ	31	0	5	4	0	0	0	0	0	1	41
	कुल	491	382	184	48	24	16	101	12	33	24	1,315
						तमिलनाडु						
205.	अलगप्पा	2	15	9	0	0	0	0	0	0	12	53
206.	अन्ना	0	41	0	0	22	0	0	0	0	0	63
207.	अन्नामलाई	24	34	0	0	7	5	0	0	0	6	79
208.	भरथियार	28	42	6	1	13	0	0	0	0	4	94
209.	भरथियार	39	42	14	2	25	0	3	0	0	2	127
210.	भारतीदासन	29	37	0	1	2	0	0	0	0	24	93
211.	मद्रास	153	209	19	10	4	4	0	0	7	9	415
212.	मद्रास	145	185	17	4	4	3	0	0	6	8	372
213.	मदुरै कामराज	46	39	23	3	2	0	0	0	0	4	117
214.	मनोनमणियम सुन्दरनगर	20	46	7	1	1	0	0	0	0	0	75
215.	मदर टैरेसा वूमेन्स	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10
216.	मदर टैरेसा वूमेन्स	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
217.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल	0	0	0	0	10	0	94	0	0	0	104
218.	तमिलनाडु वेट. एंड एनीमल	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	16
219.	तमिलनाडु डा. एम.जी.आर.	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24
220.	ए.वी. इंस्टी. फार एच.एस.सी. एंड हायर	3	7	0	1	0	0	0	0	0	0	11
221.	श्री सी.एस. सरस्वती	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
222.	श्री रामचन्द्र मेडि. कालेज एंड.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
223.	गांधीग्राम रूरल इंस्टी.	9	11	5	0	0	0	1	0	0	0	26
224.	गांधीग्राम रूरल इंस्टी.	9	11	5	0	0	0	1	0	0	0	26
225.	नेशनल इंस्टी. आफ	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	12
226.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0	34	0	0	39	0	0	0	0	0	73
	कुल	523	759	105	41	137	36	99	14	13	71	1,801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						त्रिपुरा						
227.	त्रिपुरा	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	कुल	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14
						उत्तर प्रदेश						
228.	अलीगढ़ मुस्लिम	57	36	10	2	5	1	4	0	4	1	120
229.	अलीगढ़ मुस्लिम	54	81	18	0	1	0	2	0	2	1	159
230.	इलाहाबाद	196	111	33	7	5	0	0	0	4	6	362
231.	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी आफ	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
232.	बनारस हिन्दू	84	40	5	4	25	12	41	0	3	17	231
233.	बनारस हिन्दू	84	40	5	4	25	12	41	0	3	17	231
234.	बुन्देलखंड	22	6	2	3	0	2	4	0	0	0	39
235.	चन्द्र शेखर आजाद	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
236.	चौ. चरण सिंह	181	123	52	24	0	0	43	0	3	2	446
237.	डा. भीमराव अम्बेडकर, एग्री.	175	81	28	7	0	3	37	0	3	14	348
238.	डा. भीमराव अम्बेडकर, एग्री.	267	139	44	12	0	0	59	2	1	27	551
239.	डा. राम मनोहर लोहिया	77	46	2	12	0	0	0	0	0	0	137
240.	डी.डी. उपाध्याय गोरखपुर	84	40	5	12	1	0	3	0	0	0	145
241.	डी.डी. उपाध्याय गोरखपुर	164	64	13	28	0	0	4	0	0	3	276
242.	लखनऊ	68	43	2	4	0	0	0	0	0	0	117
243.	महात्मा गांधी काशी	125	0	1	10	0	0	0	0	0	17	153
244.	महात्मा गांधी काशी	29	0	2	1	0	0	0	0	0	18	50
245.	वीर बहादुर सिंह	97	37	4	6	0	0	20	0	0	0	164
246.	एम.जे.पी. रूहेलखंड	148	41	19	7	0	0	0	0	4	13	232
247.	संपूर्णानंद संस्कृत	215	0	0	21	0	6	0	0	0	0	278
248.	यू.पी. टेक्नीकल यूनि.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
249.	यू.पी. टेक्नीकल यूनि.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
250.	संजय गांधी पी.जी. इंस्टी. आफ	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251.	जगद्गुरु राम भद्राचार्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
252.	सेंट्रल इंस्टी. आफ हायर	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
253.	दयालबाग एजुकेशनल	10	10	4	1	1	0	0	0	0	0	26
254.	इंडियन वेट्रीनरी रीसर्च	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36
255.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0	9
256.	मोतीलाल नेहरू नेशनल	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
257.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	4	20	0	0	13	0	0	0	0	0	37
258.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
	कुल	2,147	961	249	165	102	44	316	38	27	154	4,239
					उत्तरांचल							
259.	जी.बी. पंत यूनि. आफ एग्री.	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
260.	जी.बी. पंत यूनि. आफ एग्री.	0	11	0	0	7	0	36	5	0	0	59
261.	हेमवती नंदन बहुगुणा	53	38	4	4	0	0	3	0	0	2	104
262.	कुमाऊं	120	58	12	13	0	0	0	0	0	0	203
263.	फारेस्ट रिसर्च इंस्टी.	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
264.	गुरुकुल कांगडी	71	25	9	0	0	0	0	0	0	0	105
	कुल	244	160	25	17	7	0	74	5	0	2	534
					पश्चिम बंगाल							
265.	बिधान चन्द्र कृषि	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	68
266.	यूनिवर्सिटी आफ बर्दवान	21	9	6	0	0	3	0	0	1	2	52
267.	यूनिवर्सिटी आफ बर्दवान	21	22	7	0	3	0	0	0	5	1	59
268.	यूनिवर्सिटी आफ कलकत्ता	54	64	5	6	11	3	7	0	0	1	151
269.	जादवपुर	44	135	0	0	42	0	0	0	0	4	225
270.	जादवपुर	0	0	0	0	36	8	0	0	0	0	44
271.	कल्याणी	20	54	0	12	0	0	0	0	0	0	86
272.	नार्थ बंगाल	16	18	2	0	1	1	0	0	0	0	38
273.	रबिन्द्र भारती	8	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274.	रबिन्द्र भारती	22	0	0	1	0	0	0	0	0	7	30
275.	विद्या सागर	3	11	0	0	0	0	0	0	0	1	15
276.	विद्या सागर	3	16	2	0	0	0	0	0	0	3	24
277.	विश्व भारती	19	17	0	2	0	0	8	0	0	3	49
278.	वेस्ट बंगाल यूनि. आफ एनीमल	0	0	0	0	0	0	0	31	0	2	33
279.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	7
280.	इंडियन इंस्टी. आफ	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	89
	कुल	231	357	22	21	188	15	83	31	6	33	987
	चंडीगढ़											
281.	पंजाब	53	42	7	33	4	0	0	0	0	11	150
282.	पंजाब	77	38	11	19	2	0	0	0	1	12	160
283.	पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टी. आफ मेडि.	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
	कुल	130	80	18	52	6	11	0	0	1	23	321
	पांडिचेरी											
284.	पांडिचेरी	14	14	1	0	3	2	0	0	0	0	34
	कुल	14	14	1	0	3	2	0	0	0	0	34
	कुल जोड़	7,594	6,504	1,244	696	1,006	305	1,321	165	198	635	19,900

कैदियों के मानवाधिकार

5716. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रमुख चिंता कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नियमित रूप से विभिन्न जेलों का दौरा करता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् आज की तिथि तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किए गए ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उसके पश्चात् आयोग द्वारा क्या टिप्पणियां की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का एक कार्य, राज्य सरकार को सूचना देकर, कैदियों की रहने सहने की दशा का अध्ययन करने और उन पर सिफारिश करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल अथवा अन्य किसी संस्थान, जहां उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध अथवा रखा गया है, का दौरा करना है।

(ख) और (ग) एनएचआरसी का एक दल समय-समय पर विभिन्न जेलों का दौरा करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान (अप्रैल, 2002 से अब तक) दल ने 20 जेलों का दौरा किया है।

(घ) एनएचआरसी जेलों में दशाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे जेल भवनों की दशा, साफ सफाई का अभाव, जेलों में भीड़-भाड़, स्टाफ की कमी, खान-पान प्रावधान, चिकित्सा सुविधायें, हिरासत में हुई मौतों के मामले-उनकी रिपोर्ट एनएचआरसी को भेजना, दोषसिद्ध व्यक्तियों के अधिकार तथा उनकी शिकायतें, कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी, विचाराधीन कैदियों के अधिकार तथा उनकी शिकायतें, मनोरंजन सुविधायें, आगन्तुक बोर्ड के कार्यकरण, लोक अदालतों का कार्यकरण, परिवार के सदस्यों द्वारा साक्षात्कारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा स्टाफ आदि के लिए आवासीय सुविधाओं पर अभियुक्तियां और टिप्पणियां देता है।

(ङ) आयोग अपनी टिप्पणियां राज्य सरकारों को भेजता है जो आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्टें भेजती है।

डी.डी.ए. द्वारा भूमि का आबंटन

5717. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि विकास एजेंसी के नीति निर्धारक निकाय की पूर्व स्वीकृति के बिना भूमि आबंटित की है और मास्टर प्लान में इसे हरित भूमि के रूप में निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी आबंटित भूमि का और जिन्हें यह आबंटित की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ''मास्टर प्लान'' का उल्लंघन करने वाली डी.डी.ए. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निशक्तता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना

5718. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.बी.एस.ई. द्वारा 'एम्स' दिल्ली से प्राप्त निशक्तता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने के बावजूद हाल में अल्प दृष्टि से पीड़ित कई निशक्त विद्यार्थियों को सी.बी.एस.ई. की 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को उत्पीड़ित करने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अल्प दृष्टि से पीड़ित किसी भी विकलांग पात्र छात्र को मार्च, 2005 में आयोजित कक्षा XII की परीक्षा में बैठने से नहीं रोका गया है।

स्वैच्छिक संगठनों का वित्तपोषण

5719. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वैच्छिक संगठनों को आत्मनिर्भर और दान तथा अन्य साधनों से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु कोई वर्तमान राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वैच्छिक संगठनों को आत्मनिर्भर तथा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देते हैं।

[हिन्दी]

लाभार्थियों को प्रत्यक्ष सहायता

5720. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं को रोकने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लाभार्थियों को प्रत्यक्ष सहायता हेतु कोई कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) इस मंत्रालय की योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से और कुछ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के अधीन निधियां राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण के प्रभारी विभागों को निर्मुक्त की जाती है। उनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि निधियां लाभार्थियों तक पहुंचे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों का उचित रूप से उपयोग हो और योजना के लाभ जनजातीय लोगों को मिले, इस मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए है जिनमें शामिल हैं।

(1) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व विगत निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर बल दिया जाता है।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(3) केन्द्र सरकार के अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण दौरा करते हैं।

(4) प्रस्तावों को समय से प्रस्तुत करने, परियोजनाओं कार्यान्वयन तीव्र करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र स्तर पर जनजातीय राज्य के कल्याण विभाग के सचिवों की बैठकों/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(5) राज्य क्षेत्र स्तर पर जनजातीय सलाहकार समिति, आईटीडीपी की परियोजना कार्यान्वयन समिति और पंचायत समितियों जैसी एजेंसियां भी निधियों के समय से व्यय और योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

(ख) से (घ) लाभार्थियों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने के लिए फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

अफ्रीका में भारतीय निवेश

5721. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफ्रीका व्यवसायी महाद्वीप के उभरते बाजार में भारतीय फर्मों द्वारा निवेश करने के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी हासिल करना चाह रहे हैं;

(ख) क्या लगभग 30 अफ्रीका देशों के 300 से अधिक नेताओं और व्यवसायियों ने मार्च, 2005 में हुए भारत-अफ्रीका सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में किन मुख्यों मुद्दों पर चर्चा की गई, निर्णय लिया गया तथा भारतीय फर्में किस सीमा तक अफ्रीकी कारोबार में निवेश करने की इच्छुक हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 24 देशों से 230 अफ्रीकी शिष्टमंडलों और 13 बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों ने नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी के संबंध में 2-4 मार्च, 2005 तक आयोजित कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री-एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया की बैठक में भाग लिया था।

(ग) मुख्य मुद्दे जिन पर विचार-विमर्श किया गया था: अफ्रीका में विकास परिदृश्य, कुछेक विशिष्ट क्षेत्रों में उभरते हुए अवसर और विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के जरिए अफ्रीका के साथ भागीदारी बढ़ाने की भारत सरकार की पहलें थे। इस बैठक के दौरान 6 बिलियन अमरीकी डालर की 178 परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। कृषि उपकरण और उपस्कर; आटोमोटिव; परामर्श; विद्युत एवं ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्रों में 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए थे।

सेना में भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

5722. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से सेना में भर्ती के इच्छुक जनजातीय लोगों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

5723. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के कल्याणकारी कार्यकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दिए जाने से संबंधित वर्तमान योजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए निर्धारित धनराशि को कतिपय अन्य शीर्षों में खर्च करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी हां। वर्तमान योजना का संशोधन विचाराधीन है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पब्लिक स्कूलों के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा एन.आई.आई.टी., एपटेक जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय समुदाय

5724. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत जनजातीय व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से राज्य-वार कितने प्रतिशत जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उन्हें अन्य समुदायों के लोगों के समान स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का आकलन करता है। पिछली बार ऐसा सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 में किया गया था। वर्ष 1993-94 एवं 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिये गये है।

(ख) विगत तीन वर्षों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दु 11 (बी) के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण-I में दिए गए ब्यौरे से स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में कमी आई है। उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में और बिहार तथा गुजरात के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

(ङ) अनुसूचित जनजातियों के आय-स्तर को बढ़ाने हेतु ग्रामीण विकास एवं जनजातीय उपयोजना की रणनीतियों के तहत कृषि, पशुपालन, वानिकी, लघु वन उत्पाद प्रचालन, लघु सिंचाई, लघु एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है।

विवरण I

अनुसूचित जनजातीय आबादी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण		शहरी	
		1993-94	1999-2000	1993-94	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	25.66	23.82	46.68	44.99
2.	असम	41.44	38.73	7.11	2.7
3.	बिहार	69.75	56.68	35.76	39.47
4.	गुजरात	31.20	29.11	35.47	36.66
5.	हरियाणा	41.55	-	0.00	-
6.	हिमाचल प्रदेश	63.94	5.73	0.00	-
7.	कर्नाटक	37.33	25.49	62.05	51.37
8.	केरल	37.34	24.20	1.08	-
9.	मध्य प्रदेश	56.69	56.26	65.28	52.59
10.	महाराष्ट्र	50.38	43.56	61.06	42.98
11.	उड़ीसा	71.26	73.93	64.85	59.59
12.	पंजाब	27.00	17.99	0.00	12.95
13.	राजस्थान	46.23	25.27	13.21	20.71
14.	तमिलनाडु	44.37	43.20	30.08	5.22
15.	उत्तर प्रदेश	37.11	34.06	36.89	13.27
16.	पश्चिम बंगाल	61.95	50.02	19.41	31.88
	संपूर्ण भारत	51.94	45.86	41.14	34.75

पाद टिप्पणी:-

(1) संपूर्ण जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

(2) अखिल भारतीय गरीबी अनुपात का निर्धारण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा (विवेचित) व्यक्तियों के वितरण और अखिल भारतीय गरीबी रेखा के आधार पर किया गया है।

विवरण II

2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 (दिसम्बर, 2004) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत उपलब्धियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता	2003-2004 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता	2004-2005 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दिसम्बर, 2004 तक
1.	आंध्र प्रदेश	96440	1,71,538	–
2.	असम	42928	42,667	23223
3.	बिहार	5429	6,588	3998
4.	गुजरात	96762	1,35,482	–
5.	हिमाचल प्रदेश	4888	4743	99060
6.	जम्मू व कश्मीर	–	216	6328
7.	कर्नाटक	16589	29,106	–
8.	केरल	1066	5,269	–
9.	मध्य प्रदेश	220299	197,408	504
10.	महाराष्ट्र	53799	26,547	105615
11.	मणिपुर	2425	शून्य	–
12.	उड़ीसा	75732	89,458	33150
13.	राजस्थान	87217	88,167	1500
14.	सिक्किम	3979	6,192	40163
15.	तमिलनाडु	9870	29,843	48583
16.	त्रिपुरा	10616	9,772	3454
17.	उत्तर प्रदेश	486	130	107546
18.	पश्चिम बंगाल	32234	30,422	1066
19.	झारखंड	–	–	886
20.	छत्तीसगढ़		–	918
21.	उत्तरांचल	2415	1,091	17802
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1881	1,630	326
23.	दमन व दीव	783	772	1113
	जोड़	765838	8,77,018	496125

विदेशों में जाने वाले छात्र

5725. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों में जाने वाले छात्रों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छात्रों को सहायता देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तत्पश्चात् आज की तिथि तक इस प्रकार की सहायता से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) कौन-कौन से पाठ्यक्रम के लिए यह सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना नहीं है। तथापि, जनजातीय कार्य-मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए जाने वाले अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने संबंधी अलग-अलग योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति के लिए वे उम्मीदवार जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो तथा अर्हकारी स्नातक परीक्षा में अनुसूचित जाति के मामले में 60% अंक तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में 50% अंक प्राप्त हों तथा जिन्हें निर्धारित अनुभव (संबंधित क्षेत्र में पोस्ट डाक्टोरल के लिए 5 वर्ष तथा पी.एच.डी. एवं स्नातकोत्तर स्तर हेतु 2 वर्ष का कार्य अनुभव) प्राप्त हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि उनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 18,000 रु. से अधिक न हो।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के 14 छात्रों को छात्रवृत्तियां (पी.एच.डी. के लिए 9 तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए 5) प्राप्त हुई तथा 2001 से 2003 के दौरान अनुसूचित जनजाति के 5 छात्रों को छात्रवृत्तियां (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 2 तथा पी.एच.डी. के लिए 3) प्राप्त हुई हैं।

(घ) उपरोल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जैव प्रौद्योगिकी/जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, आप्टोमेट्री, मेकाट्रोनिक्स, न्युक्लियर इंजीनियरिंग, लेजर प्रौद्योगिकी सहित इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में अधिसंख्य विषयों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

सैनिक फार्मों में अवैध निर्माण

5726. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के सैनिक फार्म क्षेत्र में पूर्व में 1997 में न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद वहां अवैध निर्माण को रोकने में असफलता के लिए खिंचाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उन्हें सैनिक फार्म क्षेत्र में अवैध निर्माणों को रोकने में सरकार की असफलता के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की जानकारी नहीं है।

दिल्ली नगर निगम ने आगे यह बताया है कि सैनिक फार्म क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में राजीव मल्होत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक की सिविल रिट याचिका सं. 6734/2000 के संबंध में अपने 12.1.2001 के आदेश द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) और दिल्ली नगर निगम को सैनिक फार्म के सभी प्रवेश स्थानों पर कर्मचारी तैनात करने के आदेश दिए हैं ताकि कोई निर्माण सामग्री सैनिक फार्म क्षेत्र के अंदर न जा सके। माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली नगर निगम ने सैनिक फार्म क्षेत्र के पांच प्रवेश स्थानों पर अपने कर्मचारी रात-दिन की ड्यूटी पर तैनात कर दिए हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

5727. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नीतीश कुमार:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने भारत पर व्यापार प्रतिबंध लगाये जाने का आरोप लगाया है जिससे अमेरिका के हितों को नुकसान हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) अमरीका द्वारा विदेश व्यापारगत बाधाओं के संबंध में जारी की गई वर्ष 2005 की राष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट में उच्च कर एवं टैरिफ, व्यापार, निवेश को प्रभावित करने वाली प्रत्याशित गैर-व्यापारिक बाधाओं एवं आईपीआर के संरक्षण में व्याप्त कमियों पर भारत के संबंध में चिंताएं उजागर की गई हैं। इन चिंताओं पर अमरीका के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता रहा है तथा रिपोर्ट में अमरीका ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1991 से भारत ने अपने बाजारों को खोलने के लिए उल्लेखनीय उपाय किए हैं और यह कि सरकार ने गैर-कृषि वस्तुओं पर लागू टैरिफ के पुनर्गठन में पर्याप्त प्रगति की है।

[अनुवाद]

चीन को चाय का निर्यात

5728. श्री अर्जुन सेन्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन का विचार दार्जिलिंग चाय का आयात करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी दो वर्षों में चीन को चाय की कितनी मात्रा निर्धारित की जायेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारतीय चाय निर्यातक चीन को दार्जिलिंग चाय के निर्यात के बारे में चीनी आयातकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए हैं। चीन के चाय उद्योग से एक चीनी शिष्टमंडल ने अप्रैल, 2005 में दार्जिलिंग के कुछ चाय बागानों का दौरा किया था और दार्जिलिंग चाय के निर्यातकों के साथ वार्ताएं की थीं। चीन को निर्यात की गई चाय की वास्तविक मात्रा का इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी प्रकोष्ठ

5729. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों में कार्यशील महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी प्रकोष्ठ (सीएडब्ल्यूसी) देश के कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का कार्य केवल मानव व्यवस्था बनाये रखना है तथा सी.ए.डब्ल्यू.सी. विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सी.ए.डब्ल्यू.सी. की कार्यशीलता के विनियमन के लिए कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एस.ए.आई. के अंतर्गत खेल विद्यालय

5730. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.ए.आई. द्वारा विभिन्न राज्यों में विशेषत: आंध्र प्रदेश में अपनाए गए विद्यालयों की संख्या राज्य के आकार को देखते हुए बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने है; और

(ग) एस.ए.आई. द्वारा इन विद्यालयों में छात्रों को किन-किन खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेल राज्य का विषय है तथा खेलों का संवर्धन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से देश में खेलों में संवर्धन में राज्य सरकारों के प्रयासों में बढ़ावा देती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत देश में अपनाये गये स्कूलों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

एन.एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा में वी.पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल

को अपनाया है तथा वहां एथलेटिक्स, बैडमिन्टन और जिम्नास्टिक की खेल विद्याओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में देशज खेलों और मार्शल आर्ट के सवंर्धन और पोषण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने जिला हैदराबाद के बंगालगुडा गांव में श्री श्रद्धा धमन स्कूल भी अपनाया है तथा वहां कबड्डी खेल विद्या में प्रशिक्षण दिया जाता है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने अपेक्षित खेल अवस्थापना वाले नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के विस्तार को अनुमोदित कर दिया है इस योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण ने नवोदय विद्यालय, कोम्माडी, जिला विशाखापत्तनम को अपनाया है तथा वहां वालीबाल खेल विद्या में प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित नवोदय विद्यालयों को अपनाये जाने के लिए अनुमोदन कर दिया है:-

1. एथलेटिक्स के लिए-जवाहर नवोदय विद्यालय, गाच्ची वाबली, जिला रंगारेड्डी-एथलेटिक्स के लिए।
2. भारोत्तोलन के लिए-जवाहर नवोदय विद्यालय, वबाकाबक्काशा, जिला श्रीकाकुलम-भारोत्तोलन के लिए।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुर्नूल, मेडक, विशाखापत्तनम, सिकंदराबाद में चार भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये है तथा सरूर नगर में सिकंदराबाद का एक विस्तार केन्द्र भी स्थापित किया गया है। इन केन्द्रों में स्कूल जाने वाले उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जिनमें खेल क्षमता है तथा एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हाकी, जूडो, कबड्डी, तैराकी, ताइक्वांडो, वालीबाल और भारोत्तोलन की खेल विद्याओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत अपनाए गए स्कूलों के ब्यौरे

क्र.सं.	क्षेत्र	स्कूल	खेल विद्या	बालक	बालिका	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	दक्षिणी	सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर	एथलैटिक्स	–	–	–
			फुटबाल	–	–	–
			हॉकी	37	–	–
			तैराकी	18	–	65
			बास्केटबाल	10	–	–
2.		वीपी सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	एथलैटिक्स	5	9	–
			बैडमिंटन	7	4	41
			जिम्नास्टिक	11	5	–
3.		माउंट कार्मल स्कूल कोट्टायम	एथलैटिक्स	–	–	–
			कुल	88	18	106
4.	पूर्वी	सेंट इग्नेशियर हाई स्कूल, गुमला	फुटबाल	45 आवा	–	–
			हॉकी	41 आवा	–	–
			एथलेटिक्स	–	–	86

1	2	3	4	5	6	7
5.		सुकान्तनगर विद्यानिकेतन साल्टलेक सिटी, कोलकाता	फुटबाल	32	–	–
			एथलैटिक्स	07	08	59
			जिम्नास्टिक	10	02	–
6.		बी.एस. हाई स्कूल सुन्दरगढ़	एथलैटिक्स	11	–	–
			हॉकी	30	–	41
7.		उमाकांत अकादमी, अगरतला, त्रिपुरा	फुटबाल	23	–	–
			जिम्नास्टिक	09	–	32
8.		ताशीनामग्याल अकादमी गंगटोक	फुटबाल	31	–	–
			तैराकी	19	–	–
			टे. टेनिस	–	–	50
9.		राजकीय बालिका हाई स्कूल, रांची, झारखंड	एथलैटिक्स	–	–	–
			हॉकी	–	19 आवा	19
10.		जी.जी. हायर सैके. स्कूल कृष्णा नगर	एथलैटिक्स	–	–	–
			जिम्नास्टिक			
11.		सेंट मेरी राजकीय हाई स्कूल, सुन्दरगढ़, उड़ीसा	एथलैटिक्स	–	13	–
			फुटबाल	–	18	–
			हॉकी	–	23	54
			वालीबाल	–	–	–
12.		दाउहिल राजकीय हाई स्कूल, कुरसेयोंग	एथलैटिक्स	–	12	–
			जिम्नास्टिक	–	09	21
			कुल	258	104	362
13.	केन्द्रीय	महादेवी कन्या पाठशाला इंटर कालेज देहरादून उत्तरांचल	हॉकी	शून्य	शून्य	शून्य
			टेबल टेनिस			
			बैडमिंटन			
14.		राजकीय बहुउद्देश्यीय हाई स्कूल, इन्दौर, मध्य प्रदेश	एथलैटिक्स	06	05	–
			जिम्नास्टिक	03	04	–
			कुश्ती	14	–	32

1	2	3	4	5	6	7
15.		उदय प्रताप इंटर कालेज वाराणसी उत्तर प्रदेश कालविन तालुकदार कालेज, लखनऊ	एथलैटिक्स	12	06	–
			फुटबाल	07	–	–
			हॉकी	19	–	81
			बास्केटबाल	22	15	–
16.		कालविन तालुकदार कालेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	टेबल टेनिस तैराकी	शून्य	शून्य	शून्य
17.		महारानी लक्ष्मीबाई बहुउद्देश्यीय हाई स्कूल, जबलपुर, मध्य प्रदेश	एथलैटिक्स	–	15	–
			बास्केटबाल	–	13	–
			खो-खो	–	17	45
			कुल	83	75	158
18.	पश्चिमी	मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, पुणे (महाराष्ट्र)	एथलैटिक्स	–	–	–
			जिम्नास्टिक	09	10	–
			बास्केटबाल	–	–	19
			टेबल टेनिस	–	–	–
19.		प्रवर पब्लिक स्कूल प्रवरनगर, अहमदाबाद महाराष्ट्र	एथलैटिक्स जिम्नास्टिक	शून्य	शून्य	शून्य
20.		भुपाल नोबल्स हायर सैके. स्कूल, उदयपुर (राजस्थान)	एथलैटिक्स	–	–	–
			कुश्ती	06	–	–
			बास्केटबाल	20	02	28
21.		भौंसले मिलिट्री स्कूल, नासिक (महा.)	हॉकी	15	–	–
			एथलैटिक्स	02	05	–
			बास्केटबाल	–	–	–
			तैराकी	05	02	32
22.		संजीवन विद्यालय पंचगनी	बास्केटबाल	शून्य	शून्य	शून्य
23.		सेंट एंथोनी हाई स्कूल, गोवा	फुटबाल बास्केटबाल	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
24.		श्री गुरुनानक खालसा स्कूल, श्रीगंगानगर, राजस्थान	एथलैटिक्स	14	–	–
			हॉकी	35	–	–
			बास्केटबाल	16	02	67
			कुल	122	24	146
25.	उत्तर-पूर्व	डोनी पोलो विद्या भवन, इटानगर	एथलैटिक्स	10	09	–
			फुटबाल	25	–	44
26.		डान बास्को हाई स्कूल, गुवाहाटी	तैराकी	05	–	–
			टेबल टेनिस	10	–	–
			बास्केटबाल	05	–	20
27.		सैनिक स्कूल, इंफाल, मणिपुर	बैडमिंटन	21	–	–
			फुटबाल	24	–	–
			हाकी	–	–	45
28.		एन्थोनी हाई स्कूल, शिलांग	टेबल टेनिस	14	–	14
			कुल	114	09	123
29.	उत्तरी	डीएवी सीनियर सैके. स्कूल, चंडीगढ़	एथलैटिक्स	–	–	–
			फुटबाल	21	–	21
			वालीबाल	–	–	–
			हॉकी	–	–	–
30.		राजकीय बालिका सीनि. सैके. स्कूल जालन्धर	एथलैटिक्स	–	07	–
			हॉकी	–	09	16
31.		मोतीलाल खेल स्कूल, राई, हरियाणा	एथलैटिक्स	12	05	–
			जिम्नास्टिक	02	03	–
			तैराकी	03	02	–
			जूडो	04	01	32
32.		सीआरजेड सीनि. सैके. स्कूल, सोनीपत	एथलैटिक्स	12	–	–
			हाकी	26	–	–
			कुश्ती	13	–	51
			कुल योग	93	27	120

देशज खेल तथा मार्शल आर्ट्स स्कूल 2004-2005

(वर्ष 2002-03 के दौरान अपनाये गये सभी आई.जी. एंड एम.ए. स्कूल)

क्षेत्र	राज्य	स्कूल का नाम	खेल विधा	संख्या 2004-2005		
				बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी	केरल	व्यास विद्या पीठम कालीकड, पो.ओ. पलाकड जिला केरल	कलरिपयट्टु	24	–	24
	तमिलनाडु	विवेकानंद विद्यालय, कान्धा पुडीकारा, कानाक्कर स्ट्रीट, अबुर	सिलाम्भम	16	05	21
	आंध्र प्रदेश	श्री शारदा धामम, ग्राम बंगालगुडा, हैदराबाद	कबड्डी	20	–	20
पूर्वी	पश्चिम बंगाल	शारदा विहार मंदिर, डाकघर रायगंज, जिला दीनाजपुर	कबड्डी	13	12	25
	बिहार	पूज्य तपस्वी जगजीवन सरस्वती विद्या मदिर, नालंदा	कुश्ती	25	–	25
	झारखंड	स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, जिला धनबाद	कबड्डी	13	12	25
		स्वामी श्रद्धानन्द डी ए वी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, खूंटी	तीरंदाजी	09	12	21
	उड़ीसा	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भुवनेश्वर	एथलैटिक्स	14	10	24
		डीएवी प्राईमरी स्कूल एम सीएफ लिमि. तालचेर अंगल	कुश्ती	25	–	25
		डीएवी पब्लिक स्कूल, आई ओसी टाउनशिप, बेगुसराय	कबड्डी/खो-खो	13	12	25
उत्तरी	हरियाणा	हिन्दू उच्च विद्यालय, नूह, गुड़गांव	कबड्डी	18	–	18
	चण्डीगढ़	शारदा सीनियर सैके. माडल स्कूल, चण्डीगढ़	कुश्ती	23	–	23
	जम्मू एवं कश्मीर	भारतीय विद्या मंदिर कीष्ठवारह, जिला डोढ़ा	कबड्डी खो-खो	13 12	– –	– 25
	पंजाब	चकवाल राष्ट्रीय सीनि. सैके. स्कूल, कुशली	कुश्ती	8	–	8

1	2	3	4	5	6	7
		नन्दलाल गीता विद्या मंदिर, टेपला जिला, अम्बाला	खो-खो/ कबड्डी	13 12	– –	– 25
	हिमाचल प्रदेश	डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, उना	थोडा (तीरंदाजी)	19	6	25
पश्चिमी	राजस्थान	माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, बंधिकुईन, डोसा	कबड्डी	20	–	20
		पदमा बनानी डी ए वी पब्लिक स्कूल, पिंडवारा, सिरोही	खो-खो	13	12	25
उत्तर-पूर्व	असम	रामस्वरूप अग्रवाल मेमोरियल इंग्लिस स्कूल, धारंग	कबड्डी/खो-खो	–	15	15
	मणिपुर	बाल विद्या मंदिर, ग्राम एवं डाकघर धोबाल, इंफाल	मुक्ना थांग	12 13	– –	– 25
केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	सरस्वती विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर	कबड्डी	15	–	15
		श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, मथुरा	कबड्डी/ खो-खो	25	–	25
		सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम कोनी, सेन्दारी, जिला बिलासपुर	कबड्डी	10	–	10
	मध्य प्रदेश	सरस्वती विद्या मंदिर, शारदा विहार केरवा बन्द मार्ग भोपाल	कबड्डी/खो-खो	21	–	21
	छत्तीसगढ़	डीएवी पब्लिक स्कूल एस. ई.सी.एल. विश्रामपुर सरगुजा	खो-खो	25	–	25
		डीएवी पब्लिक स्कूल, बछेली, जिला दन्तेवाड़ा	कबड्डी	25	–	25
			कुल	487	96	583

नवोदय विद्यालय 2004-2005

क्र.सं.	राज्य	स्कूल का नाम	खेल विद्या	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	दक्षिणी					
1.	आंध्र प्रदेश	नवोदय विद्यालय, कोमादी, विशाखापत्तनम	बालीबाल	15	10	25
2.	केरल	नवोदय विद्यालय, पेरिया, जिला कासरगोड	फुटबाल	15	–	15

1	2	3	4	5	6	7
3.	पांडिचेरी	नवोदय विद्यालय, पेरियाकलापेट, पांडिचेरी	कबड्डी	13	11	24
4.	कर्नाटक	नवोदय विद्यालय, बागलुर, जिला बंगलूर (शहरी)	तीरंदाजी	12	13	25
	पूर्वी					
5.	उड़ीसा	नवोदय विद्यालय, जिंक नगर, जिला सुन्दरगढ़	एथलैटिक्स	05	05	10
6.	बिहार	नवोदय विद्यालय, भोजपुर	फुटबाल	20	–	20
7.	झारखंड	नवोदय विद्यालय, मेसरा, रांची	हॉकी	20	–	20
8.	त्रिपुरा	नवोदय विद्यालय, रामचन्द्र घाट, पश्चिमी त्रिपुरा	एथलैटिक्स	12	13	25
	उत्तरी क्षेत्र					
9.	पंजाब	नवोदय विद्यालय, मसीतन, तिब्बा, कपूरथला	हाकी	12	–	12
10.	हरियाणा	नवोदय विद्यालय, कैथल	कुस्ती	14	–	14
11.	जम्मू एवं कश्मीर	नवोदय विद्यालय शाहकोट, प्रिंगल, बारामुला	वालीबाल	16	–	16
12.	हिमाचल प्रदेश	नवोदय विद्यालय, पेखुबेला, जनको, उना	एथलैटिक्स	14	11	25
	पश्चिमी					
13.	राजस्थान	नवोदय विद्यालय, तेलवान्सी, भावी, जिला जोधपुर	एथलैटिक्स	15	10	25
14.	गुजरात	नवोदय विद्यालय, कैथल, जिला खेड़ा	टे. टेनिस	–	09	09
15.	महाराष्ट्र	नवोदय विद्यालय, नवसारी, जिला अगरावथ	कबड्डी	–	15	15
16.	गोवा	नवोदय विद्यालय, केनाकोना, जिला दक्षिण गोवा	फुटबाल	17	–	17
	उत्तर पूर्वी					
17.	असम	नवोदय विद्यालय, कदामनि छराली, सोनितपुर	फुटबाल	11	–	11
18.	मणिपुर	नवोदय विद्यालय, खुम्बोंग, लेंगलिंग, इंफाल	मुक्केबाजी	14	06	20

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	नवोदय विद्यालय, जुकेत्सा, फुटसेरो, फेक	कुश्ती	11	08	19
20.	अरुणाचल प्रदेश केन्द्रीय	नवोदय विद्यालय, महादेवपुर लोहित	फुटबाल	17	–	17
21.	मध्य प्रदेश	नवोदय विद्यालय, पिच्छौरा, डाबरा ग्वालियर	हॉकी	25	–	25
22.	उत्तर प्रदेश	नवोदय विद्यालय, सिन्हाकवर, बलिया	बास्केटबाल	13	12	25
23.	उत्तरांचल	नवोदय विद्यालय, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर	वालीबाल	15	10	25
24.	छत्तीसगढ़	नवोदय विद्यालय, बरसूर जिला दांतेवाड़ा	बास्केटबाल	13	12	15
			कुल	319	145	464

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का मेलबार्न दौरा

5731. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के एक दल को सड़कों तथा स्टेडियमों के निर्माण की पद्धति का अध्ययन करने के लिए मेलबार्न भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दल में अधिकारियों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे; और

(ङ) इस अध्ययन दौरे के लिए ऐसे अधिकारियों को भेजे जाने का औचित्य क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के एक दल ने मेलबोर्न और सिडनी में विकसित खेल सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया था।

(ग) इस समय राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी से संबंधित कार्य का संचालन करने वाले यूनिटों से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के परामर्श से अधिकारियों को चुना गया था।

(घ) इन अधिकारियों में से दो अधिकारी वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरूआत से पहले सेवानिवृत्त होंगे।

(ङ) वहां की अवस्थापना का अध्ययन करने के उद्देश्य से यह दौरा किया गया था ताकि दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनायी जाने वाली सुविधाओं के लिए समुचित योजना बनायी जाये। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों, जो योजना बनाने के कार्य कर रहे हैं तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर पारस्परिक कार्यकलाप कर रहे हैं, को इस उद्देश्य के लिए विदेश भेजा गया था।

[अनुवाद]

कांच युक्त टाइलों का आयात

5732. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांच युक्त टाइलों के विशेषकर चीन से कम मूल्यों पर आयात से स्थानीय उद्योग को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी देश के उत्पादकों को कांच युक्त टाइलों पर सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे शुल्क छूट से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो घरेलू उद्योग के बचाव हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) पाटनरोधी महानिदेशालय को मै. एचएस जानसंस इंडिया लि., महाराष्ट्र और अन्यों द्वारा दायर एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और यूएई से विट्रीफाइड पोर्सेलेन टाइलों के पाटन का आरोप लगाया गया है। डीजीएफटी ने दिनांक 6.8.2001 की अधिसूचना के द्वारा इस मामले में पाटनरोधी जांच शुरू की थी। सरकार द्वारा दिनांक 1.5.2003 की सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा प्रति वर्ग मी. 0.75 अम. डालर से 8.28 अम. डालर के दायरे में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

मै. नन्हाई शांग्युआन आउलिन कंस्ट्रक्शन सिरामिक क.लि., चीन जन. गण. द्वारा दायर आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 23.5.2003 की अधिसूचना द्वारा न्यू शिपर समीक्षा शुरू की गई थी। यह देखा गया था कि मै. नन्हाई शांग्युआन आउलिन कंस्ट्रक्शन सिरामिक कं. लि., गुआंगडांग द्वारा किए गए निर्यात जांच अवधि के दौरान सामान्य मूल्य से अधिक कीमत पर थे और इसलिए मै. नन्हाई शांग्युआन आउलिन कंस्ट्रक्शन सिरामिक कं. लि., चीन जन. गण. से विट्रीफाइड पोर्सेनेल टाइलों के आयातों पर सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया गया था।

शौचालयों का निर्माण

5733. श्री हितेन बर्मन:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित शहरी सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में प्रति इकाई कितनी लागत निर्धारित की गई है और राज्यों को इसमें से कितना केन्द्रीय अंश प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रति इकाई निर्धारित लागत सीमा को बढ़ाने और केन्द्रीय अंश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में 5 लाख तक की आबादी वाली नगरपालिकाओं में शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र प्रायोजित कम लागत सफाई स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम दिल्ली में कार्यान्वित नहीं की जा रही है क्योंकि उसकी आबादी 5 लाख से अधिक है। यह स्कीम प. बंगाल में पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) लाभार्थी की आर्थिक श्रेणी के आधार पर केन्द्र कुरसी स्तर तक सब्सिडी प्रदान करती है। कुरसी स्तर तक यूनिट की लागत सीमा 5, 10 तथा 15 प्रयोक्ताओं के लिए क्रमश: 4000/- रुपए, 6000/- रुपए तथा 7000/- रुपए है।

निर्धारित प्रति यूनिट लागत के संशोधन और केन्द्रीय अंश बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करना होता है जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों हेतु एक समान नीति

5734. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिए एक समान नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य बिन्दु क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय मेडिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें देश की सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक/गैर-अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इस ज्ञापन में सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह प्रबंध कोटे में सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति एसोसिएशन को प्रदान करे, अप्रवासी भारतीयों के 30% कोटे को बिना किसी प्रतिबंध/शर्त के सुनिश्चित करे, अनुमोदन/सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को कालेजों से भारी-भरकम धनराशि लेने से रोके, स्ववित्तपोषित कालेजों को अपने पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दे, दाखिले की एकरूप नीति तैयार करे, शिक्षक छात्रों का 1:30 अनुपात निर्धारित करे, अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए कालेजों को स्वतंत्रता दे तथा शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में प्रबंध द्वारा लिए गए निर्णयों में विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा हस्तक्षेप को रोके।

भारत सरकार ने केंद्रीय/सम विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, सहायता-प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक/गैर अल्पसंख्यक संस्थाओं, निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले, शुल्क संरचना, प्रबंध कोटे आदि को विनियमित करने के लिए पणधारियों द्वारा पुनरीक्षण हेतु केंद्रीय विधान का मसौदा तैयार किया है। विधान को अंतिम रूप देते समय एसोसिएशन द्वारा इंगित की गई कठिनाईयों पर यथासंभव ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पाक सीमा के पास अवैध निर्माण

5735. श्री आडिगा रामकृष्णा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा के आस-पास कई सारे अवैध निर्माण किए गए है जैसा कि दिनांक 3 अप्रैल, 2005 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने और इनको धार्मिक स्थलों में परिवर्तन न करने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातियों के लिए अनुसंधान संस्थान

5736. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार कितने राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और उसके पश्चात् अनुसंधान संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य-वार अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) फिलहाल 16 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं और आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक-एक स्थित है।

(ख) से (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय को अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन से पोर्ट ब्लेयर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान संस्थापित करने का एक प्रस्ताव वर्ष 2002-03 में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया और इस प्रयोजन हेतु 29.50 लाख रुपये नियुक्त किए। तथापि, पोर्ट ब्लेयर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। वर्ष 2004-05 के दौरान इस मंत्रालय को इसी प्रकार के प्रस्ताव छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर राज्यों से प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के प्रस्तावों को मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। वर्ष 2004-05 के दौरान छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों को क्रमश: 5.00 लाख और 2.00 लाख रुपये निर्मुक्त किये।

हिमाचल प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण था और जम्मू और कश्मीर का प्रस्ताव गैर-सरकारी संगठन से था जोकि अनुमत नहीं है। तद्नुसार राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

खिलौना उद्योग

5737. डा. राजेश मिश्रा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में और उत्तर प्रदेश में विशेषकर वाराणसी क्षेत्र में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ताकि यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति दर्ज करा सकें;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा खिलौना उद्योग में किस सीमा तक सुधार किए जाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) खिलौनों के लघु उद्योग के विकास एवं वृद्धि पर जोर देने के लिए लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (एसएसआई और एआरआई), उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार, यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (यूएनआईडीओ) और स्माल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (एसआईडीबीआई) द्वारा खिलौना उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश के विभिन्न भागों में खिलौना उद्योग का प्रौद्योगिकीय और गुणवत्ता उन्नयन करना है।

(ग) इस कार्यक्रम को एसएसआई और एआरआई मंत्रालय के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में टेक्नोलाजी डिफ्यूजन एंड सपोर्ट प्रोग्राम (टीडीएसपी) के जरिए यूएनआईडीओ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ग्रेटर नोएडा में खिलौना डिजाइन और विकास संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

सीमा को सुदृढ़ बनाने के लिए धनराशि

5738. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-2006 के दौरान वर्ष 2004-05 की तुलना में भारत-नेपाल और भूटान-भारत सीमाओं पर निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): वर्ष 2004-2005 के दौरान, नेपाल और भूटान से लगने वाले राज्यों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ) के तहत निम्नलिखित राशियां आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से माल के रूप में जारी की गई थी:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-2005 के दौरान जारी निधियां
1.	अरुणाचल	7.69
2.	असम	40.64
3.	बिहार	47.97
4.	सिक्किम	3.51
5.	उत्तर प्रदेश	110.61
6.	उत्तरांचल	7.99
7.	पश्चिम बंगाल	33.58
	कुल	251.99

2. वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, एम.पी.एफ. योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों को निधियों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोगिता स्थिति के आधार पर केन्द्रीय आबंटन किया जाता है।

डी.डी.ए. द्वारा भूमि का आबंटन

5739. श्री ब्रजेश पाठक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अस्पतालों, धर्मशालाओं, विद्यालयों और महाविद्यालयों इत्यादि के निर्माण के लिए कोई भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धर्मशालाओं के लिए आबंटित भूमि पर बैंकिट हाल, होटल और वाणिज्यिक केन्द्रों का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 में किए गए आवंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मंदिर तथा धर्मशाला के लिए दी गई जमीन पर एक होटल/अतिथि गृह के निर्माण के मामले का वर्ष 2003 में पता चला था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पट्टे को रद्द कर दिया तथा भवन को बंद कर दिया और बेदखली की प्रक्रिया शुरू की। बेदखली की प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है तथा भवन पुन: खोल दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की है। इसके अलावा डीडीए ने यह भी बताया है कि दो सामुदायिक भवन स्थल, जिनका उपयोग वाणिज्यिक बैंक्वैट हाल के रूप में किया जा रहा था, का आवंटन रद्द कर दिया गया है।

विवरण

उद्देश्य	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004
विद्यालय	82	38	3
कालेज/व्यवसायिक/प्रबंधन/उच्चतर संस्थान	12	–	–
धर्मशाला	3	–	–
अस्पताल	1	–	–
अस्पताल (नीलामी के जरिए आवंटित)	2	5	2

[अनुवाद]

शहरी विकास योजनाएं

5740. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और उसके पश्चात् अब तक इन योजनाओं के लिए योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी/जारी की गयी;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन योजनाओं के लिए नियत धन का दुरूपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौन-कौन से राज्यों ने इस धनराशि का दुरूपयोग किया है और कौन-कौन से राज्यों ने इस धनराशि को निर्धारित समय में खर्च नहीं किया है; और

(च) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

नान टैरिफ बैरियर्स

5741. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ विकसित देश "नान टैरिफ बैरियर्स" के नाम पर देश के निर्यातकों के लिए जानबूझकर अपने देश के दरवाजे बंद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों को ऐसे उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सभी देशों द्वारा

लगाए गए सीमाशुल्क टैरिफों के अतिरिक्त विभिन्न प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। कभी-कभी ये प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं और इन्हें गैर टैरिफ बाधाएं कहा जाता है। भारतीय निर्यातकों को विकसित देशों सहित कई देशों में समय-समय पर ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण उत्पन्न समस्या को उसके शीघ्र और परस्पर संतोषजनक समाधान के लिए द्विपक्षीय रूप से संबंधित देश के संबंधित प्राधिकरणों के साथ विधिवत रूप से उठाया जाता है। कुछ मुद्दे जिनका समाधान इस तरीके से नहीं होता है, को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के जरिए समाधान के लिए उठाया गया है। डब्ल्यूटीओ की वार्ताओं में भारत में विकासशील देशों के लिए निर्यातों को कठिन बनाने वाले विकसित देशों द्वारा किए गए उपायों के प्रयोग को बंद करने के लिए कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ प्रस्तावों को सहप्रायोजित किया है।

एकीकृत यातायात प्रबंधन प्राधिकरण

5742. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली के लिए एकीकृत यातायात प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) कब तक उक्त प्राधिकरण को स्थापित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच करते समय संसदीय स्थायी समिति ने एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रधिकरण के सृजन की सिफारिश की थी। तत्कालीन गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा एनडीएमसी, एम.सी.डी., डी.डी.ए. आदि जैसे अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, में इस सिफारिश पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शहरी विकास मंत्रालय, जो शहरी परिवहन के विषय को देखता है, प्रस्तावित प्राधिकरण को सौंपे जाने वाले विशिष्ट कार्यों का पता लगाने के लिए कार्य बल का गठन करेगा। संभावना है गठित किए जाने वाले कार्यबल को अपने गठन के पश्चात् से तीन महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश होगा।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5743. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री राजेन गोहेन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष के दौरान जसौला, नरेला, द्वारका और रोहिणी में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और शेष क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास बंजरभूमि का कुल कितना क्षेत्र है और खाली पड़ी भूमि अथवा ऐसी भूमि पर आवासों के निर्माण के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि नरेला, रोहिणी और द्वारका उप-शहर परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमानों में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें शामिल भूमि का कुल क्षेत्र 33769 बीघा 9 बीसा (7035.3 एकड़) है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों (एलएसी)/भूमि और भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के माध्यम से किया जाता है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को लगभग 69890 एकड़ भूमि का कब्जा दिया गया है। मास्टर प्लान, 2001 के अंतर्गत नियोजित विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण एक चालू प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास कार्यों की आयोजना और उनका निष्पादन करता है तथा उसके बाद रिहायशी, व्यवसायिक, संस्थागत आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए विकसित भूमि का आवंटन करता है। तथापि, लगभग 1472 एकड़ डीडीए भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी समूहों सहित विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण हैं। इसके

परिणामस्वरूप यह भूमि विकास और आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है। संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमण की गई भूमि के समाधान हेतु कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

एस.एस.ए. के अंतर्गत वित्तीय सहायता

5744. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुनील खां:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय भेजने के बैकलाग को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से राज्य पिछड़ रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान आज की तिथि तक राज्यों में नए विद्यालय खोलने, शिक्षकों की नियुक्ति, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण और पेयजल सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं और विद्यालयों के ढांचागत विकास के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी;

(घ) संबंधित राज्यों ने किस सीमा तक प्रदान की गयी सहायता का उपयोग कर लिया है; और

(ङ) राज्यों ने प्रदत्त वित्तीय सहायता का पूरा-पूरा उपयोग न करने के क्या कारण बताए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के आरंभ होने के समय स्कूल-बाह्य बच्चों की अनुमानित संख्या 2.30 करोड़ थी। सितम्बर, 2004 तक स्कूल-बाह्य बच्चों की संख्या घटकर 0.81 करोड़ रह गई। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य इस संबंध में पिछड़ रहे हैं।

(ग) से (ङ) केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अनुदानों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार किए गए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। यह द्रष्टव्य है कि राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर प्रदत्त राशि का 85% भाग उपयोग किया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1 अप्रैल 2004 तक अधशेष	वर्ष के दौरान जारी राशि		उपलब्ध कुल निधि	कुल व्यय	जारी राशि के संदर्भ में व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार	79.34	272.58	147.22	499.14	272.08	55%
2.	आंध्र प्रदेश	6293.97	28000.00	9076.36	43370.33	39708.58	92%
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	3009.00	321.28	3321.28	1819.93	55%
4.	असम	210.42	20654.00	6000.00	23089.84	22381.50	97%
5.	बिहार	13461.29	31970.58	10586.00	56017.85	34590.96	62%
6.	**चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	183.00	447.95	0.00	630.95	122.00	19%
7.	छत्तीसगढ़	4927.97	20786.76	6896.58	32611.31	29564.93	91%
8.	*दादरा और नगर हवेली	–	0.00	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	*दमन और दीव	–	111.91	–	–	–	–
10.	दिल्ली	1808.72	0.00	176.87	1985.59	860.67	43%
11.	गुजरात	3088.00	14072.00	7296.00	24456.00	18607.02	76%
12.	हरियाणा	1322.69	12881.55	4293.85	18498.09	11359.14	61%
13.	हिमाचल प्रदेश	943.33	6144.00	2029.72	9117.05	8354.41	92%
14.	जम्मू-कश्मीर	347.34	7747.18	2734.16	10828.68	8156.52	75%
15.	झारखंड	8482.33	16568.50	8038.00	33088.83	29250.32	88%
16.	कर्नाटक	2521.00	26280.70	10650.00	39451.70	34416.35	87%
17.	केरल	2594.88	8939.00	721.84	12255.72	9383.78	77%
18.	*लक्षद्वीप	–	12.03	–	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	9543.00	44608.92	14640.65	68792.57	59785.00	–
20.	महाराष्ट्र	3836.46	35489.79	8349.00	4767.25	38955.07	82%
21.	मणिपुर	500.00	1225.00	368.00	2093.00	1354.93	65%
22.	मेघालय	145.69	2930.81	549.91	3626.41	2150.33	59%
23.	मिजोरम	683.00	3300.24	810.13	4793.37	4478.66	93%
24.	नागालैंड	371.53	2088.49	579.00	3039.02	2751.24	91%
25.	उड़ीसा	4993.74	21807.27	9581.83	36392.56	28060.70	77%
26.	*पांडिचेरी	188.00	225.53	0.00	413.53	65.00	16%
27.	पंजाब	6905.63	3040.00	2677.83	12665.03	9636.43	76%
28.	राजस्थान	8749.00	23549.40	11000.00	43298.40	39590.65	91%
29.	सिक्किम	0.00	1000.25	200.00	1200.25	755.82	63%
30.	तमिलनाडु	2462.00	26517.00	8839.00	37818.00	36638.00	97%
31.	त्रिपुरा	10.00	4703.96	1277.75	5991.71	5110.00	85%
32.	उत्तर प्रदेश	12357.00	87761.00	29253.75	129371.25	125165.00	97%
33.	उत्तरांचल	765.22	9144.70	3053.77	12963.69	9750.77	75%
34.	पश्चिम बंगाल	1648.54	46024.36	13841.00	61513.90	50950.00	83%
	कुल	99423.09	511314.44	173989.50	780870.80	664046.42	85%

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय की रिपोर्ट नहीं दी गई।

**आंकड़े सितम्बर 2004 तक के हैं।

सीमा पर गोलाबारी

5745. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समझौते के उल्लंघन के कारण सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स-बी.एस.एफ. के बीच गोलाबारी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में बांग्लादेश के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) भारत की ओर से दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। बांग्लादेश राइफल्स, सीमा प्राधिकारियों के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त दिशानिर्देश-1975 के पैरा 8(ङ) का इस बात पर जोर देने के लिए निरंतर गलत अर्थ लगाता रहा है कि बाड़ एक रक्षा संभावित ढांचा है। इसलिए बांग्लादेश राइफल्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गत के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने पर आपत्ति कर रहा है और गोलाबारी करता है। यह मुद्दा गृह सचिव स्तर पर वार्ता, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक, बांगलादेश राइफल्स की वार्ता सहित विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया गया है।

यह मुद्दा, सामान्य राजनयिक चैनल के माध्यम से भी उनके साथ उठाया गया है, बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है।

अंकटाड

5746. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के अधिकारियों ने देश में तीन प्रमुख विकास अंगों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रमुख विकास क्षेत्रों का सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी नहीं। अंकटाड में भारत के लिए किसी मुख्य वृद्धि क्षेत्र का पता नहीं लगाया गया है। तथापि, 7-9 फरवरी, 2005 को जेनेवा में अंकटाड में आयोजित विश्व व्यापार के नए और गतिशील क्षेत्रों से संबंधित पहली विशेषज्ञ बैठक में विकासशील देशों के लिए वृद्धि के मुख्य क्षेत्रों के रूप में जैव ईंधन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं को प्राप्त करने सहित तीन क्षेत्रों अर्थात् वस्त्र और कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था। बैठक में इन तीन क्षेत्रों में विकासशील देशों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्यवाहियों और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की समीक्षा की गई थी। इन तीन क्षेत्रों में भारत के कार्य निष्पादन को बैठक की रिपोर्ट में नोट किया गया है।

[हिन्दी]

मांस उद्योग को बढ़ावा

5747. मोहम्मद शाहिद: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मांस का निर्यात करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मांस उद्योग की समस्याओं की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) राज्य-वार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, निर्यातों के लिए प्रमुख मांस उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गोवा हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मांस एवं मांस उत्पादों के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में मानक निर्धारित किए गए हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा कई स्कीमों का प्रचालन किया जाता है जिनके अंतर्गत रीफर वैनों की खरीद, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों के कार्यान्वयन, इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पैकेजिंग विकास, बाजार विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों आदि में भागीदारी के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खेल संघों को सहायता

5748. श्री अजीत जोगी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान

प्रतिवर्ष और उसके पश्चात् खेल संघों को संघ-वार किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ/संघ राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंटों में सहभागिता; सब-जूनियर, जूनियर और सीनियरों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन; अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन; खेल उपस्करों की खरीद तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहायक/संयुक्त सचिवों को वेतन का भुगतान आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को लगभग 104.63 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान और तत्पश्चात् 2005-2006 के दौरान 29.4.2005 तक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

खेल परिसंघों को सहायता

(धनराशि रुपयों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (29.4.2005 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	1500974	662657	1424960	150000
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	11681426	16681512	11190285	0
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	2795514	1598625	11936264	0
4.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	1511417	0	0	0
5.	बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद	871899	1177522	3001819	0
6.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	9069998	7025325	21508199	0
7.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	700000	1600000	1250000	0
8.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	147500	1775000	1400000	0
9.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	1737015	3485770	2500000	0
10.	भारतीय तीरंदाजी संघ	2626548	6883370	5894567	0
11.	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ	1200000	1650000	750000	150000
12.	भारतीय बैडमिंटन संघ	13155431	15980746	16016311	600000
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	1240000	1050000	550000	0
14.	भारतीय बास्केबाल परिसंघ	3232936	4396382	4960748	0
15.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	3009347	2416455	2352264	0
16.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	1251489	1000000	675000	0
17.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	2640253	2808508	1637993	450000

1	2	3	4	5	6
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	6805902	2539252	3276426	150000
19.	भारतीय फेन्सिंग संघ	8065684	1959832	1707407	734715
20.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	12687301	3601507	1887622	0
21.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	8984951	10842412	8127806	295587
22.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	50000	0	0	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	3343796	1853785	3247660	0
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	7017214	12878010	19421032	0
25.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ	2086136	2720945	1606414	0
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	44491859	5877202	124145335	0
27.	भारतीय पोलो संघ	176913	20241738	161657	0
28.	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	1200000	1750000	1300000	0
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	3488197	5995302	7987832	0
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	3510110	3087071	11034974	0
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	2986892	4435620	5637239	259875
32.	भारतीय खो-खो परिसंघ	1450000	1250000	1891700	0
33.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ	1334539	1150000	1250000	0
34.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	7085207	5918312	13687594	0
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	17436465	17455572	21837241	0
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	1200000	1645900	750000	300000
37.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	0	900000	1500000	0
38.	भारतीय रोईंग परिसंघ	3642641	4839159	11843540	750000
39.	भारतीय स्कूल खेल परिसंघ	1434869	1962015	0	0
40.	भारतीय सेपक टकारों परिसंघ	1200000	1000000	750000	0
41.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	0	2100000	1200000	0
42.	भारतीय साफ्टबाल संघ	1699291	1000000	1400000	0
43.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ	9646888	1858975	11936866	284229
44.	भारतीय तैराकी परिसंघ	4602717	6012609	1176457	0

1	2	3	4	5	6
45.	भारतीय टेबल टैनिस परिसंघ	7100759	7490815	11678239	0
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	1756800	2321784	600000	0
47.	भारतीय टेन्निकोइट परिसंघ	1200000	1150000	1050000	0
48.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	1650000	1200000	700000	0
49.	भारतीय रस्साकस्सी परिसंघ	1650000	1150000	1250000	0
50.	भारतीय बालीबाल परिसंघ	5061449	7655295	3216953	1200000
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	300000	0	500000	300000
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	10977678	23488942	22535117	835908
53.	भारतीय याटिंग संघ	10549498	15988068	15988462	450000
54.	भारतीय वूशू संघ	750000	150000	1050000	0
55.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	212000	1227400	964437	0
	कुल	265579954	364349456	416356420	6910314

[अनुवाद]

जनजातीय उप-योजना

5749. श्री गिरिधर गमांग: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ उन मंत्रालयों में अलग-अलग जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करने तथा उसके लिए निधियां आबंटित करने हेतु चर्चा और परामर्श शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालयों/विभागों ने जनजातीय उप-योजना हेतु निधियां निर्धारित की थी तथा निधियों का उपयोग करने और नोडल मंत्रालय के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निगरानी किए जाने हेतु उसे सूचित करने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश दिए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, नियोजन एवं कार्यक्रमों के समन्वय के नोडल मंत्रालय के रूप में, इस मंत्रालय ने उपलब्ध मंचों पर इस बात को दोहराने के लिए कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना व्यय का 8% तथा संबंधित राज्य की अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना के लिए निर्धारित करने की वकालत की है। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों से अलग बजट प्रावधान निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्युत्तर में, अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने अपने मंत्रालयों/विभागों के बजट प्रावधानों की अविभाज्यता दर्शायी है। इस मुद्दे को योजना आयोग के समक्ष रखा गया है कि वह मंत्रालयों/विभागों को अपने योजना बजट का 8% अनिवार्य रूप से निर्धारित करने का निदेश देने का निर्णय लें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार संशोधन विधेयक

5750. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 1994" को केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक सहमति कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों की खेती को उद्योग का दर्जा देना

5751. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जड़ी-बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जा सकेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार जड़ी-बूटियों की खेती को उद्योग का दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) दिनांक 31.8.2004 को घोषित तथा बाद में दिनांक 1.4.2005 से संशोधित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 में अग्रिम लाइसेंस स्कीम और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम सहित विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमें शामिल हैं। विशेष कृषि उपज योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद के निर्यातों के संवर्धन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। ये स्कीमें पहले ही चल रही हैं और इनके ब्यौरे विदेश व्यापार नीति 2004-09 नामक पुस्तक और प्रक्रिया पुस्तिका खण्ड I, 2004-09 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.)

5752. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम तथा इसके बड़े प्रोमोटरों ने विभिन्न राज्यों में स्थानीय जनजातियों के लोगों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित राज्यों एमएमटीसी के विभिन्न क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनको कितनी अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) एमएमटीसी उड़ीसा राज्य में प्रचालित नीलांचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल) का प्रमुख संवर्धनकर्त्ता है। एनआईएनएल द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान भर्ती किए गए स्थानीय जनजातीय व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	भर्ती किए गए जनजातीय व्यक्तियों की संख्या
2002	4
2003	14
2004	37

(ग) एमएमटीसी का उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत योजना अर्थात् एनआईएनएल के साथ समन्वय कार्य करने के अतिरिक्त विभिन्न मदों में घरेलू व्यापार और निर्यात एवं आयात का कार्य करता है। निर्यात कार्यकलापों में पिग आयरन, खनिजों जैसे लौह अयस्क, क्रोम अयस्क और मैगनीज अयस्क का निर्यात शामिल है। आयात कार्यकलापों में स्वर्ण, चांदी, जस्ता, लाम कोक/कोयला, दालों, उर्वरकों का आयात शामिल है। घरेलू कार्यकलापों में पिग आयरन बीएफजी स्लैग, अमोनियम सल्फेट, क्रूड टार और लेम कोक सहित विभिन्न वस्तुओं का व्यापार शामिल है। वर्ष 2004-05 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में 964 करोड़ रु. के निर्यातों, 657 करोड़ रु. के आयातों और 219 करोड़ रु. के घरेलू व्यापार समेत लगभग 18.40 करोड़ रु. का कारोबार किया।

(घ) एमएमटीसी एक स्वायत्त संगठन होने के कारण ऐसे मामलों में सरकार से किसी सहायता की मांग नहीं करता है।

विश्वविद्यालयों को निधियों का आबंटन

5753. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु विश्वविद्यालयों को आबंटित निधियों का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त प्रस्तावों तथा उनमें से अब तक स्वीकृति दिए गए प्रस्तावों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम-विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता स्कीम, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है, के अंतर्गत 40175.65 लाख रु. 36219.39 लाख रु. तथा 7755.02 लाख रु. की राशि का आवंटन किया गया है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विस्वविद्यालयों तथा सम-विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उन्हें प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित समय में स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना आवंटन (रु. लाख में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	571.5
2.	ककेतिया विश्वविद्यालय	385
3.	जे.एन.टी.यू., हैदराबाद	429
4.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुननगर	370.5
5.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	558.67
6.	पोट्टी श्रीरामूलू तेलगू विश्वविद्यालय	243.75
7.	श्री कृष्णादेवरिया विश्वविद्यालय	350
8.	श्री पद्मावती एम. विश्वविद्यालय, तिरूपति	337.5
9.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	454.93
	अरुणाचल प्रदेश	
10.	अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ईटानगर	400
	असम	
11.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	405

1	2	3
12.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	405
	बिहार	
13.	डा. बी.बी. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	293.07
14.	के.एस.डी.एस. विश्वविद्यालय, दरभंगा	203.95
15.	एल.एन.एम. विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार	318
16.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	309.05
17.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	302.5
18.	तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	328
	छत्तीसगढ़	
19.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (सी.जी.)	300
20.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेड़ागढ़	225
21.	पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	318
	दिल्ली	
22.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	225
	गोवा	
23.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	405
	गुजरात	
24.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	337.5
25.	गुजरात विश्वविद्यालय	429
26.	एम.एस. बड़ौदरा विश्वविद्यालय	752.05
27.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	205.5
28.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर	331.5
29.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	390
30.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	429
	हरियाणा	
31.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	429
32.	गुरू जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	205
33.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	380

1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
34.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	405
	जम्मू और कश्मीर	
35.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	405
36.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	400
	झारखंड	
37.	रांची विश्वविद्यालय	312
38.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	264.25
	कर्नाटक	
39.	बंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	574.4
40.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	405
41.	कोवैम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघाट	281.25
42.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	130
43.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग	310.5
44.	मंगलोर विश्वविद्यालय,	305
45.	मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	381
46.	भारत विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि विद्यालय	105
	केरल	
47.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट, केरल	370.5
48.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्ची	578
49.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	400.35
50.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम	347.3
51.	कन्नूर विश्वविद्यालय	461.2
	मध्य प्रदेश	
52.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा	318
53.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	390.5
54.	देवी अहिल्ला विश्वविद्यालय, इन्दौर	318
55.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय	441.3

1	2	3
56.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	315
57.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	210
58.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	409.5
59.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	410
	महाराष्ट्र	
60.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	313.75
61.	डा. बी.आर.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	350
62.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	459.9
63.	उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	259
64.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	542.94
65.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	359.25
66.	स्वामी आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	225
67.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	412.5
68.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	683.5
	मणिपुर	
69.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	398.6
	उड़ीसा	
70.	बेहरामपुर विश्वविद्यालय, बेहरामपुर	390
71.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	454.7
72.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	235
73.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	367.5
	पंजाब	
74.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	429
75.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	489.7
76.	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	370.5
	राजस्थान	
77.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	419.8
78.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	257

1	2	3
79.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	280
80.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	420
	तमिलनाडु	
81.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी	203.15
82.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	761
83.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर	532.73
84.	भारतीयर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	330
85.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	331.5
86.	मद्रास विश्वविद्यालय	450
87.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	390
88.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	243.75
89.	मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	280
90.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजोर	225
	त्रिपुरा	
91.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	371.5
	उत्तर प्रदेश	
92.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	444.75*
93.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	225
94.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	358
95.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	300
96.	डा. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय	234.75
97.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	269.66
98.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	280.5
99.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	213
100.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	225
101.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय	280.5
102.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200
103.	सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर	201.5

1	2	3
104.	जगदगुरू रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम	227.4
	उत्तरांचल	
105.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तरांचल	325
106.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनिताल	370.5
	पश्चिम बंगाल	
107.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दमान	347
108.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	577
109.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032	742.75
110.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	340
111.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जीलिंग	372
112.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	405
113.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	300
	कुल	40175.65

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निधियों का आवंटन

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना हेतु आवंटित अनुदान (इंजिनियरी तथा प्रौद्योगिकी और मेडिकल कालेजों सहित)
1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3016.50
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	3218.00
3.	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	956.50
	असम	
4.	असम विश्वविद्यालय	2000.00
5.	तेजपुर विश्वविद्यालय	2250.00
	दिल्ली	
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2771.25

1	2	3
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया	2288.64
8.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	2125.00
	मेघालय	
9.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	1418.00
	मिजोरम	
10.	मिजोरम विश्वविद्यालय*	7000.00
	महाराष्ट्र	
11.	एम.जी.एन. हिन्दी विश्वविद्यालय	1291.50
	नागालैंड	
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	2000.00
	आंध्र प्रदेश	
13.	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	759.00
14.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1750.00
	पांडिचेरी	
15.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1750.00
	पश्चिम बंगाल	
16.	विश्व भारती विश्वविद्यालय	1625.00
	कुल	36219.39

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	475.00
2.	श्री सत्या उच्चतर शिक्षण संस्थान, अनन्तपुर	300.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	306.00
	दिल्ली	
4.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	633.00
5.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	401.25

1	2	3
	गुजरात	
6.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	333.00
	महाराष्ट्र	
7.	डक्कन स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कालेज, पुणे	225.00
8.	गोखले इंस्टीट्यूट आफ पाल्टीक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे	300.00
9.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	637.50
10.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	232.50
11.	भारती विद्यापीठ, पुणे	21.50
	तमिलनाडु	
12.	अविनाशिलिंगम गृह विज्ञान तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर	364.75
13.	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधी ग्राम, डिंडिगुल	464.35
14.	श्री चन्द्राशेखरेन्द्रा सरस्वती विश्वविद्यालय, एनाथुर, कांचीपुरम	225.00
	राजस्थान	
15.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	375.00
16.	जैन विश्व भारती, लदनून, राजस्थान	125.00
17.	जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	300.00
18.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी	329.70
	उत्तर प्रदेश	
19.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	150.00
20.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	272.00
21.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	297.00
	झारखंड	
22.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची	272.47
	पंजाब	
23.	थापर प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	340.00
	पश्चिम बंगाल	
24.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा	375.00
	कुल	7755.02

[हिन्दी]

व्यापार मेले

5754. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी दिल्ली में आईटीपीओ द्वारा आयोजित व्यापार मेलों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रवेश शुल्क में वृद्धि की वजह से दर्शकों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रवेश शुल्क को कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा व्यापार मेलों में दर्शकों की घटती संख्या को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न व्यापार मेलों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) के प्रवेश शुल्क को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:-

(रुपए में)

	2002	2003	2004
1	2	3	4
कार्य दिवस			
वयस्क	20	25	25
बच्चे	10	15	15
अवकाश दिवस			
वयस्क	30	35	40
बच्चे	15	20	20
एजेंसियों के माध्यम से मदर डेयरी एवं डीटीसी कार्य दिवस			
वयस्क	20	20	20
बच्चे	10	10	10
अवकाश दिवस			
वयस्क	30	30	35
बच्चे	15	15	15

(ग) आगन्तुकों की संख्या में कुछ कमी आई है परन्तु इसका कारण अवकाश दिवसों में भीड़ को कम करने के लिए समय से पूर्व समापन, यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए मथुरा रोड पर टिकटों को बंद करने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए बिक्री केन्द्रों के आविर्भाव आदि सहित कई कारक हैं न कि सिर्फ प्रवेश शुल्क में वृद्धि।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आईटीपीओ मदर डेयरी बूथों, बैंक शाखाओं और दिल्ली परिवहन निगम के जरिए टिकटों की बिक्री की योजना बना रहा है ताकि प्रगति मैदान के पास टिकट काउण्टरों पर भीड़-भाड़ के बिना सस्ती दरों पर इन एजेंसियों से टिकट खरीदने की ओर जनता को आकर्षित किया जा सके।

बिहार में आपराधिक मामले

5755. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री नीतीश कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न अपराधों के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) क्या सरकार ने इन अपराधों में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को सजा दी गई है; और

(घ) मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों में हत्या और अपहरण के कितने मामले लम्बित पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2001 से 2003 तक बिहार में भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और विभिन्न अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अपराधों का पता लगाने, दर्ज करने, उनकी जांच-पड़ताल करने, और न्यायालयों में अभियुक्त व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। इसलिए, ऐसी सूचना न तो रखी जाती है और न ही केन्द्र सरकार के पास तुरंत उपलब्ध हैं। एनसीआरबी वार्षिक रूप से एक पुस्तिका "भारत में अपराध" में अपराध संबंधी आंकड़े संकलित करती है और उसे प्रकाशित करती है। 2003 तक एनसीआरबी द्वारा संकलित अपराध संबंधी आंकड़ों के अनुसार 2003 के अंत तक न्यायालयों में हत्या तथा अपहरण और व्यपहरण के मामलों की संख्या क्रमश: 20074 और 9145 थी।

विवरण

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2001			2002			2003		
		सी.आर.	पी.ए.	पी.सी.	सी.आर.	पी.ए.	पी.सी.	सी.आर.	पी.ए.	पी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हत्या	3643	9269	1082	3712	8351	742	3771	7378	1243
2.	हत्या का प्रयास	3419	9925	1178	3526	8564	856	3540	8257	1048
3.	हत्या की कोटि में न आने वाले अपराध	250	656	135	396	744	95	298	562	114
4.	बलात्कार	888	1400	217	1040	1304	157	985	1120	197
5.	अपहरण एवं व्यपहरण	2159	4470	743	2361	4785	454	2427	4002	510
6.	डकैती	1291	6007	631	1289	4054	595	1221	3483	395
7.	डकैती के लिए तैयारी करना और इकट्ठे होना	147	730	120	141	595	104	120	487	52
8.	लूटपाट	2203	5550	546	2288	4314	368	2463	4771	325
9.	सेंधमारी	3233	4364	508	3188	3359	298	2986	2491	326
10.	चोरी	9701	10592	1333	10145	10104	1078	10124	8354	1295
11.	दंगे	8606	37740	4956	8675	45341	3786	8029	39367	3710
12.	आपराधिक न्यासभंग	946	2211	264	1215	2264	154	1105	1765	180
13.	धोखाधड़ी	1659	2873	356	1811	2803	257	1947	2962	231
14.	जालसाजी	85	122	34	72	146	12	92	108	12
15.	आगजनी	502	1125	117	600	1136	78	669	1390	114
16.	चोट पहुंचाना/गंभीर चोट पहुंचाना	7544	15732	1959	8770	16288	847	8884	21875	1648
17.	दहेज संबंधी मृत्यु	859	2899	319	927	2538	226	909	2488	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	छेड़छाड़	562	982	152	621	997	76	688	965	91
19.	यौन उत्पीड़न	21	37	8	6	16	4	11	20	13
20.	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	1558	3838	330	1577	4278	298	1880	3940	297
21.	लड़कियों का आयात	83	179	0	38	63	0	37	48	0
22.	लापरवाही के कारण मृत्यु	2406	2201	82	2497	2382	104	2574	2319	228
23.	भारतीय दंड संहिता संबंधी अन्य अपराध	36667	79383	7334	39145	90022	5747	37503	80980	4014
24.	भारतीय दंड संहिता के तहत कुल संज्ञेय अपराध	88432	202285	22404	94040	214448	16336	92263	199132	16341

नोट: सीआर-दर्ज मामले, पी.ए.-गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, पी.सी.-दोषसिद्ध व्यक्ति

[अनुवाद]

मुख्य मंत्रियों की बैठक

5756. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री के.सी. पलानिसामी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने 15 अप्रैल, 2005 को आंतरिक सुरक्षा पर अखिल भारतीय मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उठाए गए/चर्चा किए गए मुद्दों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) अप्रैल 15, 2005 को आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था पर मुख्य मंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सभी संबंधितों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सम्मेलन के निर्णयों/सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

विवरण

सम्मेलन में देश में आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था स्थिति की समीक्षा की गई, विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान और आकलनों का आदान-प्रदान किया गया तथा उसका मूल्यांकन किया गया तथा सुरक्षा पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली मुख्य चिन्ताओं से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने के लिए रणनीतियों और उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा आयामों तथा आतंकवाद के सामाजिक-आर्थिक पहलूओं का भी जायजा लिया गया तथा समस्या के इन पहलूओं से निपटने हेतु नीतियां और रणनीतियां शुरू करने और उन्हें कार्यान्वित करने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जिन पर चर्चा की गई तथा लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:-

(1) इस बात पर व्यापक सहमति थी कि सुरक्षा और विकासात्मक मुद्दों के प्रति एक साथ-साथ अनुसरण और संकल्प के जरिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आतंकवाद से निपटा जाना चाहिए। राज्य पुलिस बलों को कवर करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली व्यापक बीमा स्कीम शुरू करने के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के अंतर्गत समग्र प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम को पहले ही कवर किया हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले राज्यों ने सर्वसम्मति से

सहमति प्रकट की कि नक्सलवाद की समस्या के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि नक्सली हिंसा और गतिविधि को समाप्त करने के लिए सुरक्षा और विकासात्मक फ्रन्ट दोनों पर समन्वित दृष्टिकोण और उपाय शुरू करने और उन्हें आगे आवधिक रूप से बढ़ाने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को शामिल करके केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की जाए। इसी के साथ-साथ भूमि सुधारों का तीव्रता से कार्यान्वयन, जनजातीय संबंधित मुद्दों का हल, रोजगार के अवसर पैदा करने के काम को प्राथमिकता के आधार पर करना पड़ेगा। यह अनुभव किया गया कि विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित जिलों में सुशासन उपलब्ध करवाने तथा वास्तविक लोक शिकायतों को दूर करने हेतु जिम्मेवार, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता है।

(2) यह नोट किया गया कि आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ राज्यों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने में भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्कीम उपयोगी है।

(3) कुछ मंत्रियों ने भारत-बांग्लादेश, भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि बाड़ लगाने के कार्य को विशेषकर संवेदनशील हिस्सों में शीघ्रता से करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सड़कों का काम शीघ्रता से किया जाएगा। तटीय राज्यों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(4) अधिकतर राज्यों ने सीमावर्ती तथा तटीय क्षेत्रों पर बल देते हुए बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) के समयबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

(5) महिलाओं, बच्चों तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपराध को कम करने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(6) पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के संबंध में सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि राज्य तौर तरीके निकालेंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य स्तर पर सुरक्षा और आसूचना तंत्र के उन्नयन हेतु, केन्द्र सरकार द्वारा जारी धनराशि का शीघ्रता से और समग्र रूप से उपयोग किया जाए तथा वांछित नतीजे हासिल किए जाए, इस हेतु मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर प्रबंधन तंत्र स्थापित किया जाए। आवश्यक बजटीय प्रावधान करके राज्य भी अपना उतना ही हिस्सा देकर योगदान करेंगे।

(7) प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों ने पुलिस सुधारों पर पहचान शुदा कुछ सिफारिशों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा आत्महत्या

5757. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने दिल्ली पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की है;

(ख) क्या आत्महत्या के ऐसे सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन जांच रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में आत्महत्या के ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क)

वर्ष	आत्महत्याओं की संख्या
2002	5
2003	6
2004	7
2005 (15 अप्रैल तक)	3

(ख) और (ग) 8 मामलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट दाखिल की है। शेष मामले विभिन्न कारणों से लंबित है।

(घ) भविष्य में आत्महत्या के मामलों को रोकने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में (1) स्थानांतरण, तैनाती और ड्यूटियों के वितरण में पारदर्शिता; (2) फील्ड ड्यूटियां करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक विश्राम सुनिश्चित करना; (3) जरूरत पड़ने पर सभी पुलिस कर्मियों को छुट्टी प्रदान करना; (4)

स्टाफ को एक दिन में 12 घंटों से ज्यादा ड्यूटी करने हेतु तैनात न करने के संबंध में एहतियात बरतना; (5) पुलिस कर्मियों की शिकायतों के निवारण हेतु पुलिस स्टेशनों और जिला/यूनिट स्तर पर संपर्क सभाएं आयोजित करना (6) पुलिस अधिकारी को किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतें रखने का अवसर देना; (7) सभी पुलिस कर्मियों की नियमित रूप से चिकित्सा जांच करना; (8) बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और यूनिट स्तरीय पाठ्यक्रम में पुलिस कर्मियों के व्यवहार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करना; (9) अपनी ड्यूटी बिना किसी घबराहट/तनाव के करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट आदेश देने हेतु सभी जिला/यूनिटों को निदेश जारी करना; और (10) दिल्ली पुलिस में पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु विभिन्न उपाय करना शामिल है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

5758. श्री वेंकटेश ए. नायक:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने हेतु राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/पाठ्यक्रमों की स्थापना हेतु कोई योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में ऐसे और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना चलाता है, जिसके तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने और चलाने हेतु 100% अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वर्ष 1992-93 से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1998-99 से गैर-सरकारी संगठनों हेतु अनुदान शुरू किया गया है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में उस क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता पर आधारित पारंपरिक कौशल में 5 व्यवसाय होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय के प्रशिक्षण में 100 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता है तथा दो व्यवसायों में पाठ्यक्रम पूरे करने की अवधि एक वर्ष है।

(ग) विगत तीन वर्षों में 119 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु सहायता अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) इस योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना में आगे जारी रखने हेतु अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त संपूर्ण प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को मंजूरी दी जाती है। अत: नए केन्द्रों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है।

(च) और (छ) प्रत्येक वर्ष प्रस्ताव प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व वर्ष में स्वीकृत केन्द्रों की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट, उपयोगिता, प्रमाण-पत्र के साथ सभी अर्थों में संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने तथा योजना के अंतर्गत फंड उपलब्ध होने पर सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	12
4.	गुजरात	15
5.	जम्मू-कश्मीर	1
6.	कर्नाटक	10
7.	केरल	4
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	महाराष्ट्र	16

1	2	3
10.	मणिपुर	1
11.	मिजोरम	5
12.	नागालैंड	1
13.	उड़ीसा	15
14.	तमिलनाडु	1
15.	त्रिपुरा	8
16.	पश्चिम बंगाल	1
17.	दादरा व नगर हवेली	1
18.	छत्तीसगढ़	13
19.	सिक्किम	3
	जोड़	119

[हिन्दी]

अल्पावधि कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण हेतु निधियों का आवंटन

5759. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक परियोजना की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) योजना के अंतर्गत अल्पावधि कम्प्यूटर प्रचालक प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश को निधियां आवंटित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सहित विशेषकर उत्तर प्रदेश से, कितने अभ्यर्थियों को विश्व बैंक की उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अल्पावधि कम्प्यूटर प्रचालक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(घ) क्या कम्प्यूटर प्रचालक के प्रशिक्षण हेतु विशेषकर ग्रामीण अभ्यर्थियों के प्रवेश में अनेक अनियमितताएं बरती गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) इस विभाग ने स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (क्लास) की संशोधित योजना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना का विलय करके 2004-05 के दौरान ''स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विश्व बैंक से किसी सहायता के बगैर ही स्वतंत्र रूप से इस विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। योजना में ''अल्पकालीन कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण'' के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आई.सी.टी./क्लास योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1.	पश्चिम बंगाल	4,69,84,125 रु.	2003-04 के	
2.	छत्तीसगढ़	2,50,00,000 रु.	दौरान राज्यों	
3.	गोवा	1,25,00,000 रु.	को वित्तीय	
4.	सिक्किम	72,50,000 रु.	सहायता जारी नहीं की गई	
5.	तमिलनाडु	72,65,875 रु.		
6.	हरियाणा	39,30,000 रु.		
7.	कर्नाटक	-		3,89,52,500 रु.
8.	आंध्र प्रदेश	-		5,27,59,375 रु.

[अनुवाद]

मनुष्य के बालों का निर्यात

5760. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीयों के बालों के निर्यात से वार्षिक कितनी आय होती है;

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या आयात-निर्यात नीति है;

(ग) इस व्यवसाय में लगे देशों के क्या नाम हैं; और

(घ) भारतीयों के बालों के निर्यात को बढ़ाने हेतु विदेशी बाजार में पकड़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान मानव बालों और उनके उत्पादों का कुल निर्यात 70.26 मिलियन अम. डा. का हुआ था।

(ख) मानव बालों के आयात और निर्यात पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है और इनका आयात तथा निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

(ग) भारत से चोटी के पांच आयातक देश चीन, हांगकांग, ट्यूनीशिया और यूएसए हैं।

(घ) चालू वर्ष के दौरान निर्यातों के संवर्धन हेतु प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आसियान और ईयू क्षेत्र को दो प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं।

इन्टिग्रेटेड आपरेशंस सेंटर

5761. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक दंगा जैसे मानव निर्मित संकट के प्रबंधन में विलंब से बचने हेतु "इन्टिग्रेटेड आपरेशंस सेंटर" खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र के प्रमुख कार्य क्या हैं और इस केन्द्र द्वारा राज्यों को कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस तर्ज पर विधान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्र खोले जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों में प्रभावी और तुरंत कार्रवाई के लिए एकीकृत आपरेशन केन्द्र (आईओसी) के रूप में उन्नयन किया गया है। आईओसी को अतिरिक्त सुविधायें, जिनमें मल्टिपल साइट वीडियो और ओडियो कांफ्रेंसिंग, उच्च शक्ति डिजिटल लाइट प्रोजेक्सन प्रणाली, मानचित्र प्रदर्शन प्रणाली, इटेलिजैंट रिअर प्रोजेक्शन प्रणाली, फ्लैट पैनल टीवी मानीटर, रिमोट कंट्रौल कंसोल, एक्सेस नियंत्रण आदि प्रदान करके आईओसी का उन्नयन किया गया है। आईओसी के निकनेट (एनआईसीएनईटी), स्पेसनेट (एसपीएसीईएनईटी) आदि जैसे उपग्रह आधारित बहुउद्देश्यीय संचार लिंक है और इसका उद्देश्य राज्यों के इमरजेंसी आपरेशन केन्द्रों और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी और महासागर विकास विभाग जैसे संगठनों के कमान केन्द्रों को आपस में जोड़ना है।

(घ) और (ङ) आपदा प्रबंधन से संबंधित एक केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुभेद्य या प्रभावित क्षेत्रों में आपात संचार प्रदान करने के उपाय शामिल हैं।

(च) और (छ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे राज्य और जिला स्तर पर बहु-जोखिम प्रतिरोधी आपरेशन केन्द्रों की स्थापना करें। राज्य सरकारों को राहत और बचाव तथा संचार उपकरण खरीदने के लिए आपदा राहत निधि के अधीन वार्षिक आवंटन का 10% तक उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है।

आठवीं अनुसूची में कोसाली भाषा को शामिल करना

5762. श्री भर्तृहरि महताब: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्बलपुरी/कोसाली भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संसद के समक्ष इस संबंध में संशोधन विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए विषयपरक मानदंड का एक सेट तैयार करने हेतु श्री सीताकांत महापात्र के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कतिपय सिफारिशें की हैं। आठवीं अनुसूची में सम्बलपुरी/कोसाली सहित

भाषाओं को शामिल करने की लंबित मांगों पर, समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस विषय में अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है और इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

टायर उद्योग

5763. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायर उद्योग को आगतों विशेषकर कच्चे माल की लागत में अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा टायर उद्योग में गतिरोधों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या टायर उद्योग का 65 प्रतिशत कच्चा माल पेट्रो-ब्रेसेस (आधारित) है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेट्रो-ब्रेसेस के लिए विकल्प तलाशने के क्या प्रयास किये गये हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। प्राकृतिक रबड़, पेट्रो-आधारित कच्चे माल और इस्पात जैसे कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह विश्व बाजार में इन उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि को काफी सीमा तक दर्शाता है।

(ग) से (ङ) मात्रात्मक प्रतिबंध हट जाने के कारण, टायर उद्योग को यथा लागू सीमा शुल्क दरों पर निविष्टियां सुलभ हो गई हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में शीर्ष सीमा शुल्क दरों को 20 प्रतिशत से और कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है तथा बड़ी संख्या में पैट्रो रसायनों व रसायनिक मदों पर 10/5 प्रतिशत सीमा शुल्क लागू होता है। इन उपायों से टायर उद्योग को अपनी निविष्टि की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

रसायनों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क हटाना

5764. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन से सीएफएल (कम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्पस) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और कुछ रसायनों के आयात पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने की भी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से कुछ कंपनियों को छूट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इनके क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) छूट के कारण सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कंपनियां अत्यधिक लाभ उठा रही हैं और इस विषेष अधिकार के कारण बाजार का दोहन कर रही हैं;

(छ) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए; और

(ज) इन क्षेत्रों में देशी उद्योग की क्या स्थिति है और इसे प्रोत्साहित करने तथा इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) दिनांक 10.12.2002 की अधिसूचना द्वारा कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स (सीएफएल) पर 1.256 अम. डा. प्रति यूनिट (चोक रहित) और 1.845-3.125 अम. डा./यूनिट (चोक सहित) एवं आयात के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। रसायनों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को स्वत: समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा हेतु भावी अनुरोधों पर डीजीएडी की सिफारिश समीक्षा जांच के परिणाम पर निर्भर होगी।

(ग) से (छ) कंपनियों द्वारा अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम, निर्यातोन्मुख इकाइयों/विशेष आर्थिक जोनों जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत किए गए आयात पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से मुक्त होते हैं। चूंकि ऐसी कंपनियों द्वारा किए गए आयात निर्यात हेतु वस्तुओं के विनिर्माण के लिए होते हैं इसलिए इनसे घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होती है।

पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति से उत्पन्न व्यापार विकृतियों का मुकाबला करना होता है। पाटनरोधी शुल्क को राजस्व अर्जन का एक उपाय नहीं माना जाता है।

(ज) वर्ष 1992 से 28.04.2005 तक डीजीएडी ने 180 पाटनरोधी जांच शुरू की हैं जिनमें 54 देश शामिल हैं। जिन प्रमुख उत्पाद श्रेणियों पर पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहित किया गया है वे रसायन एवं पेट्रोरसायन, भेषजीय उत्पाद, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातुएं एवं उपभोक्ता वस्तुएं हैं। इन 180 मामलों में से 158 मामलों में अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं, 3 मामलों में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए हैं और 9 मामले जांच के बाद बंद कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

द्वारका में नए नलकूपों की स्थापना

5765. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल संकट को खत्म करने में असफल होने के बाद वहां के निवासियों के लिए नए नलकूपों की स्थापना हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका में नलकूप लगाने हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ङ) नए नलकूप कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे; और

(च) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनके दिल्ली विकास प्राधिकरण इन नलकूपों की स्थापना में सहायता ले रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि द्वारका में मौजूदा जल आपूर्ति को बढ़ाने की अंतरिम व्यवस्था करने के लिए उसने द्वारका क्षेत्र में 18 नलकूपों के बेधन की अनुमति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से अनुरोध किया है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने 5 नए नलकूपों के वेधन हेतु पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है। इन नलकूपों को जून, 2005 के अन्त तक प्रचालनात्मक बनाये जाने की योजना है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि ये नलकूप पंजीकृत अभिकरणों और परामर्शदाता के परामर्श के अनुसार निविदायें मंगाकर लगाये जाने हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

5766. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों के वितरण हेतु योजनाओं और मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-04 और उसके बाद एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा जारी किए गए ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने अनुसूचित जनजाति के लोग लाभान्वित हुए; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में जनजातियों को प्रोत्साहित करने हेतु एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) द्वारा अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए जनजातियों के उन्नयन के लिए उठाए गए कदम और विभिन्न प्रकार के ऋणों के वितरण हेतु योजनाओं और मार्ग निर्देशों का ब्यौरा सभा पटल पर रखी निगम की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा निर्मुक्त/संवितरित ऋण का संलग्न ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के शुरू होने से 31.3.2005 तक विभिन्न स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के अधीन शामिल लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(घ) जैसा कि भाग (क) में है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान और उसके पश्चात् एनएसटीएफडीसी द्वारा राज्य-वार निर्मुक्त ऋणों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त/संवितरित	ऋण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	206.64	1181.71
2.	छत्तीसगढ़	–	734.07
3.	गुजरात	477.02	–
4.	हिमाचल प्रदेश	32.65	31.95
5.	जम्मू-कश्मीर	–	74.33
6.	झारखंड	123.2	601.91
7.	कर्नाटक	1.35	202.90
8.	केरल	38.42	17.13
9.	लक्षद्वीप	8.65	–
10.	महाराष्ट्र	–	436.83
11.	मध्य प्रदेश	114.59	–
12.	नागालैंड	216.49	244.09
13.	उड़ीसा	–	27.72
14.	राजस्थान	217.91	454.89
15.	सिक्किम	219.04	116.00
16.	त्रिपुरा	236.15	–
17.	उत्तरांचल	–	11.20
18.	पश्चिम बंगाल	380.40	711.75
	कुल	2272.51	4846.49

विपणन समर्थन कार्यकलापों में वित्तीय सहायता

1.	गिरिजहन सहकारी निगम लि. (जीसीसी) आंध्र प्रदेश	500.00	500.00
	कुल	500.00	500.00
	नकद ऋण सहायता		
1.	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) दिल्ली	800.00	–
	कुल जोड़	3572.51	5346.49
	सहायता अनुदान प्रशिक्षण		
1.	आफिस आटोमेशन पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	2.65	1.84

विवरण II

लाभान्वित जनजातियों की संख्या का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन	वास्तविक स्वीकृति (एनएसटीएफडीसी की अंश पूंजी)					
		आय सृजक गतिविधियां		कार्यशील पूंजी/विपणन सहायता		जोड़	
		धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
2001-02	60.00	60.25	5383	3.00	290430	63.25	295813
2002-03	80.00	93.98	69015	5.00	110000	98.98	179015
2003-04	100.00	66.15	12825	13.00	675900	79.15	688725
2004-05	100.00	68.06	11094	5.0	283000	73.06	294094
कुल जोड़	340.00	288.44	98317	26.00	1349330	314.44	1457647

भारत-इराक व्यापार

5767. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक में भारतीय बिजली, वस्त्र और खाद्य सामग्रियों की तेजी से मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अगले दो वर्षों में इराकी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हथियाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) इराक में विद्युतीय, वस्त्र और खाद्य मदों सहित भारतीय वस्तुओं के लिए अच्छी संभावना और मांग उपलब्ध है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इराकी व्यापारी, भारतीय कंपनियों से अपनी आपूर्तियां प्राप्त करने हेतु उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए भारत आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की यात्रा करने वाले इराकी व्यापारियों की संख्या दोगुनी हो गई है तथा बगदाद स्थित भारतीय मिशन, इराकी व्यापारिक फर्मों के साथ अधिक विचार-विनिमय कर रहा है, अधिक व्यापार पूछताछों का उत्तर दे रहा है और भारतीय निर्यातकों की निर्देशिका का सीडी रूप में वितरण कर रहा है। इसी प्रकार, भारतीय व्यापारी व्यापार के उपलब्ध अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थानीय प्रतिनिधियों की सेवाओं तथा इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। मिशन, भारत स्थित संबंधित निकायों में उनके सदस्यों के मध्य परिचालन हेतु संविदा नोटिसों इत्यादि का भी परिचालन करता है।

भविष्य में इराक को होने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार, भारत में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में इराकी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त दोनों देशों के व्यापारी समुदायों के बीच बातचीत को सुकर बनाना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

अक्षरधाम फ्लाई-ओवर को जोड़ने वाला क्लोवर लीफ

5768. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रति विपरीत टिप्पणी करते हुए पूछा था कि प्राधिकरण ने अक्षरधाम फ्लाई-ओवर को जोड़ने वाले प्रस्तावित क्लोवर लीफ की चौड़ाई 60 मीटर से घटाकर मात्र 36 मीटर किस आधार पर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लिप्तता की जांच की है या करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग द्वारा दर्ज किए गए एक शपथपत्र के आधार पर अपनी टिप्पणियां दी थीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे यह सूचित किया है कि इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी)- 92 में क्लोवर लीफ के लिए न्यूनतम 30 मीटर घेरे और 60 मीटर के वांछनीय घेरे का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तुत मामले में स्थल की स्थिति को देखते हुए क्लोवर लीफ के लिए 36 मीटर से 50 मीटर तक के घेरे का प्रबंध किया गया है। अत: निर्धारित मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

वाघा सीमा पर सुनामी राहत सामग्रियों को अनुमति

5769. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तमिलनाडु के सुनामी पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री कुछ दिनों तक वाघा सीमा पर फंसी रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सुनामी पीड़ितों के लाभार्थ राहत सामग्री को अनुमति देने के लिए तथा ऐसी आपात स्थिति में लाल फीताशाही को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) हालैंड स्थित एक गैर-सरकारी संगठन "स्टीचिंग मदरहुड" द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के दस ट्रक 04.02.2005 को सड़क मार्ग से अटारी रोड एलसीएस पर पहुंचे। उक्त गैर-सरकारी संगठन द्वारा यह सूचित किया गया था कि यह राहत सामग्री चेन्नई स्थित एक संगठन "करूणालय सोशल सर्विस सोसायटी" के लिए हैं। इस सोसायटी ने 8.2.2005 को ही प्रवेश बिल सहित अपेक्षित कागजात जमा किए और सीमा शुल्क विभाग (कस्टम) द्वारा सम्पूर्ण माल को उसी दिन निकाल (क्लीयर कर) दिया गया था।

(ग) गृह मंत्रालय ने दिनांक 30.12.2004 की अधिसूचना सं. 2/21022/11(19)/2004 एफसीआरए-I के तहत उन सभी संगठनों (राजनैतिक पार्टी के अलावा), जिनका अपना निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम हैं, को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, केन्द्र सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना सुनामी पीड़ितों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए नगद और माल के रूप में विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की छूट प्रदान कर रखी है।

वित्त मंत्रालय की दिनांक 13.07.2004 की अधिसूचना सं. 148/94-सीयूएस (यथा संशोधित) के अंतर्गत, इसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन अनुदान और तौहफों के रूप में राहत सामग्री के आयात हेतु पहले से ही ड्यूटी से छूट मिली हुई है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र की निधियों से निधियों का अन्यत्र प्रयोग

5770. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सचिवों की समिति की बैठक में उत्तर पूर्व क्षेत्र की निधियों के अन्यत्र प्रयोग तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में तैनात सिविलियन अधिकारियों के बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के मुद्दे पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछेक क्षेत्रों में भूमिगत संगठनों द्वारा विकास निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में रिपोर्टों के संदर्भ में, 22 फरवरी, 2005 को हुई सचिवों की समिति की बैठक में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग नियमावली के नियम 5 में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें केन्द्रीय सरकार को भाप्रसे/भापुसे/भावसे के किसी अधिकारी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि मूल संवर्ग में अधिकारी का बना रहना राष्ट्रीय हित अथवा केन्द्र राज्य संबंधों के प्रतिकूल है।

(ख) सचिवों की समिति ने प्रस्तावित संशोधन की सिफारिश नहीं की। एनईआर निधियों के पुनर्विनियोजन अथवा अपवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने समय-समय पर पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसे मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि निधियां उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसके लिए दी जाती है। सरकार ने इन्सरजेन्टस द्वारा ऐंठने के क्रियाकलापों सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में इन्सरजेन्सी की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। विभिन्न इन्सरजेंट समूहों के साथ शान्ति वार्ता, राज्य पुलिस की क्षमताओं में वृद्धि करने और समाजार्थिक अवस्थापना का विकास करने के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के राज्य मुख्यालयों में जिला स्तर पर उपयुक्त संस्थागत तंत्र तैयार किया गया है ताकि राज्य और केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के पास उपलब्ध कार्रवाई योग्य आसूचना निवेश एक दूसरे से बांटा जा सके और इन्सरजेंट समूहों के विरुद्ध समन्वित प्रति इन्सरजेन्सी कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

छात्राओं का यौन शोषण

5771. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 70 प्रतिशत पुरुष अध्यापक छात्राओं के साथ छेड़खानी अथवा यौन शोषण में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत में म्यांमार विरोधी विद्रोहियों को शरण

5772. श्री बापू हरी चौरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार विरोधी सशस्त्र विद्रोहियों द्वारा भारत-म्यांमार सीमा पार करने के बाद मिजोरम तथा मणिपुर में शरण लेने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद आज तक इन विद्रोहियों का पीछा करते हुए म्यांमार की सेना ने कभी भारतीय सीमा में भी प्रवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) म्यांमार सेना के अधिकारियों ने मिजोरम में म्यांमार विरोधी विद्रोहियों की उपस्थिति का मुद्दा उठाया है। सूचना प्राप्त होने पर, भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा चौकसी पर तैनात असम राइफल्स, म्यांमार विरोधी ऐसे सशस्त्र विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। मिजोरम सरकार को भी इस मामले में उचित सलाह दी गई है। 10 दिसम्बर, 2004 को म्यांमार विरोधी विद्रोहियों के एक ग्रुप ने म्यांमार पुलिस चौकी पर छापा मारने के बाद मिजोरम से हो कर भारत की सीमा में प्रवेश किया था। असम राइफल्स ने उन्हें ललकारा और दोनों के बीच हुई मुठभेड़ में असम राइफल्स का एक कार्मिक और तीन विद्रोही मारे गए।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 2004 में म्यांमार सेना द्वारा मिजोरम में भारतीय सीमा में प्रवेश के दो दृष्टांत हुए हैं।

उपजनजातियों के नाम में परिवर्तन

5773. श्री कीरेन रिजीजू: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में ''दाफला'' जनजाति के नाम को उपजनजाति के रूप में बांगरू एवं पुरोइक के साथ न्यासी में बदलने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रतिस्थापन हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है।

महिलाओं के प्रति अपराध

5774. श्री गुरूदास कामत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 के दौरान महिलाओं के प्रति दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2001	143795
2002	147678
2003	132720*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

वर्ष 2004 के संबंध में ये आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली शहरी कला आयोग

5775. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली शहरी कला आयोग पर पुनर्विचार किया है, जिसके पास पिछले अनेक वर्षों से कोई काम नहीं है तथा उसने अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वास्तुकार को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सुप्रसिद्ध वास्तुविद् श्री चार्ल्स कोरिया को तीन वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली नगर कला आयोग का अध्यक्ष (अंशकालिक) नियुक्त किया गया है। उन्होंने 5 अप्रैल, 2005 को कार्यभार संभाल लिया है। इसके पहले आयोग

सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये गये विभिन्न अध्यक्षों के तहत कार्य करता रहा था। गत तीन वर्षों में आयोग की बैठक 65 बार हुई तथा 1200 प्रस्तावों पर विचार किया गया।

(ग) सरकार ने अंशकालिक सदस्यों के तीन रिक्त पदों पर संरक्षण, वास्तुशिल्पीय इतिहास, भूदृश्य वास्तुशिल्प इत्यादि के विशेषज्ञों की नियुक्ति कर आयोग को मजबूती दी है।

शिक्षाकर्मी परियोजना

5776. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटेन के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट तथा राजस्थान सरकार की सहायता से आरंभ किए गए "शिक्षाकर्मी परियोजना" (एसकेपी) के उद्देश्य क्या हैं तथा अब तक इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को इन तथ्यों के बावजूद जारी रखने का है कि यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है तथा परियोजना हेतु प्रदान की गई संपूर्ण धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) शिक्षाकर्मी परियोजना का लक्ष्य राजस्थान के दूरस्थ और सामाजिक-आर्थिक तौर पर पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और गुणवत्ता सुधार है। इस परियोजना के तहत विशेष रूप से बालिकाओं पर और दूरस्थ गांवों में बन्द हुए स्कूलों को पुन: चालू करने पर ध्यान दिया जाता है।

(ख) भारत सरकार के माध्यम से डी.एफ.आई.डी. द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता और राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए समतुल्य शेयर का विवरण संलग्न है।

(ग) राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना 30.6.2005 को खत्म हो रही है। इस कार्यक्रम की जनवरी 2005 में स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई और इसकी प्रगति को संतोषजनक बताया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजस्थान शिक्षाकर्मी परियोजना की वित्तीय प्रगति

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	डी.एफ.आई.डी. का शेयर	राजस्थान सरकार का शेयर
1.	1999-2000	8.06	8.06
2.	2000-01	12.83	12.83
3.	2001-02	13.26	13.26
4.	2002-03	14.93	14.93
5.	2003-04	19.59	8.70
6.	2004-05	21.59	7.20
	कुल	90.26	64.98

[अनुवाद]

मैंगलोर श्रेणी-दो के शहर के रूप में

5777. श्री एम. शिवन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैंगलोर शहर के बड़ी तेजी से औद्योगिक शैक्षिक रूप से तथा व्यवसाय की दृष्टि से विकास करने के कारण केन्द्र से इस शहर को श्रेणी-दो के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) शहरों का वर्गीकरण पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसे सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकार करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया है। मंगलौर शहर को मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ "ग" श्रेणी शहर और नगर प्रतिकर भत्ते के प्रयोजनार्थ ख-2 श्रेणी शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंगलौर को मकान किराया भत्ते के लिए "ख" श्रेणी (या वर्ग-2 श्रेणी) शहर के रूप में वर्गीकृत करने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बम विस्फोटकों संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान

5778. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बम आंकड़ा केन्द्र (नेशनल बम डाटा सेन्टर) का विचार बम विस्फोटों संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों का फेडरल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन और इंटरपोल के साथ आदान-प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एफ.बी.आई. और इंटरपोल के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के अंतर्गत कार्यरत नेशनल बम डाटा सेंटर के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का मणिपुर दौरा

5779. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर हाल ही में हुए अत्याचार के बाद मणिपुर राज्य का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने हेतु आयोग ने कौन-सी सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार का महिलाओं के प्रति अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 19 से 21 दिसम्बर, 2004 तक मणिपुर राज्य का दौरा किया था।

(ख) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सिविल प्राधिकारियों की सहायता करते समय सेना के कार्मिकों को "क्या करें" और "क्या न करे" का ब्योरा सेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। सशस्त्र बलों के कार्मिक, मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में विद्रोह से निपटते समय इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जिन मामलों में शक्तियों के दुरूपयोग का पता चलता है उनमें संबंधित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मणिपुर दौरे की अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सार

(1) **न्याय:** इसका सबसे अधिक अभाव है। राज्य को अपने नागरिकों को न्याय दिलाना चाहिए और जब उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग कतिपय घटनाओं से दुखी रहता है, चाहे वे इक्की-दुक्की ही क्यों न हो, तो राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें न्याय मिले।

(2) **मानवाधिकार:** सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के बारे में चाहे कुछ भी निर्णय लिया जाए, लेकिन इन शक्तियों के प्रयोग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न किए जाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। प्रावधानों में स्वयं न केवल बहुत से सुरक्षोपाय अन्तर्निहित हैं, बल्कि नैसर्गिक न्याय और किसी व्यक्ति की योग्यता तथा प्रतिष्ठा के सिद्धान्तों के आधार पर सेना मुख्यालय द्वारा विस्तृत रूप से "क्या करें" और "क्या न करे" भी निर्धारित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन न करना सेना प्राधिकारियों की असफलता है और इन्हें लागू न करना सरकार की, जिसके कारण वर्तमान दु:खद स्थिति उत्पन्न हुई है।

(3) **परामर्श:** सभी स्तरों पर निर्णय लेने के लिए लोकप्रिय प्रतिनिधित्व प्राप्त कर शासक और शासित के बीच संबंध के पुन: अनुप्राणित किए जाने की जरूरत है। कोई राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नागरिकों की सहज और स्वैच्छिक निष्ठा से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। केन्द्र सरकार और स्थानीय लोगों और उनके संगठनों के बीच वर्तमान गतिरोध की स्थिति को इस ढंग से दूर किया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों को लाभ हो। शायद, दोनों पक्षों की ओर से नई पहले करने के लिए यही सबसे अच्छा समय है।

(4) **सहयोग:** सरकार को सुरक्षा और आतंकवादी तथा विद्रोही तत्वों से निपटने के लिए लोगों के संगठनों के साथ जिम्मेदारी बांटने के क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए।

(5) **विकास:** चूंकि असंतोष और मनमुटाव का अंतिम प्रतिकारक विकास ही है इसलिए सरकार को तेजी से आर्थिक विकास करने पर जोर देना चाहिए जिसमें इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि इसके लाभ यथा संभव अधिक से अधिक लोगों को मिलें। यह सर्वविदित है कि अन्य अशांत क्षेत्रों के समान ही मणिपुर में भी उग्रवादी, बेरोजगार युवकों, जो निराश हैं, को अपने स्वयंसेवकों के रूप में भर्ती करते हैं और क्योंकि आर्थिक व्यवस्था उन्हें आजीविका के उचित अवसर प्रदान नहीं करती है इसलिए वे अलग-थलग रहते हैं।

चन्नापटना क्वायर कलस्टर

5780. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक उन्नयन योजना के अंतर्गत 'चन्नापटना क्वायर कलस्टर' विकास संबंधी परियोजना की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह परियोजना पिछले कई वर्षों से लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस विभाग को चन्नापटना क्वायर कलस्टर का प्रस्ताव दिसम्बर, 2004 के अन्त में ही प्राप्त हुआ। इसके दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी संवीक्षा की जा रही है।

तमिलनाडु में खेल उप-केन्द्र

5781. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में इस समय कितने खेल उप-केन्द्र हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) राज्य में राजक्कामंगलम, नगरकोइल, कन्याकुमारी जिले में खेल उप-केन्द्र निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) खेल उप-केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) ने तमिलनाडु राज्य में नागरकोल में एक उप केन्द्र स्थापित किया है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण ने चेन्नई और सेलम में दो साई प्रशिक्षण केन्द्र साथ ही नागरकोल जिला कन्याकुमारी में एक विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिये हैं।

(ख) से (घ) कन्याकुमारी जिले में उप-केन्द्र के लिए आवंटित भूमि तटीय नियंत्रक क्षेत्र (सी.आर.जेड.) 1 और 3 में पड़ती है, जहां पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार के साथ अन्य किसी उपयुक्त भूखण्ड के आवंटन के लिए मामले को उठाया गया है। उपर्युक्त परियोजना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2016/05]

(ख) (एक) आवास और शहरी विकास लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षण की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2017/05]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2003 जो 21 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 828(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2018/05]

(2) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2005 जो 11 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2019/05]

(3) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (छूट) संशोधन आदेश, 2005 जो 11 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 543(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2020/05]

(4) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 542(अ) जो 11 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित उन अधिकारों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2021/05]

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2005 जो 11 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2022/05]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2023/05]

(3) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2024/05]

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2003-2004 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2025/05]

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2026/05]

(9) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना की विवरणियां) नियम, 2004 जो 10 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना की विवरणियां) नियम, 2004 जो 10 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2027/05]

(10) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2028/05]

(12) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2029/05]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2030/05]

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2031/05]

(18) बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रथम शैक्षिक अध्यादेश, जो 30 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 196 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2032/05]

(20) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नए तकनीकी संस्थान शुरू करने, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करना और पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की भर्ती संख्या की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 1997 जो 12 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 711-6-/ईटी/96 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नए तकनीकी संस्थान शुरू करने, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करना और पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की भर्ती संख्या की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2000 जो 26 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संशोधन) विनियम, 2000 जो 28 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-6/विधिक/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.) अनुमोदित संस्थाओं में विदेशी राष्ट्रिकों (एफएन)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) श्रेणी/कोटे के अंतर्गत प्रवेश हेतु) विनियम, 2000 जो 29 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्रों में अधिसूचना संख्या 26-7/विधिक/2002 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 17 जुलाई, 2002 को अधिसूचना संख्या 143 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) विभिन्न कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में नीतिगत संकल्प जो 25 नवम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक (4)/2002 में प्रकाशित हुआ था।

(छह) निजी अक्तिपोषित संस्थाओं के शासी निकाय में प्रवेश, शुल्क, प्रबंधन सीटों, के बारे में अंतरिम नीतिगत संकल्प, जो 20 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक (5)/2003 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नई तकनीकी संस्थाओं को शुरू करने की मंजूरी देना, अतिरिक्त पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों को शुरू करना/भर्ती में वृद्धि) संशोधन विनियम, 2003 जो 20 अक्तूबर, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक (3) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश और प्रचालन हेतु अ.भा.त.शि.प. विनियम, 2003 जो 6 मई, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक (6)/2003 में प्रकाशित हुए थे तथा इसका 29 मई, 2003 का प्रकाशित एक शुद्धिपत्र।

(नौ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समितियों का गठन और कृत्य) विनियम, 2004 जो 22 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 38-10/विधिक/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नई तकनीकी संस्थाओं को आरंभ करने की मंजूरी देना, पाठ्यक्रमों

अथवा कार्यक्रमों को आरंभ करना और पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की भर्ती क्षमता में अंतर और विद्यमान तकनीकी संस्थानों को अनुमोदन जारी रखना) विनियम, 2004 जो 29 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल का गठन और कृत्य) विनियम, 2005 जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक/2005 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) अधिसूचना संख्या एफ संख्या 38-10/विधिक/2004, जो 7 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसके द्वारा 15 दिसम्बर, 2004 को अधिसूचना संख्या 38-10/विधिक/2004 में प्रकाशित विनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (सदस्य-सचिव) भर्ती (निरसन) नियम, 2004 जो 31 अगस्त, 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 559(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों/व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों को अ.भा.त.शि.प. अनुमोदित संस्थाओं में अधिसंख्य कोटा के अंतर्गत प्रवेश) विनियम, 2004 जो 26 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37-3/विधिक/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) अ.भा.त.शि.प. (राष्ट्रीय अभियंता पंजीकरण और अनुज्ञप्ति बोर्ड) विनियम, 2004 जो 22 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या क्यूए/ईएनजीआरएस/आरईजीएन/051/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) अधिसूचना संख्या क्यूए/ईएनजीआरएस/आईईजीएन/051/2002 जो 4 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जो राष्ट्रीय अभियंता पंजीकरण और अनुज्ञप्ति बोर्ड को वापस लेने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2033/05]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फार सीमेंट फार बिल्डिंग मैटेरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2034/05]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2035/05]

(दो) पी.ई.सी. लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2036/05]

(तीन) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2037/05]

(4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 452(अ) जो 30 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) के प्रवर्तन को निलम्बित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2038/05]

(5) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 जो 1 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 486(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2039/05]

(6) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005 जो 26 फरवरी, 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बायलर (तीसरा संशोधन) विनियम, 2005 जो 26 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2040/05]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं श्रीमती कान्ति सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2041/05]

(3) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत अंडमान तथा निकोबार दहेज प्रतिषेध नियम, 2003 जो 15 दिसम्बर, 2003 के अंडमान तथा निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 206/2003/एफ.सं. 4-198/डीएसडब्ल्यू 2003 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2042/05]

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति (2004-2005) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

समिति का निर्वाचन

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3)(ग), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश

[अध्यक्ष महोदय]

दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी भी गैर-सरकारी सदस्य को आधिकारिक दीर्घा में बैठे अधिकारियों के पास नहीं जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आपकी सूचना हेतु मैं गत सप्ताह अर्थात् 25 से 29 अप्रैल, 2005 के दौरान सभा द्वारा किये गये कार्य को संक्षिप्त रूप में दोहराना चाहता हूं।

स्वीकृत किये गये 100 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया गया। 1,016 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गये। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 51 मामले उठाये। इसके अतिरिक्त, अविलम्बनीय लोक महत्व के 45 मामले प्रश्न काल के पश्चात् उठाये गये।

सभा ने कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन वर्ष 2005-2006 हेतु चर्चा और अनुदानों की मांगों संबंधी मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने के संबंध में 14 घंटे से ज्यादा समय दिया। सभा ने वर्ष 2005-2006 हेतु सामान्य बजट के संबंध में सभी बकाया मांगों को भी पारित किया। गत सप्ताह के दौरान सभा ने वित्त विधेयक, 2005 के संबंध में भी पांच घंटे और छः मिनट चर्चा की।

दो गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक लाये गये। एक गैर-सरकारी सदस्य श्री बची सिंह रावत 'बचदा' का विधेयक जिसका नाम है "अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004", सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ। एक अन्य गैर-सरकारी सदस्य श्री बसुदेव आचार्य का विधेयक जिसका नाम है 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004' पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने सभा में 34 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

माननीय सदस्यों, हमने सप्ताह के दौरान व्यवधान और जबरन स्थगन के कारण छः घंटे का मूल्यवान समय खो दिया। तथापि, यह सभा आवश्यक कार्य करने के लिये पांच घंटे देर तक भी चली।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, इससे पहले कि आप ध्यानाकर्षण पर विचार करें। कृपया आप मुझे एक ऐसी बात के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला उठाने की आज्ञा दें जिसका जांच आयोग संबंधी कार्यपद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर ध्यानाकर्षण के पश्चात् विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष जी, हमने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय: आपको मौका देंगे। कानून जैसा है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे।

अपराह्न 12.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मादा भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं के परिणामस्वरूप देश में महिलाओं के प्रतिकूल लिंग अनुपात में आ रही कमी से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री थावरचन्द गेहलोत—उपस्थित नहीं, श्री गुरूदास दासगुप्त।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदस्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:

"मादा भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं, जिसके परिणामस्वरूप देश में महिलाओं के प्रतिकूल लिंग अनुपात में कमी आ रही है, से उत्पन्न स्थिति और इसके संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, देश में महिलाओं का गिरता हुआ लिंग अनुपात सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में लिंग अनुपात इस सदी में गिरा है जो वर्ष 1901 में 972 था और वर्ष 1991 में कम होकर 927 रह गया है। यह लिंग अनुपात वर्ष 2001 में बढ़कर 933 हो गया है। 0-6 आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात वर्ष 2001 में प्रति हजार लड़कों पर 927 लड़कियां हैं जबकि वर्ष 1991 की जनगणना में यह संख्या 945 थी। वर्ष 1991-2001 के दौरान लिंग अनुपात में इस उत्साहजनक रुझान में कुछ कमी देखने को मिली क्योंकि 6 वर्ष अथवा उससे नीचे के बच्चों के लिंग अनुपात में 18 प्वाइंट की कमी आ गई। इसका ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये अनुबंध-I में देखा जा सकता है।*

इस कमी के कुछ कारण पुत्र को प्राथमिकता देना, दहेज, लड़की की उपेक्षा करना है। इनके परिणामस्वरूप कम आयु में ही उनकी अधिक संख्या में मृत्यु होना, कन्या-शिशु हत्या होना, महिला भ्रूण हत्या होना, जनसंख्या की गणना में पुरुष के प्रति पक्षपात आदि होना है।

महिला भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया था। प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें अब संशोधन किया गया है। ये संशोधित अधिनियम और नियम 14.2.2003 से लागू हो गए हैं। इस अधिनियम में भ्रूण के लिंग का पता लगाने और लिंग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने की मनाही है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के उपयोग और आनुवंशिक परामर्श की अनुमति कुछ आनुवंशिक अपसामान्यताओं का पता लगाने के लिए दी जाती है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर पंजीकरण और लाइसेंस रद्द किए जाने के अतिरिक्त 5 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अल्ट्रासाउंड, इमेज स्केनर आदि का इस्तेमाल करने वाले 26199 निकायों का इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है। 31 मार्च, 2005 तक कानून का विभिन्न प्रकार से उल्लंघन करने पर अदालतों/पुलिस में 303 मामले चल रहे थे। 33 अल्ट्रासाउंड मशीनें भी कानून का उल्लंघन करने पर सील की गई हैं और जब्त की गई है जैसा कि सभा पटल पर रखे गये उपाबंध-II में देखा जा सकता है।

फिर भी, यह स्वीकार किया गया है कि इस समस्या को हल करने के लिए केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक व्यवहार और पूर्वाग्रहों से ग्रसित धारणाओं में समाई हुई हैं। इसलिए प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और महिला भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रिंट मीडिया यूनिटों के माध्यम से अनेक कार्यकलाप किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/ब्लाक स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाएं और संगोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए धार्मिक नेताओं तथा चिकित्सकों से भी सहयोग मांगा गया है। युवा लड़कियों की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करके पुत्र को तरजीह देने वाली धारणा में कमी लाने के लिए 'बेटी बचाओ' अभियान चलाया गया है। इस प्रकार की समस्या वाले राज्यों में क्षेत्र-दौरे करके वास्तविकताओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी एवं निरीक्षण समिति गठित की गई है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके साथ ही, चिकित्सा समुदाय को इस बारे में जानकारी देने और इस अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ का गठन पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली जैसे समस्या वाले राज्यों के उपयुक्त प्राधिकारियों को दोषियों की पहचान करने उन्हें पकड़ने के लिए सहायता करने हेतु किया जा रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता कि यह एक ऐसी समस्या है जो मादा भ्रूण-हत्या, जो चिकित्सा व्यवसाय का विपथन है, से पैदा हुई है। इसका व्यापक सामाजिक दायरा है और इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हमारे राष्ट्र की नारी-जाति की रक्षा के लिये सारे देश में संपूर्ण सामाजिक अभियान और आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। साफ-साफ कहूं तो वे माननीय मंत्री ने कुछ आंकड़े दिये हैं परन्तु उन्होंने स्थिति की भयावहता का उल्लेख नहीं किया है।

महोदय, मैं आपको यह बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2043/05]

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और राजधानी शहर दिल्ली में स्थिति वास्तव में भयानक है। इससे वास्तव में यह पता चलता है कि किस प्रकार से समृद्ध, अमीर और तथाकथित सभ्य परिवार नारी-जाति के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। वर्ष 2001 में हौज-खास में प्रति हजार पुरुषों पर 882 महिलायें थी। अब हौज खास में प्रति एक हजार पुरुष, महिलाओं की संख्या घट कर 762 रह गई है; और हौज-खास शहर का एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। माडल टाउन में यह संख्या घटकर 880 से 784 तक रह गई है। डिफेंस कालोनी में 891 से 805 तक रह गई है। समाज के उच्च विशेषाधिकार वर्ग का इस प्रकार का संपूर्ण नारी-जाति के प्रति रवैया है।

महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित किया जाना चाहिये था और न कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को क्योंकि यह लिंग निर्धारण, गर्भपात और इसमें जुड़ी अवैधता का साधारण मामला नहीं है। यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो, महोदय, यह नारी-जाति के प्रति उग्र हिंसात्मक दृष्टिकोण का मामला है जो आज हम भारतीय समाज में देखते हैं। निस्संदेह, यह एक जटिल सामाजिक समस्या है और यह चिकित्सा व्यवसाय का विपथन नहीं है। अवश्य ही ऐसी स्थिति है परन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। महिलाओं की संख्या में गिरावट से केवल संख्या का गणित नहीं पता चलता है; इससे हमारे देश में व्याप्त पूर्वागृह और बुरी शक्तियों के प्रचालन का पता चलता है। मैं देश और राष्ट्र को बताना चाहूंगा कि यदि इस प्रवृत्ति को जारी रहने दिया जाता है तो इससे सामाजिक सन्तुलन गंभीर रूप से प्रभावित होगा और अवश्य ही इससे समाज का ढांचागत सन्तुलन विकृत होगा। संख्या में समानता राष्ट्र के अच्छे विकास के लिये आवश्यक पूर्वापेक्षा है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानेगा।

महोदय, यह एक ऐसे व्यक्ति की ओर से चेतावनी है जो अपने आप को दोषी महसूस करता है। एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने को दोषी महसूस करता हूं। यह एक पुरुष-प्रधान समाज है जो भारत सहित पूरे संसार में है। यदि एक महिला को हाशिये पर रख दिया जाता है, यदि मातृत्व को सामाजिक प्रणाली में इसके उचित स्थान से वंचित किया जाता है और यदि एक राष्ट्र इस अव्यवस्था के उपचार और अराजकता को हटाने में विफल होता है तो नि:सन्देह देश इससे कभी न कभी विनाश की ओर जायेगा। इसीलिये, यह केवल सरकार से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है और यह कानून बनाने संबंधी प्रश्न नहीं है। मैं सादर यह कहना चाहूंगा महोदय कि यह प्रश्न हमारे देश में किए जा रहे हिंसात्मक उत्पीड़न के विरुद्ध सामाजिक क्रांति का है; जिसके कारण देश में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण देने की अनुमति चाहूंगा और ऐसा करने में मेरे साथ कृपया सहयोग कीजिये। एक बालिका पैदा होने से पहले ही मर जाती है क्योंकि हम वह सब कुछ जानते हैं जो देश में हो रहा है। दूसरे, भारत में शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है। यह बात सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु का जम अप्रशिक्षित नर्सों की सहायता से हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी देश में महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित नहीं हुई है। यह राजनैतिक उस प्रणाली, जिसे हमने राष्ट्र के लिये स्थापित किया है, के संबंध में दुखद व्याख्या है। तीसरे, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में एनीमिया की शिकायत आयी है। चौथे, स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। पांचवें, शिशु विवाह सर्वत्र विद्यमान है। छठे, आत्महत्या और दुल्हनों को जलाना सारे देश में बिना किसी नियंत्रण के हो रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सती की समस्या भी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं। निरक्षरता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है। सती के संबंध में मुझे याद है कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी जब मैं वर्ष 1985 में इस संसद में सदस्य बन कर आया था।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है परन्तु हम महिलाओं के बारे में सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह घृणात्मक था। मुझे यह कहते हुये लज्जा आती है कि आज भी राजस्थान में सती करवाने के लिये प्रयास किया गया। मैं इस मुद्दे का कारण राजनैतिक स्वरूप को नहीं देता परन्तु राजनीति को हमारे देश में बुरी शक्तियों के प्रचालन के साथ कुछ करना होगा।

महोदय, महिलाओं की संख्या असंगठित क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा है। महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में असमान वेतन दिये जाते हैं। महिलाओं के अपमान के बारे में अभी लोग जानते हैं। महिलाओं को प्रसूति लाभ से भी वंचित किया गया है। मैं सैकड़ों ऐसे मामले के बारे में जानता हूं जिनमें महिलाओं को निजी स्कूलों में प्रसूति लाभ से वंचित किया गया है। मुझे याद है कि मैंने इस मुद्दे के लिये लड़ाई लड़ी थी और हम कुछ स्थानों पर उनके लिए यह लाभ प्राप्त कर सके थे। दुर्भाग्य से कानून को कभी भी लागू नहीं किया गया है जहां तक प्रसूति लाभ का संबंध है। कृपया इसे राजनीति के रूप में न लीजिये। लेकिन उदारीकरण और उदारीकृत नीति ने भारत सहित सारे संसार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक हानि पहुंचाई है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की छंटनी और रोजगार से विमुक्त होने की दर अधिक है।

अध्यक्ष महोदय: ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: ये सभी घटक महिलाओं के प्रति पूर्ण मध्ययुगीन व्यवहार के पर्याय हैं। मुझे यह कहते हुये लज्जा आती है कि महिलाओं को सेक्स के रूप में देखा जाता है। महिलाओं का व्यावसायीकरण और मीडिया तथा विज्ञापनों द्वारा महिलाओं को सेक्स प्रतीक के रूप में प्रकाशित करने से देश में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई है। ये सभी बातें विकृत सोच को बढ़ावा देती हैं जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस मुद्दे के संबंध में अपना प्रश्न पूछिये।

श्री गुरुदास दासगुप्त: नैतिकता का पतन हुआ है। इस संख्या में गिरावट को जनगणना में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, सरकार से, देश से और समाज से मेरा प्रश्न और सुझाव यह है—पूरे देश में भारतीय नारी जाति को संरक्षण देने के लिये समुचित कदम उठाये जाने चाहिये और सभी राजनैतिक दलों, सभी सामाजिक वर्गों और सभी एन.जी.ओ. को राष्ट्रीय सहमति से इसे सुनिश्चित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकते।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री के लिए नहीं है बल्कि इस मुद्दे पर सदन के नेता को उत्तर देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वह सदन में उपस्थित है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, हम इस समय एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महिलाओं के प्रति इस प्रकार के मध्यकालीन व्यवहार के विरुद्ध एक राष्ट्रीय आन्दोलन होना चाहिए। इसके साथ-साथ एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए और यही वह स्थान है जहां सरकार की भूमिका होती है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। क्या सरकार और अधिक दण्डात्मक कार्यवाहियों आदि सहित मादा भ्रूण हत्या के विरुद्ध एक स्पष्ट नीति बनाने के लिए तैयार है? क्या सरकार ने विस्तृत बाल देखरेख कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं?

क्या सरकार महिलाओं हेतु विशेष रोजगार कार्यक्रम लागू करना चाहती है? क्या सरकार महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए कोई विधेयक लाना चाहती है? क्या सरकार कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकना सुनिश्चित करना चाहती है? क्या सरकार रोजगार में लगी हुई महिलाओं को उचित, पर्याप्त और समान वेतन देना चाहती है? क्या सरकार तत्काल महिलाओं का व्यवसायीकरण और मीडिया में अश्लीलता को रोकना चाहती है? अंत में, मेरा कहना है कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय: समाज के विषय में आप क्या कहेंगे?

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा अभिप्राय है कि सरकार के साथ-साथ यह समाज की भी जिम्मेदारी है; मैं यह नहीं कहता है कि यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि एक सामाजिक क्रान्ति, सामाजिक आन्दोलन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। कोई भी राजनैतिक दल और सामाजिक संगठन अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। संभवत: 16 वर्षों में पहली बार मैं यह देख रहा हूं कि सभा इस विषय पर चर्चा कर रही है। अत: हमारे देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसे देखकर प्रत्येक पुरुष की चेतना जागृत होनी चाहिए। यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है, विशेषकर यह देश में पुत्र मोह के लिए शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी—अनुपस्थित, श्री सुरेश चन्देल; श्री संतोष गंगवार—अनुपस्थित; डा. रामचन्द्र डोम, आप केवल प्रश्न करें और कोई वक्तव्य न दें।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): मैं संक्षिप्त रूप में अपना प्रश्न पूछूंगा। महोदय, श्री दासगुप्त ने विस्तृत रूप से इस जटिल समस्या का उल्लेख किया है। मैं जानता हूं कि यह समस्या केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से ही संबंधित नहीं है और यह एक जटिल समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मुख्य विषय के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या पीएनडीटी अधिनियम के लागू होने के बाद हुई मादा भ्रूण हत्याओं के बारे में सरकार के पास कोई विस्तृत आंकड़े हैं और इस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए अब तक कितने आरोपी व्यक्तियों को वास्तव में दंडित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है।

डा. रामचन्द्र डोम: मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या हमारे देश में लिंग अनुपात बिगड़ने की इस जटिल समस्या पर समाज वैज्ञानिकों के माध्यम से सरकार ने कोई अध्ययन किया है और इस समस्या पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं।

श्रीमती डी. पुरुन्देश्वरी (बापतला): महोदय, यदि किसी गर्भावस्था में महिला को गंभीर शारीरिक हानि का खतरा हो, यदि यह महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, यदि यह किसी गर्भनिरोधक चूक अथवा बलात्कार का परिणाम हो अथवा यदि इससे बहुत गंभीर शारीरिक और मानसिक विकृति वाले बच्चे को जन्म होने की संभावना हो तो कानूनी रूप से गर्भपात कराया जा सकता है। इन विकृतियों का पता लगाने वाली पद्धतियों जैसे अम्नीथोसेंटेसिस, जिसे मूलत: गर्भाशय से लिए गए अम्नीयोटिक द्रव्य की जांच करके किया जाता है और सोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल करके किया जाता है। मूलत: इन पद्धतियों का प्रयोग भ्रूण के पैदा होने वाले बच्चे में विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है अथवा इनका प्रयोग गर्भ में भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इनका प्रयोग लिंग निर्धारण करने के लिए नहीं है परन्तु इनका प्रयोग इस रूप में किया जाता है। हमारे पास पीएनडीटी अधिनियम, 1994 भी है जो निजी चिकित्सकों, क्लिनिकों और नैदानिक केन्द्रों को भी जन्म से पूर्व बच्चे के लिंग का पता लगाने अथवा बच्चे के माता-पिता को बच्चे के लिंग के विषय में जानकारी देने से भी रोकता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

हालांकि, अधिनियम लागू है, तथापि इस अधिनियम का गंभीर रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। लिंग निर्धारण और गर्भपात की दो गतिविधियां इसके कारण हैं और अल्ट्रासाउंड का लाभ उठाते समय इसे गर्भपात से नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ नैदानिक केन्द्रों के लिए यह एक बहुत लाभप्रद व्यवसाय बन गया है जो पूरे देश में कुकुरमुत्तों की तरह फैल गए हैं। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि इन गैर-पंजीकृत क्लिनिकों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या लिंग निर्धारण में इनके प्रयोग को कम करने के लिए वह प्राधिकृत क्लिनीकों में इस उपकरण के प्रयोग के बारे में एक ब्यौरा देने वाले रजिस्टर की मांग करेंगे?

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे अधिक साक्षर और अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में मादा भ्रूण हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार को यह पता चला है अथवा यह पता लगाने के लिए कि इन राज्यों में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है? दूसरे, पीएनडीटी अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अथवा कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: कोई भी शिक्षा और आर्थिक कारणों के विषय में बात नहीं कर रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस अल्ट्रासाउंड का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा।

अध्यक्ष महोदय: यह बताना मंत्री का काम है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। एक शिक्षक द्वारा विस्तार से चर्चा किए जाने के पश्चात् कि आप किस प्रकार के 'एक्स' तथा 'वाई' गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग पता लगा सकते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा कि यह किस प्रकार किया जाता है। उसका उत्तर था 'अल्ट्रासाउंड द्वारा'। इसका यह प्रभाव पड़ा।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, इस बीमारी की जड़ काफी गहरी है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में यह चिन्ता का विषय है कि सामाजिक लिंग विभेद हो रहा है और जैसा अभी हमारी बहनों ने बताया, यह सत्य भी है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, वे जांच के लिए डाक्टरों के पास जाती हैं, यह पता करने के लिए कि उनके बच्चे का वजन आदि सही है, बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। उसी समय उन्हें पता लग सकता है कि किस लिंग का है। इस प्रकार से पूरे देश में और खासकर शहरों में जो नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर इसका व्यापक रूप से प्रचलन हो रहा है। वे पैसा लेकर बता देते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शहरों में ऐसे जो नर्सिंग होम्स हैं, क्या उनकी जांच करवायी गई है? ऐसे जो एरियाज हैं, जहां पर ज्यादातर इस प्रकार के मामले पाए गए हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या लिंग भेद खत्म करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी ने भी सुझाव नहीं दिया कि इसे कैसे नियंत्रित करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे एक अपराध घोषित किया जाए क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय, किसी वक्ता को भी बोलने की अनुमति नहीं होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सर्वप्रथम अति महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने के लिए मैं माननीय सदस्यों, विशेषरूप से श्री गुरुदास दासगुप्त का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई थी।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं पुन: यह कहने के लिए श्री दुरुदास दासगुप्त का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि यह केवल एक चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है।

देश में घटते हुए लिंग अनुपात पर सरकार बहुत चिंतित है। यूपीए सरकार की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी भी स्वयं घटते लिंग अनुपात, महिलाओं के अधिकारों तथा देश में महिलाओं को अधिक नहीं तो बराबर का दर्जा देने के विषय पर बहुत चिंतित हैं।

पदभार ग्रहण करने से लेकर इन 11 महीनों में हम इस घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके व्यापक प्रभाव हैं। इस पर एक सहमति बनाने के लिए न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तथा सरकार की बल्कि इससे समाज के सामाजिक वर्गों, जनता, सभी राजनैतिक नेताओं तथा जनसाधारण को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। पिछले कई शतकों तथा दशकों के दौरान देश में यह एक सामाजिक मुद्दे के रूप में विद्यमान रहा है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए, एक तरफ तो सरकार इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए सभी संभव तंत्र तथा प्रणालियां तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीनों के अनियंत्रित दुरूपयोग को रोकने की तैयारी कर रही है, जो घटते हुए लिंग अनुपात का एक कारण है। अल्ट्रासाउंड मशीन, चिकित्सा क्षेत्र का एक उत्तम आविष्कार है। एक दिन में हजारों लाखों जीवनों को बचाने के लिए, हमें देश में अधिक अल्ट्रासाउंड मशीनों की आवश्यकता है। यदि देश में अधिक अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध होती हैं तो हम मातृत्व मृत्यु दर को कम कर सकते हैं।

इन मशीनों को विनियमित किया जा सकता है। इन्हें प्रीकंसेपशन तथा पीएनडीटी अधिनियम के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। न केवल मशीनें बल्कि निदानालय तथा अनुवांशिकी निदानालय जो यह कार्य कर रहे हैं का भी सरकार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। आवधिक रूप से इन लाइसेंसों का नवीकरण किया जाना होता है। हमारे पास केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय है जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं करता हूं। हमारे पास राज्य पर्यवेक्षक निकाय हैं जिनकी अध्यक्षता राज्य स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। हमारे पास जिला एवं उप-जिले के स्तर पर जहां उपयुक्त प्राधिकरण है जहां इन मशीनों का पंजीकरण किया जाना होता है। लिंग जांच की प्रक्रिया के संबंध में दूसरी समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं वह है रोगियों तथा चिकित्सकों दोनों के बीच मिलीभगत।

अध्यक्ष महोदय: सभी महिलाएं नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: इसमें दोनों ही शामिल हैं। कुछ महिलाओं को परिवारों द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। परंतु कानून के मुताबिक दोनों ही अपराधी हैं। प्राधिकारियों के लिए इन तरीकों के बारे में अधिक सूचना पाना कठिन होता है। इसलिए, हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। वास्तव में एक प्रायोगिक परियोजना है। हम पांच राज्यों—पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सर्वेक्षण दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं—जिसमें महानिरीक्षक के पद से ऊपर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अनुवीक्षण अभिकर्त्ता बनाया जाएगा तथा उन्हें इन इकाईयों में नकली ग्राहक बनाकर भेजा जाएगा तथा मुजरिमों को पकड़ा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है, कि यहां सभी डाक्टर दोषी हैं। यहां केवल कुछ ही दोषी हैं। लेकिन सरकार के लिए जो बात सबसे ज्यादा कौतुहलजनक है वह है कि घटता लिंग अनुपात तथा समृद्ध राज्यों में इसकी उच्च व्यापतता। यह पंजाब में सबसे अधिक है इसके बाद चण्डीगढ़, हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: सबसे अधिक दिल्ली में है। *...(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: देश में पंजाब में सबसे अधिक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: मैं प्रत्येक राज्य में औसत की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: तो, इसका क्या कारण है?

डा. अंबुमणि रामदास: हमने 'बालिका बचाओ अभियान' की शुरूआत की है। एक वर्ष पूर्व ब्रांड एम्बेसडर, टेनिस प्लेयर, सानिया मिर्जा थी। इस वर्ष, पिछले वर्ष की सीबीएसई में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अरुणा केशवन है, वास्तव में चिकित्सा समाज, आईएमए तथा सभी निकायों की सक्रिय भागीदारी से हम समाचार-पत्रों तथा टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं तथा टेली-धारावाहिक भी दिखाए जा रहे हैं। धार्मिक नेताओं की कई बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, जिसके बारे में मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया है।

मैं गुजरात का उदाहरण देता हूं। गुजरात में परिवार कल्याण आयुक्त बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने सभी विधान सभा सदस्यों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। तत्पश्चात्, प्रत्येक विधान सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया। उसने सभी स्व-सहायता समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों की बैठक बुलाई तथा संपूर्ण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया। गुजरात के कुछ जिलों में हम इसमें गिरावट देख सकते हैं। यह केवल चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी समस्या नहीं है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह एक सामाजिक समस्या है। हम सबको इसका नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ेगा तथा इस मुद्दे को समुदाय तथा समाज तक पहुंचाना होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में उठाएं तथा बड़े स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाएं। मुझे यकीन है कि सदस्य इस मुद्दे को उठाएंगे तो लिंग अनुपात में गिरावट में कमी आएगी। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: मंत्री महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से उचित महिला नीति बनाने हेतु सरकार को राजी करने का बीड़ा उठाएंगे ताकि इस राष्ट्रीय विनाश से बचा जा सके? यह मूल प्रश्न है। यह एक बुनियादी सामाजिक समस्या है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात पहले कह दी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या वह सरकार को मनाने का बीड़ा उठाएंगे? यही मुद्दा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने कानून को कैसे कार्यान्वित किया है? कितने मामले दायर किये गए हैं? कितने अभियोजन चलाए गए हैं? शुभ कामनाएं देने मात्र से काम नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: देश में लगभग 26,199 अल्ट्रासाउंड इकाइयां हैं। 303 चालू मामले हैं और लगभग 33 अल्ट्रासाउंड मशीनें जब्त की गई हैं। 218 मामले निपटाए गए हैं तथा अधिकतर मामलों में पंजीकरण न किये जाने की कार्यवाही चल रही है। यह छोटा अपराध है। प्रसव-पूर्व लिंग पर निर्धारण के केवल 24 मामले ही दर्ज किए गए हैं। इन मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: कानून केवल किताबों में ही है।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, हमारे कानून के मुताबिक पांच वर्ष का कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का शास्त्विक प्रावधान है और साथ ही डाक्टर का लाईसेंस भी रद्द किया जाता है। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महिलाओं संबंधी नीति पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह सक्षम व्यक्ति नहीं हैं।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: अब मैं माननीय सदस्य द्वारा शिशु मृत्यु दर संबंधी पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह अलग विषय है। आप इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? प्रश्न तो यह है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: हम कटिबद्ध हैं। जैसा मैंने कहा, यूपीए अध्यक्ष की स्वयं एक महिला होने के कारण वह इस प्रवृत्ति

के विरुद्ध इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री महोदय भी इसमें शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम इस पर बहुत चिंतित हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस देश में सब कुछ महिलाओं के भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: विगत आठ माह के दौरान मैंने केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के साथ दो बैठकें की हैं। उनमें कुछ सुझाव दिये गए हैं। केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड में राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं कि हम इस प्रवृत्ति को कैसे कम कर सकते हैं।

डा. डोम ने दण्डित किये गए व्यक्तियों की संख्या पूछी है। दुर्भाग्यवश, विधि प्रावधान के कारण एक भी व्यक्ति दण्डित नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, एक भी आदमी को पनिश नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह से कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मंत्री जी कोई जवाब नहीं देते?

अध्यक्ष महोदय: क्या जवाब देंगे, कैसे देंगे, जब कुछ हुआ ही नहीं तो वह जवाब क्या देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्षपीठ द्वारा पहले ही इस पर नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा मैंने कहा, रोगी और चिकित्सक दोनों शामिल हैं। इसीलिए हम नकली ग्राहक बने हैं। हम उनका पर्दाफाश करना चाहते हैं। हम दण्डात्मक प्रावधान भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

डा. अंबुमणि रामदास: यह कार्य राज्य प्राधिकरणों को करना होगा। हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना चाहते हैं। लेकिन राज्यों को स्वयं ही कानून का कार्यान्वयन करना होगा। उनसे ऐसा करना ही है।

माननीया सदस्या श्रीमती पुरन्देश्वरी एमनियोसेनटेसिस और सोनोग्राफी करने वाली पंजीकृत इकाइयों की संख्या जानना चाहती थी। अब सभी इकाइयों को आवश्यक रूप से पंजीकृत कराना होगा चाहे वे एमनियोसेनटेसिस या सोनोग्राफी या आनुवांशिक परीक्षण करते हों। इन सभी को पंजीकृत किया जाना चाहिए।

वे सभी लगभग कही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। यहां तक कि छोटे-छोटे काम भी हम ही उन्हें बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अत: यह एक कड़ा नियम है। उन्हें प्रत्येक विवरण नोट करना पड़ता है जैसा कि प्रक्रिया में निर्धारित होता है।

इसलिए, इन सभी बातों पर आवधिक आधार पर पुनर्विचार करने का हमारा प्रयास है। एक माननीय सदस्य ने पीएनडीटी के उचित कार्यान्वयन पर की गई कार्यवाही के बारे में पूछा। जैसा मैंने कहा, हम बहुत-सी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से किसी भी मूल्यवान सुझाव का स्वागत करता हूं। हम इन सुझावों को निश्चित रूप से शामिल करेंगे तथा इन्हें और सख्त बनाने हेतु अधिनियम में शामिल करेंगे।

एक बार फिर, मैं यह जानता हूं कि यह केवल चिकित्सा संबंधी मामला नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मामला भी है जिस पर देश भर के सभी राजनेताओं, समाज के वर्गों के बीच व्यापक विचार-विमर्श किये जाने और इस पर व्यापक सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। आप उन्हें निर्देश दीजिए कि होम वर्क ठीक करके आया करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैंने पहले भी कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने दण्ड के बारे में पूछा और उन्होंने यह उत्तर दिया था कि एक भी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया गया है। यह मामला गम्भीर है, इसीलिए इस पर लोक सभा में चर्चा के लिए अनुमति दी गई है। तब भी, समस्या बनी हुई है। यह हमारे शरीर, समाज और हमारे मुख्य राजनीति में एक कैंसर की बीमारी जैसा है। इसलिए, मुझे आशा है कि सम्पूर्ण देश इस गम्भीर समस्या के प्रति जागरूक होगा। मैं खेद व्यक्त करता हूं कि यहां, महिलाओं की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की किसी ने भी बात नहीं की जिन पर इसकी भारी जिम्मेवारी है। किसी ने इसकी चर्चा नहीं की।

[अनुवाद]

अब, मद सं. 8—विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति। जब मैंने उनका नाम पुकारा, श्री निखिल कुमार उस समय उपस्थित नहीं थे। हां, वे अब इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

अपराह्न 12.42 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं "विदेशों में स्थित सांस्कृतिक केन्द्रों के विशेष संदर्भ के साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की कार्यप्रणाली" के संबंध में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण की (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय संसद सदस्यों सर्वश्री रघुनाथ झा, आलोक कुमार मेहता और गणेश प्रसाद सिंह से विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी टिप्पण प्राप्त हुआ है जो उन रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध है जिन्होंने 29 अप्रैल, 2005 को जब वे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से पटना जा रहे थे उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले पर मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं असम राज्य में बाढ़ और कटाव की समस्या एक विनाशकाय स्वरूप की है जोकि अन्तर्राज्यीय और अर्न्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है और इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकृत करने की आवश्यकता है।

बाढ़ गर्मियों में आती हैं परन्तु कटाव सर्दियों में भी जारी रहता है। असम की यह स्थिति है। असम में नदियों द्वारा भारी तट कटाव होता है। ब्रह्मपुत्र और इसकी उपनदियां विशेषकर बुरीदिहिंग नदी पिछले कुछ वर्षों में तटों पर व्यापक कटाव कर रही हैं। पूरे असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने दक्षिणी तट डिब्रूगढ़ जिले में रोहमारिया से धुबरी जिले में धुबरी तक लगातार कटाव कर रही हैं। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र घाटी का लाखों हेक्टेयर समृद्ध जलोढ़ खेतिहर भूमि को बचाने के लिए गंभीर कटाव समस्या पर राष्ट्र को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, रोहमारिया, बोगीबिल, खोवान्ग, दिराक, सुमोनी, डिब्रूगढ़ के गुज्जन-दिन्जनु, तिनसुकिया जिला, मारग्रेहटा टाऊन, सेसानी हतिबन्धा, अंगूरीबरी, डिब्रूगढ़, मोरन, टिन्गटोन्क आदि के समक्ष आ रही गंभीर कटाव समस्या के बारे में एक विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, युद्ध स्तर पर उचित उपाय करना आवश्यक हो गया है ताकि नागरिक विशेषकर मानवीय आवासों, कृषि योग्य भूमि, चाय बागानों, तेल और गैस भण्डार और समृद्ध वन प्रान्त तथा साथ ही साथ हजारों करोड़ रु. की मूल्य की रक्षा सम्पत्ति को बचाया जा सके। यदि रौहमारिया की स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया जाता तो वह दिन दूर नहीं जब 170 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नगर डिब्रूगढ़ को ब्रह्मपुत्र नदी से तट कटाव का खतरा पैदा हो जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा,

[अनुवाद]

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजने पर विचार कर रहा हूं। आप मुझे एक थोड़ा मौका दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि बीएसएनएल आज पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है और जब से बीएसएनएल ग्राम स्तर पर उपभोक्ताओं से जुड़ा है, उपभोक्ता अन्य फोन्स की अपेक्षा इसे ज्यादा पसन्द कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जैसे कि बात करते-करते अचानक फोन कट जाना और आपस में बात करते समय दूसरों की बातें सुनाई देना आदि। ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। महोदय, हमारे इटावा लोक सभा क्षेत्र में पांच हजार कनेक्शन दिए गए हैं। इटावा टेलीफोन एक्सचेंज की कैपेसिटी मात्र पांच हजार कनेक्शन्स की है। कई उपभोक्ता कनेक्शन पाने के लिए परेशान हैं। मैंने इसके लिए कई बार कंप्लेंट की है। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीएसएनएल की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए तथा जो शिकायतें और कमियां हैं, उनमें सुधार किया जाए। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि इटावा टेलीफोन एक्सचेंज की कैपेसिटी को पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार कनेक्शन कर दी जाए और औरैया एक्सचेंज की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): नागा आन्दोलन भारत का प्राचीनतम राजनैतिक आन्दोलन है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले का आन्दोलन है। नागाओं ने 1929 में साइमन आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत करके एक प्रशासन के अन्तर्गत रहने की इच्छा व्यक्त की थी। तब से भारत सरकार और भूमिगत हुए नागा नेताओं के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 1947 का अकबर हैदरी समझौता, 1960 का 16 पाइन्ट समझौता, 1964 का युद्धविराम समझौता, 1975 का शिलौंग समझौता और 1997 का युद्धविराम समझौता एक राजनीतिक इकाई के अन्तर्गत, एक साथ रहने के लगातार प्रयास का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। नागा समस्या केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है यह एक राजनीतिक समस्या है।

नागा लोग कई वर्षों से शांति के लिए लालायित हैं। 1997 में भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच हुए युद्धविराम समझौते के समय वे उल्लंघित थे। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात सात सात और दस महीने बीत गए हैं। युद्धविराम समझौतों पर तीन प्रवासी स्वीकृत सिद्धान्तों, अर्थात् भारत के बाहर, बिना किसी पूर्व शर्त के और प्रधान मंत्रीस्तर पर, के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के उत्तरोत्तर प्रधानमंत्रियों नामत: श्री देवगौड़ा, श्री आई.के. गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अब डा. मनमोहन सिंह द्वारा शांति वार्ता का समर्थन किया गया है। भारत में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के आमंत्रण पर दिसम्बर 2004 में एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) नेता दिल्ली आए थे। तथापि, 29 अप्रैल के अखबारों और दूरदर्शन रिपोर्टों और 1 मई को बी.बी.सी. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। केन्द्र सरकार की ओर से अत्यधिक विलम्ब, नागा मुद्दे की धीमी समझ, वचनबद्धता और गंभीरता की कमी वार्ता करने वाले नेताओं को नाराज कर सकते हैं और वे शांति वार्ता से अलग हट सकते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो अहिंसा, सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह एनएससीएन (आईएम) और भारत सरकार के लिए अपने श्रेष्ठ समझदारी और ईमानदारी को लागू करके इस दीर्घकालिक नागा मुद्दे का एक पराक्रम स्थायी समझौता निकालने का अच्छा मौका है।

पूर्वोत्तर में नागा लोगों का एक दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान प्रबंध में भारत नागा समस्या को हल कर देगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे केन्द्र सरकार द्वारा नागा लोगों को न्याय दिलाने में अत्यधिक परित्याग के कारण हमें होने वाली पीड़ाओं को समझें और उनसे आग्रह करूंगा कि वे बिना किसी विलम्ब के लम्बित नागा मुद्दे को सदा के लिए हल करने हेतु सुस्पष्ट कदम उठाएं।

अध्यक्ष महोदय: डा. रामचन्द्र डोम अब आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

महोदय, आपके माध्यम से मैं लोगों के स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। आजकल आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोग हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। इससे मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर अथवा समाज का गरीब वर्ग पीड़ित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, सघन और आवासयोग्य स्थानों में रहने वाले शहरों में बस्तीवासी इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। यह बीमारी ग्रुप-क स्ट्रेपटोकोकी नामक जीवाणु के फैलने से संक्रमण द्वारा होती है।

अभी हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक अध्ययन किया है। इसने वर्ष 2000-05 में जय विज्ञान मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोग के समाज नियंत्रण पर एक अध्ययन किया है। हरियाणा में चंडीगढ़ में पीजीआईएमईआर और तमिलनाडु के कन्यमबाड़ी प्रखंड में सीएमसी, वैल्लोर द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों के किये गये व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रुप-ए स्ट्रेप्टोकोकी, जो अंग आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोग के लिए जिम्मेदार है, की मौजूदगी गले के जीवाणु समूह में क्रमश: 2.14 प्रतिशत और

[डा. रामचन्द्र डोम]

11.1 प्रतिशत थी। देश के विभिन्न भागों में 5-14 वर्ष के स्कूली बच्चों में आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोग की मौजूदगी 0.079 प्रति हजार से 1.43 प्रति हजार थी।

यह यथार्थ स्थिति नहीं है—कई बच्चे जो इससे ज्यादा प्रभावित हैं, स्कूल ही नहीं जाते हैं। अत: मैं सरकार से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह करता हूं। यदि यह रोग प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल जाए, तो यह पूर्णत: निवारक हैं। जब इनकी रोकथाम नहीं की जाती तो उम्र बढ़ने पर बाद में, हृदय के वाल्व खराब हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आप केवल समस्या बता सकते हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: बहुत लंबे समय से सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने कई मंचों पर इसका जिक्र किया है, लेकिन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।

इसके कारण लोग तकलीफ उठाते हैं और फिर, वे राष्ट्रीय रुग्णता कोष से हृदय वाल्व बदलवाने के लिए सहायता पाने के लिए हमारे पास आते हैं। यदि जल्दी इसका निदान हो जाए तो केवल एक पेंसिलिन प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन से इसकी रोकथाम की जा सकती है। यदि किसी तरह का कोई नियंत्रण कार्यक्रम अथवा किसी प्रकार की निगरानी हो, तो यह समस्या बढ़ेगी ही नहीं।

अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोगों हेतु तत्काल एक राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम बनाए। जिसे हृदयवाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जाना जाए। यह निहायत जरूरी है। अत:, सरकार को आमवातीय ज्वर और आमवातीय हृदय रोगों हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम बनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप एकल वाक्य सूचना दे रहे हैं और दस मिनट ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): अध्यक्ष महोदय, छोटा दमन और बड़े दमन के बीच दमगंगा नदी पर बना पुल 28 अगस्त, 2003 को गिर गया था। उस वजह से 28 स्कूली बच्चों सहित 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नया पुल बनाने के लिए एनबीसीसी को कंट्रिक्ट दिया गया। एनबीसीसी द्वारा पुनर्निर्माण के बाद नया पुल बना और जून, 2004 में ट्रैफिक के लिए उसे खोल दिया गया। लेकिन 45 दिनों के बाद 3 अगस्त, 2004 को वह पुल भी गिर गया। उसके कारण छोटे दमन और बड़े दमन के बीच सम्पर्क टूट गया है। जिसके परिणामस्वरूप आज दमन में स्कूल जाने के लिए बच्चों, वृद्धों, मजदूर वर्ग, कर्मचारियों और महिलाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बड़ी दमम और छोटी दमन के बीच फेरी-सर्विस चालू है लेकिन हाई-टाइड के कारण यह सर्विस सफल नहीं हो रही है। इसके कारण आ रही कठिनाइयो की ओर दमन प्रशासन और गृह मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी मनमानी और लापरवाही के कारण स्कूलों के बच्चों तथा आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और इसके लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है तथा लोगों के लिए जैटी भी नहीं बनाई गई है। दमन प्रशासन और गृह मंत्रालय पुल के निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए इस पुल का शीघ्र पुनर्निर्माण करें ताकि दमन दीव में लोग राहत महसूस कर सकें।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी पर लटकाने के निर्देश दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: सब लोग अभी आर्डर चाहते हैं।

[अनुवाद]

अभी। इसी समय। यह सरकार के विचारार्थ मामले उठाने का एक अवसर है। संबंधित मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। सदस्य तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यह कैसे संभव है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें संक्षेप में बोलना चाहिए जिससे हम कई मुद्दों को निपटा सकें।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पूर्व): त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे मिजोरम के रियांग शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन बहुत गंभीर मुद्दा है। त्रिपुरा सरकार ने मानवीय आधार पर उत्तर त्रिपुरा जिले के कंचनपुर में छ: राहत शिविरों में 32,000 से अधिक रियांग शरणार्थियों को समायोजित किया है। इन शरणार्थियों के कारण प्रशासन पर भारी बोझ के अतिरिक्त वनों की कटाई, भू अतिक्रमण, रोजगार में स्थानीय लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा इत्यादि जैसी कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि चर्चाओं के कई दौरों के बाद कुछ निर्णय और समझौते हुए हैं लेकिन पहले हुई सहमतियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अत: मैं सरकार से रियांग शरणार्थियों को

त्रिपुरा से तत्काल मिजोरम वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सर, हम भी बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मामला विशेषाधिकार मामले के समान है। आपने विशेषाधिकार मुद्दे के लिए कहा है और मैंने कहा है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। आपकी सूचना इसी मामले के संबंध में है, और इसलिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि मैं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं। इसकी उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): मैं जनहित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एफडीआई को खुदरा व्यापार में लाने का प्रस्ताव है, जो बेहद चिन्ता का विषय है। खुदरे बाजार पर विदेशी धावे का भारी खतरा मंडरा रहा है। यदि भारतीय खुदरे बाजार में एफडीआई को अनुमति दे दी जाती है, तो विदेशी कम से कम 20 प्रतिशत भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे। खुदरा दुकानों के 80 लाख से अधिक कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि 98 प्रतिशत खुदरा बाजार असंगठित क्षेत्र में है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत है और यह देश में कुल सात प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है। इस प्रकार, यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्तम्भ है। खाद्य खुदरा श्रृंखलाओं के विकास के हिसाब से, भारत में 1,11,65,000 दुकानें हैं। भारत में इन खुदरा दुकानों की सघनता सर्वाधिक है। अन्तरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं ए.सी. निल्सन और के.एस.ए. टेक्नोपैक के सर्वेक्षण के अनुसार, प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर 11 दुकानें हैं। क्योंकि इन दुकानों में से 98 प्रतिशत दुकानें असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनके 3.95 करोड़ कर्मचारी हैं, और इसलिए वे देश के श्रम कानूनों की परिधि के बाहर हैं।

अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा कुछ न करें जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिघात हो। सरकार हमारे राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीरतापूर्वक कदम उठाए।

अपराह्न 1.00 बजे

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। माननीय रेल मंत्री बैठे हैं। वह इस बारे में यहां स्थिति स्पष्ट करें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह सांसदों की प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसके लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम इस बारे में सोच रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं। अब, श्री लाल सिंह को बोलना है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं और आप जानते हैं कि मुख्यत: इंडिया नेपाल को आर्म्स सप्लाई करता है। जब नेपाल में इमरजैंसी लगी तो हमने वहां आर्म्स सप्लाई करना बंद कर दिया। अब वहां इमरजैंसी खत्म हो गई है जिससे हमारे ऊपर प्रैशर डाला जाएगा कि आर्म्स की सप्लाई की जाए। मेरी रिकवैस्ट है कि अभी इस मामले को देखा जाए और समय दिया जाए। वहां इमरजैंसी के बाद जो हालात बने हैं, उनको देखा जाए। ऐसा न हो कि हमें इससे नुकसान हो। सारे हालात को वाच करते हुए आर्म्स की सप्लाई के बारे में सोचा जाए। हमने इस बारे में एमओयू किया है। उनके पास दूसरी कंट्रीज से भी आर्म्स चले जाएंगे लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन एक ग्रामीण रोजगार के रूप में उभर कर आया है। सरसों की फसल के दौरान मधुमक्खी पालक इन क्षेत्रों में अपने उपकरण लगा कर शहद निकालने का काम करते हैं। इस वर्ष राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों में सरसों की बम्पर फसल के दौरान शहद उत्पादन भी बढ़ा है। पहले जहां पूरे सीजन में दो बार शहद निकलता था, इस वर्ष औसतन पांच राउंड में शहद निकला है मगर दुर्भाग्य है कि मधुमक्खी पालकों को शहद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

दिल्ली, पंजाब, सहारनपुर व कोलकाता शहद खरीद के मुख्य केन्द्र हैं तथा यहां के बड़े व्यवसायी शहद का विदेशों में निर्यात करते हैं। इस बार अच्छे शहद उत्पादन को देखते हुए इन सब बड़े निर्यातकों ने आपसी पूल बना कर शहद के खरीद मूल्यों को बहुत कम कर दिया है। जहां गत वर्ष शहद 80 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा था, इस वर्ष बड़े व्यापारियों के आपसी गठबंधन की वजह से शहद उत्पादकों से मात्र 40 रुपए किलो के भाव से खरीद के प्रस्ताव रखे गए हैं। हजारों टन शहद आज उत्पादकों के पास रखा है। उचित मूल्य न

[डा. करण सिंह यादव]

मिलने से मधुमक्खी पालक संकट में हैं। बड़े शहद व्यापारियों एवं निर्यातकों द्वारा साधारण मधुमक्खी पालकों का यह शोषण है। अतः मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह शहद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करें तथा गरीब मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने में सरकार का कृषि मंत्रालय पहल करे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता, समाजवादी आन्दोलन के पुरोधा, आपातकाल के नायक, लोकतंत्र के सजग पहरुआ और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री राजनारायण की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है। इस महत्वपूर्ण विषय को मैंने लोक सभा में कई बार उठाया लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में दोहरा मापदंड अपनाया जाता रहा है और अभी तक स्वर्गीय राजनारायण पर स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया गया जबकि अनेक पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों, समाज सेवियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में डाक टिकट जारी किये गये हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वर्गीय श्री राजनारायण ने अग्रणी भूमिका निभायी और अनेक बार जेल की कठोर यातनाएं सहीं। आजादी के बाद शोषण, अन्याय, आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करते हुए वह पचास से अधिक बार जेल गए। उत्तर प्रदेश की विधान सभा से लेकर संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अध्यक्ष महोदय: इतने बड़े भाषण की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

हम सभी श्री राजनारायण को जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हमने दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर संचार मंत्री जी को चिट्ठी लिखी और आपकी आज्ञा से सदन में इस मामले को उठाया था। संचार मंत्री जी ने उत्तर देते हुए लिखा कि राजनारायण जी इस परिधि में आते ही नहीं हैं। राजनारायण जी जैसे आदमी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए कुर्बानी दी, जो सदन के मैम्बर रहे, उनके बारे में संचार मंत्री ने लिखा कि वह उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं सरकार और सभी दलों के लोगों से मांग करता हूं कि वे दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर राजनारायण जैसे आदमी पर स्मारक डाक टिकट जारी करवाने की कृपा करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

अब किसी को नहीं बुलाएंगे।

[अनुवाद]

मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इससे संबद्ध करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री इलियास आजमी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार के लोगों को *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब हम खड़े होंगे तो आपको बैठना होगा। हमने इसकी महत्ता को समझकर ही, राजनारायण जी के बारे में बोलने की परमिशन दी है। यह गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको भी बुलाएंगे। आप संतुष्ट नहीं हैं। हमने कहा है कि प्रिविलेज मैटर विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको बुलाएंगे। आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। मेरी हिन्दी में सुधार हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अखण्डता के लिए संतुलित अर्थव्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता महसूस

की जा रही है। आतंकवाद से लड़ने के लिए भी यह आवश्यक है। किन्तु सरकार की लापरवाही के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन है, विशेष रूप से पूर्वी भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है।

महोदय, बुनियादी ढांचे के समुचित विकास और सामाजिक विकास के लिए, हमें बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पूर्वी भारत में जमाराशियों पर ऋण 50 प्रतिशत से नीचे हैं, जबकि देश के अन्य भागों में नामत: पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भारत में जमाराशियों पर ऋण 60 से 70 प्रतिशत से अधिक है और कुछ मामलों में यह 80 प्रतिशत से भी अधिक है।

इस पर बहस हुई है कि चूंकि पूर्वी भारत में निवेश के लिए कोई माहौल नहीं है और सड़क संपर्क इत्यादि जैसी कोई समुचित बुनियादी ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए जमाराशियों पर ऋण कम है। लेकिन सड़क संपर्क और इस प्रकार की चीजों जैसे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: यह समय लंबे-लंबे भाषण देने का नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मैं सरकार से बैंकों को अनुदेश जारी करने का आग्रह करता हूं ताकि वे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों को अधिक ऋण दे सकें और क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए समुचित बुनियादी ढांचा विकसित हो सके।

अपराह्न 1.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

29 अप्रैल, 2005 को दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच में यात्रा कर रहे संसद सदस्यों के साथ रेल कर्मचारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री रघुनाथ झा के जरिए दिया गया है, मैं उस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूं। यह विशेषाधिकार हनन का विषय आपके विचाराधीन है, आपने इसे गंभीरता से लिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस विषय को इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूं क्योंकि इसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, 29 अप्रैल को शाम पांच बजे कलकत्ता राजधानी एक्सप्रैस, ट्रेन संख्या 2306 से 18 माननीय सांसद यात्रा कर रहे थे, जिनमें भारत सरकार के राज्य मंत्री भी थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, 18 सांसद उसमें यात्रा कर रहे थे जिनमें शकील अहमद, भारत सरकार के राज्य मंत्री, भी उसमें यात्रा कर रहे थे। महोदय, विषय की महत्ता को देखते हुए मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि ट्रेन के कानपुर पहुंचते ही ऐसा लगा कि अपराधी ट्रेन से क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए तुरंत घेराबंदी करनी है। एक-एक कूपे में करीब आधा-आधा दर्जन आरपीएफ के जवान, रेलकर्मी और टीटी **...(व्यवधान)** पहुंच गए और बोले इसको खोलो। इसे खोला गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, संसद परिसर में स्थित रेल बुकिंग काउंटर में एसी फर्स्ट क्लास का चार्ट होता है। चार्ट में लिखा होता है कि कौन-कौन एमपी पांच बजे से नौ बजे तक ट्रेन से जाने वाले हैं। लेकिन उन्हें यह देखने की फुर्सत नहीं मिली, उन्होंने रात के समय चैक किया। जो हावड़ा में जाने वाला टीटी था, ट्रेन अधीक्षक था, उन सब लोगों ने चैक किया। जो टर्नअप एमपी होता है, उस चार्ट में टर्नअप लिखा होता है और जो एमपी टर्नअप नहीं होते हैं या उनकी जगह पर कोई और जाता है तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए।

वह गैर-कानूनी नहीं है, इसलिए हम लोगों को कोई पता नहीं है। आज संयोग ऐसा है कि एक भी 'नो टर्न अप' है, कोई दूसरे लोग भी बिना टिकट नहीं जा रहे थे, वह बर्थ खाली जा रही थी। माननीय राज्य मंत्री डा. शकील अहमद के कूपे को भी खोलने के लिए कहा गया। वहां एक रेलकर्मी, जो लगातार हावड़ा तक जाता है, ने कहा कि इस कूपे में राज्य मंत्री, भारत सरकार हैं। तभी ए.डी.आर.एम. *...(व्यवधान)** इलाहाबाद ने कहा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उसने भी कहा कि मैं भी भारत सरकार का हूं, वह मंत्री हुआ तो क्या हुआ, हम चैक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, रात के 10.00 या 10.30 बजे कानपुर में घटना हुई और उसके बाद रात 12.30 बजे उसी ट्रेन में इलाहाबाद में हुआ और कहा गया कि चैक करेंगे। आइडैंटिटी कार्ड देखा गया,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

टिकट देखा गया, उसके बाद दुबारः कानपुर से जो सूचना मिली, उसके अनुसार रात 12.30 बजे इलाहाबाद में माननीय सदस्य जो उस ट्रेन में जा रहे थे, उन्हें जगाया गया, ठोक-ठोककर एक-एक कूपे को खोला गया, देखा गया लेकिन कहीं कोई अनियमित गड़बड़ी नहीं पायी गई। कोई बिना टिकट नहीं पाया गया। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं था। वहां पहले ही से मीडिया को बुलाकर रखा गया था। फोटोग्राफर, प्रैस रिपोर्टर इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म पर थे। माननीय सदस्यों से एक बार फिर कहा गया। ए.डी.आर.एम. जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए माननीय सदस्यों को बताना होगा। कुछ माननीय सदस्य तो गंजी पहने हुए थे, जिन्हें कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। आर.पी.एफ. के सैकड़ों जवान स्टेशन पर तैनात थे जैसे मलखान सिंह उस ट्रेन से जा रहा हा। उन्होंने रेल गाड़ी को घेर लिया। तीन डिब्बों को घेरा गया जिसमें खासतौर पर ए.सी. फर्स्ट क्लास का डिब्बा भी था। ए.डी.आर.एम. वहां नशे में धुत खड़े थे। माननीय सदस्यों ने उनसे पूछा कि हमें क्यों प्लेटफार्म पर बुलाया गया है और वह भी रात के 12.30 बजे हैं। क्या रेल में चैक करने का कोई नियम है या नहीं। हम तो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, हमें सोने भी नहीं दिया गया। तो कहा गया कि वह चैक करना चाहते थे क्योंकि इस ट्रेन में बराबर गड़बड़ करने वाले लोग चलते हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि आप चैक करिये लेकिन हमें प्लेटफार्म पर क्यों बुलाया जा रहा है। टिकट देखने के लिए कहा गया, वह दिखाया गया, आइडैंटिटी कार्ड दिखाने के लिए कहा गया, वह भी दिखाया गया। इसके बाद माननीय सदस्यों से कहा गया कि आप जा सकते हैं। ए.डी.आर.एम. ने कहा कि वह अभी आधा घंटा गाड़ी पर रहेंगे। चैक करेंगे और सब जगह देखेंगे। उसके बाद फौरन प्रैस फोटोग्राफर को इशारे से बुलाकर उनका फोटो लेने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, यह इन लोगों की पुरानी आदत है। ऐसी गड़बड़ पहले भी हुई थी और फोटोग्राफर को बुलाकर अगले दिन अखबारों में फोटो छपवाई गई। मैंने इस बात को तकलीफ के साथ उठाया। आपने समय दिया। दूसरे दिन पेपर में आया 'सांसदों ने मचाया उत्पाद।'' अफसोस की बात यह है कि जब यह घटना घटी, उस समय उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया। जब वे बिना टिकट नहीं थे, गैर-कानूनी नहीं चल रहे थे, तब उनके उत्पात को मीडिया के सामने रखकर माननीय सांसदों की इमेज को खराब कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की मर्यादा का सवाल है। इसमें सांसदों का अपमान भी हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसलिए मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता था। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, हम लोगों के अधिकारों के संरक्षक हैं। इसलिए कार्य संचालन नियमावली के तहत जो कार्यवाही आप करना चाहें, करें लेकिन प्रथम दृष्टा हैं। इसलिए कार्य संचालन नियमावली के तहत जो कार्यवाही आप करना चाहें, करें लेकिन प्रथम दृष्टा रिपोर्ट के अनुसार माननीय रेल मंत्री जी को उस अधिकारी को निलम्बित कर के जांच बैठानी चाहिए। यही मेरा कहना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः बहुत अच्छा, मंत्री इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामजीलाल सुमनः महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपको क्या सेम इंसीडेंट पर बोलना है। आप एसोसिएट कर दीजिए तो आपका कहना भी जोरदार हो जायेगा।

श्री रामजीलाल सुमनः अध्यक्ष जी, मैं भी इस मामले से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे नहीं पता। एक मुद्दे पर दो दण्ड नहीं दिये जा सकते हैं। यह आपको ही देखना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, अखबारों में जैसे ही यह खबर छपी तो हमने इसकी पूछताछ की। इस मामले में बड़ा भारी षडयंत्र लगता है कि किसी आदमी ने विजिलेंस का हवाला देकर टेलीफोन कर दिया कि इन कोचेज में एमपीज के नाम पर नाजायज लोग जा रहे हैं। जबकि सभी एम.पीज. लोगों का आरक्षण के साथ टिकट था, ट्रेन सुपरिंटेंडेट सब उनको पहचानते थे, रास्ते में सभी लोगों को चैक भी किया था, फिर पहले स्टापेज कानपुर और फिर दूसरे स्टापेज इलाहाबाद में चैक किया गया। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया, छायाकार और पत्रकार पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। इसके अलावा रेल के अधिकारी, पुलिस बल भी था। रात 12.30 बजे सोई हुई अवस्था में लोगों को उनके कूपे को थपथपाकर खोला गया और उन्हें नीचे उतारे जाने की बात की गयी।

यह बहुत दुखद है। हमने इसे गम्भीरता से लिया है। उसमें बिना टिकट कोई लोग नहीं थे। श्री सिंह, जो पदाधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, हमने उन्हें कल ही निलम्बित करने तथा

मामले की पूरी जांच करने का निदेश दिया गया है तथा हिदायत दी गई है कि जहां माननीय सांसद हों और वे जहां गाड़ी पर बैठते हैं, वहां सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें उसी समय देखना है कि सचमुच में वह प्रोपर जगह पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। हमारे रेलवे कर्मियों में चाहे टी.टी.ई. हों, चाहे पुलिस कर्मी हों, अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो किसी के दुर्व्यवहार को हमारी मिनिस्ट्री टोलरेट नहीं करेगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल बोनाफाइड मैनर में लोग जा रहे थे। जब से मैं रेल मंत्री बना हूं, कहीं भी कोई आदमी बिना टिकट के नहीं जाता है। यह सब जानबूझकर किसी ने प्लान किया है। ताकि इन मंत्रियों और खासकर हमारे दल के ही एम.पीज़ ज्यादा थे, उसके बाद एन.डी.ए. के लोग भी दूसरी कोच में बैठे हुए थे, इस सारे एपिसोड की मैं तहकीकात करवा रहा हूं और मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको जांच करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, मुझे आपके दो नोटिस प्राप्त हुए हैं। आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: मैं पहले तो फुकन कमीशन मुद्दे पर बोलना चाहूंगा चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: इसे कल उठाया गया था। सभा के माननीय नेता ने कहा था कि वह इसकी जांच कर रहे हैं तथा वे सदन में वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उसमें जो चीज सामने आई है वह यह है कि वह अकेले नहीं थे, वे अपने परिवार के साथ थे। उस वक्त जब वह खुद उसमें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे सदन में उठाया गया था। सभा के माननीय नेता, रक्षा मंत्री ने आश्वास्त किया कि वे इस मुद्दे पर वक्तव्य देंगे। इसके पश्चात्, अगर आपको कुछ कहना होगा तो उसे फिर देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: सर, दूसरा मसला मैं यह उठाना चाह रहा हूं कि आपके सामने *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरा मसला कैसे उठायेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: दूसरे महत्वपूर्ण मसले का मैंने नोटिस दिया है। कल जब वित्त विधेयक पर बहस चल रही थी तो दूसरी तरफ से कुछ ऐसे इल्जाम लगाये गये थे, जिनके जवाब में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बिल्कुल उसके विपरीत जो आर्डिनेन्स आई.टी.सी. का हुआ था, एन.डी.ए. के दो वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें लिखकर कहा था कि आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। अगर वह उसको वापस ले लेते तो उसका रिजल्ट यह होता कि सरकार को आई.टी.सी. को 350 करोड़ रुपये वापस देने पड़ते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कल कहा था।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: इतना बड़ा नुकसान उससे होता। उसके बाद जब हम लोगों ने यहां उन नामों की मांग की तो उन्होंने अपने विवेक में कुछ नहीं कहा। लेकिन अखबार में बहुत जोर-जोर से बार-बार दो नाम आ रहे हैं और वे नाम दो माननीय सदस्य श्री मुरली मनोहर जोशी और श्री जार्ज फर्नांडीज के हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने वह नहीं देखा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: जितनी देर तक यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती, सभी के मन में रहेगा कि वे कौन सदस्य हो सकते हैं। एक अटकलबाजी पूरे देश में लगी रहेगी। सभी का अधिकार है, जब राइट टू इन्फोर्मेशन बिल का हम जिक्र कर रहे हैं कि उसे पास करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय रेल मंत्री यहां मौजूद हैं। वे वित्त मंत्री को तैयार कर सकते हैं। मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: पूरे देश को इस बात को जानने का अधिकार है, यह एक बुनियादी अधिकार है, कि क्या सचमुच ही वे दो सदस्य हैं। अगर वे 350 करोड़ रुपये का हिन्दुस्तान की सरकार का इतना बड़ा नुकसान करवाने के लिए कह रहे थे कि आप आई.टी.सी. को यह पैसा वापस दे दीजिए—क्या उनका आपस में डील हुआ था, यह इल्जाम लगाया जा रहा था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल कुछ मांगें उठाई गई थी। लेकिन माननीय मंत्री ने नाम नहीं बताए थे। मैं उन्हें नाम बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि इसमें पूरे देश में अटकलबाजी हो रही है। ...*(व्यवधान)* थोड़ी बात तो आई है, लेकिन अटकलबाजी यह उठाई जा रही है कि ये दो सदस्य कौन हैं। इसलिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यकीन है कि श्री पवन कुमार बंसल द्वारा उठाया गए मुद्दे को कई माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं। कृपया अपने को जो उन्होंने कहा उससे सम्बद्ध कीजिए। आपके नाम कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल कर लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: सर, मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: वैसे राइट टू इंफोर्मेशन एक बहुत बड़ा अधिकार देश के नागरिकों का माना जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ऐसी है ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: सर, अगर आपकी इजाजत हो तो सदन की भावना को देखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कह सकता हूं कि वह कल आकर नाम बता दें। यह मैं उन्हें कन्वे कर दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने साथी को राजी कर सकते हैं, मैं आदेश नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आपका हुक्म हो तो हम बता देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपनी प्रतीतिकारिता से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आज जो अटकलबाजी चल रही है, उससे सभी को लगता है कि किसका नाम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं। यदि उन्होंने विचार अथवा पत्र पढ़ लिया हो तो, मैं उन्हें फाइल करने को मजबूर कर सकता था। उन्होंने पत्र से नहीं पढ़ा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पत्र नहीं पढ़ा। आपके वित्त मंत्री बहुत ही कुशल हैं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: दूसरे मसले में फूकन कमीशन पर मैं गुजारिश कर रहा था। ...*(व्यवधान)* माननीय सदन के लोग सदन में आ गए हैं। ...*(व्यवधान)* यह बहुत जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

सदन के नेता यहां मौजूद हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन के माननीय नेता यहां मौजूद हैं यदि वे संदर्भ देना चाहें तो वे दे सकते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): वास्तव में, यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया था। मैंने वक्तव्य देने हेतु पहले ही नोटिस दे दिया है। कल मैं वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह किस विषय पर होगा?

श्री प्रणब मुखर्जी: यह फुकन मामले पर है जो आउटलुक में छपा था।

अध्यक्ष महोदय: वह हैलीकाप्टर मामला है, विमान का मामला। वे कुछ अन्य मामला उठा रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विमान मामले की बात कर रहा हूं। महोदय, मैं किसी अन्य मामले की बात नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री डी. रवीन्द्र नायक।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आप अत्यंत सक्षम माननीय सदस्य है। मैं किसी माननीय मंत्री को कुछ रहस्योद्घाटन करने को बाध्य नहीं कर सकता हूं। अगर उन्होंने पत्र पढ़ा होता तो, उन्हें इसे सभा पटल पर रखने हेतु बाध्य किया जा सकता था। उन्होंने इसे नहीं पढ़ा था। उन्होंने केवल प्राप्त कतिपय परामर्शों को उद्धृत किया था। यदि आप सब माननीय मंत्री को राजी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। अध्यक्ष को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर न करें जो मैं नहीं ले सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। यह ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री को सभा का मंतव्य प्राप्त हो गया होगा। सभा के नेता भी यहां मौजूद हैं। उन्होंने सभा के मंतव्य को समझ लिया है। मुझे ऐसा कहने पर मजबूर न करें जो मैं कभी नहीं कह सकता क्योंकि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्री डी. रविन्द्र नायक।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: हम आपके अधिकार का उपयोग चाहते हैं अन्यथा, नाम के अभाव में कोई भी व्यक्ति *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता। आप अनुमान लगा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं नहीं जानता। अब सभा की बैठक अपराह्न 2 बजकर 30 मिनट पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.34 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.34 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मद संख्या 11 पर विचार करेगी।

(एक) असम के करीमगंज और हैलाकंडी जिलों के उप-नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सरकार का एजेंडा है कि अगले तीन वर्षों में प्रत्येक गांव में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, परंतु जब मैंने करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबद्ध विभाग से पूछताछ की तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास पिछले एक वर्ष से केबल उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में समझ नहीं आया कि क्या कमियां हैं, क्या देश में केबल का उत्पादन कम हो गया है अथवा बुलाई में कोई समस्या है। ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन की एक चिरलंबित मांग है तथा यह अत्यावश्यक है। यहां तक कि मुझे बताया गया है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतिभूति जमा राशि संग्रहित कर ली गई थी लेकिन टेलीफोन नहीं लगाया गया।

इन परिस्थितियों में मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि कठिनाइयों को दूर करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें ताकि हमें असम के करीमगंज तथा हैलाकंडी जिलों के लिए समुचित केबल उपलब्ध हो सके जिससे करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(दो) हिमाचल प्रदेश के ''गिरी-पार'' क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के 'गिरि-पार' के उस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिस क्षेत्र में ''हाटी'' जनजाति बहुतायत में रहती है।

महोदय, एक ओर उत्तरांचल का जौंसार बाहर क्षेत्र है, जिसे भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्र घोषित कर रखा है और दूसरी ओर हिमाचल का गिरी नदी के उस पार का क्षेत्र, गिरी-पार है, जहां की समस्याएं, रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेषभूषा सभी एक समान है, परन्तु जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

महोदय, उस क्षेत्र के भोले-भाले लोग आज के विकासशील युग में भी पुरानी मान्यताओं व संयुक्त परिवार प्रथा का पालन करते हुए कठिन जीवन-यापन कर रहे हैं। भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था लिए वहां का जनसमुदाय आज भी पारस्परिक विवादों का निर्णय ग्राम पंचायत खुमली में ही करता है और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होता है।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि हिमाचल क्षेत्र में बसे ''हाटी'' समुदाय को उनका अधिकार दें और इस विसंगति को दूर कर अनुच्छेद-6 के तहत उस क्षेत्र को शीघ्रतिशीघ्र जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए।

(तीन) हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश में वनों की कटाई पर रोक होने के कारण वह देश एवं विश्व के पर्यावरण को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस कारण उसे करोड़ों रुपये प्रति वर्ष की क्षति सहनी पड़ रही है। हि.प्र. में आर्थिक गतिविधियां न्यून हैं। वहां औद्योगिक विकास नगण्य है। वहां रेलों और हवाई अड्डों का जाल नहीं बिछ सका है। हि.प्र. में आधारभूत ढांचा तैयार करने एवं तेजी से आर्थिक प्रगति हेतु धन का अभाव प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण सदैव बना रहता है। ऊपर से वनों की कटाई पर रोक होने के कारण प्रदेश में अपेक्षित विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करती हूं कि हिमाचल प्रदेश को सड़कों, पर्यटन, उद्योग, कृषि एवं बागवानी आदि के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता दी जाए।

(चार) देश में बंद पड़ी एन.टी.सी. मिलों को पुनरुज्जीवित करने और उनका आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): उपाध्यक्ष महोदय, देश भर की आधे से ज्यादा एन.टी.सी. की कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं। उनमें लगे मजदूरों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है। अगर इन मिलों का आधुनिकीकरण करके कपड़े का उत्पादन किया जाए, तो हम उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में कर पाएंगे और बिना काम के वेतन दिए जाने से जो अपव्यय हो रहा है, उसे भी रोका जा सकेगा। इन मिलों के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं और इनकी फालतू जमीनों को बेचकर इन्हें चलाया जा सकता है। इन मिलों के आधुनिकीकरण का फायदा यह होगा कि हम अच्छी क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं जिसे विश्व के अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। इस बारे में सदन में कई बार चर्चा की गई और सरकार ने इस संबंध में गंभीर कदम उठाने का वायदा भी किया है, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है और बेकार में सरकार का पैसा वेतन के रूप में खर्च किया जा रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से मेरा सरकार के अनुरोध है कि एन.टी.सी. के प्रबंधन को बदलकर एन.टी.सी. की बन्द मिलों को तुरन्त चालू किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वाई.जी. महाजन – अनुपस्थित
श्री गणेश सिंह – अनुपस्थित
श्री सुकदेव पासवान – अनुपस्थित
श्री सुरेश चन्देल – अनुपस्थित
श्रीमती मनोरमा माधवराज – अनुपस्थित

(पांच) पश्चिम बंगाल के मेचदा और पंसकुरा स्टेशनों पर पान के पत्तों की सीधी बुकिंग को फिर से शुरू करने और पान के पत्तों पर शुल्क बढ़ोत्तरी का अधित्याग करने पर विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, पूरबा, मेदिनीपुर जिले में मुख्यत: मेरे तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लोग पान के पत्तों की खेती से जीवन-यापन करते हैं। पान का पत्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है और इसकी ढुलाई तत्काल करनी होती है। पूर्व में पान के पत्ते की ढुलाई मैचदा और पंसकुरा स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों तक सीधी बुकिंग द्वारा की जाती थी।

परन्तु, रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, 2004 से बीच के स्टेशनों से पान के पत्ते की पुनः बुकिंग की प्रणाली चालू कर दी है। इससे उत्पादकों पर भाड़े का भार और उनकी परेशानियां काफी बढ़ गयी हैं।

इसके अतिरिक्त, पान के पत्ते पर बढ़े हुए शुल्क को कुछ समय पूर्व ही बढ़ाया गया है। इसके अलावा, अधिकतर एक्सप्रैस गाड़ियां मेदिनीपुर स्टेशन पर नहीं रुकती हैं। पूरबा, मेदिनीपुर जिले की जनसंख्या लगभग 45 लाख है। जिले के लोगों की मांग है कि सभी एक्सप्रैस गाड़ियां मेचदा स्टेशन पर रोकी जाए।

माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि निम्नलिखित मुद्दों पर शीघ्रतापूर्वक किया जाए:

1. मेचदा तथा पंसकुरा स्टेशनों पर पान के पत्तों की सीधी बुकिंग प्रणाली जो अप्रैल 2004 से पहले चालू थी, की पुनर्बहाली।
2. पान के पत्तों पर बढ़े हुए शुल्क को हटाना।
3. एक्सप्रैस ट्रेन जैसे 2841/2842 कोरोमण्डल एक्सप्रैस, 2459/2460 हावड़ा-मुंबई गीतांजली एक्सप्रैस, 6003/6004 हावड़ा-चिन्नै मेल, 8001/8002 मुंबई-हावड़ा मेल, 8311/8312 हावड़ा-संबलपुर इस्पात एक्सप्रैस, 8013/8014 हावड़ा-टाटानगर स्टील एक्सप्रैस, 2703/2704 हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनामा एक्सप्रैस, 5625/5626, बंगलौर-गुवाहाटी एक्सप्रैस वाया हावड़ा, 6803/6355—6804/6356 हावड़ा-तिरुचिरापल्ली-कन्याकुमारी एक्सप्रैस, तथा 2821/2822 हावड़ा-भुवनेश्वर देहली एक्सप्रैस के ठहराव की व्यवस्था की जाए।

(छह) मदुरै में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, मदुरै हवाई अड्डे का विस्तार यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई में वृद्धि के कारण नितांत आवश्यक हो गया है। पर्यटक भारी संख्या में यहां आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मदुरै मीनाक्षी मंदिर को संसार की एक अद्भुत इमारत बनाये जाने के उद्देश्य से उन्नत किये जाने की संभावना है। फिर, मदुरै का सौन्दर्यवर्धन हो रहा है। धीरे-धीरे मदुरै एक औद्योगिक कार्यकलाप के केन्द्र में विकसित हो रहा है और इससे भी ज्यादा पर्यटन कोरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है।

पास-पड़ोस के देशों में रह रहे कई औद्योगिक घराने दक्षिण भारत में समान दर्जे वाले लोगों के साथ संबंध स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिनके नाम हैं—अपोलो स्पेशिलिटी अस्पताल, मीनाक्षी मिशन अस्पताल और रिसर्च सेंटर तथा वाडामालयन अस्पताल ने श्रीलंका, सिंगापुर, मालदीव और क्वालालमपुर के साथ समझौता ज्ञापन यह हस्ताक्षर किये हैं ताकि इन देशों से रोगी सीधी उड़ान से आकर मदुरै में अपना इलाज करा सकें और वापिस जा सकें।

रामेश्वरम, कोडाइकनाल, अलाजरकॉयल, सुरूली फाल्स, थीक्कडी, वैयगी बांध आदि ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर मदुरै से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

एक अन्य विशेष घटना मुदरै में मद्रास उच्च न्यायालय पीठ को शुरू करना है।

इसीलिए, मैं जल्दी से जल्दी प्रदान की जाने वाली सभी ढांचागत सुविधाओं सहित मदुरै में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा विकसित करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि केवल वही मूलपाठ, जो पहले से ही नोटिस आफिस को दिया गया है और माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है, कार्यवाही-सारांश में सम्मिलित किया जाएगा।

(सात) दिल्ली और देश के अन्य भागों में औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत बाल श्रमिकों के कथित शोषण को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे बच्चों की बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं यूनीसेफ की अभी हाल ही की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश की व्यावसायिक इकाइयों में 40 प्रतिशत बच्चों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। 12 प्रतिशत बच्चों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौच तथा 12 प्रतिशत बच्चे यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इन बच्चों की छोटी-मोटी गलती पर निर्मम पिटाई भी की जाती है। शेष 36 प्रतिशत सभी प्रकार की शारीरिक यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर दलाल लावारिश एवं किन्हीं कारणों से घर से भाग कर आए बच्चों की तलाश में सक्रिय रहते हैं। जब कोई भूखा-प्यासा किशोर दिखाई देता है तो उसे प्रलोभन देकर ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उस बच्चे को नारकीय स्थान पर भेज दिया जाता है। औसतन 15 से लेकर 20 बच्चे तक इन दलालों के शिकार होते हैं। यहीं से दिल्ली के अतिरिक्त अन्य बड़े शहरों में भी बच्चों की सप्लाई होती है। वेतन के नाम पर उन्हें सिर्फ दो वक्त की रोटी दी जाती

[श्री रामजीलाल सुमन]

है। नौ साल से 14 साल की उम्र के इन बच्चों से 18 घंटे तक काम लिया जाता है। दिल्ली में घौंडा, सीलमपुर, ओखला, जहांगीरपुरी की व्यावसायिक इकाइयों में इस प्रकार के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार इस गम्भीर समस्या पर संज्ञान ले ताकि इन बच्चों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया जाये एवं दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(आठ) बिहार में अपर वधवा जलाशय को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका के अंतर्गत जिला जमुई के चकाई प्रखंड में अपर वधवा जलाशय योजना बिहार सरकार द्वारा 75 प्रतिशत बनाकर तैयार कर दी गई थी, परन्तु धन के अभाव में इस योजना का 25 प्रतिशत कार्य ठप्प पड़ा है, जिसके कारण बनाया हुआ निर्माण कार्य भी धीरे-धीरे-धीरे खराब होता जा रहा है। इस योजना के बन जाने के बाद यहां के किसानों को सिंचाई के साधन मिल जाएंगे, जिसके कारण वह लोग यहां पर रोजगार प्राप्त करने के बाद दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। इससे एक ओर तो लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के अवसर मिल सकेंगे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस जलाशय योजना के अधूरे काम को अपने हाथ में लेकर पूरा करने की कृपा करें।

(नौ) तमिलनाडु के तिरुपत्तूर, नेत्रमपल्ली और ओट्टनचतिरम में टमाटर की खेती को बढ़ावा देने और इसके विपणन के लिए एक प्रायोगिक योजना विकसित करने के अतिरिक्त इन स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर): *महोदय, टमाटर जिसका सब्जियों में विशेष महत्व है का भारतीय भोजन में भी महत्व है। टमाटर उन क्षेत्रों में बहुतायत में उगाया जाता है जो न तो पहाड़ी है और न ही मैदानी क्षेत्र है परन्तु ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ सटे हुये हैं और जहां पर उचित जलवायु परिस्थितियां हैं। तमिलनाडु में तिरुपत्तूर, नेत्रमपल्ली और ओट्टनचतिरम टमाटर की अत्यधिक फसल के लिए जाने जाते हैं। यद्यपि, सारे वर्ष एक जैसी मांग रहती है फिर भी गरीब किसानों को जो टमाटर की खेती करते हैं एक समान लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। परन्तु इसकी बजाए उन्हें उतार-चढ़ाव और कीमतों में भारी गिरावट के कारण हानि हो रही है। अन्य क्षेत्रों में टमाटर का अत्यधिक उत्पादन शीतगृह संबंधी सुविधाओं की कमी और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में टमाटर का उत्पादन बाधित हो रहा है। एक प्रायोगिक (पायलट) योजना बनाने की आवश्यकता है और तिरुपत्तूर, नेत्रपल्ली और ओट्टनचरितम जैसे स्थानों की पहचान करने की आवश्यकता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय टमाटर पाउडर का उत्पादन करने के लिए शीतगृह संबंधी सुविधाएं और एफ.पी.आई. इकाई स्थापित कर सकते हैं। अतः, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों के लाभ और उन्हें संरक्षण देने के लिए तथा इस जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए कृषि मंत्रालय, खाद्य, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ग्रामीण विकास को शामिल करते हुए एक समन्वित योजना बनाई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता—उपस्थित नहीं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन।

(दस) सड़क नेटवर्क द्वारा जम्मू को कश्मीर घाटी के दूर-दराज के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एकीकृत और अवसंरचनात्मक विकास योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): महोदय, कश्मीर घाटी के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा जम्मू को घाटी के दूर-दराज के क्षेत्रों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थायी विकल्प का अभाव है।

सरकार ने मुगल सड़क को एक प्राथमिक परियोजना का दर्जा देने में समझदारी का परिचय दिया है। मैं निर्धारित समय के भीतर इस परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराता हूं। अन्य दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनका विकास सुरंगों और पुलों को बनाकर किया जा सकता है। ये दो सड़कें 'स्मिथान, किश्तवार सड़क' और 'बंदीपोरा लोलाब सड़क' है। ''लोलैब मुछिल'' और ''कुपवारा केरन'' अन्य दो छोटी सड़कें हैं जो ऐसे क्षेत्रों को जोड़ सकती है जो सामान्यतः शीतकाल के दौरान घाटी से कटे रहते हैं।

मैं मांग करता हूं कि इन सभी सड़कों को 'एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास योजना' के तहत विकसित किया जाये ताकि कश्मीर घाटी के उपेक्षित क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके और वहां खुशहाली लायी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले—उपस्थित नहीं।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(ग्यारह) दामोदर घाटी निगम द्वारा झारखंड का बहुमुखी विकास किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, दामोदर घाटी निगम के आठ में से छः थर्मल पावर स्टेशन और डैम, झारखण्ड में हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिलों में हैं। निगम द्वारा स्थापना के समय से ही झारखण्ड के लोगों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर विस्थापितों की टोटल बहाली की 10 प्रतिशत बहाली भी नहीं हुई है। मैथन, तिलैया, कोनार डैम, बोकारो थर्मल, चन्द्रपुरा थर्मस, पंचैत, इन छः योजनाओं से आस-पास की जमीन की सिंचाई भी नहीं होती है तथा विकास का काम नगण्य है।

मैं इस संबंध में मंत्री महोदय एवं निगम के पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाएं और झारखण्ड के विकास के लिए समुचित कदम उठाएं।

अपराह्न 2.52 बजे

संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 12 लेंगे। श्री एस. रघुपति।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक चुनाव क्षेत्रों के नवीन परिसीमन पर रोक लगा दी गयी है और राज्यों को विधानमंडलों में आवंटित सीटों की संख्या सीमा को प्रभावित किये बिना 1991 की जनगणना के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों सहित सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और तार्किकीकरण के लिए भी साथ ही व्यवस्था की गई है।

संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों सहित सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और तार्किकीकरण के लिए उपबंध है।

संशोधन विधेयक पांडिचेरी के संबंध में संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के प्रावधानों में संशोधन करने के संबंध में है जो कि संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 और संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में किये गये संशोधनों के समरूप है।

महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने पर विचार किया जाये।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। वे उपस्थित नहीं हैं।

श्री सन्दीप दीक्षित।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, जो दो संशोधन पांडिचेरी और दिल्ली के लिए लाए जा रहे हैं, इनके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इन राज्यों के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से लोक सभा की सीटें बनायी जाती हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में विधान सभा की सीटें भी बनायी जाएं। जिससे एससीएसटी की जिनती कम्पोजिशन है, उसका पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य उसमें आ जाए।

[श्री संदीप दीक्षित]

जितनी एससी, एसटी की कम्पोजीशन सन् 2001 के सैन्सस में पाई गई हैं, सीट्स भी उसी हिसाब से रिजर्व हों, जिनमें दिल्ली की जनता को उस रूप में पूर्ण रिप्रैजेंटेशन मिल सके। जब 1950 में हमारा संविधान बनाया गया और उसके बाद ऐडॉप्ट किया गया, तब बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उनमें जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे, उनके रिप्रैजेंटेशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनमें एससी, एसटी के लोग संसद और अपनी-अपनी विधान सभाओं में उतने ही रूप में आएं जितना पौपुलेशन में उनका रिप्रैजेंटेशन है। पिछले पचास साल का अनुभव यही दिखाता है कि शुरू में जो सकारात्मक कदम लिए गए थे, उनसे उन तबकों पर बहुत ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ा। उनके विकास पर पड़ा और उनके मुद्दों को संसद और तमाम असैम्बलियों में लाने में यह बहुत ही कारगर उपाय पाए गए। इस कारण मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी संशोधन लाए जाएं। अगले साल जो डीलिमिटेशन होने वाला है, उसमें ये दर्शित किए जाएं।

मैं इस मौके पर चंद बातें और दिल्ली राज्य के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली राज्य में भारत सरकार के प्रशासन का काफी अधिक प्रभाव रहता है। दिल्ली न केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों की राजधानी है, बल्कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के लोगों की राजधानी है। इसलिए यहां का विकास, यहां की स्थिति के लिए, खासकर संसद के बारे में मुझे मालूम है, संसद के लिए दिल्ली की विशेष जगह हमेशा रही है। इसकी स्थापना, इसकी जगह, इसका विकास विशेष संसद के इंटरस्ट में रहा है और हर मैम्बर किसी न किसी रूप में दिल्ली को भी अपना घर मानता है। आपने देखा होगा कि तमाम दिग्गज नेता भी किसी न किसी रूप में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आदरणीय इंदिरा जी ने दिल्ली को हमेशा विशेष प्रेम दिया। आदरणीय राजीव जी ने अपना बचपन और बहुत समय दिल्ली में बिताया। गुजराल साहब को एक तरह से हमेशा दिल्ली का माना गया। वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी भी एक तरह से दिल्ली में ही रह रहे हैं। यहां उन्होंने पढ़ाया है, शायद वे यहां पढ़े भी हैं। हिन्दुस्तान का बहुत सा नेतृत्व किसी न किसी रूप में या तो दिल्ली से पढ़ा हुआ है या दिल्ली में आकर बसा है। दिल्ली ने अपार दिल भी दिखाया है। जो व्यक्ति भी दिल्ली आया, वह दिल्ली छोड़कर कभी वापिस नहीं गया। इस मामले में दिल्ली का एक विशेष स्थान रहा है और हिन्दुस्तान की जो समग्र संस्कृति बनी है, उसमें बहुत हद तक दिल्ली का प्रभावी रोल भी रहा है और दिल्ली ने उसे अपने छोटे से रूप में भी दृश्य दिया है। यहां दक्षिण भारत का व्यक्ति आता है, उत्तर भारत का व्यक्ति आता है, पश्चिमी भारत का व्यक्ति आता है और पूर्वी भारत का व्यक्ति भी आता है और दिल्ली आकर दिल्ली वाला कहलाता है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां जगह-जगह से राजनेता भी आए जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी अपना घर किया और दिल्ली के लोगों ने उनको अपने प्रेम से, प्यार से स्वीकारा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): दिल्ली का व्यक्ति दिन वाला भी होता है।

श्री सन्दीप दीक्षित: दिल वाला तो है ही। अच्छा हुआ कि आपने यह कहा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि संशोधन के कारण हमारी जनता में जो बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है, वह विधान सभाओं में भी दर्शिता होता होगा। लेकिन कुछ छोटी-मोटी चीजें भी हैं जिन बारे में मैं संसद और तमाम सीनियर कोलीग्स का थोड़ा-बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह माना कि दिल्ली में सबसे बड़ी पर-कैपिटा इनकम रही है। दिल्ली का गरीबी का स्तर भी केवल 8 या 9 प्रतिशत ही है। लेकिन आज भी हर वह व्यक्ति, जो और कहीं से निराश हो जाता है, जिसे शायद अपने राज्य में, अपने घर में जगह नहीं मिल पाती, या जो शायद स्वर्णिम भविष्य की तरफ अग्रसर होता है, उसे दिल्ली में न केवल घर मिलता है, बल्कि उसे दिल्ली में आजीविका के विकल्प भी मिलते हैं और एक ऐसी जगह मिलती है जहां उसे जीवन-यापन करने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जो शायद उनके अपने घरों में नहीं मिल पातीं। चाहे हमारे भाई उत्तर प्रदेश से आए हों, जहां से किसी जमाने में मेरा परिवार भी आया था, चाहे बिहार के लोग रहे हों, चाहे दक्षिण भारत से लोग आए हों, चाहे किसी भी प्रान्त से लोग आए हों, उन्होंने दिल्ली को अपना घर बनाया है। यह बात इससे भी प्रदर्शित होती है कि जब सन् 1991 और 2001 के बीच पूरे हिन्दुस्तान की पौपुलेशन केवल 21 प्रतिशत बढ़ी, दिल्ली की 46 प्रतिशत बढ़ी।

अपराह्न 3.00 बजे

हर साल पांच लाख नये लोग दिल्ली को अपना घर बनाते हैं। दिल्ली की जो टोटल फर्टीलिटी रेट है या प्रजनन दर है जिससे उसकी अपनी पापुलेशन बढ़ती है, वह बहुत कम है। अगर हम उसी दर के हिसाब से चलें तो दिल्ली की पापुलेशन शायद घटती चली जाये। लेकिन हिन्दुस्तान के बहुत से नागरिक दिल्ली में आते हैं, दिल्ली को अपना घर बनाते हैं। दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वह बिजली की हो, पानी की हो, घर की हो या लॉ एंड आर्डर की हो जिस पर भारत सरकार की हमेशा कृपा रही है। भारत सरकार का दिल्ली की तरफ बहुत प्यार रहा है। धीरे-

धीरे ये सभी सुविधाएं दिल्ली में कम होती गयीं। आखिरकार एक सीमा होती है किसी भी सीमित राज्य को, किसी भी सीमित जगह को उन सुविधाओं को उसी रूप में अपने नागरिकों को देने की, जितने कि वह नागरिक अपनी कैपिटल, अपने राज्य से अपेक्षा रखते हैं।

आज आपने देखा होगा, हमारे सारे मैम्बरों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दिल्ली वासियों से बाहर होती जा रही हैं। आज पानी की बड़ी गंभीर समस्या दिल्ली के सामने खड़ी है। दिल्ली में इतनी जमीन नहीं है, नदियां नहीं हैं, पानी के स्रोत नहीं हैं कि हम अपने यहां से पानी निकालकर आप सबको पर्याप्त जल दे सकें। हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम इतने संयंत्र बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकें जिससे 24 घंटे आपको पर्याप्त और अच्छी बिजली मिल सके। दिल्ली में हमने हमेशा प्रयास किया है कि ये सुविधाएं आपको मिलती रहें। जब भी जरूरत पड़ती है, तमाम राज्य बड़े प्यार से, प्रेम से जितनी भी बिजली दे सकते हैं, वह उन्होंने हमें दी है। हमारे पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा जितनी भी पानी दे सकते हैं, वह हमें दिया है। इस बात के लिए दिल्ली बाकी राज्यों की हमेशा आभारी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ये राज्य अपनी विवशता के कारण पर्याप्त मात्रा में हमें पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं नहीं दे पाते जिस राज्य में दिल्ली को आवश्यक हैं और दिल्ली का हर नागरिक यहां रहने के बाद जिन सुविधाओं की अपेक्षा करता है। जब मैं दिल्ली से बाहर चला जाता हूं, अगर मैं किसी और राज्य में रहता हूं तो शायद अपनी सरकार से वह अपेक्षा नहीं करता, लेकिन दिल्ली आ कर यहां का नागरिक हो कर वे अपेक्षाएं मेरे मन में आ जाती हैं। इसलिए कुछ रूप में पूरे हिन्दुस्तान का थोड़ा सा दायित्व बनता है कि अपनी राजधानी में हम वे सुविधाएं रखें जो हम खुद अपने राज्य में अपेक्षा करते हैं। ये अपेक्षाएं सबकी मिलकर बनी हैं।

दिल्ली की डेढ़ करोड़ जनता में शायद 30-40 लाख ऐसे लोग होंगे जो पहले से ही दिल्ली के रहे होंगे। बाकी जो एक सवा करोड़ लोग हिन्दुस्तान के सब जगह से आकर दिल्ली को अपना घर बना चुके हैं। हमारे यहां जमीन की बहुत कमी है। आज शहर बनने के कारण अर्बन वैस्ट की समस्या होती है, लैंड फिल की समस्या होती है। दिल्ली में बहुत कम ऐसे क्षेत्र बचे हैं, जिनको हम लैंडफिल के लिए कन्वर्ट कर पायें। मैं मानता हूं और हमारे पड़ोसी राज्यों के लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारी गंदगी उन तक जाये। लेकिन हमारी भी कुछ विवशताएं हैं। हम कहां तक यह सारा कूड़ा-करकट उस सीमित क्षेत्र में देते जायें? किसी जमाने में खाली जगह होती थी लेकिन आज हमारी जनता वहां भी रहने लग गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मुद्दे और हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार और यहां बैठे हुए संसद सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा। सन् 1985-86 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बहुत ही दूरदर्शिता के रूप में एक कांसैप्ट बनाया था जिसमें नैशनल कैपिटल रीजन की बात गयी थी। श्री राजीव गांधी जी ने जिस तरह की दृष्टि नैशनल कैपिटल रीजन द्वारा रखी थी, वह अपने आप में क्रांतिकारी थी। उसके बाद समय बदला, राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदला। दुर्भाग्य से श्री राजीव गांधी जी नहीं रहे। राष्ट्र और राज्यों में जो नेतृत्व आया, उन्होंने शायद नैशनल कैपिटल रीजन को वह महत्व नहीं दिया जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एरिया और नैशनल कैपिटल रीजन को देना चाहिए था। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि पड़ोसी राज्यों को किसी न किसी रूप में योगदान देना पड़ेगा। भारत सरकार की सबके साथ समन्वय, सामंजस्य करने की जो भूमिका है, उसको शायद पुरजोर रूप में, कहीं न कहीं कारगर रूप में रखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि दिल्ली के कारण ही हमारे पड़ोसी राज्यों को काफी चीजें उपलब्ध हुई हैं। जो नोएडा का क्षेत्र है, वह उत्तर प्रदेश के विकास को बहुत आगे बढ़ाकर चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना भी हमें करनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के विकास को देखकर एक दूरदर्शिता की नीति लेकर उस क्षेत्र का विकास किया।

इसलिए दिल्ली के लोगों को जहां दिल्ली में जगह नहीं मिल पाती थी, यहां पैसा निवेश करने की जगह नहीं मिल पाती थी, उन्होंने नोएडा में उसी चीज का निवेश किया। किसी तरह हरियाणा राज्य ने भी इसी तरह की दूरदर्शिता दिखाते हुए, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया। गाजियाबाद के भी कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। लेकिन आज वह बात हो गई है कि दिल्ली अपनी सिमटी हुई जमीन के कारण, अपनी सिमटी हुई नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, अब एक विवशता की तरफ बढ़ रही है कि शायद उसमें अपने में वह क्षमता नहीं बढ़ी है कि वह अपने अंदर की शक्तियों को और जो लोगों की क्षमताएं हैं, अपनी जमीन में, अपनी सीमित क्षमताओं के अंदर पूर्ण कर सके। इसलिए हमें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हमारे पड़ौसी राज्य आज दिल्ली राज्य के विकास में उसी रूप में सहयोगी बनकर चलें जिस रूप में दिल्ली के विकास से सब राज्यों को कहीं न कहीं फायदा मिला है।

वास्तव में, दिल्ली अब केवल दिल्ली की नहीं रही है। दिल्ली एक राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में बनती चली जा रही है। दिल्ली किसी व्यक्ति की नहीं है। दिल्ली हमारे लिए, हम सबको लिए राजधानी है। हम सबके लिए गर्व की चीज भी है। दिल्ली ने इतना प्यार हम सबको दिया है। मेरे ख्याल से एक समय अब

[श्री सन्दीप दीक्षित]

ऐसा आ रहा है कि न केवल हम और हमारे पड़ौसी राज्य बल्कि पूरा देश थोड़ा-बहुत यह ध्यान दे कि दिल्ली के आगे आने वाले समय में हम किस तरह से इसको एक रूप दे सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिन्दुस्तान की जो जनसंख्या है, उसकी 35 प्रतिशत जनसंख्या करीब शहरों में रहने लगी है। आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, 40-42 प्रतिशत के करीब हम पहुंच जाएंगे और 15 या 20 साल में हिन्दुस्तान केवल अपने गांव में नहीं रहेगा। हिन्दुस्तान की कम से कम 50 प्रतिशत जनता अब शहरी इलाकों में रहना शुरू कर देगी। आने वाले समय में यह एक चुनौती भी है और समस्या भी है। हमें कहीं न कहीं मिलकर, एक रूप में शहरी विकास की तरफ भी देखना पड़ेगा। शहरी हिन्दुस्तान किस रूप में बने, शहर में आने वाले व्यक्ति की अपेक्षाएं उस व्यक्ति से बिल्कुल बदल जाती हैं जो गांव में है। गांव में वह आज भी सर पर मटका रखकर दो कि.मी. तक पैदल चलकर पानी ले आता है। उसको अगर तीन घंटे बिजली मिलती है तो वह इसी में संतोष कर लेता है कि उसका पंप चल गया और उसकी आधी एकड़ जमीन में पानी पड़ चुका है। अगर उसको शौच के लिए जाना होता है और उसको अगर खुला मैदान मिल गया है तो संतोष से वह वहां चला जाता है। इन सब बातों में वह किसी भी बात के लिए सरकार की तरफ नहीं ताकता है। लेकिन जैसे ही वह शहर आ जाता है, वह चाहता है कि मेरे घर की दहलीज पर या घर के अंदर या घर के बिल्कुल बाहर या फिर कम से कम 15 फुट दूर कोई ऐसा सार्वजनिक नलका हो, जहां सरकार से हमें स्वच्छ पानी मिल सके। वह चाहता है कि हमारे घर में नहीं तो सार्वजनिक रूप में कहीं न कहीं शौच का इंतजाम हो। वह चाहता है कि बिजली 24 घंटे नहीं तो कम से कम 18-20 घंटे मिले। वह चाहता है कि जो और सुविधाएं हमारे पड़ौस में जोरबाग में या मोतीबाग में रहने वाले व्यक्ति को मिलती हैं, जैसे वह खुली हवा में रह पाता है, उसको अच्छी बस सेवा मिलती है, वही मुझे और मेरे बच्चों को भी मिले।

अंत में, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा और यह मैं जानता हूं कि सरकार इस पर सोच रही है लेकिन और पुरजोर तरीके से शहर किस तरह से आगे बढ़े, इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। अगर एनसीआर के बारे में थोड़ी और मेहनत की जाए तो दिल्ली की जो तमाम छोटी-छोटी समस्याएं हैं, इसमें भारत सरकार बहुत कारगर रूप से हमेशा दिल्ली की सहयोगी रही है कि दिल्ली एक आदर्श राज्य और आदर्श शहर के रूप में बढ़ता चला जाएगा और पूरे हिन्दुस्तान को एक तरह की लीडरशिप देता रहेगा। मैं इसी के साथ इस संशोधन का पूर्णतः समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अजय माकन—अनुपस्थित।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, इस विधेयक को दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बहुत सीमित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाया गया है। चूंकि यह संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 तथा संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इस विधेयक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करना है। मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि परिसीमन कार्य में किस हद तक प्रगति हुई है तथा क्या वह सभा को आश्वस्त कर सकेंगे कि भावी राज्य विधान सभा के चुनाव चालू प्रक्रिया के आधार पर ही होंगे चूंकि मैं समझता हूं कि केवल कुछ ही राज्यों में अब परिसीमन आयोग कार्य कर रहा है। वर्ष 2006 में चार या पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होंगे—केरल, पश्चिम बंगाल, मेरे विचार से त्रिपुरा तथा तमिलनाडु में भी। क्या इन राज्यों में चुनाव वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया के आधार पर ही होंगे।

दूसरा, मैं नहीं कह सकता कि मेरे मित्र ने सभा में सभी दिल्ली के बारे में जिन समस्याओं का उल्लेख किया, उन्हें सरकार किस प्रकार हल करेगी। वह कह रहे थे कि इस महानगर में जनसंख्या में लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथा वर्तमान परिसीमन, वर्तमान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को ही परिसीमित करेगा। जहां तक मैं समझता हूं, विधान सभा और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इसका अर्थ है कि बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्रों का सृजन होगा। संभवतः इस तरह से समायोजन किया जाएगा कि वर्तमान वृहद निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांत परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा पुनर्समायोजित किया जाएगा। लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में—देश के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र बन जाएंगे। मुझे लगता है कि यह संशोधन इस समस्या का कोई हल नहीं है।

माननीय सदस्य, जिन्होंने मुझसे पहले अपने विचार व्यक्त किए, वे शहरीकरण के मुद्दे का भी जिक्र कर रहे थे। मेरा विचार है कि यदि शहरीकरण की तीव्र रफ्तार पर अंकुश लगाना है तो राज्य तथा दिल्ली के आसपास के गांवों में अधिक रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह इस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाती है, तो अच्छी सुविधाओं की खोज में, तथा सामान्य जीवन-यापन के लिए अच्छे रोजगार के अवसर की तलाश में लोगों का शहरों में पलायन नहीं होगा। यदि इस प्रकार की सुविधा दिल्ली में आसपास उपलब्ध नहीं कराई गई, तो यह एक गंभीर समस्या बन जाएगी। यह सिर्फ दिल्ली की समस्या ही नहीं है

बल्कि यह प्रत्येक बड़े शहर की समस्या है। यह स्थिति विस्फोट के स्तर तक पहुंच गई है तथा यह हम सबके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देगा।

मैंने हाल ही में प्रेस में छपे एक लेख को पढ़ा था जिसके अनुसार भारतीय शहर विश्व के सबसे बड़े महानगर बनते जा रहे हैं। इस पर हम सबको गर्व नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ग्रामीण जीवन दयनीय तथा लोगों को विमुख करने वाला है तथा लोग बेहतर अवसर तथा सुविधाओं की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संभवत: वे ऐसा सोचते हुए कि शहरों में अच्छा जीवन होगा एक मृगतृष्णा का पीछा कर रहे हैं। आज की स्थितिनुसार शहरों का जीवन न तो अच्छे अवसर प्रदान करता है न ही अच्छा गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करता है।

इस संदर्भ में, मैं इस मुद्दे पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन शहरों में जहां परिसीमन प्रस्तावित हैं, के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार शहरों के इर्द-गिर्द की स्थिति में सुधार हेतु इसी प्रकार की सोच रखती है। यदि यह उपाय किया जाता है तो, शहरीकरण का मुद्दा हमारे लिए एक गंभीर समस्या नहीं रहेगा। दूसरे, क्या देश में होने वाले चुनाव चालू वर्तमान परिसीमिन प्रक्रिया पर आधारित होंगे?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। इस पर कहने को कुछ अधिक नहीं है चूंकि दो संशोधन नामत: चौरासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 तथा सत्तासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, दो दिशानिर्देश तय कर देता है। इसके अनुसार 2026 तक सीटों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी तथा इसके फलस्वरूप, इस अवधि के दौरान, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या से निपटने के लिए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का समान विभाजन होना चाहिए। इन दो दिशानिर्देशों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु सीटें आरक्षित करने के अलावा विभिन्न राज्यों में लागू किया जा रहा है। दिल्ली तथा पांडिचेरी में भी इसी को लागू किया जाए, यही इस संशोधन का उद्देश्य है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। दिल्ली तथा पांडिचेरी में निर्वाचन प्रक्रिया का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने हेतु हमें इस संशोधन को पारित करना है।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पहले दो वक्ताओं ने बताया है कि यह बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण पलायन है। पलायन अनिश्चितता पैदा करता है कि क्या वे अगले वर्ष वोट डाल सकेंगे। ऐसा इसलिए इस तथ्य के चलते होता है कि इस वर्ष वे यहां मतदाता होंगे अगले वर्ष वे कहीं और पलायन कर जायेंगे। मतदाताओं की यही पलायन प्रकृति एक समस्या पैदा कर रही है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरे, क्षेत्रफल पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि दिल्ली में कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां तीन लाख से ज्यादा जनसंख्या है तथा कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां एक लाख या एक लाख के लगभग जनसंख्या है। न्यूनतम अथवा जनसंख्या का वांछित स्तर लगभग दो लाख होना चाहिए। उनको समान स्तर पर लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर इन परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।

जैसाकि आप जानते हैं कि अन्य राज्यों में, परिसीमन समिति में राष्ट्रीय पार्टियों का भी प्रतिनिधित्व है। दिल्ली में, परिसीमन समिति ने केवल कांग्रेस तथा भा.ज.पा. का प्रतिनिधित्व है, तथा अन्य राष्ट्रीय पार्टियों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए, समिति में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल जैसे सीपीआई (एम), सीपीआई, एसपी तथा बीएसपी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। निश्चित ही, दोनों पार्टियां अपना काम तो करेगी, लेकिन फिर भी, कुछ आशंका है कि कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पाएगा। मेरा विचार है कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए तथा सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करे।

इन दो बातों, अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र का आकार तथा मतदाताओं की संख्या में समानता को ध्यान में रखना चाहिए तथा यह आपको देखना है कि इसे किस प्रकार सुविधाजनक रूप से लागू किया जा सकता है। दूसरे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी के इन दो राज्यों की परिसीमन प्रक्रिया में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सदस्य के रूप में पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुये माननीय गृह राज्य मंत्री श्री रघुपति द्वारा लाये गये संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इससे पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र देश के अन्य भागों के बराबर हो जायेगा। जब सभी राज्य परिसीमन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तब पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र अथवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अलग-थलग नहीं रह सकते हैं।

[प्रो. एम. रामदास]

इसीलिए, इस संशोधन से संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों के बीच समानता कायम की जा सकेगी और इसीलिए मैं इस विधेयक संबंधी संशोधन का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं यहां पर उपस्थित माननीय विधि और न्याय मंत्री के ध्यान में पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं।

परिसीमन आयोग ने पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के संबंध में अपना कार्य पूरा कर लिया है। हम यह समझते हैं कि इस आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय, माननीय राष्ट्रपति और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की विधान सभा को भी सूचित किया है परन्तु हमें यह नहीं मालूम कि इस परिसीमन को कब से प्रभावी माना जायेगा। जैसाकि माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने पूछा है कि क्या यह अगले विधान सभा चुनावों से प्रभावी होगा अथवा नहीं। पांडिचेरी के लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए।

दूसरा मुद्दा जिसे मैं यहां पर सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं यह है कि पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र अर्थव्यवस्था और समाज में अत्यधिक प्रगति कर रहा है। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र आज देश में सबसे ज्यादा शहरीकृत क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह देश में चौथा सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्र है। इस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या जो वर्ष 1961 में केवल 3.69 लाख थी बढ़कर 9.07 हो गई है। तथापि, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अभी भी स्थिर है। जनसंख्या में पिछले 30-40 वर्षों में तिगुनी वृद्धि हुई है। परन्तु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 पर ही स्थिर है। इससे लोगों की प्रतिनिधित्व संबंधी काफी समस्यायें पैदा हो गई है। निस्संदेह, यह माननीय मंत्री अथवा लोगों की पहुंच में नहीं है परन्तु पांडिचेरी के लोगों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ायी जाये।

इसलिए, यदि आप सीटों की संख्या 30 तक ही रखेंगे जैसाकि निर्णय लिया गया था जब जनसंख्या 3.69 लाख थी और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 9.07 लाख है तो कोई समानता नहीं होगी और न ही कोई न्याय होगा। इसीलिए, यदि यह संभव है तो पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवश्य ही बढ़ायी जाये।

पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की एक अन्य विशेष बात यह है कि यह भूगोल की दृष्टि से अलग-थलग है। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की राजधानी पांडिचेरी है। एक अन्य क्षेत्र कराईकल दूर है- शहर से 154 किलोमीटर दूर है। माहे जो केरल में स्थित है पांडिचेरी से 890 किलोमीटर दूर है। थानम, जो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है पांडिचेरी से 800 किलोमीटर दूर है। इसीलिए, सभी चार क्षेत्र काफी दूर है और उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत के परिसीमन आयोग द्वारा किये गये परिसीमन कार्य से इन क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। माननीय विधि और न्याय मंत्री जो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए।

अपराह्न 3.23 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

परिसीमन से पूर्व कराईकल में छः प्रतिनिधि थे। अब घटकर पांच रह गये हैं। माहे क्षेत्र जो केरल में है और जिसके दो प्रतिनिधि थे उसका अब केवल एक प्रतिनिधि होगा। यानम की सीटों की संख्या वही रहेगी। पांडिचेरी में 23 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इसीलिए, इससे लोगों के बीच बहुत ज्यादा क्षोभ उत्पन्न हो गया है। कराईकल में विधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर छः से पांच कर दी गई है फलस्वरूप उनसे जुड़े विकास कार्य भी घट गए हैं। इसीलिए, यदि यह विधि और न्याय मंत्रालय की पहुंच के भीतर है तो मैं पांडिचेरी के लोगों की ओर से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यथापूर्व स्थिति बनाये रखे। यदि सीटों की संख्या वही रहती है तो इसे क्षेत्र-वार सीटों की संख्या पर भी मान्य होनी चाहिए। यदि पांडिचेरी में कुल सीटें 30 ही रहती है तो कराईकल में भी सीटों की संख्या अवश्य ही रहनी चाहिए। माहे में भी सीटों की संख्या वही रखनी चाहिए। इससे लोगों को भी सामाजिक न्याय मिलेगा।

इसीलिए, मैं सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ायी जाये क्योंकि पांडिचेरी में जनसंख्या में जितनी वृद्धि हुई है उतनी संपूर्ण देश में कहीं भी नहीं हुई। यद्यपि राष्ट्रीय वृद्धि दर केवल प्रतिवर्ष 2.1% है पांडिचेरी की वृद्धि दर लगभग 2.5% है जो वृद्धि दर वर्ष 1951 में पूर्ण रूप से देश की थी। इसीलिए इसे किया जाना चाहिए।

परिसीमन कार्य नई पहलुओं से सही है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो पहले थी वैसी ही है और यह संख्या कुल जनसंख्या को अनुपात के अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के अनुरूप है।

इसीलिए, इसे लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसीलिए, परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों ने पांडिचेरी में अच्छा कार्य किया है। मैं यह कहूंगा कि यदि संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में कुछ और संशोधन किये जा सकते हैं तो इससे पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की राजनीतिक प्रक्रिया बेहतर होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री द्वारा लाये गये संशोधन का समर्थन करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि संशोधन केवल सीमित उद्देश्य से लाया गया है।

वर्ष 2026 तक होने वाली मतगणना के परिणामस्वरूप सीटों के और आबंटन पर सांविधिक प्रतिबंध को संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा और विस्तारण किया गया है। इसमें साथ ही चुनाव क्षेत्रों के पुनर्नियोजन और व्यावहारिकरण का प्रावधान है जिसमें वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है तथापि इस प्रक्रिया से राज्यों के विधायी निकायों को आवंटित कुल सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती। अतः, मौजूदा सीटों से छेड़छाड़ किये बिना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में यह संशोधन किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संसद में और अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्समायोजन और तार्किक राज्यों का प्रावधान है।

संविधान (87वां संशोधन) अधिनियम, 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्नियोजन और व्यावहारिकरण का प्रावधान है जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। तथापि, इस प्रक्रिया से राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विधायी निकायों को आवंटित कुल सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती है।

माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन से विशिष्ट प्रश्न के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि परिसीमन आयोग का गठन विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया है जो कि परिसीमन का कार्य कर रहा है। मुझे आशा है कि यह प्रक्रिया समय रहते पूरी हो जायेगी। केवल तभी मैं यह कह सकता हूं कि क्या इसे आने वाले चुनावों में लागू होगा अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* इस संबंध में कार्य चल रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने यह कहा कि परिसीमन आयोग समय पर अपना कार्य पूरा करेगा। यह हम सभी जानते हैं। अगले वर्ष में राज्य विधान सभाओं के चुनाव हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये चुनाव परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित होंगे।

श्री एस. रघुपति: वर्ष 2006 में राज्य विधान सभाओं के चुनाव हैं। यदि परिसीमन प्रक्रिया को समय पर पूरा कर दिया जाता है तब यह ...*(व्यवधान)* परिसीमन प्रक्रिया चल रही है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: देश में संसदीय और राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से निर्वाचन क्षेत्र संबंधी परिसीमन कार्य चल रहा है और यह कार्य पूरा होते ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

श्री एस. रघुपति: विधि विभाग परिसीमन के संबंध में कार्य कर रहा है ...*(व्यवधान)* हम एक तिथि निश्चित नहीं कर सकते हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या परिसीमन आयोग द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ होगा? अगले एक-दो वर्षों में जहां तक उन राज्यों का संबंध है, यदि परिसीमन कार्य समाप्त हो जाता है, तब क्या आप वचन देंगे कि आप परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करायेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री एस. रघुपति: मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? विधि और न्याय विभाग ने एक आयोग का गठन किया है और यह अपना कार्य कर रहा है। हम यह आशा करते हैं कि यह अपना कार्य समय पर पूरा करेगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संविधान का 87वां संशोधन में यह स्पष्ट है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में जनसंख्या के कारण परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि परिवार नियोजन को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या संघ शासित राज्यों में भी यह मान्य किया जायेगा?

श्री एस. रघुपति: जी हां, महोदय।

84वें तथा 87वें संविधान संशोधनों के अनुरूप संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन की आवश्यकता है।

मैं संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के विद्यमान प्रावधानों के संबंध में बात करता हूं। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि: उप-धारा (4) के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, जैसे भी स्थिति हो, के अनुसार विधान सभा में सीटों की कुल संख्या के लगभग उसी अनुपात में होगी जिसके संबंध में सीटें आरक्षित की गई है जो संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, माननीय कानून मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। हम बिहार से आते हैं। बिहार में विधान सभा का चुनाव हुआ। वहां कब तक डीलिमिटेशन करेंगे, चूंकि अभी तक वहां के सदस्यों ने शपथ भी नहीं ली है। उनको दूसरी किसी हैसियत से भी यहां बुलाया नहीं जाता है। उसमें जो पुराने संसद सदस्य हैं वे तो आ जाते हैं लेकिन विधान सभा के जो नए सदस्य हैं, वे नहीं आ पाते हैं। उनको शपथ नहीं दिलाने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इसलिए बिहार के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय कब तक होगा, क्या कोई वाया मीडिया निकालेंगे जिससे कि वे पार्टिसिपेट कर सकें? चुनाव आयोग का जो प्रपोजल बना हुआ था बिहार के बारे में, उसमें आपने गंगा के इस पार और उस पार को जोड़ दिया था, जो हिस्टॉरिक स्थान था। एक कमिश्नरी मुंगेर थी, जिससे सात जिले बने और मुंगेर को हटा दिया और बेगूसराय में मिला दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में कोई विचार करेंगे या नहीं? दिल्ली और पांडिचेरी तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य का भी डीलिमिटेशन हो जाना चाहिए ताकि चुनाव समय पर करने में सुविधा मिले।

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: यह बड़े राज्य अथवा छोटे राज्य का प्रश्न नहीं है। परिसीमन के उद्देश्य हेतु सीटों को नहीं बढ़ाया जायेगा। प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित वही सीटें वैद्य होंगी।

सभापति महोदय: विद्यमान जनसंख्या के आधार पर इसका तर्कसंगत और पुनर्नियोजन किया गया है। केवल यही बात है।

...(व्यवधान)

श्री एस. रघुपति: उसी तरह, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 43 ई में संशोधन करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा के प्रश्न का जवाब नहीं आया है। माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया था कि डीलिमिटेशन की जो समिति बनी थी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह अत्यन्त साधारण बात है। केवल कुछ आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है और इसे 1997 के संशोधन के अनुरूप बनाया गया है। इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह बहुत ही छोटा सा संशोधन है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, डीलिमिटेशन की जो समिति बनी थी, उसके सदस्य सांसद और विधायक होते हैं। सांसद तो उस समिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन चूंकि बिहार में सदस्यों ने अभी शपथ भी नहीं ली है, वे इस समिति में नहीं आ पाते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: मंत्री जी जवाब तो देंगे कि होगा या नहीं होगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: यह पूरे देश के बारे में नहीं है। यह केवल नई दिल्ली और पांडिचेरी के बारे में है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री एस. रघुपति: धारा 43ई में यह कहा गया है: धारा 38 से 43डी (दोनों शामिल) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक कि वर्ष 2000 के पश्चात् लिये गये प्रथम जनगणना हेतु संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होते हैं, प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के बंटवारे को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्नियोजन करना आवश्यक नहीं होगा और इस भाग में 'अद्यतन जनगणना आंकड़े' संबंधी किसी संदर्भ की 1971 जनगणना आंकड़े संदर्भ के रूप में व्याख्या की जायेगी। इस धारा संबंधी संशोधन निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा। आंकड़े "2000" के स्थान पर आंकड़े "2026" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और आंकड़े "1971" के स्थान पर आंकड़े "2001" प्रतिस्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, परिसीमन अधिनियम, 2002 को बनाने के साथ ही संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 38 के अंतर्गत परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 संबंधी किये गये संदर्भों को परिसीमन अधिनियम, 2002 संबंधी संदर्भों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

अब मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन पर बोलूंगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 3 की उप-धारा (3) के वर्तमान प्रावधान में यह उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए विधान सभा में सीटें आरक्षित की जाएगी और आरक्षित सीटों की संख्या, राजधानी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी और ऐसे आरक्षण पर अनुच्छेद 334 के प्रावधान लागू होंगे।

स्पष्टीकरण का संशोधित परन्तुक निम्नवत होगा:

"यह कि इस स्पष्टीकरण में पिछली जनगणना, जिसके आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, का संदर्भ तब तक 2001 की जनगणना का संदर्भ माना जाएगा जब तक वर्ष 2026 के पश्चात की गई प्रथम जनगणना संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।"

प्रस्तावित संशोधनों का प्रयोजन, इन अधिनियमों के प्रावधानों को परिसीमन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाना है।

सभापति महोदय: धन्यवाद। आपने एक साधारण से मामले की विस्तृत रूप से व्याख्या की है।

अब प्रश्न यह है:

"कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1991 में संशोधन करने पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री एस. रघुपति: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.37 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

निर्वाचन सुधार

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह-उपस्थित नहीं।

श्री डी.पी. यादव, आप चुनाव सुधार पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, आज मैं सदन में नियम 193 के तहत चुनाव सुधारों पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव ला रहा हूं। आपने मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन चर्चा करेगा। लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिए चुनाव सुधार जरूरी है। यह न केवल सामयिक और तात्कालिक विषय है, बल्कि मैं समझता हूं कि इस विषय की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गयी है क्योंकि चारों तरफ जनप्रतिनिधियों पर उंगली उठती है। यह कहा जा रहा है कि संसद और विधानमंडलों में, खास तौर से विधानसभाओं में ऐसे लोग चुन कर आते हैं, जो सही पात्र नहीं होते हैं। आज देश में यह सवाल खड़ा है। हमारे कानून मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्वाचन की जो विधि है या जो प्रक्रिया है, निर्वाचन के सुधार के लिए वह कोई एक प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए सतत निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। आज हम सुधार कर लेंगे। वे कल की परिस्थिति में व्यावहारिक रूप से कितने सही होंगे, कितने दुरुस्त होंगे, उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। परिस्थितियों के अनुसार समाज की बनावट को ध्यान में रख कर चुनाव सुधारों पर समय-समय पर विचार करना पड़ेगा लेकिन कई लोग लोक सभा के चुनाव के बाद और विधान सभा चुनाव के बाद कहते हैं कि राजनीति में अपराधियों का कब्जा हो रहा है। जिन लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए वे राजनीति में आ गए हैं। यह चर्चा आम बहस का मुद्दा बन गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जनता का राज है। प्रजातंत्र में राज जनता द्वारा संचालित होता है। संविधान की मंशा है कि जनता के लिए और जनता द्वारा राज संचालित होना चाहिए। इसीलिए हम सभी कहना चाहते हैं कि हमारे यहां जनता द्वारा संचालित राज है,

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

इसको साफ-सुथरा रखने के लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, मैं इसलिए इस बात को यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि यहां माननीय कानून मंत्री जी उपस्थित हैं, वे इस पर तवज्जह देंगे और जिस विषय पर सदन में इस समय चर्चा चल रही है उस पर माननीय सदस्यों को अपने चैम्बर में बुलाकर उनसे बात करेंगे। यह बहुत जरूरी है। यह बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता और आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है, लेकिन कुछ नहीं करने से तो समाज ही मर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज कुछ करने की जरूरत है। जो आजू-बाजू की चिन्ता नहीं करता, जो समाज की चिन्ता नहीं करता, वह देश भी मरे हुए के समान माना जाता है। मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं। मैं यहां बिहार राज्य की विधान सभा के चुनावों का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इलैक्शन कमीशन के क्या उत्तरदायित्व हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और इलैक्शन कमीशन आचार-संहिता का अनुपालन कर रहा है या नहीं या उनके अनुपालन की मंशा रखता है या नहीं और समय-समय पर कैसे फरमान जारी करता है, उस सब पर बाद मैं आऊंगा।

महोदय, बिहार राज्य विधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद, चुनाव का मत तीन फैक्शन में बंट गया। तीनों फैक्शन में मेल नहीं हुआ, सरकार नहीं बनी और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मैं मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूं, यदि केन्द्र में ऐसी स्थिति आ जाए, तो क्या यहां भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा? यहां तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता है। मैं चुनाव सुधारों पर ही बात कर रहा हूं और इसीलिए इस मौलिक सवाल को, एक प्रासंगिक सवाल को उठा रहा हूं कि यदि केन्द्र में तीन विचारधाराओं के लोग जीतें और तीनों अलग-अलग सोच के हों, एक-दूसरे को सरकार बनाने में कोआपरेट न करें, एक-दूसरे को सहयोग न करें, तो केन्द्र में क्या स्थिति होगी? माननीय कानून मंत्री हमारे सामने बैठे हैं। मैं उनके सामने कह रहा हूं कि यह प्रश्न, यक्ष के समान हमारे सामने खड़ा है। ऐसी स्थिति यदि केन्द्र में पैदा होती है, तो क्या केन्द्र को फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा, क्योंकि देश के एक प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हुई है और यदि वैसी ही परिस्थिति केन्द्र में पैदा हो, तो क्या होगा, क्या दुबारा चुनाव में जाना होगा, क्योंकि केन्द्र में तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो पाएगा।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की समीक्षा जरूरी है और संविधान में कुछ ऐसे मौलिक संशोधन की जरूरत है, जैसे जापान और दक्षिणी अफ्रीका थीम सिस्टम लागू है। उसी प्रकार की स्थिति यहां लाने हेतु भी संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। थीम सिस्टम का मतलब यह है कि वहां 50 प्रतिशत कैंडीडेट अपने नाम पर चुनाव लड़ते हैं और 50 प्रतिशत पॉलिटिकल पार्टी अपने सिम्बल पर चुनाव लड़ती हैं। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने सिम्बल पर चुनाव जीत जाती है, तो वह सरकार बनाने का काम बाद में करती है, आपस में विचार-विमर्श करके सैट करती है जिससे पार्टी में इंटरनल डैमोक्रेसी बनी रहे, लेकिन हमारे यहां पार्टियों में यह स्थिति नहीं बन पा रही है और यह खतरा इसीलिए पार्टियों के अंदर पैदा हो रहा है।

महोदय, यहां माननीय विधि मंत्री जी मौजूद हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां पहले के विधि मंत्री श्री अरुण जेटली जी दल बदल विरोधी विधेयक लाए थे। उस समय भी मैंने यहीं से खड़े होकर कहा था कि यह ठीक नहीं है। पार्टी के मौलिक विचारधारा पर यदि कोई हमारी पार्टी से अलग होता है, तो उसे होने दिया जाए। अरुण जेटली जी जो विधेयक लाए थे, उसके अनुसार यदि सदस्य, थोक में पार्टी छोड़कर जाएं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, यदि एक-दो व्यक्ति जाएं, या खुदरा में सदस्य पार्टी छोड़कर जाएं, तो उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी और पार्टी से उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है और अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि यदि एक-तिहाई सदस्य पार्टी छोड़कर जाएं, तो वह खुदरा में जाना माना जाएगा और यदि दो-तिहाई सदस्य पार्टी छोड़कर जाएं, तो वह थोक में पार्टी छोड़कर जाना माना जाएगा और उनके खिलाफ दल-बदल विधेयक के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब एन.डी.ए. की सरकार के समय, तत्कालीन कानून मंत्री, श्री अरुण जेटली, उस विधेयक को लाए, उस समय भी मैंने कहा था कि इससे पार्टी में इंटरनल डैमोक्रेसी नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति पार्टी को, सत्ता के लिए, मंत्री पद पाने के लिए और प्रलोभन के लिए छोड़कर जाए, तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कोई पार्टी की मौलिक विचारधारा से सहमत नहीं हो और उस आधार पर पार्टी छोड़कर जाए, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा लोक के कारण पार्टी छोड़ने और मौलिक विचारधारा में मेल नहीं खाने पर पार्टी छोड़ने की जांच की जा सकती है।

महोदय, हम धर्मनिर्पेक्ष हैं, हमारी कमिटमेंट है, लेकिन यदि कोई पार्टी अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को छोड़कर फिरकापरस्ती पर आ जाए और ऐसी फिरकापरस्ती पर आ जाए और ऐसी फिरकापरस्त ताकत के रूप में काम करने लगे, देश को तोड़ने वाली शक्तियों में से एक हो जाए, समाज को लड़ाने के काम में लग जाए और ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अकेला पार्टी से अलग होना चाहे, तो उसे इजाजत होनी चाहिए। किसी को वैचारिक स्तर पर

पार्टी से अलग होने से नहीं रोकना चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जापान और दक्षिण अफ्रीका की तरह यहां भी थीम सिस्टम होना चाहिए। थीम सिस्टम का मतलब यह है कि यदि पार्टी का कोई सरगना, पालिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमानी करना शुरू करेगा, तो उसका इलाज होगा, उसकी पार्टी के अंदर पूरी छूट है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज संविधान में बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव सुधार पर विचार करना है तो भारतीय संविधान पर भी हमें विचार करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुबंधों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निदेश-अनुदेश की विधि एवं कानून है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को निर्वाचन सुधारों से संबंधित 22 प्रस्ताव का एक सेट भेजा है। निर्वाचन आयोग ने 22 प्रस्तावों का एक सेट भारत सरकार को दिया है कि यह-यह होगा। उसमें जनता को प्रैस टिप्पणी के द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा जिसका ब्यौरा साधारण जनता को भी सूचना के लिए उपलब्ध कराने की बात है। मैं समझता हूं कि कौन-कौन से 22 सुधार करने का इलैक्शन कमीशन का प्रस्ताव है। आज जब मंत्री जी अपनी बात कहेंगे तो इसे भी स्पष्ट करें। माननीय सदस्यों को भी यह बात मालूम है, जो निर्वाचन आयोग ने 22 सुझाव चुनाव सुधार के दिए हैं, इसलिए इस बात का भी जिक्र होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर बात शुरू में ही उठाना चाहता हूं, उसके बाद इलैक्शन कमीशन पर बोलूंगा। हम लोग जो चुन कर आ रहे हैं, कितने प्रतिशत लोगों के हम रिप्रजेंटेटिव हैं- 25-30-35 या ज्यादा से ज्यादा 45 प्रतिशत, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस व्यवस्था से सबसे हायस्ट लोग वी.आई.पी. उदासीन हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। यह जो संसदीय लोकतंत्र है, इससे लोग उदासीन हो रहे हैं और इसके बाद कई तरह से आयरन फिल्टर गेट इलैक्शन कमीशन पर लगाया जाता है। अभी मैं इस पर आगे बताऊंगा। इधर से अलग डंडा चल रहा है कि ज्यादा वोटिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे ही लोग उदासीन हो रहे हैं, वीआईपीज लोगों के परिवार वाले वोट देना पसंद नहीं करते हैं, यह देश की हालत है। वीआईपीज का मतलब, बहुत इम्पोरटेंट परसन, उसके परिवार के लोग, उनके घर की महिला सदस्य तथा अन्य लोग वोट देना अच्छा नहीं समझते, सेंट-परसैंट वोट करने नहीं जाते हैं। लोकतंत्र कैसे बचेगा? यह लोकतंत्र के लिए एक अशुभ स्थिति है, यह खतरनाक संकेत है कि वीआईपीज मोस्ट वीआईपी परसन वोट नहीं देते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा परसेंटिज निकाल दिया जाए। कहीं अरबन इलाके का वोटिंग का पैटर्न देख लिया जाए। शहरों में लोगों को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं, कोई असुविधा नहीं है-पानी, बिजली, सड़क, लाइट, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नल के पानी आदि की सब व्यवस्था है। जिनके पास यातायात और रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध है, वे वोट में सबसे कम भाग लेते हैं, उनका मतदान में सबसे कम प्रतिशत है, जो सबसे ज्यादा वीआईपीज हैं। इस देश का, संसदीय लोकतंत्र का क्या होगा?

सभापति महोदय, आज हम चुनाव सुधार पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, आटोनोमस इंस्टीट्यूशन इलैक्शन कमीशन है, एक्स्ट्रा आर्डीनरी कांस्टीट्यूशन आथोरिटी है, हमें इस पर विचार करना होगा। मेरा माननीय लॉ मिनिस्टर से निवेदन है कि कम्पलसरी वोटिंग सिस्टम को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। अगर कम्पलसरी वोटिंग सिस्टम होगा तो हमें ज्यादा वोट मिलेंगे। 40-60 परसैंट, सब लोगों को मिला कर वोटिंग होगी, 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत होगा, शेष वोटर नहीं होगा, 60-65 प्रतिशत लोग उदासीन रहेंगे। परसेंटेज ऑफ वोट पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, असेम्बली में 30-40 या 45 प्रतिशत में से मेक्सिमम चुन कर आते हैं, पहले 55-60 प्रतिशत तक आते थे, लेकिन अब 30-35 प्रतिशत पर ही हम लोग जीत कर आते हैं। हमें लोगों का पूरा रिप्रजेंटेशन कहां है। हम यहां सवाल उठा रहे हैं, मेरा एक नया नजरिया है। आज मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं जो महसूस करता हूं, सब कुछ किताब में नहीं है। मैं प्रैक्टीकल सजेशंस रखना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग कितने लोगों के रिप्रजेंटेटिव्स हैं। हम 540-545 पार्लियामेंट के अंदर या विधान सभा में, जहां जिसकी संख्या जितनी है, उसमें हम 30-35 प्रतिशत को रिप्रजेंट कर रहे हैं और 65 प्रतिशत लोगों के हम प्रतिनिधि नहीं हैं, जो उदासीन हैं और वोट नहीं दे पा रहे हैं। हम वीआईपीज के रिप्रजेंटेटिव नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मत जाहिर ही नहीं किया। उन्होंने अपना वोट न किसी के अगेंस्ट में दिया और न ही किसी के पक्ष में दिया। वोट दिया ही नहीं है तो हम जो भी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए तो हम रिप्रजेण्टेटिव हैं ही नहीं। ...*(व्यवधान)* ठीक है, चौधरी लाल सिंह जी, आपको भी समय मिलेगा। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर जब आप बोलेंगे तो अपनी बात कहेंगे। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि यह जो उदासीनता है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह प्रश्नचिह्न लगा हुआ है, इसीलिए हमने आपसे इस बात का निवेदन किया है कि आज संसदीय लोकतंत्र में हम लोग जो विधान सभा और लोक सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह पूरी जमात, पूरी अवाम, पूरी आबादी, पूरे वयस्क मताधिकार के लोग हमको चुनकर पूरे के पूरे कम्पलसरी वोट देकर हमें नहीं भेजते हैं, यह भी एक कारण है कि हम पर जो अंकुश होना चाहिए, उनकी जो उदासीनता हो रही है, पूरी तरह से जब तक इसमें उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

तक वे पूरी तरह अपने प्रतिनिधि को समझेंगे कि मेरे वोट से आया है या मेरे विरोध से अमुक आदमी को मैंने वोट दिया, यह भावना होनी चाहिए। राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए यह जो स्पिरिट होनी चाहिए, इस स्पिरिट में कमी हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह एक खतरनाक कोशिश हो रही है। इण्टरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर खतरे में पड़ जायेगी तो जो बाहर लोकतंत्र है, वह भी महफूज नहीं रह पाएगा, यह मेरा निवेदन है।

मैंने इस सिलसिले में कहा था, जब उस तरह का कानून बना था, क्योंकि इण्टरनल डेमोक्रेसी को पोलिटिकल पार्टी के अन्दर भी महफूज रखना जरूरी है, क्योंकि यदि इण्टरनल डेमोक्रेसी खतरे में होगी तो देश डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही की तरफ जायेगा। यह तो शुरुआत है, आगे जाकर देश को तानाशाही की ओर जाने के लिए देश को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जब पोलिटिकल पार्टी के अन्दर के आन्तरिक जनतंत्र नहीं रहेगा तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की वकालत करने का भी कोई नैतिक हक हमको नहीं होगा, मैं यह बात खुलकर कहना चाहता हूं। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र आपके सामने किया था। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनिवार्य वोटिंग होनी चाहिए। संविधान में संशोधन करके वोटिंग को कम्पलसरी कर दिया जाये। अगर कम्पलसरी वोटिंग होगी तो सब को महसूस होगा कि इस लोकतंत्र में सब की हिस्सेदारी है, सब की भागीदारी है, मैं संविधान संशोधन की मांग करता हूं। ...*(व्यवधान)* अभी समाजवादी पार्टी के नेता श्री रामगोपाल जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि अभी जब वोटर जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो हमने किसी मैम्बर पर, किसी प्रतिनिधि पर, किसी एम.एल.ए., एम.पी. या जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उस पर कोई उपकार कर दिया। यह जो भावना है, इसे बदलना होगा। यह जो मानसिकता है, इसे बदलने की जरूरत है, इसीलिए कानून बनाकर कम्पलसरी वोटिंग व्यवस्था को लागू किया जाये, वोटिंग को अनिवार्य कर दिया जाये।

अब मैं आता हूं, आज जिनकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव सुधार का प्रस्ताव देने की है। उन्होंने कहा कि 22 सुधारों का सैट निर्वाचन आयोग, भारत सरकार ने दिया है और जो कहते हैं: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता। ये सर्कुलर निकालते हैं और जारी करते हैं। इलैक्शन कमीशन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता है या नहीं, यह सवाल है। मैं यह सवाल रखता हूं कि जो खुद देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सर्कुलर पोलिटिकल पार्टीज के लिए और केंडीडेट्स के लिए इलैक्शन को कंडक्ट करने के लिए जारी करते हैं, वह खुद लागू नहीं करता है। मैं इस पर सवाल उठाना चाहता हूं। इलैक्शन कमीशन एक्स्ट्रा आर्डिनरीली ऑटोनोमस बॉडी है। उनके कई तरह के उद्देश्य पर हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टीकली क्या हो रहा है, व्यावहारिक तरीके से क्या है, इसमें पोलिंग के दिन लिखा है:

[अनुवाद]

सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए जिससे कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से मतदान सुनिश्चित किया जा सके तथा मतदाता के अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी बाधा या परेशानी के पूर्ण स्वतंत्रता से कर सकें।

[हिन्दी]

मानो किसी ऑब्सट्रक्शन के बिना उनको बिल्कुल फ्रीली वोट देने में, जो आफिसर्स वोट देने में लगे हुए हैं, उनको कोआपरेट कीजिए। यह केंडीडेट्स से कहा जा रहा है, पोलिटिकल पार्टीज से कहा जा रहा है, जबकि बी.एस.एफ. का जवान पोलिंग के भीतर जो इस बार बिहार में हुआ, उसका मैं इस्टांस देना चाहता हूं, मैंने खुद अपनी आंख से देखा, जहां इलैक्ट्रानिक मशीन रहेगी, जहां हमको बटन दबाना है।

ईवीएम के सामने खड़े हुए गांवों के निरक्षर मतदाता दो बार उसकी तरफ देखते हैं, एक बार बटन की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी बात माने या नहीं माने या जो सोच कर आए हैं उनको मत डालें। क्या यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? वोटिंग मशीन के पास जाना गोपनीय मामला है। हम निष्पक्ष अधिकारी को कोआपरेट करेंगे। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में बिहार, झारखंड और हरियाणा में चुनाव कराए गए। विशेषकर बिहार में लिए गए निर्णयों और कदमों के आलोक में जो उसका रुख रहा है उसके कारण समाज के कमजोर वर्गों के मतदाताओं को मतदान करने से वंचित रहना पड़ा। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि अधिकांश मतदाताओं का पहचान पत्र ही नहीं बना था।

सभापति महोदय, इसके बाद इसमें पोलिंग बूथ के विषय के बारे में कहा गया है। मतदाता के सिवाय, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैद्य पास के बिना कोई भी मतदान बूथ में नहीं जाएगा। पोलिंग बूथ पर वैलिड पास होना चाहिए। बात भी सही है और इसके बारे में सर्कुलर भी है। हम इसे मानते भी हैं। सभापति महोदय, मतदान के लिए पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। यह जिम्मेदारी किसी ओर की नहीं है। चुनाव पहचान पत्र नहीं बना है और आपने चुनाव की घोषणा कर दी।

क्या आपने एक लेकूना नहीं लगाया? जिसके पास पहचान पत्र है उसकी कोई बात नहीं है जिसके पास पहचान पत्र नहीं है उसके लिए चौदह विकल्प हैं। जो लोग उन प्रमाणों को दिखाएंगे उन्हें वोट देने का हक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी है। फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। जिसके पास फोटो पहचान पत्र नहीं है उसकी बात छोड़िए। जिसके पास पहचान पत्र था उसको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या वह कनाडा, अमरीका का नागरिक था? आप यह सुनिश्चित कर लें कि वह कनाडा, अमरीका या अफ्रीका का नागरिक नहीं है, वह भारत का नागरिक है। यदि आपके पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो इसके अलावा 14 वैकल्पिक साधन हैं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, व्यक्तिगत पहचान पत्र, इंकम टैक्स का पैन नम्बर, सातवां है जमीन की रजिस्ट्री के कागज, आठवां है कर्मचारी प्रमाण पत्र, नौवां है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दसवां है बैंक की पास बुक, ग्यारहवां आवासीय प्रमाण पत्र, बारहवां है थाने या प्रखंड कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तैरहवां है आर्म्स लाइसेंस, चौदहवां है एलआईसी का कागज। जिनके पास पहचान पत्र नहीं था उनको मत देने से रोका गया। इन 14 वैकल्पिक आइटम्स को भी नहीं माना गया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि किस-किस बूथ पर नहीं देने दिया गया। चूंकि मैं इसको मूव कर रहा हूं इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये वैकल्पिक साधनों के बावजूद लोगों को मत नहीं देने दिया गया। पहचान पत्र बनाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें नागरिकों का क्या दोष है? इन 14 डायरेक्शन को चैक कौन करता है? मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि इसको पैरामिलिट्री फोर्स के लोग चैक करते हैं। वे कहते हैं इसमें फोटो नहीं है या राशन कार्ड नहीं चलेगा, आप फोटो पहचान पत्र लेकर आइए इत्यादि। चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता को फोटो पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बिहार में मतदाता सूची की प्रविष्टि में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र नहीं जारी किया गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिहार विधान सभा के गत चुनावों में जिनके नाम मतदाता सूची में थे, उनको भी मताधिकार से वंचित किया गया क्योंकि उनके पास फोटो पहचान पत्र नहीं था। फोटो पहचान पत्र के स्थान पर जो अनुप्रमाणिक कागजात हैं, उनको भी नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूं कि मत देने से रोकने का अधिकार चुनाव आयोग को कहां से प्राप्त हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

उसके पैरा-मिलिट्री फोर्स ने लोगों को मत देने से रोका, उसने अन्य विकल्प को नहीं माना, क्या यह संविधान का अतिक्रमण नहीं है? क्या संविधान को माना गया-नहीं माना गया। बिहार के कई मतदाताओं को उनके जनतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतदाता सूची में उनका नाम अंकित होने के बाद भी उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया। वोटर लिस्ट में उनकी क्रम संख्या, भाग संख्या लिखी हुई है, फिर भी उनको पोलिंग बूथ से लौटा दिया गया। यदि इलैक्शन कमीशन इस बात का प्रमाण चाहे तो हम दर्जनों प्रमाण दे सकते हैं। एक लम्बी लिस्ट है कि किस-किस जगह से उनको वापिस लौटाया गया। *...(व्यवधान)*

झा जी ने ठीक याद दिलाया कि जो व्यक्ति जिन्दा है, वोट देने के लिए वैलिड है, जिसकी उम्र पचास साल है, उसके पास प्रमाण पत्र भी है, फिर भी रैड कार्ड लगा हुआ है। यदि प्रमाण पत्र होने के बाद भी लाल चिन्ह लगा हुआ हो तो वह व्यक्ति वोटिंग राइट से वंचित होगा। कुछ लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम ही नहीं था। जो वैलिड थे, जिनका दूसरी वोटर्स लिस्ट में नाम था परन्तु जो वोटर्स लिस्ट पोलिंग बूथ में थी, उसमें उनका नाम नहीं था। क्या पहचान पत्र बनाने का रास्ता सही नहीं हो सकता-हो सकता है। मेरा सुझाव है कि जब रजिस्ट्री ऑफिस में लोग रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, उस समय डिजिटल कैमरे से पहचान पत्र बन जाता है, जमीन लेने वाला व्यक्ति और जमीन बेचने वाला व्यक्ति, दोनों की डिजिटल कैमरे से तुरंत फोटो लेकर रजिस्ट्री हो जाती है, क्या इलैक्शन कमीशन सभी बूथों पर, जिन लोगों का पहचान पत्र नहीं बना हुआ है, डिजिटल कैमरे से फोटो लेकर पहचान पत्र नहीं बना सकती ताकि वे अपने वोटिंग राइट का प्रयोग कर सकें? इलैक्शन कमीशन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्या कमी है? मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। हर हाल में मतदाताओं को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनको वोट डलवाने की गारंटी करनी चाहिए।

मैं दूसरा बिन्दु उठाना चाहता हूं। मतदान के लिए एक सर्कुलर निकलता है कि यदि बिहार में प्रथम फेज में 70 प्रतिशत मतदान से अधिक होगा तो पुनर्मतदान हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फेज में 70 प्रतिशत वोटिंग होनी चाहिए, नॉट मोर दैन 70 परसैंट-ऐसा सर्कुलर निकलता है। इलैक्शन कमीशन द्वारा दूसरा सर्कुलर तुरंत निकलता है, नॉट मोर दैन 68 परसैंट और फिर तीसरा सर्कुलर निकलता है नॉट मोर दैन 65 परसैंट। बिहार में तीन फेज में मतदान हुआ। ऐसा झारखंड में नहीं था, हरियाणा में नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इलैक्शन कमीशन प्रथम फेज में 70 प्रतिशत मतदान के लिए कह रहा है, दूसरे फेज में 68 प्रतिशत के लिए कह रहा है और तीसरे फेज में 65 प्रतिशत के लिए कह रहा है। उससे ज्यादा मतदान होगा तो फिर पुनर्मतदान होगा। *...(व्यवधान)** यह चुनाव सलाहकार का फैसला है। उन्होंने कहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

कि हम कानून से ऊपर भी जा सकते हैं। अखबार में एक स्टेटमैंट है कि मैं बिहार में कानून से ऊपर जा सकता हूं। इसके बाद चौथा सर्कुलर निकला कि 30 प्रतिशत से कम वोटिंग होने पर जांच होगी। अद्भुत विरोधाभास इन सर्कुलर्स में है कि यदि 30 प्रतिशत से कम वोटिंग होगी तो उसकी जांच होगी। प्रथम फेज में तो 30 प्रतिशत से कम ही वोटिंग होगी।

सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का भी वॉयलेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में साफ-साफ कहा था कि यदि ईवीएम मशीन से सौ प्रतिशत वोटर भी जैनुविन वोट डालते हैं तो उसकी काउंटिंग होगी।

उस स्पिरिट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के विपरीत इस तरह का सर्कुलर इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निकला है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार 100 परसेंट मतदान हो सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने सभी बिन्दुओं पर अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने दीजिए क्योंकि मैं इस विषय पर बोलने वाला पहला वक्ता हूं। मेरा तीसरा बिन्दु है कि एक बूथ पर कितने वोट डाले जाने चाहिए। रेवेन्यू विलेज में एक बूथ पर 1500 मतदाता वोट डालेंगे, यानी डेढ़ हजार मतदाताओं के लिए एक बूथ बनाने का निर्देश गया, जबकि पहले 500 या 700 मतदाता एक बूथ पर वोट डालते थे। इससे गरीब, कमजोर वर्ग के लोग मतदान देने से वंचित हो जाते है। रेवन्यू विलेज में बूथ काटकर रख दिया गया ताकि गरीब, कमजोर, असहाय, अनुसूचित जनजाति या किसी तरह से सामाजिक रूप से कमजोर लोग वोट न डाल सकें। इस तरह आप देखिए कि लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। अब वोट देने के लिए इतनी प्रक्रियात्मक फार्मेलिटीज बढ़ा दी गयी। हमारी आपसे मांग है कि एक बूथ पर 600 से 700 लोगों को वोट डालना चाहिए। इसके साथ-साथ मोबाइल बूथ भी होना चाहिए जिससे कमजोर वर्ग के लोग उसमें वोट डाल सकें। जो रेवन्यू विलेज में हैं, जहां सहूलयित हो, वहां एक, दो, तीन या पांच किलोमीटर की दूरी तक भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा गया जिससे एक गांव का वोटर दूसरे गांव में चला गया। इस तरह 1500 वोटर्स को एक बूथ में रखा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 500 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की जाये क्योंकि समयाभाव के कारण मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाता है। जो रेवेन्यू विलेज में काटकर आप ले गये, उसे सुविधा देनी चाहिए।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि मत डालने की प्रक्रिया में दो-तीन मिनट लगते हैं। ईवीएम में बटन दबाने की प्रक्रिया में वोटर को दो-तीन मिनट लग जाते हैं। अब आप सोचिये कि 1500 मतदाता को एक बूथ पर मत डालने में कितना समय लगेगा? अब मतदान करने का समय नौ घंटे है। सुबह आठ बजे से लेकर शाम के पांच बजे तक मतदान किया जाता है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। यदि एक मतदाता को वोट डालने में दो मिनट लगते हैं तो 30 वोट एक घंटे में पड़ेंगे यानी नौ घंटे में केवल 270 वोट ही पड़ सकेंगे। आप देखिए कि किस तरह से वोटिंग को घटाया जा रहा है, जबकि अभी हम अनिवार्य वोटिंग की चर्चा कर रहे थे। इन 270 वोटों का मतलब 18 परसेंट वोटिंग है। 1500 वोटर्स में से केवल 18 परसेंट को ही वोट डालने की सुविधा प्राप्त है। जब वोट डालने का समय खत्म हो जाता है तब कुछ लोग वोट डालने से रह जाते हैं, इसी कारण 30 से 35 परसेंट पोलिंग रह जाता है। पांच बजे के बाद जो वोटर्स बूथ की लाइन में लगे होते हैं, वे वोट डाल देते हैं तो उसी से 25 से 35 परसेंट वोटिंग हो जाती है, वर्ना 35 परसेंट भी नहीं होती। यह तकनीक फॉल्ट है। ऐसा देखा गया है कि गत चुनाव में समयाभाव के कारण सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाये। सभी मतदाताओं को बिना मत डाले मतदान से वापिस लौटना पड़ता है। अपने जनतांत्रिक मताधिकार के हनन के विरुद्ध उनके मन में भयंकर आक्रोश है, इसलिए मैंने यह सवाल यहां उठाया है। हम देख रहे हैं कि लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से साफ-साफ निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी भारत के नागरिक हैं। उन्हें उनके मौलिक अधिकार से वंचित न किया जाए। जो बूढ़े और सीनियर सिटीजन हैं, विकलांग हैं, चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए चलता-फिरता मतदान अनिवार्य किया जाना चाहिए। उसमें भी इतनी प्रक्रिया होती है कि वे लोग जब जिले में आते हैं, वहां कुछ नहीं कह पाते हैं और मतदान से वंचित रह जाते हैं। 3-3 कि.मी. यात्रा करके उन्हें मतदान के लिए जाना पड़ता है। उससे भी उनकी परेशानी बढ़ जाती है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो हमारी इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन है, उस मशीन की हालत यह है कि इसमें दबाते रहिए कुछ, और निकलता कुछ और है। जिस बटन को दबाते हैं और जिस चुनाव सिम्बल पर वोट डालना चाहते हैं, उसकी जगह दूसरा चुनाव सिम्बल निकल जाता है। इसके कई जगह प्रमाण है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता

हूं। वे प्रमाण भी रीजनल इलेक्शन कमीशन को भी दिये गये थे। इस तरह की वोटिंग मशीनें कुछ मतदान केन्द्र में हैं-जहां दबाया कुछ और गया और निकला कुछ दूसरा। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव आयोग में इसी तरह की एक शिकायत बनियापुर विधान सभा क्षेत्र में दी गई थी। 36 मतदान केन्द्रों में ऐसी शिकायत आई है, उदाहरण के लिए, मतदान केन्द्र संख्या 155, प्राथमिक विद्यालय हरगूज, प्राथमिक विद्यालय छपरा, पंचायत भवन, सतनूर से ऐसी शिकायत आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अशिक्षित निरीक्षणकर्ताओं को ईवीएम के बारे में जो प्रशिक्षण देना चाहिए कि मशीन में कैसे बटन दबाया जाएगा और कैसे वोटिंग की जाए, उसके लिए उन्होंने यह व्यवस्था की है कि वे ब्लॉक में एक ईवीएम रख देते हैं और कहते हैं कि सब पंचायतों को हमने प्रशिक्षण दे दिया है। दूसरे शब्दों में, कागजी खानापूर्ति करके सबका प्रशिक्षण खत्म कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि हमने ईवीएम का प्रशिक्षण सबको दे दिया। इस तरह से प्रशिक्षण में भी कमी है।

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि खासकर चुनाव के समय चुनाव आयोग खाली बयानबाजी करता है। मैं आज साफ शब्दों में सदन में रिकार्ड करना चाहता हूं। बयानबाजी क्या करते हैं कि चुनाव आयोग का समय-समय पर अखबार में बयान आता है। क्या बयान आता है कि 'आरजेडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश' नवभारत टाइम्स, 23 दिसम्बर, 2004। 'चुनाव आयोग ने 30 तक सभी पोस्टर बैनर हटाने को कहा' नवभारत टाइम्स, 27 दिसम्बर, 2004। 'कमजोर वर्ग को वोट न डालने दिया गया तो कार्रवाई होगी' ऐसा चुनाव आयोग का कहना है, राष्ट्रीय सहारा, 23 जनवरी, 2005 में छपा है। 'आयोग ने ईपीएफ पर केन्द्र से मांगी सफाई' हिन्दुस्तान, 4 फरवरी, 2005। 'चुनाव आयोग ने केन्द्रीय सचिव से स्पष्टीकरण मांगे' पंजाब केसरी, 6 फरवरी, 2005। 'चुनाव आयोग का राजग को अल्टीमेटम' हिन्दुस्तान, 13 फरवरी, 2005। 'बिहार में भयमुक्त चुनाव की चुनौती। आयोग मुकाबले को तैयार' हिन्दुस्तान, 10 दिसम्बर, 2004। 'चुनवा आयोग बिहार में अर्धसैनिक बलों की प्रभावी तैनाती करेगा और 658 बूथ का प्रथम चरण में दुबारा मतदान करोगा'। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जब अर्धसैनिक पर्याप्त नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि तैनात किये जायेंगे। प्रभावी तैनाती आपने क्यों नहीं की? आपको किसने इसमें असहयोग किया? आपको कोई भी असहयोग नहीं कर सकता है। 'राजनीतिक दल चुनाव आयोग के धैर्य की परीक्षा न लें'। क्या इस तरह से चुनाव आयोग द्वारा यह बयानबाजी करना ठीक है? क्या निर्वाचन आयोग संविधान से ऊपर कोई प्राधिकरण है? वह यह बयान करें। क्या यह पोलिटिक्स ठीक है? जो कहता है कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग के धैर्य की परीक्षा न लें। जो कार्यवाही करनी है, आप करिए। अखबार में खाली बयान दे रहे हैं। आपको कार्यवाही करने से कौन रोकता है? कई संस्थाओं ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। यह मैं बताना चाहता हूं कि यह बिहार के बारे में जो मैंने अभी-अभी पढ़ा था कि 'बिहार में भयमुक्त चुनाव की चुनौती। और चुनाव आयोग मुकाबले को तैयार'। बिहार विधान सभा की चुनाव की तिथि घोषित करने के पहले ही चुनाव आयोग ने माना कि प्रदेश में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना उसके लिए चुनौती है। आपको मैं बताऊं कि कितनी कितनी जगह में दुबारा वोटिंग कराई गई। अगर आपके चुनौती थी तो आप कोई और व्यवस्था करते और डिटेल बनाकर चुनाव कराते कि इसमें कितना पैसा खर्च होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेलीकोप्टर में जितना के.जे. राव का खर्च है, मैं नाम लेना चाहता हूं, आज लॉ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं, सलाहकार, इलेक्शन कमीशन का जिनता हेलीकोप्टर दौरे का खर्च है, उसे भी देख लिया जाए। चुनाव आयोग के सलाहकार के हेलीकॉप्टर दौरों पर जितना खर्च आया और चुनाव के एक फेज में जो खर्च आया, आप दोनों की तुलना करके देख लीजिए।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): चुनाव आयोग के लीगल एडवाइजर का क्या अधिकार है, हम यह जानना चाहते हैं। वह एक रिटायर्ड आदमी हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आपको और कितना समय चाहिए? यदि आपके सभी सुझाव मान लिए जाएं, तो क्या आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव होगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं तो बस अपनी बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय: क्या यह संभव होगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जी हां। महोदय मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव होगा?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: वही तो संदेह के घेरे में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: संवैधानिक रूप से फ्री एण्ड फेयर चुनाव कराना, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, न कि पक्षपात करना। स्वतंत्र चुनाव कराने के नाम पर पक्षपात किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए भी एक माडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाई जाए। ...*(व्यवधान)** उनके लिए भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होनी चाहिए। इस विषय पर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। संविधान हम सभी से ऊपर है। भले ही चुनाव आयोग अपने आप को कितना भी ऑटोनोमस मानते हों, इसी तरह चाहे संसद हो या न्यायपालिका, संविधान सभी से ऊपर है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान के विपरीत काम करने की किसी को अनुमति नहीं है। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाए। यह उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि नागरिकों को मतदान करने के उनके मौलिक अधिकार को प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आज देश में नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में ये बातें कही हैं। चुनाव आयोग सिर्फ बयानबाजी करता है। मैं समाचार पत्रों में छपा उनका एक बयान पढ़ता हूं–'मतदान केन्द्रों के अन्दर हो सकेगी विडियोग्राफी।' केवल बयान हो रही है। बयान दिया जा रहा है कि 'आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं' और वास्तव में क्या हो रहा है? अखबार में दिया गया है 'के.जे. राव ने चुनाव की तैयारी की समीक्षा की,' इसके साथ उनकी बड़ी सी फोटो भी छपी है। ठीक है, फोटो छपनी चाहिए। ये सलाहकार रिटायर्ड आदमी हैं और जितने भी रिटायर्ड आदमी होते हैं, वे ज्यादा विद्वान हो जाते हैं, वे ज्यादा विद्वान हो जाते हैं। एनडीए के कार्यकाल में सभी रिटायर्ड आदमी विद्वान हो गए थे।

श्री रघुनाथ झा: हमारे यहां बहुत से बूथों पर चुनाव रद्द किए गए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। मैंने अभी तक यह बताया है कि किस प्रकार से नागरिकों को, मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित किया जा रहा है। मतदाताओं पर क्या गुजर रही है, बूथ पर जाने में, वोट देने में किस तरह से भय का वातावरण बनाया गया है, मैंने इसके बारे में निवेदन किया है। अब मैं माननीय जनप्रतिनिधियों पर क्या गुजरी है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। उनसे कैसे व्यवहार किया गया, यह भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं जनप्रतिनिधियों की कहानी को ज्यादा विस्तार से न बताकर, संक्षेप में बताना चाहूंगा। मैं एक माननीय सदस्य का उदाहरण दूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि अन्य माननीय सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। यह जनप्रतिनिधि हैं श्री रघुनाथ झा जी जो कि हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। माननीय सदस्य के साथ जो घटना घटी वह बहुत ही दर्दनाक है।

महोदय, माननीय सदस्य 11 फरवरी, 2005 से 13 फरवरी, 2005 तक पी.एम.सी.एच. अस्पताल में भर्ती थे और 13 फरवरी, 2005 से 19 फरवरी, 2005 तक डा. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली में भर्ती रहे, माननीय सदस्य 20 फरवरी, 2005 को पटना पहुंचे और 21 फरवरी, 2005 को अखबार में यह फरमान छपता है कि उनको मोतिहारी जिले से बाहर कर दिया गया है। वह मोतिहारी गये भी नहीं, वह तो शिवहर जिला गए थे, लेकिन उनको मोतिहारी से जिला बदर कर दिया गया। इसी तरह से अन्य कई माननीय सदस्यों के साथ भी घटनाएं हुईं। जनता दल (यू) के उपनेता श्री प्रभुनाथ सिंह जी अभी सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं पार्टी भावना से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। उन्हें भी निष्कासित कर दिया और कहा गया कि आप सीवान जिले में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी तरह से साधु यादव जी के साथ, शहाबुद्दीन जी के साथ, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अखिलेश सिंह के साथ बर्ताव किया गया और उन्हें भी जिला बदर किया गया। क्या चुनाव आयोग इससे अपना हाथ छिपाना चाहता था? वहां जनप्रतिनिधि वोट नहीं दे सके। जनप्रतिनिधि अपने आदमी को वोट नहीं दिला सके और खुद भी मतदान केन्द्र पर जाकर वोट नहीं दे सके, क्योंकि उनके जाने से वहां कोलाहल मच जाता। बिहार में मंत्री रहे उमा शंकर सिंह के साथ भी यही घटना घटी। ऐसे दर्जनों सांसद और विधायकों के नाम हैं, जिन्हें जिला बदर किया गया। राज्य सभा के सांसद मोतीउर्रहमान को भी जिला बदर किया गया। इसी तरह से हमारे मोतिहारी के सांसद सीता राम सिंह जो को भी जिला बदर किया गया। यह जिला बदर करने का नया सिस्टम इन चुनावों में चलाया गया।

वहां चुनाव के समय स्थानीय पदाधिकारियों की क्या भूमिका रही, मैं बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा, क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके आदेश का पूरा पालन करूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय जिला बदर का सवाल सामने आया, तो बिहार और झारखंड के चुनावों के बारे में यूपीए की पहली बैठक हुई। उस बैठक में चुनाव आयोग के इस फैसले पर नाराजगी जताई गई। हम लोगों की केन्द्र में सरकार है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपनी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहली बैठक में हाल के विधान सभा चुनावों के दौरान लिये गये चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर नाराजगी जताई।

मंगलवार को हुई इस बैठक में फैसला किया गया कि चुनाव सुधारों के लिए उप समिति गठित की जाए, जो चुनाव आयोग द्वारा बताए गए सुझावों और कदमों पर विचार-विमर्श करे। उस बैठक में यह तय किया गया था। इससे साबित होता है कि कितनी हलचल हुई थी। बिहार में निशाना बनाकर मतदाताओं को मत डालने से रोका गया और जनप्रतिनिधियों को भी अपने मौलिक अधिकार से रोका गया। उसके बाद यूपीए की चेयरपर्सन, सोनिया जी मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई उस बैठक में पिछले विधान सभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा उठाये गये कुछ कदमों की निंदा की गई। निंदा करने वालों में वामपंथी नेताओं के अलावा राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह जी भी थे। यूपीए सरकार इसे गम्भीरता से ले रही है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय मुक्त चुनाव कराना। चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि भय पैदा करना। बिहार में मतदाताओं में भय पैदा किया गया, जिससे वहां इतने कम प्रतिशत वोटिंग हुई। इसीलिए हम निवेदन कर रहे थे कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। बिहार में जो सरकार की तरफ से पैनल होता है जिलों में अधिकारी तैनात करने का, उसकी अनदेखी करके डायरेक्ट पोस्टिंग की गई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, हम चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु आपका भाषण चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग पर तीखा प्रहार है। हम संबंधित कानून में परिवर्तन तथा निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, आपका भाषण निर्वाचन आयोग की कार्यवाहियों की निंदा करता है। यह सही नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मैं, निर्वाचन आयोग के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरे विचार से ऐसा करना सही नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में सुधारों के संबंध में आप जितने चाहे सुधार सुझा सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। निर्वाचन आयोग के आचरण की आलोचना का हमें अधिकार हैं परन्तु हम इसकी कटु निंदा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य सभापति तालिका के भी सदस्य है। उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: निर्वाचन आयोग को यहां उत्तर देने का अधिकार नहीं हैं। हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। परन्तु हमें चुनाव सुधारों पर अपना सुझाव भी देना है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: निर्वाचन आयोग संविधान के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। यह आयोग, संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। हम आलोचना कर सकते परन्तु सही परिप्रेक्ष्य में।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: निर्वाचन आयोग के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। मैं वही कह रहा हूं जो उचित है। बस।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): यह सदन उसे बर्खास्त भी कर सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: संविधान के तहत वे अपना कार्य कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, सभा में निर्वाचन आयोग के आचरण पर चर्चा की जा सकती है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति जी, आपको शायद मिसअंडरस्टेंडिंग हो गयी है। हमें माफ कीजिए। हमें खेद है कि आपने हमारी भावनाओं को नहीं समझा। हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आप सर्वोच्च हैं, आप आसन पर हैं और आसन कभी किसी का पक्ष नहीं लेता है। इलेक्शन कमीशन कोई भगवान नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान से ऊपर नहीं है। यह सभा, सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। इस बात को समझा जाना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यह मेरा विनम्र निवेदन है। प्लीज, मैं हम्बल रिक्वैस्ट करता हूं कि सबसे ऊपर संविधान है। संविधान की कद्र इलेक्शन कमीशन को भी करनी पड़ेगी। क्या इलेक्शन कमीशन एक्स्ट्रा-आर्डिनरी अथॉरिटी है? हम जानते हैं सभापति जी, हम पांचवीं बार लोक सभा में आये हैं। मैं नया मैम्बर नहीं हूं, इसलिए डांटिये मत और हम कांस्टीट्यूशन के बारे में आपसे कहना चाहते हैं। लोक सभा राष्ट्र की पंचायत है, देश के चुने हुए लोगों की पंचायत है जो सवा सौ करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन में अगर त्रुटियां हैं, इलेक्शन कमीशन अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगा तो हम कहां बोलेंगे? कौन सा ऐसा उपयुक्त फोरम है जहां हम अपनी बात को रख सकें। हम तो अपनी बात रखना चाहते हैं। लोकतंत्र के बारे में यूपीए सरकार ने अपनी पहली मीटिंग में नोटिस लिया, इसलिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। एनडीए वाले लोग केवल हायर-थिंकिंग करते थे, हिम्मत नहीं होती थी कोई डिसीजन लेने की। लेकिन यूपीए सरकार की पहली बैठक में इस पर विचार किया गया। आचार-संहिता का पालन केवल नागरिक के लिए नहीं है लोगों के प्रतिनिधियों के लिए नहीं है, उसका पालन इलेक्शन कमीशन को भी करना पड़ेगा। वह अगर लोगों को बीएसएफ के जरिये भयभीत करेगा, पैरा-मिलिट्री फोर्स के जरिये अगर हमारे मतदाता को बूथ के अंदर भयभीत करता है तो इलेक्शन कमीशन का यह काम उसके आचरण के विपरीत माना जाएगा। वहां अगर माइनोरिटी से बुर्का उठाकर उसकी जाति पूछी जाती है और उसका पहचान पत्र देखा जाता है तो क्या यह जायज है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो माइनोरिटी के टीचर्स पोलिंग बूथ पर प्रेजाइडिंग अफसर थे, मदरसा वालों को, सबको हटाया गया। यही नहीं जिस कलैक्टर के बारे में लगा कि यह हमारा पक्ष नहीं लेगा, निष्पक्षता जहां आ रही थी उन कलैक्टर्स को हटा दिया गया। राज्य सरकार से तुम लिस्ट ले लेते, उसमें जिसको तुम्हें देना है दे देते लेकिन राज्य सरकार से कंसल्ट ही नहीं किया। संबंधित राज्य बिहार के साथ परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। विशेष रूप से बिहार से साथ इस तरह की घटना हुई है। क्या यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है? के.जे. राव इलेक्शन कमीशन के सलाहकार हैं। गुजराल जी के समय इन्होंने पटना में इलेक्शन को काउंटरमेंड किया था। लालू प्रसाद जी ने जब इसमें चुनौती दी कि इस तरह से ये हमें विकास काम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हमें विकास काम करने से कैसे रोका जाएगा? छपरा में 463 बूथ को अलग किया गया और टोटल बूथ पर दुबारा इलेक्शन हुआ। लेकिन चुनाव में परिणाम क्या निकला? जनता जिसको चाहती थी वही जीता। मेरे पास लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि कमजोर वर्ग को वोट न डालने पर कार्यवाही होगी। कमजोर वर्ग को वोट नहीं डालने की सारी जटिल प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने लागू की और यहां दिया कि कार्यवाही होगी। यह तो जानबूझकर अखबार में पब्लिसिटी कराई गयी। यदि जहां कहीं अर्द्ध सैनिक बल पूरी तरह से तैनात किए गए थे तो इतने बूथों पर रिपोल कैसे हो गए? अभी बहुत अच्छा सुझाव आया है, जिस पर यूपीए सरकार ने भी ध्यान दिया है। हमारी भी मांग है कि इस हालत में इलैक्शन कमीशन की जो स्थिति बन गई है, उसे देखते हुए एक कमेटी बननी चाहिए। ऐसी उपसमिति बनाने का यूपीए सरकार ने भी संकेत दिया है, जो एक अच्छा संकेत है। एक कमेटी बननी चाहिए जिससे आचार संहिता का अनुपालन हो। इलैक्शन कमीशन ने आचार संहिता का पालन नहीं किया है। उसके ऊपर एक कमेटी गठित करनी चाहिए।

मेरा अंतिम सुझाव है कि 500 वोटर्स पर एक बूथ होना चाहिए। रेवेन्यू विलेज में नहीं जाना चाहिए। जैसा पहले होता था, वैसे ही अब भी 500 वोटर्स पर एक बूथ होना चाहिए। जो विकलांग हैं, बूढ़े हैं उनके लिए मोबाइल बूथ की व्यवस्था होनी चाहिए। मत डालने का आठ बजे से पांच बजे तक का जो समय है, उसे सात बजे किया जाए। वोट डालने का समय ज्यादा होना चाहिए। तीन फेज में जब बताया जाता है कि फर्स्ट फेज में 70 परसैंट, दूसरे फेज में 68 परसैंट और तीसरे फेज में 65 परसेंट मतदान हुआ है तो वह मनगढंत बात होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसके विपरीत इलैक्शन कमीशन का आचरण होता है। वे कहते हैं कि 30 परसैंट से कम वोट डाले गए तो उसकी जांच होगी, जो अपने आप में विरोधाभासी बात है। यदि सर्कुलर और बयान दोनों मिलाए जाएं तो वे अपने आप में विरोधाभासी होते हैं। सौ फीसदी मतदान अनिवार्य हो, इसके लिए कानून में संशोधन करना चाहिए और सौ फीसदी वोट को वैलिड मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी यह वर्डिक्ट है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैंने विधान सभा चुनाव सात बार और संसदीय चुनाव तीन बार लड़ा है। चालीस वर्षों के दौरान इस संबंध में मेरा अपना अनुभव रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पैरा मिलिट्री फोर्सिज को बूथ में जाने की किसी भी तरह से इजाजत नहीं होनी चाहिए। वह गोपनीय बनाए रखनी चाहिए। वे लोग इशारा करके कहते हैं कि इसमें वोट डाला जाए।

मैं महिला पहचान पत्र के बारे में भी यहां कहना चाहता हूं। उनका घूंघट नहीं उठाना चाहिए। आप उनका पहचान पत्र, क्रम संख्या और नाम देख सकते हैं। महिलाओं के साथ वहां जो कुछ होता है, वह बहुत दुखद बात है। एक उपसमिति बनायी जाए जिससे आचार संहिता का पूरी तरह से पालन हो सके। न केवल पालिटिकल पार्टियों के लिए यह उपसमिति बने, चुनाव सुधार के लिए भी उसे बनाया जाए। इलैक्शन कमीशन का जो व्यवहार है, उसकी जांच के लिए कमेटी बननी चाहिए ताकि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित चुनाव हो सकें और लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जाएगी तो स्थिति खराब हो जाएगी। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था किसी तरह से कमजोर नहीं होनी चाहिए। संविधान के तहत हमें मतदान करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उससे किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। कमजोर वर्ग के लोगों को इंश्योर किया जाए कि हर हालत में वोट डालें। उन्हें मतदान करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उन्हें उससे वंचित न रखा जाए। भयरहित, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की गारंटी देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: धन्यवाद। आपने एक घंटे से अधिक समय ले लिया है।

श्री रघुनाथ झा: उन्होंने यह चर्चा आरंभ की है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): सभापति महोदय, श्री डी.पी. यादव ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में पेश किया है। इस विषय पर सब को बोलने का मौका मिला है। चुनाव प्रणाली में सुधार लाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। समय-समय पर हम लोगों ने महसूस किया कि जो कानून इस समय बना हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिये उस कानून में सुधार किये जायें। मुझे 1984-87 का पीरियड याद है जब स्व. राजीव जी के समय में देशभर में इस बात पर एक व्यापक चर्चा शुरू हुई थी और उसके तहत संविधान में संशोधन करके देश के 18 वर्ष के नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। वे नौजवान यह जानते थे कि देश का भविष्य क्या होना चाहिये-मुझे इस बात का जिक्र करते हुये खेद भी हो रहा है लेकिन जब हम सामने वाली पार्टी को देखते हैं जिसकी उम्र 25 साल की हो गई है, बल्कि यह कहा जाता है कि वह मैच्योर हो गई है और अपनी सिलवर जुबली मना रही है लेकिन वे अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते हैं। अगर उनके पास मुद्दे न हों तो दूसरों पर इलजाम लगाये जाते हैं। जब डेमोक्रेसी की बात हो, उसे सदन में कैसे पेश करना चाहिये या चुनाव जीतने के बाद क्या हो रहा है, यह आप जानते हैं। हम लोग बाहर तो दावा करते हैं और वायदे करते हैं लेकिन हाउस में पहुंचने के बाद वे लोग ही सदन को चलने नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि दूसरे कानून को बदलने से पहले इस बात पर सोचने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि पीपल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में संशोधन करने की बात हो, मैं इस बात का समर्थन करता हूं क्योंकि यह विषय बहुत विशाल है। हमें सब पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। उसमें यह मानी हुई बात है कि जो लोग हाउस में चुनकर आ जाते हैं, उनका व्यवहार यहां कैसा होता है। वे अपनी बात से हटकर चुनाव प्रणाली की बात करना चाहते हैं। हमें मालूम है कि समय-समय पर चुनाव प्रणाली में संशोधन करने की कोशिश की गई है। उस वक्त यह देखते कि दल-बदल ने एक बीमारी का रूप धारण कर दिया था, संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया कि जो लोग अपने फायदे के लिये एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन के संबंध में विचार करने की जरूरत है। उस समय श्री राजीव जी की यह तजवीज थी कि अगर किसी पार्टी के कई नम्बर में सदस्य इकट्ठे होकर जाना चाहते हैं, तो वह गलत होगा लेकिन सही मायने में वह लोकतांत्रिक परम्पराओं में पले हुये थे। जब बी.जे.पी. ने कहा कि इसमें पार्टी लीडरशिप को ज्यादा अधिकार देने की बात हो जायेगी तो यह तय हो गया कि अगर एक तिहाई सदस्य छोड़कर जाना चाहते हैं तो उसे स्पलिट मानकर एक अलग पार्टी बना दी जाये। हमने पिछले वर्ष क्या देखा? बी.जे.पी. की तरफ से आवाज उठती रही कि वह कानून गलत था लेकिन उन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया, जिसे हमने भी कबूल किया कि यदि कोई किसी भी तादाद में कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहे तो वह डिफेक्शन होगा, परन्तु इस बात की किस तरह धज्जिया उड़ाई गई, उसका एक उदाहरण गोवा का है। ये बात दूसरों पर डाल देते हैं दलबदल कानून की रोकथाम हेतु एक उपाय ढूंढा गया। अगर कोई सदस्य अपनी सदस्यता या पद से इस्तीफा देना चाहता है, वह दे सकता है लेकिन एक तरीका ढूंढकर सरकार को गोवा में डिस्टेबलाइज किया गया। इसलिये जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं तो सब से पहले यह आवश्यक है कि हम अपनी मनोवृत्ति को सबसे पहले बदलें।

[श्री पवन कुमार बंसल]

आवश्यक यह है कि हममें प्रजातांत्रिक सोच होनी चाहिए। जितनी देर तक हम अपने मन की भावना को नहीं बदलते, जितनी देर तक हम अपने तानाशाही विचारों को नहीं छोड़ते, उस वक्त तक आप किसी भी सुधार का जिक्र कर लीजिए, वह सुधार पर्याप्त नहीं होगा। जब श्री डी.पी. यादव जी बोल रहे थे, तब आपने थोड़ा ऐतराज किया, यह आपका अधिकार है। लेकिन जब हम यहां इस बात का जिक्र करते हैं तो क्या इस बात को भूल सकते हैं कि हम जो संस्थाएं और संस्थान अपने कानून के जरिये यहां बनाते हैं, चाहे वह कोई भी अथारिटी क्यों न हो, हम उसे अधिकार देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह काम उनके पास आये, लेकिन हमारा अनुभव क्या है, हमारा तजुर्बा क्या है। उन्हें आप ताकत दें, वे अपने आपमें सारी ताकत ले लेना चाहते हैं। उसके बाद वह एक-एक बात का जिक्र करेंगे कि जो लोग वहां बैठे हैं, शायद इस चीज के काबिल नहीं हैं। क्या हम लोग नहीं समझते कि देश के हित में क्या है। लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदों के जरिये ही फैसला करना है कि देश का भविष्य क्या हो। कोई भी संस्था, बेशक वह फाइनेन्स कमीशन हो, इलैक्शन कमीशन हो या सी.वी.सी. हो, उन्हें अपने दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दायरे का उल्लंघन करके आगे जाने की बात करता हूं। लेकिन सही मायने में हमारी जम्हूरियत, हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकेगा, जब संविधान के तहत जो हमारे सभी ढांचे हैं, सब इस बात को कबूल करें कि हमारे लिए अपने दायरे, अपनी लक्ष्मण रेखा बनी हुई हैं। हम उसी के बीच में रहकर काम करना चाहेंगे और यह आवश्यक भी है। जब उन्होंने इलैक्शन कमीशन का जिक्र किया तो जो उनका अनुभव था, वह क्या हुआ। माडल कोड आफ कंडक्ट के वक्त श्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम इस बात को कोडिफाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले एक व्यापक चर्चा की जरूरत है कि इलैक्शन का कोड आफ कंडक्ट क्या होगा। पूरे हिन्दुस्तान में डिबेट कराई गई, तब कोड आफ कंडक्ट बना, लेकिन क्या देखने में आया। यह तय हुआ कि चुनाव के दौरान पैसे का गैर मर्यादित प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यह सही है, इसलिए हमने बात मानी। लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी नहीं भूल सकते कि जो इलैक्शन है, सिर्फ चुनाव लड़ने तक इसका मतलब नहीं है। पोलिटिकल पार्टीज का नाम पोलिटिकल एजूकेशन देना भी होता है। सामने मुद्दे होते हैं और एक-एक मुद्दे पर अपनी राय देनी होती है, लेकिन शायद जिनके हाथ में आपने ताकत दे दी, उन्होंने झंडे गिनने शुरू कर दिये कि किसी पार्टी के कितने झंडे लगे हुए हैं-क्या आप उससे हिसाब लगा सकते हैं कि किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। इस तरह से लोगों के साथ ज्यादती होनी शुरू हुई। आप चुनाव में निकले हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है। चुनाव के दिनों में आपके पास नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी पर झंडा लगा हुआ है और आप जा रहे हैं। आखिर चुनाव किस बात के लिए है। क्या अपना झंडा लगाकर कोई पार्टी नहीं जाना चाहेगी। इसलिए अगर हम चुनाव में आचार संहिता की बात करते हैं कि कैन्डीडेट्स पर आचार संहिता लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा हो और पैसे का ज्यादा खर्चा हो। उन सीमाओं के बीच में रहकर हमें खर्च करना है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि जब कोई इलैक्शन पिटीशन हो जाती है, चुनाव के बाद जब आदमी अपनी रिटर्न दायर करता है कि कितना पैसा खर्चा हुआ, उसके बाद यह सवाल उठता है। उसके पहले वह सवाल नहीं उठता। इसलिए जो भी उसमें लगे हुए हैं, उन्हें अपने-अपने दायरे को देखने की जरूरत है कि ये सवाल क्यों उठे। क्यों इलैक्शन कमीशन यह कहे कि जो उस वक्त का अमला है, जितना स्टाफ है, वह सब हमारे तहत हो जाए। क्या यहां पर कोई ताकत की लड़ाई है कि किसके पास कौन है, किसका अधिकार किस पर कितना है। हमें जरूरत है कि जो-जो काम और जिम्मेदारियां अलग-अलग लोगों को सौंपी गई हैं, उन्हें हम अपनी-अपनी जगह पूरा करें। कानून को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं।

सभापति महोदय, आज यह चर्चा हो रही है, लेकिन जब दूसरी तरफ से बार-बार बात आती है और मैंने कल ही पढ़कर सुनाया था, उस वक्त के प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान मेरे पास है, जब 7 दिसम्बर, 1999 को उन्होंने इस सदन में कहा था, मैं उसकी एक लाइन कहना चाहता हूं-

[अनुवाद]

उन्होंने कहा था कि अपनी टीम का चुनाव प्रधान मंत्री तक विशेषाधिकार तथा विवेकाधिकार है। केवल आरोप-पत्र दाखिल कर दिए जाने मात्र से एक व्यक्ति को अनर्ह नहीं किया जा सकता है। इतनी जल्दी भूल गए। एक तरफ से दूसरी तरफ बैठने के कारण अवसरानुकूल आपकी विचारधारा, आपकी कार्यप्रणाली बदल गई।

[हिन्दी]

अगर हम सचमुच में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे आज हाउस में क्यों नहीं आये। औरों पर इल्जाम लगाते रहे। मुद्दा पास न हो, इसलिए उस पर बहस नहीं करना चाहते।

मैं कहना चाहता हूं कि जब हम एक अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो इसके बहुत से पहलुओं को हमें देखने की जरूरत है और उस पहलू में यह है कि हम मुद्दों पर आकर बात करें।

अपराह्न 4.45 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

राजनीति क्या है? यह दो समूहों के बीच शत्रुता नहीं है।

हमारी आपस में राइवलरी हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन उसके साथ-साथ सहनशील होना भी आवश्यक है। आपको महसूस करना चाहिए कि दूसरे भी दुनिया में रहते हैं, दूसरों के विचार भी हो सकते हैं और यदि हम उनका आदर करें, तो कह सकते हैं कि सही मायनों में हम लोकतांत्रिक धारणा में विश्वास करते हैं। समय-समय पर जिस-जिस चीज की जरूरत हो, एक-एक बात को वह लगातार देखते रहते हैं। अगर कोई रिपोर्ट ला कमीशन की आई, तो उस पर विचार होता है। अगर लोगों के विचार आते हैं तो उन पर विचार होता है। समय-समय पर रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट की धारा 8 में हम संशोधन करते रहे हैं। अगर आज कह दें कि किसी व्यक्ति पर कोई केस किसी ने दायर कर दिया तो उसे निकाल दो, उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, वह ठीक नहीं है। जिन लोगों ने उस सदस्य को चुनकर भेजा है, क्या उनको किसी को कुछ पता नहीं? क्या हम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? आज राजनीति जिस स्तर तक गिरती जा रही है, किसी पर कोई भी केस बना सकता है। केस दायर हुआ और आपने कह दिया कि वह मुल्जिम हो गया। जिन लोगों ने उसे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, क्या आप उसे उसके अधिकार से ही वंचित कर देंगे? इस पर व्यापक चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए। मैं उसका स्वागत करूंगा और कहना चाहूंगा कि उसमें अच्छे ढंग से हमारे साथी, जिन्होंने अपनी बुद्धि से सोचा कि आज सदन में नहीं रहना चाहिए, उसमें हिस्सा लें और अपने तर्क रखें। यह नहीं कि सिर्फ अपनी ही बात कहें कि जो हम कहते हैं वह सच है, और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से हम नहीं चल सकते। बेशक आप बात करें कि कितना उसमें खर्च की लिमिट तय होनी है, कौन-कौन आदमी किस हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, कौन आगे आ सकते हैं या सरकारें कैसे बनेंगी?

आज देश में कोएलिशन सरकारों का जमाना आ गया है। किसी भी देश में अलग-अलग फेजेज और अलग-अलग दौर होते हैं। लोग समय के साथ अपने विचार बदलते हैं। हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि जब यह तय करना है कि सरकार किसने बनानी है तो उसका मानक क्या होना चाहिए। किस हिसाब से आप किसे सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे ताकि अनिश्चितता के हालात न बने रहें। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। इन बातों पर विचार करने की जरूरत है।

एक बहुत आवश्यक और अहम मुद्दा जब हमारे सामने आया है तो उसमें एक-एक धारा का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मसला हमारे सामने है। इससे हमारे देश का भविष्य क्या होगा, उसे देखने की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट बहुत सोच विचार कर बनाया गया था, लेकिन समय के साथ और किन पार्टीज को रजिस्टर करना है, किनको मान्यता देनी है, किनका पंजीकरण करना है, समय-समय पर तजुर्बे के साथ जिस चीज को हम महसूस करते हैं, उसे उस मौके पर ही किया जा सकता है। सहमति बनी लेकिन हमने देखा है कि अक्सर उनका हश्र क्या होता है, उसके आगे अपने एजेन्डा क्या हो जाते हैं। कमेटीज बना दी गईं कांस्टीट्यूशन को रेव्यू करने के लिए। क्या आज के दिन सारे कांस्टीट्यूशन को रिव्यू करने की जरूरत है-नहीं। हमारे कांस्टीट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने सोच विचार के साथ एक-एक बात पर सोचकर विचार किया था। जब हम महसूस करते हैं कि किसी एक विषय पर संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है, तो उसमें संशोधन लाया जाता है। यह नहीं कि चुनिंदा लोगों के जरिये आप एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि पिछले 50 वर्षों में देश ने कुछ नहीं किया। जैसे कहीं वे पिछले छः वर्षों में देश को बहुत आगे ले गए हों। कहां थी वह चमक, किस भ्रम में लोग रहे, किस हिसाब से रहे! देश के लोगों ने उस बात को सिद्ध कर दिया।

आज जब हम चुनाव प्रणाली में सुधार की बात करते हैं तो मैं समझता हूं और मैं दरख्वास्त करूंगा कि जैसे पहले कांग्रेस के समय में एक सिस्टम बना हुआ था, उसे छः साल के लिए बहुत बड़ा धक्का लगा। अब यूपीए की सरकार है। अब फिर सचमुच में एक जैनुइन आम सहमति बनाने की जरूरत है।

विचार करने के लिए बहुत से मुद्दे होते हैं। कोई भी पार्टी हो, आपस में कितने भी मतभेद क्यों न हों, कई बातें देश के विकास के लिए, देश के अच्छे भविष्य के लिए आवश्यक होती हैं और उन्हें ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। उन पर हम सभी को सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार का अपने लोकतांत्रिक ढांचे के भविष्य को बनाना चाहते हैं। अभी हमारे पास संशोधन विधेयक नहीं है। हम सिर्फ अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे सभी अपने-अपने तजुर्बों के आधार पर उनका जिक्र कर रहे थे। यह आवश्यक भी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह सम्मानित सदन आज चर्चा कर रहा है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग

[श्री रामजीलाल सुमन]

के पास अपना कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वह स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव करवा सके। संबंधित सूबों की सरकारें सफल चुनाव करवाने में सहयोग करती हैं। चुनाव आयोग चुनाव दिशा-निर्देश जारी करता है। अगर चुनाव आयोग का मूल रूप से कोई काम है तो वह यह है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। चुनाव आयोग का यही एक काम है। मैं चुनाव आयोग जैसी संस्था पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। अभी हमारे साथी श्री डी.पी. यादव ने भाषण दिया था। उनके बिहार के जो तजुर्बे थे उन तजुर्बों के आधार पर उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के चलते चुनाव आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था पर लोगों का शक पैदा होना शुरू हो गया है। हम तो स्वयं भुक्त भोगी हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कुछ उप-चुनाव हुए थे। लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का उप-चुनाव और विधान सभा के करछना क्षेत्र के उप-चुनाव हुए थे और भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में विधान सभा के उप-चुनाव हुए थे। हमको ऐसा लगा कि उप-चुनावों में जान-बूझकर हमारे साथ असहयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। मैनपुरी में चुनाव हुआ। वहां हम लोगों के समर्थक ज्यादा हैं। वहां मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। कुछ मतदान केन्द्रों पर शिकायत हुई कि वहां हमारे ज्यादा समर्थक हैं और मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा है तो वहां दोबारा मतदान करवा दिए गए और इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और पूरे मैनपुरी के चुनाव को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया गया। यह कहां तक न्यायसंगत है और जहां तक मैनपुरी क्षेत्र का सवाल है वहां हमारे उम्मीदवार श्री धर्मेन्द्र यादव थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्र थे और करछना विधान सभा के हमारे उम्मीदवार श्री उज्जवल थे, जो सैंट स्टीफन में पढ़े हुए नौजवान हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जो कुछ हुआ, उससे लगता है कि जान-बूझकर चुनाव आयोग हमारे सामने अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा कर रहा था। मजेदार बात यह हुई कि पूरे मैनपुरी क्षेत्र का रिकार्ड ट्रक में भर कर दिल्ली ले जाया गया। अगर बीच में ट्रक में आग लग जाती या कोई हादसा हो जाता तो वह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है, वह उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती और विशेष रूप से यह कहा जाता कि श्री मुलायम सिंह ने यह करवाया है। पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के कारण, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि चुनाव आयोग का काम करने का जो तौर तरीका है, उस तरफ ध्यान जाना आवश्यक हो जाता है।

सभापति महोदय, यहां माननीय कानून मंत्री जी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण काम हमारी संसद को करने चाहिए, उन्हें भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के हवाले कर देते हैं। पिछले दिनों मुझे ऐसा लगने लगा, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और गरिमा के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूरत कहना चाहता हूं ऐसा लगता है कि ये दोनों संस्थाएं ऐसा मानने लगी हैं कि हमसे बड़ी कोई तोप दूसरी नहीं है और हमारे सामने संसद की भी सार्थकता नहीं है।

महोदय, जहां तक चुनाव सुधारों का सवाल है, आज ही यह संसद चिन्तित हो, ऐसा नहीं है। चुनाव सुधारों पर तमाम कमेटियां बनीं, तमाम प्रयास हुए। चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी और उन सब कमेटियों ने अपनी रपट भी सरकार को दी। सन् 2000 में वैंकटचलैया आयोग बना और उसने भी अपनी रपट दी। अभी जब यह सरकार अस्तित्व में आई, तो इन्होंने चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए कुछ बातचीत शुरू की। बल्कि यह 1969 में शुरू हुआ और उस समय के एक जाने-माने विचारक श्री शिव लाल ने एक आर्टीकल लिख दिया कि इस समय हिन्दुस्तान में जो चुनाव प्रणाली विद्यमान है, वह ठीक नहीं है। फ्रांस और जर्मन की जो चुनाव व्यवस्था है, उसे हमें अख्तियार करना चाहिए। वर्ष 1977 में संसद की एक सर्वदलीय समिति बनी, उसकी सिफारिशें आईं। सन् 1974 में स्व. जयप्रकाश नारायण जी ने जस्टिस तारकुंडे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसने अपनी संस्तुतियां दीं कि चुनाव में धन-बल एवं बाहुबल का जो प्रयोग होता है उस पर अंकुश लगना चाहिए।

कोई ऐसी बात नहीं है कि चुनाव सुधार पर आज पहली बार सदन में चर्चा हो रही है और चुनाव सुधार नहीं हो रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं दो बातें बताना चाहता हूं-एक तो कानून बनाना और दूसरे कानून को अमलीजामा पहनाना। चुनाव आयोग का काम क्या है और हम क्या कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो विकृतियां हैं, यहां सभी दलों के लोग बैठे हैं, जहां चुनाव सुधार, चुनाव आयोग का काम है, वहां हमें भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च करने की एक मर्यादा रखी है, एक सीमा बांधी है कि 25 लाख रुपए से ज्यादा कोई संसद का प्रत्याशी अपने चुनाव में खर्च नहीं कर सकता है। क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग जो हिसाब देते हैं, क्या वह सही होता है? आप भी चुनाव लड़ते हैं और हम भी चुनाव लड़ते हैं और जो हिसाब देते हैं, क्या वह सही होता है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चुनाव आयोग ने सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जितनी दौलत खर्च करने की मर्यादा रखी है, उससे कहीं ज्यादा हम खर्च करते हैं। मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में कार्पोरेशन के चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और लोक

सभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 लाख रुपए की मर्यादा रखना, ये सब अव्यावहारिक काम हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने गिरेवान में झांक कर देखना चाहिए।

महोदय, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, यह कानून हमारे देश में है। क्या यह सही नहीं है कि जो लोग प्रतिपक्ष में बैठे हैं, वे धर्म के नाम पर ही ताकत में आए और पूरे देश में नंगा नाच हुआ और धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। कानून था, लेकिन हम उन्हें नहीं रोक पाए। क्या यह सही नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां जातियों के नाम पर सम्मेलन करती हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। हमारी कोई नीति, सिद्धान्त और कार्यक्रम नहीं है। इस देश में उसूलों के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते। हम वही भाषा बोलते हैं जिससे हमें तत्काल लाभ होने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें इन सवालों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, तब कहीं जाकर उसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं।

महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज चुनाव में जो विकृतियां हैं, उसका कारण राजनीतिक दलों का आचरण है। यदि राजनीतिक दल अपने आचरणों में सुधार कर लें, तो हिन्दुस्तान में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं और अच्छे लोग चुनाव जीत कर आ सकते हैं। आज हालत यह है कि समाज की मनोवृत्ति बदली है, समाज का स्वभाव बदला है, समाज का मिजाज बदला है। कोई बहुत त्यागी और तपस्वी आदमी, जिसकी जनता के बीच में बड़ी सेवाएं हों, जिसका पूरा जीवन लगातार लागों की सेवा में चला गया हो, वह चुनाव लड़ता है।

अपराह्न 5.00 बजे

और दूसरी तरफ एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, जिसके खिलाफ सौ मुकदमें हैं, वह जेल से चुनाव लड़ता है और उस त्यागी-तपस्वी आदमी की जमानत जब्त हो जाती है, वह जेल में बैठ कर चुनाव जीत जाता है। आज समाज का मिजाज इस तरह का हो गया है।

सभापति महोदय, इसलिए सिर्फ कानून के जरिए नहीं, इस समाज के मिजाज और आचरण को बदलने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग की भूमिका अलग है। महोदय, मुझे आपके मार्फत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यहां कानून मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बैठी हैं, निश्चित रूप से समस्त राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई जाए और बैठक बुलाने के बाद उस पर खुल कर चर्चा हो तथा यह फैसला हो जाए कि जो राजनैतिक दल किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट दे तो चुनाव आयोग उसकी मान्यता समाप्त कर दें। इन सब चीजों पर कड़ा रूख अख्तियार करने की आवश्यकता है कि जब तक राजनैतिक दल अपना आचरण नहीं सुधारेंगे, अपने आप सुधार नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के जरिए देश में निष्पक्ष चुनावों की संभावना हो ही नहीं सकती। मुझे इतना ही निवेदन करना था।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): सभापति महोदय, मेरे पूर्ववर्ती श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाए गए कई मुद्दों से मैं सहमत हूं। मेरी कुछ आपत्तियां भी है जिन पर मैं बाद में आऊंगा।

स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद हम चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह सत्य है कि हमारे और सभा के समक्ष आयोग के कई प्रतिवेदन है। जैसा कि बताया गया है, हमारे पास दिनेश गोस्वामी आयोग, इंद्रजीत आयोग तथा कई अन्य आयोगों के प्रतिवेदन है। मेरा विचार है कि लगभग इन सभी प्रतिवेदनों में विशिष्ट अनुदेश दिए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा आयोगों के कई अन्य प्रतिवेदनों के साथ हुआ है। इन सब आयोगों के प्रतिवेदनों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हमें इस मुद्दे पर इन प्रतिवेदनों के आलोक में चर्चा करनी है। हमारे पास भारत के पिछले 50 वर्षों का अनुभव है। जबकि इसमें कई कमियां हैं तथापि हमें गर्व है कि हम राज्यों तथा केन्द्र के लिए नियमित रूप से चुनाव करवाते आ रहे हैं। वास्तव में यह सत्य है कि हमारे देश में प्रजातन्त्र का अभी भी बोलबाला है। इसलिए, इन अनुभवों के आलोक में हम चर्चा कर सकते हैं।

श्री यादव ने मतदान केन्द्रों, मतदान तंत्र, मतदान केन्द्रों के बीच दूरी तथा मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या के संबंध में विस्तार से उल्लेख किया। निसंदेह, चुनाव के समय कई अति महत्वपूर्ण मुद्दे होते है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरे विचार से हमें और अधिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। जब हम भारत में चुनावों की बात करते है, चाहे वे राज्य विधान सभाओं के लिए थे या संसद के लिए, ये राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार अथवा उम्मीदवार अथवा पार्टी के लिए बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। चुनाव सुधारों के संदर्भ में जिस मुख्य मुद्दे पर हमें विचार करना है वह यह है कि किस प्रकार व्यय को कम किया जाए, कौन चुनाव आयोजित करवा सकता है, खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा धनराशि किसके पास हैं। यह सत्य है कि नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। उसके पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किसे देश में शासन करना है। किये शासन नहीं करना है। लेकिन जैसा कि प्रस्ताव सदस्य ने बताया है आजकल कई कारक चुनावों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से एक वित्तपोषण तथा वित्त

[श्री पी. करुणाकरन]

है। इसलिए, आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव व्यय को वित्त पोषित करने के संबंध में की गई टिप्पणियों पर सरकार को संजीदगी से विचार करना पड़ेगा। हम व्यय पर नियंत्रण लगा सकते हैं। हम उम्मीदवार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि को नियंत्रित कर सकते हैं। निसंदेह यह सत्य है कि अब तक इस संबंध में नियम तथा विनियम है। उम्मीदवार को व्यय का ब्यौरा देना पड़ता है। सर्वप्रथम सरकार तथा निर्वाचन आयोग को व्यय के विषय पर विचार करना पड़ेगा। हम प्रजातंत्र के बारे में सोच रहे हैं।

मेरा विचार है कि प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी जो कि-यह लोगों द्वारा, लोगों के लिए तथा लोगों की सरकार है। यह निर्वाचित सरकार-जो भी सरकार सत्ता में आए-का उत्तरदायित्व है कि देखें कि किस प्रकार चुनावों का आयोजन किया जाए तथा व्यय पर अंकुश लगाया जाए। यह प्रथम तथा मुख्य मुद्दा है जिस पर सरकार तथा निर्वाचन आयोग को विचार करना है।

दूसरा मुद्दा यह है कि हमने देखा है कि कई राज्यों में सांप्रदायिक ताकतें तथा जातीय भावनाओं ने चुनावों को प्रभावित किया है। मैं किसी विशेष राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में अनुदेश जारी किए हैं, फिर भी सांप्रदायिक तथा जातीय ताकतें फायदा उठाती है। हम किस प्रकार संपूर्ण रूप से न सही, पर कुछ हद तक चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक तथा जातीय ताकतों को प्रगतिवादी तथा भविष्यो-मुखी दृष्टिकोण से नियंत्रित कर सकते है? यह दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

तीसरा मुद्दा दुष्प्रचार के विषय में है। उस संबंध में कई विनियम मौजूद हैं। चुनाव के समय, हम देखते है कि अखबार तथा इलैक्ट्रिानिक माध्यम से आरोप तथा प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आजकल, चुनाव के समय उम्मीदवार के विरुद्ध अपना पक्ष में प्रचार के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया का अधिक उपयोग किया जाता है। निर्वाचन आयोग अथवा सरकार को इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यहां, ऐसा कहा जाता है कि हमें अनिवार्य मतदान का चयन करना चाहिए, मेरा विचार है कि यह व्यवहारिक नहीं है। हम अनिवार्य मतदान के विषय में ऐसा क्यों कहते हैं? स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद हम अनिवार्य वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है अथवा गिर रहा है तथा परिणामस्वरूप, हमारे पास अनिवार्य मतदान हेतु बृहद विधान होना चाहिए लेकिन, हमारा उत्तरदायित्व है, राजनैतिक दलों तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का उत्तरदायित्व है। हमें देखना चाहिए कि मतदाता, मतदान केन्द्रों पर वोट डालने क्यों नहीं जा रहे है तथा मतदान का प्रतिशत क्यों गिर रहा है। मेरा विचार है कि यह जनादेश है। वे मतदान केन्द्रों पर मतदान करने इसलिए नहीं जा रहे हैं चूंकि वे एक विशिष्ट उम्मीदार को नहीं चाहते हैं। यह एक लक्षण है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना है। इसके विपरीत, यह न तो संभव है न ही यह कहना औचित्यपूर्ण है कि अनिवार्य मतदान आवश्यक है। जहां तक केरल का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि मतदान का प्रतिशत गिरा नहीं है। दो शक्तियां-एलडीएफ तथा यूडीएफ लगातार सत्तारूढ़ हो रही है, चाहे संसदीय चुनाव हो या राज्य विधान सभा का चुनाव हो। न केवल संसदीय अथवा विधान सभा के चुनावों के लिए भी मतदान के स्तर में कोई गिरावट नहीं हुई है, यहां हम एक प्रगतिशील रूझान देख रहे हैं। यहां, लोगों में सामाजिक जगृति अथवा राजनैतिक जागृति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहां हम केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं शिक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। केवल मतदाताओं को दोषी ठहराया जाना कि वे मतदान करने मतदान केन्द्र नहीं जा रहे हैं तथा यह कहना कि इसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। यह सही नहीं है। इस पर हमें अधिक गंभीरता से विचार करना है। इस मामले में मुख्य मुद्दा लोगों की सामाजिक जागरूकता का है। इसलिए, हमें गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा तथा विश्लेषण करना पड़ेगा कि मतदाता मतदान करने क्यों नहीं जा रहे हैं।

सुबह के सत्र में, हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। मेरा विचार है कि लगभग सभी सदस्यों ने महिलाओं के प्रति अत्याचार के मुद्दे को अत्यधिक महत्व दिया है। यहां, मैं यह कहूंगा कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग हमारे समाज का लगभग 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है। हम कितने प्रतिशत दे रहे हैं? स्वतंत्रता के 58 वर्षों बाद भी, हम महिलाओं की 33 प्रतिशत आरक्षण भी नहीं दे पाए हैं। यह एक मुख्य विषय है जिस पर हमें विचार करना है। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। केरल में सरकार, पंचायतें, नगरपालिकाओं तथा निगमों में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। प्रारम्भिक स्तरों पर, यह आलोचना की गई थी कि महिला उम्मीदवार तथा महिला नेता कुछ नहीं कर सकती हैं लेकिन कई पंचायतों में हमारा यह अनुभव रहा है कि उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। उन्होंने राजीव गांधी जल मिशन के अंतर्गत संपूर्ण स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किए है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किये हैं। इसलिए, हमें विश्वास है और हम महिलाओं पर भरोसा करते हैं तथा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण चुनाव सुधारों के कारकों में से एक कारक के रूप में आवश्यक है। मुझे अफसोस है मुझसे पूर्व वक्ताओं में से किसी भी सदस्य ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वे सभी

इस मुद्दे पर चुप रहे। जब हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं, तो यह मुद्दा अति महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं कि मेरे विद्वान मित्र भी इस मुद्दे पर चुप रहे, मैं नहीं जानता, इसका कारण क्या है।

श्री पवन कुमार बंसल: हम इसके प्रति कटिबद्ध हैं।

श्री पी. करुणाकरन: आप ऐसा कह सकते हैं। मैं, नि:संदेह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूं।

महोदय, दूसरा पहलू यह है कि क्या हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में विचार कर सकते हैं। यदि इसे पूर्णत: कार्यान्वित करना संभव नहीं है, क्यों न हम 30 प्रतिशत या 50 प्रतिशत पर ही विचार करें? 50 प्रतिशत का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो और 50 प्रतिशत जैसा आपने स्वयं ही तथा, दलों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जा सकता है। यह एक विचारधारा को जन्म दे सकता है। फिर भी, यह बहस इन सभी मुद्दों पर विचार करने में सहायक हो सकती है जैसे हम अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बना सकते हैं, आदि। हम मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया पाने के लिए यह एक मुख्य कारक है कि हमें इस पर विचार करना होगा।

अन्य पहलू यह है कि निर्वाचित व्यक्तियों को वापस बुलाने के अधिकार के संबंध में चर्चाएं हुई हैं। यह सच है कि हम लोग हमारे चुनाव क्षेत्रों के मतदाताओं के द्वारा चुने गए हैं। यदि दो या तीन वर्षों के बाद वे ऐसा समझते हैं कि हमने अपने मतदाताओं के लिए कोई काम नहीं किया है और हमने अपने अधिदेश का दुरुपयोग किया है, तो उन्हें हमें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। 58 वर्षों के पश्चात् हम कह सकते हैं कि हमने बहुत से अनुभव प्राप्त कर लिये हैं। इसलिए, इन अनुभवों के कारण क्या हम लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने पर विचार कर सकते हैं? उन्होंने हमें चुना है। इसके लिए भी आपको कोई तंत्र अपनाना चाहिए। नि:सन्देह, इस मुद्दे पर जो कुछ कर सकते हैं, उसका हल ढूंढ सकते है।

महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, यह सत्य है कि आजकल चुनाव खर्चीले हो गए हैं। जैसा श्री यादव जी ने कहा, एक आयोग बनाया जाए और इस आयोग को दो या तीन प्रतिवेदन जो हमारे पास हैं तथा चुनाव प्रक्रिया के विगत 58 वर्षों के हमारे अनुभवों का भी विस्तृत अध्ययन करने के अधिकार दिये जाएं। एक तरह से, इस बहस से हमें एक भावी विचार धारा बनाने में सहायता मिल सकती है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छे ढंग से चुनाव सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है और उसके द्वारा राजनीतिक दलों को निशाना बनाया जाता है, उस पर श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने प्रकाश डाला है। मैं सबसे पहले विधि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने 1500 पर जो बूथ बनाने की बात कही है, पहले जो सीमा 500-700 थी, उसी के अंदर लोग वोट दे देते थे। एक व्यक्ति को वोट डालने में कम से कम तीन मिनट लगते हैं। इसलिए जैसे पहले बूथ थे, उसी तरह बनाएं। पहले गरीब तबके के लोगों, अल्पसंख्यकों और दलित लोगों को संभ्रांत लोग वोट देने से वंचित कर देते थे, डरा देते थे, धमका देते थे। इसलिए उनको मोहल्ले में बूथ का इंतजाम किया गया था। हमारा हिसाब कमजोर है, प्रो. राम गोपाल जी बता रहे थे कि अगर इस हिसाब से वोट डालें तो 540 मिनट लगते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप वोटर्स को रोक रहे हैं, उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। अगर 1500 पर लाकर एक ईवीएम मशीन से वोट देंगे तो वे किसी कीमत पर वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए इसमें हर हाल में सुधार होना चाहिए।

मैं दूसरी बात मतदान पहचान पत्र के बारे में कहना चाहता हूं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रश्न उठाया था कि मतदान पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। क्या इलैक्शन कमीशन की जवाबदेही नहीं है कि वह लोगों का पहचान पत्र बनवाकर चुनाव करवाए? एक सर्कुलर है कि अगर किसी कारण किसी व्यक्ति के पास पहचान पत्र नहीं है तो 14 अन्य चीजें जैसे बैंक में खाता आदि या प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा आइडैंटीफाई करने पर, कि यह व्यक्ति यहां का रहने वाला है, सही है, कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। हमारे यहां अभी तक आश्चर्यजनक ढंग से चुनाव करवाए गए। कई लोगों के पहचान पत्र बने हुए थे, लेकिन उनमें लाल कार्ड लगा हुआ था। ऐसे लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया। जो लिस्ट बनाई गई थी, उसे नहीं मानने का काम किया गया और उन लोगों को मतदान करने से वंचित किया गया। हम जवाबदेही के साथ कहना चाहते हैं कि इसमें चुनाव आयोग की अपनी भूमिका थी। मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के निशाने पर हमारे नेता श्री लालू प्रसाद थे, हमारी पार्टी थी। वे चाहते थे कि किसी प्रकार उनको तंग किया जाए। *...(व्यवधान)** पूछते थे कि कितने बूथ कैंसिल करने से चुनाव के बाद फलां उम्मीदवार हार जाएगा, आरजेडी या सहयोगी दल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रघुनाथ झा]

का उम्मीदवार हार जाएगा। हम इस पर शंका नहीं करें तो क्या करें। ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह निकाल दीजिए।

श्री रघुनाथ झा: वे विशेषज्ञ हैं। उनको जब भी मौका मिलता है, वे बिहार जाते हैं। गुजराल साहब को लालू जी ने पटना से चुनाव लड़वाया था। जब वे चुनाव जीत गए तो उन्होंने पूरे चुनाव को रद्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि वे इलैक्शन कमीशन से भी ऊपर हैं। वे मुंह-जबानी आर्डर करते रहे। हम विधि मंत्री जी से कहना चाहते हैं, अगर हैलीकाप्टर से जांच भी करवाएं, वे सरकार के पैसे से मौज कर रहे थे। उनको घूम-घूमकर इलैक्शन रद्द करने का महारथ हासिल है। जब गुजराल साहब का इलैक्शन रद्द हो गया तब लालू जी ने श्री राम कृपाल को चुनाव लड़वाया और वे जीतकर आ गए। लालू जी का इलैक्शन रद्द कर दिया गया लेकिन फिर भी लालू जी जीतकर आ गये। हमारे यहां 464 बूथों के बारे में प्रिजाइडिंग आफिसर्स को कोई शिकायत नहीं थी, रिटर्निंग आफिसर्स को कोई शिकायत नहीं थी। इलैक्शन कमशीन के जो आब्जर्वर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट दी कि पीसफुल इलैक्शन हुआ है। कोई शिकायत नहीं की गयी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अलावा जनता को तथा दूसरे कैंडीडेट्स को भी कोई शिकायत नहीं थी। 463 बूथों पर हमारे मतदाता थे, अकलियत के लोग थे, दलित लोग थे, लालू जी के समर्थक थे, उन्होंने वहां पटना में वोट दिया था। यहां पर श्री जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं। आप देखिये कि उनके यहां भी चुनाव को किस तरह से रद्द किया गया? इस तरह से यो लोग काम करते रहे।

सभापति महोदय, जैसा आपने कहा कि इस बारे में एक कमेटी बना दी जाये। हमारा भी यही कहना है कि विधि मंत्री जी आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराइये। जांच करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों का आचरण रहा है। बिहार में गरीब 50 परसेंट से ज्यादा लोग इल्लीट्रेट हैं। यह चुनाव प्रचार आज से नहीं हो रहा है। अगर चुनाव में खर्च नहीं करना था तो इस बारे में आप पहले ऐलान क्यों नहीं करते। ऐसा कोई कैंडीडेट नहीं था जो 25, 50 या एक लाख रुपये का मैटीरियल चुनाव में न छपवाता था, पोस्टर न छापता था। हमने श्रीमती सोनिया गांधी, श्री लालू प्रसाद यादव तथा अन्य नेताओं की तस्वीर उन पोस्टर्स में छापी थी। इन्होंने हुक्म दिया कि एक रात में ही सारे पोटर्स्स को हटा दो, नहीं तो तुम पर केस कर दिया जायेगा। हमारे सारे वर्कर्स ने केस के डर से रात भर में ही सारे पोस्टर्स हटा दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार से हो रहा है और किस कानून में ऐसा है?

सभापति जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट किया। हम भी इतने दिन से राजनीति में हैं। 28 साल तक हम एमएलए रहे तथा 10 साल से हम संसद सदस्य हैं। ऐसी कभी नहीं हुआ कि इतने परसेंट से अधिक वोट नहीं होना चाहिए। तीन तरह का मौखिक आदेश पटना में दिया गया। पहला आदेश यह था कि पहले फेज में यदि 70 परसेंट से अधिक वोट पड़ेंगे तो उसे कैंसिल कर दिया जायेगा। दूसरे फेज में 68 परसेंट तथा तीसरे फेज में 65 प्रतिशत है जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर ईवी मशीन में 100 वोट होता है और उस बारे में कोई शिकायत नहीं है, कोई कम्पलेंट नहीं है तो उसकी गिनती होगी। हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये रोकने वाले कौन होते हैं? जिनकी जवाबदेही है कि वे पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलैक्शन करायें, वे ही ऐसा कर रहे हैं। इतना हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़े जितना हमें इलैक्शन कमीशन से लड़ना पड़ा है। उनके कारण के कारण ही हम मैजोरिटी में नहीं आ सके। पच्चीस सीटों पर हमें एक हजार से पांच हजार वोटों तक हराया गया। हमारा कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका बहुत संदेहास्पद है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस पर विचार करिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सरकार से निवेदन कीजिए।

श्री रघुनाथ झा: यहां पर विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं। यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं। हम आपके माध्यम से उनसे कह रहे हैं। हाउस में बोलने का मतलब है कि हम आपके माध्यम से सरकार को सुना रहे हैं। अब हम कोई ईर्ष्या और द्वेष से नहीं कह रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कौन रिटायर्ड आदमी श्री जे.के. राव है, एक्सपर्ट है चुनाव रद्द करने में जिसे इस काम के लिए रखा हुआ है? इस पर आपको विचार करना चाहिए और अविलम्ब हटाना चाहिये।

अब आप जिलाबदर के बारे में देखिये। जिस समय चुनाव होने वाला था, उस समय मैं बीमार था। तीन दिन मैं पटना हास्पिटल में रहा। जब मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ तो मुझे हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया। यहां मैं 19 तारीख तक डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रहा। यह रिकार्ड में है। 20 तारीख को मैं पटना गया। 21 तारीख को लालू जी ने कहा कि आपके विरोधियों ने बहुत प्रचार किया है कि आप मर गये हैं। लालू जी उस समय सूबे के चुनाव के प्रचार में जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपके एरिया में चलते हैं। उनके साथ हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में चले गये। हमें निकाल दिया, साधु यादव को निकाल दिया, शाहबुद्दीन साहब का जिला बदर कर दिया, सीताराम सिंह, जो माननीय सदस्य हैं, उनको कर दिया, प्रभुनाथ सिंह जी, कांति सिंह जो मंत्री हैं, उनका कर दिया और अखिलेश सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका जिला बदर कर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग पोलिटिकल लोग हैं, क्या हम अपने समर्थकों को जिताने के लिए नहीं जाएंगे? क्या हम मीटिंग में नहीं जाएंगे? क्या हम लोग कोई बैड कैरेक्टर के लोग हैं? क्या हमारे खिलाफ कोई केस चल रहा है या क्या हमने किसी का बूथ लूटा है? इस तरह से कलैक्टर जिला बदर का अपना हुकुम निकाल रहा है। क्या हम लोगों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है? इस बात पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और किस कारण से जिला बदर हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं।

हम पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, हम दूसरे को बुलाते हैं, क्या हम अपने उम्मीदवार के पक्ष में मीटिंग में नहीं जाएंगे? केवल इसी कारण से उन्होंने हमारा जिला बदर करने का काम किया। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करिए, इसमें सुधार का काम करिए और इनको बांधने का काम करिए। इतनी कमजोरी मत दिखाइए। इस तरह की कमजोरी दिखाने के संबंध में हमारे देहात में एक कहावत है: 'देवी दूबर बकरा मोट'। देवी यानी कि जो भगवती का स्थान होता है, वहां पर हम लोगों के यहां लोग बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि देवी दूबर बकरा मोट यानी बकरा ले आकर उस पर बलिदान करते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आपको हमारा ही आफिसर डिक्टेट करेगा, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं? आफिसर अगर गड़बड़ करता है, खराब है और इलेक्शन कमीशन अगर उसको बदलना चाहता है तो उसको पावर आपने दी हुई है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह नियम है कि इसमें आप राज्य सरकार से तीन पैनल मांगिएगा। तीन पैनल मांगकर उसमें से एक को सिलैक्ट करने का आपको अधिकार है। हमारे यहां कलैक्टर और डीआईजी बदल रहे हैं। एक-एक जिले में डीआईजी, कलैक्टर और एस.पी. को पोस्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी से पैनल नहीं मांगा जा रहा है। इस तरह का काम बिहार में करने का आपके जो *...(व्यवधान)** उन्होंने किया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री रघुनाथ झा: उसके बाद हमारी पार्टी की इलेक्शन रैली हुई। किसान मजदूर रैली की बहुत भारी कटौती की घोषणा कर दी है, इसलिए अब हम इसको नहीं करेंगे। हम राजनीतिक दल हैं। क्या हम अपनी ताकत का इजहार नहीं करेंगे? अगर सोनिया जी कहीं जाती हैं तो क्या पार्टी की तरफ से नहीं लगता है कि सोनिया जी की मीटिंग को सफल बनाइए और अधिक से अधिक लोगों को जिताइए। हमारी पार्टी की स्टेट की रैली थी। हम हर साल रैली करते थे और हमारी तैयारी थी। हम लोग जहां गांव से चले थे, वहां से लेकर पटना तक की हमारी तैयारी थी। रास्ते में कोई ऐसा कस्बा, कोई गांव नहीं था जहां हमारा महराव गेट नहीं लगा था, लोगों का फोटो नहीं लगा था और हमारा झंडा नहीं लगा था। एक रोज में जाकर सारी चीजें, कह दिया गया कि हटाओ। समूची चीजें बंद करने का काम किया गया। इसलिए हमसे अधिक देवेन्द्र प्रसाद जी ने बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है लेकिन चुनाव आयोग की नीयत ठीक नहीं है। राजनीतिक दल के प्रति प्रतिशोध की भावना से काम किया जाता है। इसलिए इसकी जांच करानी चाहिए और जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए तथा जहां भी सुधार की जरूरत हो, सुधार करना चाहिए। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति जी, चुनाव सुधार एक लम्बे समय से हमारे देश, पार्लियामेंट और हम सबके लिए एक चिंता का विषय रहा है। सुधार हुए भी हैं। सुधार के नाम पर बिगाड़ भी हुए हैं और उन बिगाड़ों को भी सुधार ही कहा जाता रहा है। एक साहब आए। उन्होंने कहा कि हम सबका फोटो-पास बनवाएंगे। 15 साल में किसी का फोटो-पास नहीं बन सका। कितने बनकर लेखपाल के यहां रह गए। फिर 14 विकल्प गिनाए गए जबकि फोटो-पास एक पैसे की भी वैल्यू नहीं रखता। मान लीजिए कि मेरा फोटो-पास है और वोटर लिस्ट जो कि बार-बार रिव्यू होती रहती है और वोटर-लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो फोटो-पास रद्दी के कागज के बराबर भी नहीं है। इसलिए अरबों रुपए खर्च करके जो फोटो पहचान पत्र बनाए गए, वह बेकार हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तरीका बताता हूं कि किस तरह से सही पोलिंग होगी। इसी तरह से पर्यवेक्षकों का सिलसिला शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। फाइनेंस का एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है जो हर तीसरे दिन उम्मीदवार से पूछता है कि उसने कितना खर्च किया। यह सब कैण्डीडेट्स के साथ मजाक है। कैण्डीडेट चुनाव प्रचार करना छोड़कर पर्यवेक्षकों के पीछे-पीछे दौड़ते फिरे। एक भी गलत वोट, एक भी बूथ कैप्चरिंग, एक भी नाजायज पोलिंग और दूसरे कोई गलत काम पर्यवेक्षकों के जरिए नहीं रूकते हैं। पर्यवेक्षक जाता है और डाक बंगले में कलेक्टर उसके लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम कर देता है।

अपराह्न 5.32 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं आपको बताना चाहूंगा कि कि इस चुनाव में मेरी पोलिंग हो रही थी। मैं 50 किलोमीटर दूर था, मुझे मोबाइल से खबर दी गयी कि पूरा बहादुर की पोलिंग किसी और ने नहीं बल्कि वहां के दरोगा। *...(व्यवधान)** ने कैप्चर कर ली है और स्कूल का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इलियास आज़मी]

दरवाजा बद करके वह मशीन का बटना दबाता जा रहा है। मैं डेढ़ घण्टे में भागकर वहां पहुंचा। जब मेरी गाड़ी वहां पहुंचती हैं तो दरवाजा खोला गया। पूछने पर प्रिसाइडिंग आफिसर ने बताया कि हमने खाना खाने के लिए दरवाजा बंद किया था, जबकि अन्य सभी लोग कह रहे थे कि हमने खिड़की से देखा कि दरोगा मुसलसल मशीन की बटन बराबर दबाता जा रहा था। मैंने प्रिसाइडिंग आफिसर से यह पूछा कि आखिर यह किस नियम में लिखा है कि आप स्कूल का दरवाजा बंद कर लें। वहां पर दो पोलिंग बूथ थे जिनमें से एक में भाजपा के पक्ष में 400 फर्जी मत डाले गए। अपनी मानसिकता से प्रेरित होकर दरोगा ने ऐसा किया। वहां समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी थी, लेकिन यह काम भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। मैं पर्यवेक्षक से मिलने के लिए निकला और दो किलोमीटर आगे जाकर पर्यवेक्षक महोदय आते हुए मिल गए। वह मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और कहा कि जाकर कलेक्टर से शिकायत कर दीजिए। इस पर मैंने कहा कि अगर कलेक्टर से ही शिकायत करनी है तो आप किस लिए हैं? मैंने कलेक्टर से शिकायत की, उसने एसपी को मार्क कर दिया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि फोटो पास और पर्यवेक्षक-ये दोनों ही व्यवस्थाएं बेकार हैं।

महोदय, इस चर्चा के प्रस्तावक ने एक अच्छा सुझाव यह दिया है। जाहिर है कि हमारी वर्तमान चुनाव प्रणाली ब्रिटेन से उधार ली गयी है, यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इस बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधर्मी देश के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप चहते हैं कि इस देश में जाति, धर्म या मजहब जैसी किसी चीज का चुनाव में सहारा न लिया जा सके तो उसके लिए लिस्ट सिस्टम को पूरे तौर पर अपनाया जाना चाहिए। कोई कैण्डीडेट ही न हो, केवल पार्टी के आधार पर चुनाव हों। कांग्रेस कैण्डीडेट हो, बीजेपी कैण्डीडेट हो, सीपीएम कैण्डीडेट हो और स्टेट को एक यूनिट मान लिया जाए। उस राज्य में जिस पार्टी को जितने प्रतिशत मत मिलें उनके आधार पर सीटों का आवंटन कर दीजिए। इससे 100 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व हो सकेगा। मान लीजिए मुझे चुनाव में 36 प्रतिशत मत मिलता है, इसका अर्थ हैं कि 64 प्रतिशत मतदाता ने मेरे विरुद्ध वोट दिया है। इस प्रकार हर वोट का विधानसभाओं और लोक सभा में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। मैं जानता हूं कि इसका पूरा समर्थन करता हूं।

महोदय, इसी तरह चुनाव के आते ही तमाम अखबारों में सर्वे छपते हैं कि कौन जीतेगा। मेरे क्षेत्र में दस कस्बे हैं। वहां सात-आठ बड़े अखबार आते हैं और लगभग हर कस्बे में इन अखबारों के प्रतिनिधि होते हैं। वे हमारे पास आते हैं कि मैं आपके पक्ष में लिख दूंगा, इसके लिए आप मुझे कुछ दीजिए। अब अगर एक को दीजिए और दूसरे को न दीजिए तो वह आपके खिलाफ लिखने लगेगा। मान लीजिए मैंने पिहानी वाले को कुछ पैसे दिए और गोला वाले को न दे सके तो गोला वाला नाराज हो जाएगा। एक दिन छपता है कि इलियास आजमी जीत रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में न बोलें।

श्री इलियास आजमी: उसी अखबार का एक पत्रकार लिखता है कि इलियास आजमी सबसे आगे हैं। लेकिन उसी अखबार का दूसरा पत्रकार, जो 20-25 किलोमीटर दूर दूसरे कस्बे में बैठा है, वह लिखता है कि इलियास आजमी दौड़ में कहीं नहीं हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे फर्क पड़ता है।

एक और बड़ा कहर चुनाव प्रक्रिया पर एक्जिट पोल हैं। मैं कहता हूं कि संसद को कानून बनाकर एक्जिट पोल और पत्रकारों द्वारा इस तरह के खबरें छापने पर कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, प्रतिबंध लगाना चाहिए। जब चुनाव हो जाएं, उसके बाद आप चाहें तो एक्जिट पोल वगैरह की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जब तक चुनाव पूरे न हों, इस पर प्रतिबंध रहना चाहिए।

मैं आज बहुजन समाज पार्टी का सांसद हूं। 1999 में मैं इसी शाहबाद संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा था। वहां चुनाव दो-तीन चरणों में पूरा होना था। प्रथम चरण के दौरान एक्जिट पोल आया कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी कन्नौज से चुनाव हार गए हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि मेरे क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल गांव थे, वहां के लोगों ने सोचा कि जब मुलायम सिंह जी जैसा नेता हार गया, तो फिर मेरी क्या हस्ती है। इसलिए उन्होंने यह सोचकर दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट दे दिया कि कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए। इसलिए इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। जब पूरा चुनाव हो जाए, उसके बाद एक्जिट पोल आप दे सकते हैं। इसलिए बाकायता कानून बनाकर चुनाव के दौरान एक्जिट पोल करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

चुनाव प्रक्रिया में सबसे ज्यादा धांधली बूथ कैप्चरिंग की होती है। वहां लोग जाते हैं और यह काम करते हैं। यह काम, गुंडागर्दी के जरिए, पैसे के जरिए पुलिस उनके कब्जे में होती है या प्रिजाइडिंग आफिसर उनसे डरता है कि कहीं मेरा ट्रांसफर न करा दें, होता है। पहले वे लोग बैलेट पैपर्स छीन कर 100-200 बैलटों पर ठप्पा लगाकर डाल देते थे। अब एक आदमी 100-200 मशीनों का बटन दबाता है और 'टीं' की आवाज आने पर वोट कास्ट हो जाता है। मैंने आपको पूरा बहादुर की मिसाल पहले ही दी है। मेरे क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर 850 वोट पोल हुए। वहां दो बजे बूथ कैप्चरिंग हुई थी और उसमें से 600 वोट बीजेपी के

निकले, जबकि पूरे विधान सभा और लोक सभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले थे। यह इस तरह से हुआ कि प्रिजाइडिंग आफिसर बटन दबाता रहा और वहां ...*(व्यवधान)** बैठा देखता रहा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह सभा में उपस्थित नहीं हैं, अत: उनका नाम हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: इसलिए न किसी कानून की जरूरत है, न किसी संशोधन की जरूरत है, एक मिनट में चुनाव आयोग चाहे तो इसे रोक सकता है। पोलिंग के दिन कई उम्मीदवार पोलिंग बूथ के पास अपना टैंट लगाते हैं और मतदाता को पर्चियां देते हैं, जिसमें क्रम संख्या और वार्ड संख्या लिखी होती है। मतदाता वह पर्ची लेकर जाता है, ताकि वोटिंग में देर न हो। जब बूथ कैप्चरिंग होती है तो प्रिजाइडिंग आफिसर रिपोर्ट नहीं करता। जब तक वह रिपोर्ट नहीं करेगा, वहां रीपोलिंग नहीं हो सकती। भले ही हम लोग लाख चिल्लाते रहें कि अमुक बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन जब तक प्रिजाइडिंग आफिसर रिपोर्ट नहीं भेजेगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि प्रिजाइडिंग आफिसर को आप मजबूर कर दें कि अगर कहीं दो वोट भी गलत डाले गए, तो वह उसकी तुरंत रिपोर्ट करे। पर्ची देने का सिलसिला उम्मीदवारों के द्वारा जो हर विधान सभा क्षेत्र में किया जाता है, कैसे बूथ कैप्चरिंग रोकी जा सकती है, मैं इसे आपके सामने बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं काम की बात बता रहा हूं। वह काम चुनाव आयोग करे। चाहे लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव है, हर क्षेत्र का जो रिटर्निंग आफिसर है वह एक आदमी हर बूथ पर नियुक्त करे। चाहे लेखपाल को करे या पटवारी को करे या किसी और को करे और एक बड़ी पर्ची छपवा दी जाए जिसमें रिटर्निंग आफिसर के भी हस्ताक्षर हों और अगर वह कलम से साइन न कर सके तो मुहर बनवा ली जाए। वह आदमी या लेखपाल हर दरवाजे पर जाकर अपने साइन के साथ क्रम संख्या और भाग-संख्या लिखकर वोटर को पर्ची दे दे। फिर वोटर वही पर्ची लेकर जाए और अगर वह वोटर वही पर्ची दे तब प्रिजाइडिंग आफिसर उसको बैलेट पेपर दे। वह पर्ची वह अपने रिकार्ड में रखे। इस पर आप संजीदगी से गौर करें। यहां माननीय सोनिया जी भी बैठी हुई हैं और पूरा देश यहां की कार्यवाही देख रहा है। उस पर रिटर्निंग आफिसर के भी साइन होंगे और उसको भी पर्चियां गिनकर मिलेगीं और दस दिन पहले घर-घर जाकर पर्चियां देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर किसी घर में पर्ची न पहुंचे तो उसको मौका भी रहे और वह रिटर्निंग आफिसर को बता भी सके कि मुझे वोटर पर्ची नहीं मिली है। रिटर्निंग आफिसर पर्ची को अपने रिकार्ड में रखेगा।

मान लीजिए कि 572 वोट पोल हुए तो वह बैलेट पेपर के साथ पर्चियों को गिनकर जमा करेगा। अगर 500 वोट पोल हुए और वह 475 पर्चियां जमा कर रहा है तो साफ मतलब है कि 25 वोट किसी ने नाजायज डाले हैं। इसलिए उसे मजबूर होकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि मेरे पास 475 पर्चियां हैं और पोल हुआ है 500, इसलिए यह गलत है और रिपोल करना पड़ेगा। एक बार रिपोल होगा तो बूथ कैप्चरिंग करने वाले भी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उनको बूथ कैप्चरिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा।

अगर 10 कैंडिडेट होते हैं तो प्रत्येक को 200 रुपये से 250 रुपया बूथ पर खर्च करना पड़ता है। पोलिंग पर कम खर्च करना सरकार भी चाहती है और चुनाव आयोग भी चाहता है। इस तरह से लाख, दो लाख रुपया कैंडिडेट का बच जाएगा। बहुत से वोटर पोलिंग करने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनका नाम बूथ की पोलिंग लिस्ट में नहीं होता है। जब हर व्यक्ति जानेंगा तो ज्यादा वोट भी पोल होगा। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे हर कैंडिडेट का लाख, दो लाख रुपया बच जाएगा और बूथ कैप्चरिंग रूकेगी। इससे सरकार का ज्यादा रुपया भी खर्च नहीं होगा। प्रिजाइडिंग आफिसर जब मजबूर हो जाएगा कि जितनी पर्चियां मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा पोल हुआ है तो साबित हो जाएगा कि गलत पोलिंग हुई है और वहां रिपोलिंग होगी। इससे बूथ कैप्चरिंग करने वाले समझ लेंगे कि बूथ कैप्चरिंग से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बार-बार बूथ कैप्चरिंग करने से क्या फायदा है? जहां तक क्रिमिनल्स के दाखिले का बारे में शायद सुमन साहब और दूसरे सदस्यों ने कहा मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं।

देश के लीडर्स यहां बैठे हैं। सोनिया जी अगर पूरी तरह संतुष्ट न हों तो जैसा यादव जी ने इस चर्चा के दौरान कहा कि हर पार्टी के सदस्यों की एक ज्वाइंट पार्लियामैंटरी कमेटी बना दी जाए और उसमें विस्तार से 10 दिन, 20 दिन, एक महीना या दो महीने चर्चा हो जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके और चुनाव सुधार हो सकें। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव सुधार के नाम पर स्थिति को और बिगाड़ दिया जाए। मुझे इतना ही कहना था।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और हम सब को कुछ न कुछ बात कहने का मौका दिया। पिछले कई वर्षों से हम जो कुछ चुनावों के बारे में टिप्पणी सुनते रहे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

हैं, अधिकतम उन लोगों द्वारा सुनते रहे हैं जिन को कभी खुद चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। चुनाव आयोग से कुछ त्रुटियां इस कारण भी होती हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के सदस्य उनके सलाहकार बनते हैं वे उन लोगों में से ज्यादा बनते हैं जो मैनेजमैंट में सारा समय बिताते रहे हैं। उन्होंने स्वयं फील्ड में, व्यावहारिक रूप से लड़ने का कम काम किया है। कई बार स्थिति उस रूप में पैदा हो जाती हैं लेकिन मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं छोटे-मोटे सुझाव रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप थोड़ी देर में घंटी बजा देंगे।

अक्सर कहा गया है कि राजनीतिज्ञों के प्रति एक हताशा लोगों में थोड़ी बहुत हुई है। आदरणीय यादव जी जब इसके बारे में कह रहे थे तो एक वरिष्ठ नेता होने के रूप में, एक मैम्बर पार्लियामैंट होने के रूप में और एक नागरिक होने के रूप में तीनों चीजों का आक्रोश जो उनके अन्दर था, उन्होंने उसे अपनी वाणी से चर्चा में व्यक्त किया। जो बाकी लीडरों ने भी बात कही, उनके अन्दर एक हताशा, आक्रोश रहा। उनका जो लम्बा अनुभव चुनावों के साथ रहा है, उन्होंने उसे थोड़ा बहुत बाहर प्रस्तुत किया। अलग-अलग राज्यों में चुनाव के अनुभव भी अलग-अलग रूप में हैं। उत्तर भारत में दूसरा अनुभव रहा है। शायद दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में अलग तरह का अनुभव रहा है। मैं तमाम मैम्बरान से यह निवेदन करूंगा कि अलग-अलग राज्य की अलग-अलग परिस्थिति को देख कर उनकी बातों को उसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। चुनाव में जिस तरीके से सुझाव दिए जाते हैं, वे हर राज्य में अपने अनुभव, अपने राजनेताओं के कार्य-कलापों के कारण आए हैं और कुछ त्रुटियां जो अलग-अलग राज्यों में आई हैं और उस रूप से ज्यादा उत्पन्न हुई हैं। जो धन-बल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिन के बारे में बहुत से लोगों ने सदन में और सदन के बाहर कहा भी है और अपने विचार भी व्यक्त किए हैं।

आज अगर हम देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े युग-पुरुष गांधी जी का नाम लें, शायद आज के परिप्रेक्ष्य में वह चुनाव जीत नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से देश की प्रणाली के ऊपर यही सबसे बड़ी टिप्पणी हो सकती है। जिस तरह से धन का इस्तेमाल न करके, जिस तरह से प्रिंसिपल एथिक्स पर चल कर उन्होंने राजनीतिक का एक संदेश देश को दिया था, शायद उस तरह के व्यक्ति एमपी न बन पाएं, ऐसी परिस्थिति कुछ इलाकों में जरूर उत्पन्न हुई है। इसलिए हम सब में इस बात को लेकर कहीं न कहीं आक्रोश है, कहीं न कहीं दिल मचलता है कि क्यों ऐसी बात है कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

बहुत से लोग धन-बल की बात करते हैं। कई बार इस बारे में उदाहरण और सुझाव आए हैं कि राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से जो धन इस्तेमाल किया जाता है उसका वहां से पैसा है। यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसके साथ एक बात रखना चाहूंगा कि जो 15 दिन चुनाव के होते हैं जब हम पोस्टर चिपकाते हैं, झंडा लेकर घूमते हैं, जब हम भाषण देते हैं, जब जीप लेकर एनाउन्स करते हैं, वे 15 दिन उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जो आखिर के 24 या 36 घंटे होते हैं। मजाक के रूप में बहुत से इसे कत्ले-आम की रात करते हैं। कुछ लोग इसको बिल्कुल असत्य कहते हैं। महोदय, 24 और 36 घंटों में जो खर्च होता है और जो इंतजाम उन 24 या 36 घंटों में किए जाते हैं, वे आधे से ज्यादा चुनाव से जुड़े होते हैं। इसके बाद पांच साल के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, उनके कार्यकलाप उन 24 और 36 घंटों में किए गए कार्यों से निर्धारित होते हैं जिस कारण से हमें अपने वर्करों को सशक्त करना पड़ता है, अपने वर्करों को बलशाली बनाना पड़ता है और उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ता है। उन 24 या 36 घंटों में जो काम करने होते हैं और वे काम नहीं कर पाते हैं तो इससे काफी हद तक चुनाव प्रभावित होता है। पांच सालों में बहुत हद तक अपने कार्यकर्त्ताओं के प्रति उसी रूप में व्यवहार करना पड़ता है क्योंकि उन 24 घंटों में हम उनसे काम लेते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, अगर उन 24 घंटों में किए हुए कार्यक्रमों का प्रभाव नहीं डालेंगे, किसी तरह से रोशनी नहीं डालेंगे इससे पन्द्रह दिनों के खर्च से फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सब सदस्य जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि 12 या 15 दिन की कैम्पेनिंग में इतनी असरदार नहीं होती। इसके साथ ही अगर बूथ नहीं लगा, अगर गरीब वर्कर घर से निलकर नहीं आ पाए, जैसे श्री आजमी जी कह रहे थे कि अगर पीठासीन अधिकारी दूसरे मत का हो गया, अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया, कहीं न कहीं अगर चुनाव आयोग ने दूसरे तरीके की प्रक्रिया उत्पन्न कर दी। जैसा अभी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी और आरजेडी के सदस्यों ने पहले बताया है, इससे पूरा चुनाव ही पलट जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें दो-तीन आवश्यक चीजें आती हैं कि क्या आज हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि बिना किसी दुष्प्रभाव के हर वोटर अपने घर से उठकर अपने मन से चुनाव बूथ तक जा सके, वहां बिना किसी बड़ी अड़चन के हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में अंदर जा सके, उसके पास चाहे निर्वाचन पहचान पत्र हो या कोई और पहचान पत्र हो, उसे मान्यता मिल सके। उसे कोई भी आदमी गलत रूप में मत देने का अधिकार से न हटा सके, इसमें सरकार अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह अपने मन से चुनाव चिह्न बटन दबा सके जिस पर वह वोट डालना चाहता है और काउंटिंग में भी मत के सही परिणाम सामने ला सके। हालांकि इलैक्ट्रानिक वोटिंग के बाद इसमें काफी हद तक सुधार आया है।

महोदय, इसमें तीन-चार महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा आजमी साहब ने पर्ची की बात कही है। उनका सुझाव बहुत अच्छा है लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि वोटर अपना बूथ पहचान सके, यह जान सके कि उसे कहां वोटिंग करनी है और उनका मत क्या है। अक्सर पार्टियां उन वोटरों को नहीं आने देती हैं जो उनके मत के नहीं होते हैं। वे लोग अक्सर वोट नहीं डाल पाते हैं जहां पीठासीन अधिकारी अपनी तरफ से काम करते हैं। यहां सुझाव दिया गया है कि कैमरे लगा दिए जाएं, फिल्म बनाई जाए, स्मार्ट कार्ड बनाए जाएं, मुझे नहीं लगता यह आज के हिंदुस्तान में व्यावहारिक है। यह दिल्ली, बम्बई, कोलकाता या पटना में हो सकता है लेकिन क्या यह बेगूसराय में हो सकता है? क्या यह राजमुंद्री में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें व्यावहारिक हो सकती हैं। सबसे पहले भारत सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हर मतदाता को इस बात की सूचना मिले कि उसका मत कहां से होगा।

जब आप पर्ची बांटने की बात कहते हैं तो आप देखें कि पर्चियां बांटने का काम पालिटिकल कार्यकर्त्ताओं के बिना करना निरर्थक है, उसमें बहुत त्रुटियां हो जाएंगी। हम सब जानते हैं, चाहे लेखपाल की बात करें या किसी और की बात करें, अक्सर राज्य सरकार के अधिकारी कुछ राज्यों में निष्पक्ष चुनाव के बजाय राज्य सरकार के प्रति ज्यादा संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। कई जगह पर ये धारणाएं असत्य हैं और कहीं सत्य हैं। यह एक अलग बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यह हमारी साधारण धारणा हो सकती है। अगर किसी रूप में सरकारी व्यक्ति कार्यकर्त्ताओं के साथ पर्चियां बांटने में साथ होता है तो आजमी साहब आपके संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि यह उदाहरण चलेगा।

महोदय, आईडी कार्ड की एक बड़ी प्रक्रिया चली लेकिन कहीं न कहीं यह पांच या सात साल पीछे रह गई। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ जगह पर मैं भी एक-दो चुनाव में कांग्रेस का पोलिंग बूथ एजेंट रहा। हमने देखा कि जिन जगहों पर आईडी कार्ड चल गया, यदि बूथ के अंदर कार्यकर्त्ता प्रबल है, जल्दी डरने वाला नहीं है और अपने आप में कुछ शक्ति रखता है तो उस बूथ में कम से कम त्रुटियां होती हैं। जहां सरकार अपना प्रभाव डालती है, वहां दूसरी बात है। यह बात जरूर है कि आइडैंटिटी कार्ड बहुत सार्थक कदम है। हमने देखा है कि जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो हजारों की संख्या में पुलिस जगह-जगह जाती है। लेकिन वह पुलिस बाहर ही प्रहरी होती है, अंदर नहीं होती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि बूथ के अंदर क्या होता है। अंदर तो पोलिंग आफिसर होता है जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं इस बात को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। क्या इस बात पर विचार किया जा सकता है कि वहां का पोलिंग आफिसर भी पुलिस की तरह बाहर का लिया जाये जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहां चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप कार्यकर्त्ता एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिये। देश के विकास के लिये यह यज्ञ की आहुति है जो महत्वपूर्ण मानी जायेगी। हमने हर जगह देखा है कि अर्द्ध सैनिक बल कहीं न कहीं जाते रहते हैं। अगर सरकार इस बात पर भी विचार करे तो अच्छा होगा। इससे हम लोगों को भी संतोष होगा। शायद बाहर से आया हुआ पोलिंग आफिसर आसानी से लोकल लोगों के प्रभाव में नहीं आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है, इसलिये मैं एक-दो बातें कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। हमने गुजरात में चुनाव देखा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। अहमदाबाद एक पार्टी विशेष का गढ़ रहा है लेकिन एक उप-चुनाव में एक दूसरा दल ही जीतकर आया। उसके कुछ समय के बाद जब जिला परिषद के चुनाव हुये तो जो दल सत्ता में था, उसने 90 प्रतिशत सीटें जीती। उसके बाद कुछ ऐसी घटनायें घटी जिससे न केवल हिन्दुस्तान बल्कि विश्व भी शर्मसार है। उन घटनाओं के बाद कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुईं कि जो दल वहां सत्ता में था, वह पार्लियामेंट के चुनाव में पलटता नजर आया। वे लोग ऐसी भावना लेकर आये जो हमारे संविधान में विपरीत थी। हम लोग संविधान की कसमें खाते हैं क्योंकि यह समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारा सेकुलरिज्म का मुद्दा है जिसके बल पर हम 300 सीटें जीतकर इस तरफ आये हैं। सेकुलरिज्म के खिलाफ पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाते हुये और उसे रोकने में हमारा चुनाव आयोग असमर्थ रहा है। अगर उस प्रक्रिया के बारे में सरकार के माध्यम से कोई रिपोर्ट निकलती है और लालू जी कुछ कहते हैं या दूसरे सदस्य कुछ कहते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि यह गलत काम है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि इस देश में कत्लेआम किया जाता है जिस पर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है और चुनाव आयोग कहते हैं कि इस पर राजनीति की जा रही है, यह गलत कार्य है। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: मैं आज तक नहीं समझ पाया कि किसी निष्पक्ष आयोग की जांच रिपोर्ट हो और उसे आप बायस्ड मानते

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संदीप दीक्षित]

हैं। ऐसा व्यक्ति जो इन्सानियत का दुश्मन है जिसे सारा विश्व जानता है, वह मुख्य मंत्री बन जाता है जिस पर न हमारा राज्य, न संविधान न कोर्ट और न चुनाव आयोग कुछ कर पाता है। लेकिन एक हिन्दुस्तानी नागरिक के रूप में मैं खुद को शर्मसार महसूस करता हूं। मैं इस बात को व्यक्त भी करता हूं कि मैं कुछ भावुक हो गया लेकिन एक नया सदस्य होने के नाते संसद के प्रति अपनी भावना व्यक्त करना चाहता था।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नलगौंडा): महोदय, हमारे सबसे बड़े बहुदलीय लोकतंत्र में चुनाव और राजनैतिक दल अविभाज्य भाग हैं। चुनाव पद्धति में समय-समय पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इस समय व्यापक निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता है तथा मैं समझता हूं कि भारतीय संसद में उन विभिन्न निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता के संबंध में गहराई से चर्चा की जाए जो हमें देश में लागू करने चाहिए।

यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारी स्वतंत्रता के स्वर्णिम जुबली समारोहों के दौरान.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह चर्चा जारी रहेगी आप अपना वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं। अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 मई, 2005/14 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	521
2.	श्री सुग्रीव सिंह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	522
3.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री बृज किशोर त्रिपाठी	523
4.	श्री कैलाश मेघवाल	524
5.	श्री रामदास आठवले	525
6.	डा. के. धनराजू	526
7.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	527
8.	श्री मदन लाल शर्मा श्री अनंत गुढे	528
9.	श्रीमती जयाप्रदा श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	529
10.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	530
11.	श्री किन्जरपु येरननायडु श्री ए. वेंकटेश नायक	531
12.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्री मोहन सिंह	532
13.	डा. के.एस. मनोज	533
14.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	534
15.	डा. चिन्तन मोहन ललन, श्री राजीव रंजन सिंह	535
16.	श्री पी. करुणाकरन	536
17.	डा. रतन सिंह अजनाला श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	537
18.	श्री बिक्रम केशरी देव	538
19.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार श्री मणी कुमार सुब्बा	539
20.	श्री प्रहलाद जोशी	540

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5716, 5724, 5752, 5756
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	5682
3.	अहमद, श्री अतीक	5640
4.	अजय कुमार, श्री एस.	5633
5.	अर्गल, श्री अशोक	5631
6.	आठवले, श्री रामदास	5720, 5754, 5768
7.	आजमी, श्री इलियास	5643
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	5688
9.	बैठा, श्री कैलाश	5641
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	5725
11.	बर्मन, श्री हितेन	5636, 5733
12.	बखला, श्री जोवाकिम	5665
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5653, 5729
14.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	5632
15.	बोस, श्री सुब्रत	5666, 5733
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	5674
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	5648
18.	चौरे, श्री बापू हरी	5772
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5674, 5726
20.	चिन्ता मोहन, डा.	5738
21.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	5683
22.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	5689
23.	चौधरी, श्री अधीर	5657, 5741
24.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	5673
25.	धनराजू , डा. के.	5715

1	2	3
26.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5701
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5661
28.	गमांग, श्री गिरिधर	5624, 5707, 5749
29.	गंगवार, श्री संतोष	5634, 5714
30.	गोहेन, श्री राजेन	5743
31.	गौड, श्री डी.वी. सदानन्द	5669, 5672, 5694
32.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	5745, 5778
33.	हसन, श्री मुनव्वर	5698
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	5646, 5718, 5760
35.	जय प्रकाश, श्री	5630, 5706, 5750
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	5727, 5755
37.	जोगी, श्री अजीत	5704, 5748
38.	कामत, श्री गुरुदास	5744, 5774
39.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5626, 5705
40.	खां, श्री सुनील	5637, 5744
41.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5628, 5742, 5769, 5781
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5627, 5708
43.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	5671
44.	कुप्पुसामी, श्री सी.	5770
45.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	5683
46.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5755
47.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	5724
48.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5665, 5670, 5722
49.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5655
50.	महतो, श्री बीर सिंह	5682, 5684
51.	महताब, श्री भर्तृहरि	5663, 5744, 5762
52.	मंडल, श्री सनत कुमार	5639, 5719
53.	माने, श्रीमती निवेदिता	5742
54.	मेघवाल, श्री कैलाश	5776
55.	मिश्रा, डा. राजेश	5686, 5737
56.	मोहिते, श्री सुबोध	5696
57.	मुन्शी राम, श्री	5702
58.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5692, 5743
59.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	5654, 5736, 5758, 5780
60.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	5658
61.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5635, 5712
62.	नायक, श्री अनन्त	5638
63.	निखिल कुमार, श्री	5741
64.	नीतीश कुमार, श्री	5677, 5727, 5755
65.	ओराम, श्री जुएल	5693
66.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5629, 5710, 5756, 5761
67.	पलनिसामी, श्री के.सी.	5756
68.	पण्डा, श्री प्रबोध	5649, 5691, 5740
69.	पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण	5685, 5734
70.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	5662, 5713
71.	पासवान, श्री रामचन्द्र	5697
72.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	5732
73.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5674
74.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5716, 5724, 5753, 5766
75.	पाठक, श्री ब्रजेश	5668, 5723, 5739, 5759

1	2	3
76.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	5644, 5672
77.	पाटिल, श्री डी.बी.	5652
78.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	5659, 5693
79.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	5645, 5713
80.	रामदास, प्रो. एम.	5680
81.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5659, 5735, 5756, 5764
82.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5664, 5721, 5756, 5767
83.	राव, श्री डी. विट्टल	5660
84.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5675
85.	रावले, श्री मोहन	5623
86.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5699, 5746, 5763
87.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5669, 5691
88.	रिजीजू, श्री कीरेन	5773
89.	सज्जन कुमार, श्री	5775
90.	सांगवान, श्री किशन सिंह	5642, 5709, 5751, 5779
91.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5664, 5685, 5727, 5756
92.	सत्पथी, श्री तथागत	5687, 5756
93.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5681
94.	सेठी, श्री अर्जुन	5669, 5728
95.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	5682, 5695
96.	शाहिद, मोहम्मद	5650, 5683, 5747
97.	शर्मा, श्री मदन लाल	5711
98.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5678, 5756
99.	शिवन्ना, श्री एम.	5654, 5736, 5758, 5777
100.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5683
101.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5703
102.	सिंह, श्री दुष्यंत	5700
103.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	5742
104.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	5647, 5717, 5757
105.	सिंह, श्री राकेश	5622
106.	सिंह, श्री रेवती रमन	5771
107.	सिंह, श्री सीताराम	5690
108.	सिंह, श्री सुग्रीव	5716, 5724, 5752, 5765
109.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	5667
110.	सुब्बा, श्री एम.के.	5667
111.	सुमन, श्री रामजीलाल	5677, 5738
112.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	5625, 5732
113.	थामस, श्री पी.सी.	5679
114.	ठुम्मर, श्री वी.के.	5682
115.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	5685, 5734
116.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5731, 5753, 5765, 5766
117.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5676
118.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	5672
119.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5726
120.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	5631
121.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5687, 5756
122.	यादव, श्री बालेश्वर	5656
123.	यादव, श्री गिरिधारी	5684
124.	यास्खी, श्री मधु गौड	5651, 5756
125.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5730

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	521, 529, 535, 536, 538, 539
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	525, 532, 537, 540
मानव संसाधन विकास	:	524, 528, 533, 534
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	531
शहरी विकास	:	527
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	522
युवक कार्यक्रम और खेल	:	523, 526, 530

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	5648, 5649, 5669, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5681, 5690, 5691, 5700, 5701, 5702, 5712, 5721, 5727, 5728, 5732, 5737, 5741, 5746, 5747, 5751, 5752, 5754, 5760, 5763, 5764, 5767, 5780
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	5632, 5637, 5680, 5770
गृह	:	5622, 5623, 5625, 5630, 5631, 5644, 5645, 5646, 5653, 5657, 5660, 5662, 5667, 5668, 5672, 5685, 5708, 5711, 5713, 5716, 5719, 5729, 5735, 5738, 5742, 5745, 5750, 5755, 5756, 5757, 5761, 5762, 5769, 5772, 5777, 5778, 5779
मानव संसाधन विकास	:	5626, 5629, 5640, 5650, 5651, 5652, 5654, 5655, 5656, 5658, 5664, 5665, 5671, 5694, 5696, 5705, 5710, 5714, 5715, 5718, 5725, 5734, 5744, 5753, 5759, 5771, 5774, 5776
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	5633, 5670, 5686, 5704, 5706, 5707, 5720, 5722, 5723, 5724, 5736, 5749, 5758, 5766, 5773
शहरी विकास	:	5627, 5628, 5635, 5636, 5638, 5639, 5641, 5642, 5643, 5647, 5659, 5663, 5666, 5684, 5692, 5695, 5698, 5699, 5709, 5717, 5726, 5731, 5739, 5740, 5743, 5765, 5768, 5775
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	5624, 5661, 5673, 5733
युवक कार्यक्रम और खेल	:	5624, 5682, 5683, 5687, 5688, 5689, 5693, 5697, 5703, 5730, 5748, 5781।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/30/2005 (एन०)

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।